दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जनवरी, 2019

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- असम समझौते की धारा 6 लागू किये जाने की मंज़ूरी 7
- परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिये समग्र योजना' को जारी रखने की स्वीकृति 8
- राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम योजना 9
- CBI में रिक्तियों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 11
- SSC को वैधानिक दर्ज़ा देने का प्रस्ताव 11
- आर्थिक रूप से पिछड़ों को मिलेगा आरक्षण 12
- आधार और अन्य विधियाँ संशोधन विधेयक, 2018 13
- लोकसभा में पारित हुआ DNA टेक्नोलॉजी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 14
- रेणुकाजी बांध परियोजना 16
- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER Report-2018) 16
- DGP की नियुक्ति से संबंधित राज्यों की याचिका ख़ारिज: SC 18
- DMF/PMKKKY पर पहली राष्ट्रस्तरीय कार्यशाला 19
- वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ (GSTAT) के गठन को मंज़ूरी 20
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के ज़िला परिषदों को स्वायत्तता 21
- मलेरिया उन्मूलन के लिये ओडिशा सरकार की 'दमन' (DAMaN) योजना 22
- नागरिकता (संशोधन) विधेयक और मिज़ोरम 23

आर्थिक घटनाक्रम **26**

- निर्यात संवर्द्धन परिषद 26
- MSME के पुनरुद्धार हेतु RBI पैनल 26
- अक्षय उर्जा क्षमता में भारत को पाँचवा स्थान 27
- 14 तेल, गैस ब्लॉक की नीलामी 27
- बीटी कपास के बीज पर मॉनसेंटो का पेटेंट 28
- टोकन व्यवस्था के लिये रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश 29
- गोल्ड स्कीम में बदलाव 29
- सिक्किम शुरू करेगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम 31
- पूंजी संरक्षण बफर 32
- भागीदारी शिखर सम्मेलन 2019 33
- रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये GoM का गठन 34
- कालिया योजना 35
- RBI ने ECB मानदंडों को आसान बनाया 36

नोट :

- निर्यात-आयात बैंक के पुनर्पूंजीकरण को स्वीकृति 36
- स्टार्टअप्स को 'एंजेल टैक्स' पर राहत 37
- मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल 38
- इनसाइडर ट्रेडिंग पर नियंत्रण 39
- ऑक्सफेम रिपोर्ट 40
- वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018 41
- तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा 42
- सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र 2017-18 43
- डेटा पॉइंट: डॉलर के मुकाबले रुपए में हालिया सुधार 45
- राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना 45
- द फ्यूचर ऑफ़ रेल' रिपोर्ट 46

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **48**

- यूनेस्को से अलग हुए अमेरिका और इजराइल 48
- रायसीना डायलॉग 48
- रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया 49
- भारत का मध्य-एशिया के साथ बेहतर उड़ान संपर्क का प्रयास 50
- भारत-अमेरिका समझौतों की प्रगति 51
- यूएई खाद्य की मांग को पूरा करने हेतु फसल उगाएगा भारत 52
- सार्क के सदस्य देशों के लिये मुद्रा विनिमय प्रबंध के प्रारूप' में संशोधन को मंज़ूरी 53
- फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट: ILO 54
- विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन 2019 56
- दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति का भारत दौरा 57
- वर्ष 2021 में पीसा (PISA) में भाग लेगा भारत 58

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी **60**

- नासा का अंतरिक्ष यान अल्टिमा थुले (Ultima thule) तक पहुँचा 60
- IIT मद्रास द्वारा CO_2 और CH_4 के हाइड्रेट्स की खोज 60
- IT (Information Technology) एक्ट की धारा 66 A 61
- 2024 तक वायु प्रदूषण को 20% तक कम करने का लक्ष्य 62
- गरज/बिजली के लिये 'एंड-टू-एंड' भविष्यवाणी प्रणाली 63
- ग्लोबल एविएशन समिट 2019 64
- पृथ्वी के आंतरिक भाग में अप्रत्याशित परिवर्तन 65
- शनि (Saturn) पर उपस्थित वलयों (घेरा) की आयु अनुमान से कम 66
- डिजिटल हब में बदलते रेलवे स्टेशन 67
- पीत-ज्वर टीका 68
- सौर ऊर्जा और जल उपचार प्रौद्योगिकी मिशन केंद्रों की शुरुआत 69
- इसरो का 2019 में प्रथम सफल अभियान 70
- विश्व एकीकृत औषधि फोरम 71
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2019 73

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी **73**

- तेज़ी से गर्म होते महासागर 74
- रेल दुर्घटनाओं में 49 हाथियों की मृत्यु 74
- जल अलवणीकरण संयंत्र पर्यावरण के लिये हानिकारक : UN 75
- ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 76
- चिल्का झील में समुद्री घास 77
- हंपबैक डॉल्फिन 77
- डेटा पॉइंट: स्वच्छ गंगा मिशन, क्या कहते हैं आँकड़े 78
- भारतीय संस्थानों द्वारा नाइट्रोजन प्रदूषण का अध्ययन 79
- आर्कटिक पहुँचा न्यू डेल्ही सुपरबग जीन 81
- बाघ संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन 82
- पहली बार बंधक हाथियों का सर्वेक्षण 84
- असम की गोल्डन लंगूर प्रजनन परियोजना को मिली सफलता 84

सामाजिक मुद्दे **86**

- अभिनव (नई) दवाओं हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा 86
- बाल देखभाल संस्थानों का सर्वे 87
- डेटा पॉइंट: स्कूली बच्चों की ड्रॉपआउट दर 87
- मानव तस्करी' में यूरोप की स्थिति गंभीर: UN 88
- देवदासी प्रथा अब भी प्रचलित 89
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अपने लक्ष्य से पीछे 90
- नहीं खुलेंगे नए इंजीनियरिंग कॉलेज 91
- बुजुर्ग गरीबों, विकलांगों और विधवाओं की मासिक पेंशन में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव 92
- राष्ट्रीय महत्व के स्मारक 95
- टूटे सपनों की गवाही : फूटी मस्ज़िद 95

कला एवं संस्कृति **95**

- भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय 96
- लोथल...भारत का सबसे पुराना बंदरगाह शहर 97
- बीटिंग द रिट्रीट 98
- राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक 99
- नगालैंड में छह महीने बढ़ा AFSPA 101

आंतरिक सुरक्षा **101**

- रक्षा उपकरण निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी 102
- अब अंतरिक्ष से होगी देश की सीमाओं की निगरानी 103

चर्चा में **104**

- वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 104
- सिनेरियस गिद्ध 104

नोट :

- एकल खिड़की हब 'परिवेश' 104
- पांडा बॉण्ड 105
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण 105
- कड़कनाथ मुर्गा 105
- भौगोलिक संकेतक 106
- 6ठा 'भारतीय महिला जैविक उत्सव' 106
- चक्रवात 'पाबुक' 107
- चीन का लूनर रोवर युतु-2 107
- वायनाड वन्यजीव अभयारण्य 107
- फ्रिंज बेनिफिट 107
- नासा ने की नए ग्रह की खोज 108
- WebWonderWomen 108
- भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस का 106वाँ अधिवेशन 108
- विश्व हिंदी दिवस 109
- नो इंडिया प्रोग्राम 109
- सहायक एयर ड्रोपेबल कंटेनर 109
- इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार 110
- गगनयान मिशन 110
- पोलावरम परियोजना 111
- राष्ट्रीय युवा दिवस 111
- सावित्रीबाई फुले 111
- संपन्न 112
- 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स 112
- देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज 112
- देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र 113
- राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण 113
- वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 113
- सेना प्रौद्योगिकी सेमिनार (आरटेक-2019) 114
- स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत चार नई परियोजनाएँ 114
- ओवरड्राफ्ट 115
- फिलिप कोटलर प्रेसीडेंशिअल अवार्ड 115
- केरल में आध्यात्मिक सर्किट 116
- 'वन फैमिली, वन जॉब' योजना 116
- विज्ञान संचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की पहल 116
- राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 117
- अगस्त्याकूर्दम चोटी 117
- 'सक्षम 2019' 117
- वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 118
- 'सांझी-मुझ में कलाकार' 119
- गांधी शांति पुरस्कार 119
- जल्लीकट्टू 120

नोट :

- उन्नति कार्यक्रम 120
- प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना 120
- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना 121
- आसियान-भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक 121
- 'शूटिंग स्टार्स ऑन डिमांड' 122
- भारत की पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री 122
- सरकारी ऋण पर वार्षिक स्थिति-पत्र 123
- भारत सरकार और JICA के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर 123
- सुपर ब्लड वुल्फ मून 124
- फ्लेमिंगो महोत्सव 124
- रियो डी जेनेरियो 125
- कटौती प्रस्ताव 126
- भारत सबसे भरोसेमंद देशों में से एक 127
- 15वाँ प्रवासी भारतीय दिवस 127
- सी विजिल 2019 128
- केरियन गंडियाल पुल 128
- पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल 128
- भारत-अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास-2019 129
- राष्ट्रीय बालिका दिवस 129
- काजीरंगा के दो गैंडों को मिला नया घर 129
- रोशनी एप 130
- सुभाष चंद्र बोस 130
- वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक – 2019 131
- बायो-जेट ईंधन के लिये नया मानक 131
- 9वाँ मतदाता दिवस 132
- नई प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलन 132
- 'ट्रेन 18' अब 'वंदे भारत एक्सप्रेस' 133
- भारत पर्व 133
- हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, 2018- नारी शक्ति 133
- विश्व कुष्ठ दिवस 133
- मोबाइल एप 'आरडीपी इंडिया 2019' 134
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश 134
- संगराई नृत्य 135
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) 135
- रत्न और आभूषण के लिये घरेलू परिषद 135
- पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) कोष: 136
- गगनयान के लिये मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित 136
- अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) का आह्वान 136
- साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 137

विविध **138**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

असम समझौते की धारा 6 लागू किये जाने की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा 6 को लागू करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की मंज़ूरी दी।

पृष्ठभूमि

- 1979-1985 के दौरान हुए असम आंदोलन के पश्चात् 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
- समझौते की धारा 6 के अनुसार, असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान व विरासत के संरक्षण और उसे प्रोत्साहित करने के लिये उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपाय किये जाएंगे।
- इसलिये मंत्रिमंडल ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंज़ूरी दी है जो असम समझौते की धारा 6 के आलोक में संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित अनुशंसाएँ करेगी।
- बोडो समझौते पर 2003 में हस्ताक्षर किये गए। इसके परिणामस्वरूप भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (Bodoland Territorial Council) का गठन हुआ।

प्रमुख बिंदु

- समिति असम समझौते की धारा 6 को लागू करने के लिये 1985 से अब तक किये गए कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।
- समिति सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी और असम के लोगों के लिये असम विधानसभा तथा स्थानीय निकायों में आरक्षण हेतु सीटों की संख्या का आकलन करेगी।
- समिति असमी और अन्य स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने, असम सरकार के तहत रोज़गार में आरक्षण का प्रतिशत तय करने तथा असमी लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान व विरासत को सुरक्षित, संरक्षित तथा प्रोत्साहित करने के लिये अन्य उपायों की आवश्यकता का आकलन करेगी।
- गृह मंत्रालय समिति की संरचना और शर्तों के संबंध में अलग से अधिसूचना जारी करेगा।
- यह महसूस किया गया है कि समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के लगभग 35 साल बाद भी असम समझौते की धारा 6 को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।
- उम्मीद है कि समिति के गठन से असम समझौते को अक्षरश: लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा और यह असम के लोगों के लंबे समय से चली आ रही उम्मीदों को पूरा करेगा।
- मंत्रिमंडल ने बोडो समुदाय से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मामलों के समाधान के लिये विभिन्न उपायों को अपनाए जाने की भी मंज़ूरी दी है।
- मंत्रिमंडल ने बोडो म्यूजियम सह-भाषा व सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की स्थापना, कोकराझार में वर्तमान के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन व दूरदर्शन केंद्र को आधुनिक बनाने तथा BTAD (Bodoland Territorial Area Districts) से होकर गुज़रने वाली एक सुपर-फास्ट ट्रेन का नाम अरोनई एक्सप्रेस रखने के प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी है।
- राज्य सरकार भूमि नीति और भूमि कानूनों के संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार स्थानीय समुदायों के रीति-रिवाजों, परंपराओं और भाषायी शोध तथा प्रलेखन के लिये संस्थाओं की स्थापना करेगी।

नोट :

क्या है असम समझौता ?

- 1985 में असम समझौते पर इस आश्वासन के साथ हस्ताक्षर किये गए कि केंद्र सरकार असम में विदेशियों की समस्या का संतोषजनक समाधान खोजने के लिये प्रयास करेगी।
- परिणामस्वरूप असम में आव्रजन मुद्दे को हल करने के लिये लागू किये जाने वाले प्रस्तावों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा।
- समझौते के अनुसार, 1 जनवरी, 1966 से पहले असम आने वाले सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी।
- 1 जनवरी, 1966 तथा 24 मार्च, 1971 के बीच आए लोगों का "विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946) और विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश 1964 [The Foreigners (Tribunal) Order,1964] के प्रावधानों के अनुसार पता लगाया जाएगा।
- उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे और उन्हें 10 साल की अवधि के लिये विस्थापित किया जाएगा।
- समझौते के अनुसार, 25 मार्च, 1971 या उसके बाद असम आए विदेशियों का पता लगाए जाने का कार्य जारी रहेगा, ऐसे विदेशियों को निष्कासित करने के लिये व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे।

बोडोलैंड की मांग

- बोडो (असमिया) समुदाय के लोग पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं तथा भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत भारत की एक महत्त्वपूर्ण जनजाति है।
- प्रतिबंधित संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) पिछले कई सालों से असम में बोडो आदिवासी समुदाय के लिये एक अलग राज्य की मांग उठाता रहा है।

परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिये समग्र योजना' को जारी रखने की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) ने 14वें वित्त आयोग की वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक की अवधि के दौरान 'परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिये समग्र योजना' (Scheme for Family Welfare and Other Health Interventions) में 5 योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है।

- सभी पाँचों योजनाएँ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (Central Sector Schemes) हैं, जिनका शत-प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये योजनाएँ हैं-

1. स्वस्थ नागरिक अभियान (Swastha Nagrik Abhiyan-SNA): इसका उद्देश्य भारत में किसी भी स्थान पर रहने वाले लोगों (किसी भी उम्र की महिला अथवा पुरुष) के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुड़ी जानकारियों का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ बेहतर जीवनशैली को बढ़ावा देना और नागरिकों का सशक्तीकरण करना है।
   - इस योजना को 1030.15 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ तीन वर्षों के लिये मंज़ूरी दी गई है।
2. गर्भ-निरोधकों की नि:शुल्क आपूर्ति (Free Supply of Contraceptives): इसका उद्देश्य राज्यों को कंडोम, गर्भ-निरोधक गोलियों, गर्भावस्था परीक्षण किट सहित अन्य गर्भ-निरोधकों की नि:शुल्क आपूर्ति करना है ताकि माताओं एवं शिशुओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के साथ ही आबादी में भी स्थिरता लाई जा सके।
3. स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान (Health Surveys and Health Research-HSHR): MIS योजना का नाम HSHR करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य भारत और इसके राज्यों की आबादी, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आँकड़े प्राप्त करना है।
   - समय-समय पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey NFHS) के ज़रिये भी ये आँकड़े प्राप्त किये जाएँगे।
   - उल्लेखनीय है कि NHFS विश्व भर में अपनी तरह के सबसे बड़े सर्वेक्षणों में से एक है।
   - NHFS ज़िला स्तर पर नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिये महत्त्वपूर्ण आँकड़े मुहैया कराता है।

नोट :

4. गर्भ-निरोधकों का सामाजिक विपणन (Social Marketing of Contraceptives): इसका उद्देश्य किफायती मूल्य पर निम्न आय वाले समूहों के लिये परिवार नियोजन से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं की ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग, विपणन एवं बिक्री करना है।
   - यह योजना किसी विशेष समूह या श्रेणी तक ही सीमित नहीं है, इसमें पूरे देश की आबादी को कवर करने का प्रावधान है।
   - गर्भ-निरोधकों के सामाजिक विपणन और गर्भ-निरोधकों की नि:शुल्क आपूर्ति जैसे घटकों को विशेष रूप से निम्न आय वाले समूह में शामिल लोगों पर लक्षित किया जाता है।
5. जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (Population Research Centres-PRCs): इसका उद्देश्य PRC, विशेष रूप से उन केंद्रों से जुड़ी योजना का किसी तीसरे पक्ष द्वारा आकलन कराना है जिन्हें आगे जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।

व्यय

- 14वें वित्त आयोग (Fourteenth Finance Commission) की वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक की अवधि के दौरान इस योजना पर कुल 2381.84 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी और इसका शत-प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- कार्यान्वयन रणनीति एवं लक्ष्य
- इसके तहत मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Policy) 2017 के महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ-साथ उन सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करना है जिस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी शामिल है।
- मीडिया/IEC संपर्क के ज़रिये किये जाने वाले प्रयास का उद्देश्य बीमार लोगों की देखभाल से भी कहीं आगे बढ़कर आरोग्य की अवधारणा की ओर अग्रसर होना है, जिसके लिये पारंपरिक एवं सोशल मीडिया से जुड़े समस्त साधनों का उपयोग किया जाएगा।
- गर्भ-निरोधकों के नि:शुल्क वितरण एवं सामाजिक विपणन का लक्ष्य आधुनिक गर्भ-निरोधक प्रसार दर (Modern Contraceptive Prevalence Rate-MCPR) को बेहतर करना, परिवार नियोजन (Family Planning) में मदद करना और आबादी में स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- NFHS का लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी सभी संकेतकों से जुड़े विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध कराना है।

प्रभाव

- प्रस्ताव में शामिल 5 योजनाएँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Policy-NHP) 2017 और सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs) के रूप में व्यक्त की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- 'SNA' योजना में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग संबंधी लोगों के व्यवहार में बेहतरी लाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
- 'HSHR (Health Surveys and Health Research-HSHR) के ज़रिये भारत सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे समस्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति पर करीबी नज़र रखने में मदद मिलेगी।
- इससे समय पर इनमें आवश्यक सुधार करने में सहायता मिलेगी। गर्भ-निरोधकों के नि:शुल्क वितरण एवं सामाजिक विपणन से आबादी में स्थिरता लाने के अलावा शिशुओं एवं माताओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना भी संभव हो पाएगा।

राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम योजना

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2017-2018 से 2019-2020 की अवधि के लिये राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम योजना (Rastriya Yuva Sashaktikaran Karyakram Scheme) को जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।

- व्यय वित्त समिति (Expenditure Finance Committee-EFC) के अनुमोदन के अनुरूप इसके लिये 1160 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

पृष्ठभूमि

- 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के परामर्श से योजना को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया चलाई गई।

नोट :

- योजना का उद्देश्य युवाओं में व्यक्तित्व और नेतृत्वकारी गुणों का विकास करना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में संलग्न करना है।
- इस योजना को 8 उप-योजनाओं के रूप में राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम के अधीन कर दिया गया है। इसके कारण योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिली।

योजना के लाभार्थी

- योजना के लाभार्थियों में 15-29 वर्ष आयु समूह के युवा शामिल हैं जो राष्ट्रीय युवा नीति (National Youth Policy), 2014 में 'युवा' की परिभाषा के अनुरूप है।
- विशेष रूप से किशोरों से संबंधित कार्यक्रम के घटकों के मामले में आयु समूह 10-19 वर्ष है।
- राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित 8 उप-योजनाओं को शामिल किया गया है-
  1. नेहरू युवा केंद्र संगठन (Nehru Yuva Kendra Sangathan-NYKS)
  2. राष्ट्रीय युवा वाहिनी (National Youth Corps-NYC)
  3. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (National Programme for Youth & Adolescent Development-NPYAD)
  4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation)
  5. युवा छात्रावास (Youth Hostels-YH)
  6. स्काउट और गाइड संगठनों को सहायता (Assistance to Scouting & Guiding Organizations)
  7. राष्ट्रीय अनुशासन योजना (National Discipline Scheme-NDS)
  8. राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम (National Young Leaders Programme-NYLP)

राष्ट्रीय युवा नीति (National Youth Policy)-2014

राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की शुरुआत की गई है।

- इसका लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिये उन्हें सशक्त बनाने और उनके ज़रिये देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है।
- इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये नीति में पाँच भली-भाँति परिभाषित उद्देश्यों और प्राथमिकता वाले 11 क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 11 क्षेत्र हैं-
  1. शिक्षा
  2. रोज़गार और कौशल विकास
  3. उद्यमिता
  4. स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन-शैली
  5. खेल
  6. सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना
  7. सामुदायिक सहभागिता
  8. राजनीति और शासन में भागीदारी
  9. युवा सहभागिता
  10. समावेशन
  11. सामाजिक न्याय

विशेषताएँ

- राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 23 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है।
- राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अंतर्गत देश के युवाओं के लिये भारत सरकार के विज़न को परिभाषित किया गया है और उन मुख्य क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है जिनमें युवा विकास के लिये कार्रवाई अपेक्षित है और इसके अंतर्गत सभी हितधारकों के लिये कार्रवाई की एक रूपरेखा प्रदान की गई है।

नोट :

CBI में रिक्तियों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संसद की एक समिति ने CBI में रिक्तियों को लेकर चिंता जताई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को इस दिशा में सक्रियता से उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। ध्यातव्य है कि संसदीय समिति की अध्यक्षता सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- एक अलग निष्कर्ष के आधार पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee-PSC) ने पाया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में मानव के साथ-साथ भौतिक बुनियादी ढाँचे का भी अभाव है। इस वजह से 17 में से 14 बेंच पूरी तरह कार्यरत नहीं हैं।
- कार्यकारी रैंक, विधि अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों में रिक्त पदों का प्रतिशत क्रमश: 16, 28 और 56 है।
- शीर्ष स्तर पर विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक के चार पदों में से तीन खाली पड़े हैं।
- समिति ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि रिक्तियों को यथाशीघ्र नहीं भरा गया तो यह सीबीआई के कार्यों को प्रभावित करेगी।

समिति की सिफारिशें

सीबीआई हेतु सिफारिशें

- समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई में रिक्तियों की चिरस्थायी समस्या को दूर करने के लिये सरकार भर्ती नियमों को सरल बनाए।
- सीबीआई और सरकार को गाजियाबाद में सीबीआई अकादमी में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टीगेशन (International Centre of Excellence in Investigation- ICEI) की स्थापना हेतु शीघ्र अनुमोदन प्रदान करना चाहिये, जिसे 2015 में घोषित किया गया था।

इंटरनेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टीगेशन-ICEI

- इंटरनेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टीगेशन (International Centre of Excellence in Investigation-ICEI) का उद्देश्य साइबर अपराध सहित अन्य अपराधों के उभरते डोमेन में जाँच और अभियोजन पर विश्व स्तरीय प्रमाणित पाठ्यक्रम पेश करना था।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) हेतु सिफारिशें

- संसदीय स्थायी समिति के अनुसार, रिक्तियों को भरने के लिये समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिये।
- समिति ने कहा कि न्यायाधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अच्छी तरह से शुरू होनी चाहिये और सरकार को समय से पहले सेवा छोड़ने वाले सदस्यों के कारणों की जाँच तथा उपचारात्मक उपाय करना चाहिये।

आगे की राह

आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता जैसे क्षेत्रों में अपराधों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ सीबीआई जैसी जाँच एजेंसियों पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। यदि रिक्तियों की संख्या ऐसी ही बनी रही तो इन संस्थाओं द्वारा अपराधों पर अंकुश लगा पाना मुश्किल हो जाएगा।

SSC को वैधानिक दर्ज़ा देने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा केंद्र को SSC को वैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया।

नोट :

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission-UPSC) और सभी राज्य लोक सेवा आयोगों (State Public Service commissions-SPSCs) को संवैधानिक या कानूनी दर्जा प्राप्त है। SSC एकमात्र ऐसी संस्था है जो बहुत बड़े पैमाने पर इन्हीं की तरह कार्यरत है, लेकिन इसे वैधानिक स्थिति प्राप्त नहीं है।
- UPSC के बोझ को कम करने हेतु 'ग्रुप ए' स्तर से नीचे के पदों की भर्ती के लिये SSC को बनाया गया था। वर्तमान में SSC के कार्यभार और ज़िम्मेदारियों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है।
- 2008-09 में 9.94 लाख उम्मीदवारों से SSC के कार्यभार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, 2016-17 में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग इसके तहत कार्यरत थे।

कार्य का उत्तरदायित्व

- यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training -DoPT) के तहत एक 'संलग्न निकाय' के रूप में है और बिना किसी स्वायत्तता के अपनी सभी ज़रूरतों के लिये पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है।
- कानूनविद् भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि SSC को वैधानिक स्थिति प्राप्त हो जाने पर इसके द्वारा भर्ती प्रक्रिया, अन्य प्रदर्शन तथा परिणामों के वितरण में अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता, तेज़ी से निर्णय लेने की क्षमता और दक्षता बढ़ेगी।
- अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु
- SSC में परीक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिये 2014 में सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने आयोग को वैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी।
- प्रस्ताव के अनुसार, SSC तीन स्तरों पर सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा - मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन। आगे चलकर यह लगभग 5 करोड़ उम्मीदवारों को अपने अंतर्गत लाएगा, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।
- SSC ने अतिरिक्त जनशक्ति के प्रावधान के लिये सरकार को तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। समिति ने कहा है कि कार्यों और संसाधनों के बीच तारतम्यता को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिये SSC प्रस्तावों को लागू करना अनिवार्य था।

आर्थिक रूप से पिछड़ों को मिलेगा आरक्षण

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस मंज़ूरी के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों के लिये सरकारी नौकरियों में अलग से 10 फ़ीसदी कोटा होगा। हालाँकि इसके लिये संविधान में संशोधन करना होगा।
- ऐसा माना जा रहा है कि ग़रीब सवर्णों के लिये यह आरक्षण, अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes), अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) और अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes-OBC) के लिए आरक्षण की मौजूदा तय सीमा जो कि 50 प्रतिशत है, से अलग होगी।
- इसके लिये संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 को संशोधित करना होगा। यानी संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंज़ूरी आवश्यक होगी।
- कुछ निर्धारित मानदंडों के साथ 8 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों को इसके दायरे में रखने का निर्णय लिया गया है।
- इस फैसले से लाभान्वित होने वालों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोग भी शामिल होंगे।

नोट :

पहले भी हुई कोशिश

- पहले भी कई बार आरक्षण की मौजूदा सीमा से अधिक आरक्षण देने की कोशिश की की गई है लेकिन हर बार सर्वोच्च न्यायालय ने उसे ख़ारिज किया है।
- पिछली बार 2014 में भी चुनावों से ठीक पहले जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की गई थी लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस फ़ैसले को ख़ारिज कर दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, "पिछड़ेपन के लिये सिर्फ़ जाति को आधार नहीं बनाया जा सकता। पिछड़ेपन का आधार सिर्फ़ सामाजिक होना चाहिये न कि शैक्षणिक या आर्थिक रूप से कमज़ोरी।"

आधार और अन्य विधियाँ संशोधन विधेयक, 2018

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकसभा ने आधार और अन्य विधियाँ संशोधन विधेयक, 2018 को मंज़ूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य तीन मौजूदा कानूनों, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करना है।

प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (सितंबर 2018) को लागू करने हेतु मौज़ूदा कानूनों को संशोधित करने के लिये लाया गया है।
- यह विधेयक आधार को बरकरार तो रखता है लेकिन भारत के समेकित कोष द्वारा वित्त पोषित कुछ सब्सिडी योजनाओं के लिये इसके उपयोग को सीमित करता है।
- यह विधेयक निजी कंपनियों के लिये प्रमाणीकरण हेतु आधार की अनिवार्यता को भी खत्म करता है।

विधेयक के प्रावधान

- बच्चों का नामांकन: यह विधेयक माता-पिता या अभिभावक की सहमति से आधार योजना में बच्चों के नामांकन की अनुमति देता है।
- वयस्क होने पर बच्चे आधार को नकार सकते हैं।
- ऑफलाइन सत्यापन: यह विधेयक ऑफलाइन सत्यापन की अनुमति देता है, यानी बायोमेट्रिक डेटा या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग किये बिना पहचान सत्यापित करने हेतु आधार संख्या का उपयोग।
- प्रमाणीकरण विफलता के कारण सेवाओं से इनकार नहीं: यह विधेयक स्पष्ट करता है कि वृद्धावस्था, बीमारी या तकनीकी कारणों से आधार संख्या के प्रमाणीकरण में विफलता की परिस्थिति में किसी भी सेवा, लाभ या सब्सिडी से इनकार नहीं किया जाना चाहिये। यह बताता है कि ऐसे मामलों में पहचान को सत्यापित करने हेतु वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिये।
- धारा 57 का खात्मा: विधेयक में आधार अधिनियम की धारा 57 को छोड़ देने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसने निजी संस्थाओं को सेवाएँ प्रदान करने से पहले पहचान प्रमाणित करने हेतु आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति दी थी।
- टेलीग्राफ कानून में संशोधन: विधेयक में दूरसंचार कंपनियों द्वारा पहचान सत्यापन के लिये आधार संख्या का स्वैच्छिक उपयोग करने हेतु भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1855 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। हालाँकि, विधेयक यह नहीं कहता है कि सत्यापन हेतु आधार का उपयोग अनिवार्य है।
- बैंक खाते और आधार: बैंक खाता खोलने से पहले बैंकों द्वारा पहचान सत्यापन के लिये आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने हेतु धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। आधार को पहचान सत्यापित करने हेतु एक साधन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और इसके उपयोग की कोई बाध्यता नहीं है।

नोट :

लोकसभा में पारित हुआ DNA टेक्नोलॉजी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018

चर्चा में क्यों ?

8 जनवरी, 2019 को लोकसभा में DNA टेक्नोलॉजी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 [DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill] पारित हुआ। इस विधेयक में कुछ लोगों की पहचान स्थापित करने हेतु DNA टेक्नोलॉजी के प्रयोग के रेगुलेशन का प्रावधान है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

DNA डेटा का प्रयोग

- विधेयक के अंतर्गत DNA परीक्षण की अनुमति केवल विधेयक की अनुसूची में उल्लिखित मामलों (जैसे भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत अपराधों, पेटरनिटी (paternity) से संबंधित मुकदमों या असहाय बच्चों की पहचान) के लिये दी जाएगी।

DNA डेटा के प्रयोग के लिये अनुमति

- DNA प्रोफाइल तैयार करते समय जाँच अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति के शारीरिक पदार्थों को इकट्ठा किया जा सकता है।
- कुछ स्थितियों में इन पदार्थों को इकट्ठा करने के लिये अधिकारियों को उस व्यक्ति की सहमति लेना आवश्यक होगा।
  - सात साल तक की सज़ा पाने वाले गिरफ्तार व्यक्तियों के DNA परीक्षण के लिये अधिकारियों को उनकी सहमति प्राप्त करनी होगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सात साल से अधिक या फाँसी की सज़ा दी गई है तो अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के DNA परीक्षण के लिये उनकी सहमति लेना आवश्यक नहीं है।
  - इसके अतिरिक्त किसी पीड़ित व्यक्ति या लापता व्यक्ति के संबंधी अथवा नाबालिग या विकलांग व्यक्ति के DNA परीक्षण के लिये अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे उस पीड़ित व्यक्ति, उसके संबंधी या नाबालिग या विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक की सहमति प्राप्त करें। यदि किसी भी मामले में सहमति नहीं मिलती है तो अधिकारी मेजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं।

DNA डेटा बैंक

- विधेयक में राष्ट्रीय DNA डेटा बैंक और हर राज्य में या दो या दो से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय DNA डेटा बैंक की स्थापना का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय डेटा बैंक DNA प्रयोगशालाओं से मिलने वाले DNA प्रोफाइल्स को स्टोर करेंगे और क्षेत्रीय बैंकों से DNA डेटा प्राप्त करेंगे।
- प्रत्येक डेटा बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित श्रेणियों के डेटा का रखरखाव करेगा-
  - क्राइम सीन इंडेक्स
  - संदिग्ध व्यक्तियों (सस्पेक्ट) या विचाराधीन कैदियों (अंडरट्रायल्स) के इंडेक्स
  - अपराधियों के इंडेक्स
  - लापता व्यक्तियों के इंडेक्स
  - अज्ञात मृत व्यक्तियों के इंडेक्स
- सूचना का संरक्षण
- विधेयक के अंतर्गत DNA नियामक बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि DNA बैंकों, प्रयोगशालाओं और अन्य व्यक्तियों के DNA प्रोफाइल्स से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय रखा जाए।
- DNA डेटा को केवल व्यक्तियों की पहचान के लिये प्रयोग किया जा सकता है।
- हालांकि विधेयक डेटा बैंक से सूचना हासिल करने के लिये केवल वन टाइम की-बोर्ड सर्च की अनुमति देता है। इस सर्च में इंडेक्स और DNA सैंपल की सूचनाओं के बीच तुलना की अनुमति है लेकिन सैंपल की सूचना इंडेक्स में शामिल नहीं होगी।

नोट :

DNA डेटा को रखना

- विधेयक के अनुसार, DNA प्रोफाइल की प्रविष्टि, उसे रखने या हटाने के मानदंडों को विनियामक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। फिर भी विधेयक में निम्नलिखित व्यक्तियों के DNA डेटा को हटाने का प्रावधान हैं:
  - संदिग्ध व्यक्ति, अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल की गई है या अदालत द्वारा आदेश दिया गया है।
  - विचाराधीन कैदी, अगर अदालती आदेश दिये गए हैं

4 आग्रह करने पर किसी ऐसे व्यक्ति का प्रोफाइल जो संदिग्ध, अपराधी या विचाराधीन नहीं लेकिन क्राइम सीन के इंडेक्स या लापता व्यक्तियों के इंडेक्स में उसका DNA प्रोफाइल इंटर हो गया है।

- इसके अतिरिक्त विधेयक यह प्रावधान करता है कि क्राइम सीन इंडेक्स की सूचना को बरकरार रखा जाएगा।

DNA नियामक बोर्ड

- विधेयक में DNA नियामक बोर्ड (Regulatory Board) की स्थापना का प्रावधान है जो कि DNA डेटा बैंक और DNA प्रयोगशालाओं की निगरानी करेगा।
- बायोटेक्नोलॉजी विभाग का सेक्रेटरी बोर्ड का पदेन (ex officio) चेयरपर्सन होगा।
- बोर्ड में 12 अतिरिक्त सदस्य होंगे जिनमें शामिल हैं-
  - वाइस प्रेसीडेंट के रूप में एक ऐसा प्रख्यात व्यक्ति जिसे बायोलॉजिकल साइंसेज़ में कम-से-कम 25 वर्ष का अनुभव हो।
  - राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) का डायरेक्टर जनरल।
  - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) का डायरेक्टर या उनके नॉमिनी (कम से कम ज्वाइंट डायरेक्टर पद स्तर के अधिकारी)।

बोर्ड के कार्य

- DNA लेबोरेट्रीज़ या डेटा बैंकों की स्थापना से संबंधित सभी विषयों पर सरकारों को सलाह देना
- DNA लेबोरेट्रीज़ को आधिकारिक मान्यता प्रदान करना
- DNA संबंधी मामलों पर काम करने हेतु कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण मॉड्यूल और दिशा-निर्देश तैयार करना।

DNA लेबोरेट्रीज़

- DNA टेस्टिंग करने वाली किसी भी लेबोरेट्री को बोर्ड से आधिकारिक मान्यता प्राप्त करनी होगी।
- बोर्ड इस मान्यता को रद्द कर सकता है। जिन कारणों से मान्यता को रद्द किया जा सकता है, उनमें शामिल हैं-
  - अगर लेबोरेट्री DNA टेस्टिंग करने में असफल होती है
  - मान्यता से जुड़ी शर्तों को पूरा करने में असफल होती है।
- मान्यता रद्द होने पर केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अथॉरिटी के समक्ष अपील की जा सकती है।

DNA लेबोरेट्रीज़ की बाध्यताएँ:

विधेयक के अंतर्गत हर DNA लेबोरेट्री से जिन बातों की अपेक्षा की जाती है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- DNA सैंपल्स के कलेक्शन, स्टोरिंग, टेस्टिंग और विश्लेषण में गुणवत्ता आश्वासन के मानदंडों का पालन करना।
- डेटा बैंक में DNA सैंपल्स को जमा करना।
- जारी मामलों के लिये सैंपल जमा करने के बाद लेबोरेट्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बायोलॉजिकल सैंपल को जाँच अधिकारी को लौटा दे।
- दूसरे सभी मामलों में सैंपल को नष्ट कर दिया जाना चाहिये और संबंधित व्यक्ति को इस बारे में सूचना दी जानी चाहिये।

नोट :

अपराध

विधेयक जिन विभिन्न अपराधों के लिये दंड विनिर्दिष्ट करता है, उनमें शामिल हैं

- DNA सूचना का खुलासा करना।
- अनुमति के बिना DNA सैंपल का इस्तेमाल करना।
- DNA सूचना का खुलासा करने पर तीन वर्ष तक की कैद की सज़ा भुगतनी पड़ सकती है और एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

रेणुकाजी बांध परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छः राज्यों- दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान ने रेणुकाजी बांध बहुद्देशीय परियोजना (Renuka Multipurpose Dam Project) के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- रेणुकाजी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमोर ज़िले में यमुना की सहायक गिरि नदी पर निर्मित की जाएगी।
- इस परियोजना के अंतर्गत 148 मीटर ऊँचा बांध बनाया जाएगा तथा इससे दिल्ली व अन्य बेसिन राज्यों को 23 क्यूसेक जल की आपूर्ति की जाएगी।
- उच्च प्रवाह के दौरान परियोजना से 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
- बिजली परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम (Himachal Pradesh Power Corporation Ltd.) द्वारा किया जाएगा।
- रेणुकाजी बांध की संग्रहण क्षमता 0.404 मिलियन एकड़ फुट है और हिमाचल प्रदेश में इस बांध का डूब क्षेत्र 1508 हेक्टेयर है।

लाभ

- बांध निर्माण के पश्चात गिरि नदी के प्रवाह में 110 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यह दिल्ली व अन्य बेसिन राज्यों के जल की जरूरत को पूरा करेगी।

पृष्ठभूमि

- रेणुकाजी बांध परियोजना यमुना और इसकी दो सहायक नदियों– टोंस और गिरि पर बनाई जाने वाली संग्रह परियोजनाओं का हिस्सा है। अन्य दो परियोजनाएँ- यमुना नदी पर लखवार परियोजना तथा टोंस नदी पर किसाऊ परियोजना है।
- वर्ष 2008 में इन तीनों परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा दिया गया था जिसके तहत सिंचाई एवं पेयजल घटक की लागत का 90% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता के रूप में तथा शेष 10% लाभार्थी राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER Report-2018)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2018 (Annual Status of Education Report-ASER, 2018) जारी की गई। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट भारत की शिक्षा प्रणाली के परिणामों के मद्देनज़र पेश की जाती है।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2018 में 596 ज़िलों के 3,54,944 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है।
- इस सर्वेक्षण में 3 से 16 साल की उम्र के 5,46,527 बच्चों को शामिल किया गया।
- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2018 में 15,998 ग्रामीण सरकारी स्कूलों का भी अवलोकन किया गया है।

नोट :

- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में हर वर्ष यह जाँच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आसान पाठ पढ़ पाने व बुनियादी गणित के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हैं।
- 2005, 2007 और 2009 से निरंतर, इस सर्वेक्षण में चयनित गाँव के एक सरकारी स्कूल का अवलोकन भी किया जाता है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2010 के बाद इस सर्वेक्षण में उन मापन योग्य मानकों को भी शामिल किया गया, जो इस कानून के तहत देश के किसी भी विद्यालय के लिये बाध्यकारी हैं।

असर (ASER) 2018 में शामिल किये गए क्षेत्र

- स्कूली स्तर: नामांकन और उपस्थिति
- अधिगम स्तर: पढ़ने व गणित के प्रश्नों को हल करने का बुनियादी कौशल
- अधिगम स्तर: 'बुनियादी शिक्षा स्तर से ऊपर'
- स्कूलों का अवलोकन
  - छोटे स्कूल
  - स्कूल में निहित सुविधाएँ
  - शारीरिक शिक्षा और खेल सुविधाएँ
  - शिक्षक और छात्र की उपस्थिति

असर (ASER) 2018 के मुख्य निष्कर्ष

- पढ़ने की स्थिति
  - कक्षा 5: कक्षा 5 में नामांकित आधे से अधिक छात्र कक्षा 2 के पाठ को पढ़ सकने में सक्षम हैं। यह आँकडा 2016 में 47.9% था जो 2018 में बढ़ कर 50.3% पर आ गया है। कुछ राज्यों के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 के बच्चों ने इस दौरान कुछ सुधार दर्ज़ किया है। ये राज्य इस प्रकार हैं- हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम।
  - कक्षा 8: भारत में अनिवार्य स्कूली शिक्षा का अंतिम पड़ाव कक्षा 8 है। इस स्तर पर छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें कम-से-कम बुनियादी कौशल में महारत हासिल हो। किंतु असर (ASER) 2018 के आँकडों से यह पता चलता है कि कक्षा 8 के 27 प्रतिशत छात्र कक्षा 2 के पाठ पढ़ने में भी सक्षम नहीं हैं। यह आँकड़ा 2016 से जस-का-तस बना हुआ है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 14 से 16 वर्ष की उम्र के सभी लड़कों में से 50 फीसदी गणितीय भाग (Devision) के प्रश्नों को ठीक-ठीक हल कर लेते हैं जबकि सिर्फ 44 फीसदी लड़कियाँ ही ऐसा कर सकती हैं।
- 2018 में 6 से 14 साल के उम्र समूह के ऐसे बच्चे जिनका दाखिला स्कूल में नहीं हुआ उनका प्रतिशत तीन फीसदी से गिरकर 2.8 फीसदी हो गया है।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) क्या है ?

- असर (Annual Status of Education Report-ASER) एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण ज़िले के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है।
- यह आम लोगों द्वारा किया जाने वाला देश का सबसे बड़ा वाला सर्वेक्षण है साथ ही यह देश में बच्चों की शिक्षा के परिणामों के बारे में जानकारी का एकमात्र उपलब्ध वार्षिक स्रोत भी है।
- इस सर्वेक्षण की शुरुआत 2005 में की गई थी।
- यह सर्वेक्षण शिक्षा क्षेत्र की शीर्षस्थ गैर-व्यवसायिक संस्था 'प्रथम' द्वारा कराया जाता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

- भारत में शिक्षा का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है।
- 2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया।

नोट :

- इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education-RTE Act) बनाया गया।
- इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है।
- इसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया।

DGP की नियुक्ति से संबंधित राज्यों की याचिका ख़ारिज: SC

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पाँच राज्यों पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार में पुलिस प्रमुखों (Police Chief) के चयन और नियुक्ति हेतु उनके स्थानीय कानूनों को लागू करने संबंधी याचिका खारिज कर दी गई।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India–CJI) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक बेंच द्वारा पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार द्वारा पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में शीर्ष अदालत के आदेशों में संशोधन के लिये दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।
- अदालत के अनुसार, ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि यह मामला बड़े पैमाने पर जनहित से जुड़ा है अत: पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिये।
- शीर्ष अदालत के अनुसार, राज्यों द्वारा पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के विषय पर कोई भी नियम या स्थानीय कानून उसकी अवमानना एवं आदेश का उलंघन माना जाएगा।
- कुछ राज्य सरकारें सेवानिवृत्त होने से बहुत समय पहले की तारीख पर अपने पसंदीदा अधिकारियों को DGP के रूप में नियुक्त कर देती हैं जिनका उद्देश्य अपने निजी लाभों को प्राप्त करना होता है। परिणामस्वरूप उसी पद पर आसीन व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक दो बार पद पर बने रहते हैं।
- हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यद्यपि राज्यों द्वारा नियुक्त किये गए DGP को पदभार ग्रहण करने के बाद भी पद पर बने रहने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन, कार्यकाल का यह विस्तार केवल 'उचित अवधि' के लिये होना चाहिये।
- जुलाई 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के बिना DGP की नियुक्ती करने से रोक दिया था।

SC द्वारा जारी निर्देश

- न्यायालय द्वारा राज्य पुलिस बलों की नियुक्ति में सुधार और पारदर्शिता के लिये निर्देशों की श्रृंखला पारित की गई थी। जो इस प्रकार हैं :
- SC द्वारा राज्यों को DGP की नियुक्ति की प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से सलाह लेने का निर्देश दिया गया है।
- इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकारों को कार्यकारी DGP के रिटायर होने से तीन महीने पहले UPSC को इस पद के दावेदारों का नाम भेजना होगा।
- UPSC, DGP के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त तीन अधिकारियों का एक पैनल तैयार करेगा और उसे वापस भेजेगा।
- UPSC, जहाँ तक व्यावहारिक हो, विचार क्षेत्र के ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी सेवानिवृति में कम-से-कम दो साल शेष हो, इसके अंतर्गत योग्यता एवं वरिष्ठता को भी वरीयता दी जाएगी।
- तदुपरांत, राज्य सरकारें UPSC द्वारा चुने गए व्यक्तियों में से किसी एक को DGP पद पर नियुक्त करेगी।
- दिसंबर 2018 में शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा के वर्तमान DGP के कार्यकाल को जनवरी 2019 के अंत तक बढ़ाया था और पुलिस प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति के बारे में अपने स्थानीय कानूनों को लागू करने की मांग करने वाले राज्यों की दलीलों को सुनने के लिये सहमति भी व्यक्त की थी।

नोट :

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार की प्रमुख केंद्रीय पदों पर नियुक्ति की एजेंसी है। यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के समूह 'A' और समूह 'B' के लिए नियुक्तियों हेतु परीक्षाओं का आयोजन भी करवाती है।

DMF/PMKKKY पर पहली राष्ट्रस्तरीय कार्यशाला

चर्चा में क्यों ?

18 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में खान मंत्रालय (Ministry of Mines) ने ज़िला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation-DMF)/प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojna-PMKKKY) पर प्रथम राष्ट्रस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया।

- इसमें ज़िला कलेक्टरों/ज़िला मजिस्ट्रेट/ज़िला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य खनन विभागों के अधिकारियों, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालयों सहित अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों आदि ने इस कार्यशाला में भाग लिया।
- इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य DMF के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने और DMF के कार्यान्वयन में चुनौतियों के समाधान के लिये कार्यनीतियाँ विकसित करने, लेखा-परीक्षा एवं समायोजन, PMKKKY दिशा-निर्देशों को बेहतर बनाने, प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की पहचान करने के मानदंड आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना था।
- DMF/PMKKKY पर अपनी तरह की इस पहली कार्यशाला खनन से प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में खनन क्षेत्र को पूर्ण योगदान देने तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में मंत्रालय के प्रयासों को सशक्त करने में बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी।
- यह प्रयास देश के सभी क्षेत्रों में बेहतर परिपाटियों को बढ़ावा देने के लिये नीतिगत परिवेश में और अधिक सुधार की दिशा में केंद्र सरकार को सहायता प्रदान करेंगे।

पृष्ठभूमि

वर्षों से खदानों का लाभ खनन कंपनियों, निजी खनिकों तथा सरकारों को लाभ मिलता रहा न कि वहाँ रहने वाले समुदायों को। खनन के कारण स्थानीय लोगों को न केवल अपनी ज़मीन से विस्थापित होना पड़ता है बल्कि समाज का विखंडन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे नकारात्मक प्रभावों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सबके बदले स्थानीय समुदायों को उचित मुआवज़ा भी नहीं मिलता है जिसके चलते खनन प्रभावित ज़िले की सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति दयनीय है।

खनन प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों/व्यक्तियों को लाभ सुनिश्चित करने के लिये ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) की स्थापना की गई है।

ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF)

- DMF एक गैर-लाभकारी स्वायत्त ट्रस्ट है, जो खनन संबंधी संचालन से प्रभावित प्रत्येक ज़िले के समुदायों के हितों की रक्षा करता है और उन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को लाभ पहुँचाने का कार्य करता है।
- DMF को केंद्रित खनन कानून, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR) 1957, जिसमें वर्ष 2015 में संशोधन किया गया था, के तहत मान्यता प्राप्त है।
- DMF के उद्देश्य और कार्य भी संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया गए हैं क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्रों के लिये लागू पाँचवी और छठी अनुसूचियों, पंचायतों के लिये प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम (PESA) 1996 और अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी अधिनियम, 2006 (वन अधिकारों की मान्यता), वन अधिकार अधिनियम (FRA) से संबंधित है।

PMKKKY (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojna-PMKKKY)

- सितंबर 2015 में खान मंत्रालय ने DMF की निधियों के उपयोग के लिये दिशा-निर्देश जारी किये थे। इस योजना को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कहा जाता है और यह सभी राज्य सरकारों पर लागू होती है।
- यह योजना 12 जनवरी, 2015 से प्रभावी है।

नोट :

- विकास, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और दीर्घकालिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तीन लक्ष्य हैं-
  1. खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का कार्यान्व्यन जो राज्य एवं केंद्र सरकार के मौजूदा योजनाओं/ परियोजनाओं के अनुरूप हों।
  2. पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं खनन मिलों में लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को समाप्त करना।
  3. खनन क्षेत्र के प्रभावित लोगों के लिये दीर्घकालीन टिकाऊ, आजीविका सुनिश्चित करना।
- योजना के तहत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 60 फीसदी और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में 40 फीसदी निधि खर्च की जाएगी।

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र	अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र
पेयजल आपूर्ति	भौतिक संरक्षण
पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय	सिंचाई
स्वास्थ्य सेवा	ऊर्जा एवं आमूल विकास
शिक्षा	खनन ज़िलों की गुणवत्ता बढ़ाने के अन्य उपाय
महिला एवं बाल कल्याण	
वृद्धजनों एवं नि:शक्तजनों का कल्याण	
कौशल विकास	
स्वच्छता	

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ (GSTAT) के गठन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ (National Bench of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal-GSTAT) के गठन को मंज़ूरी दे दी है।

- अपीलीय अधिकरण (Appellate Tribunal) की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी। GSTAT की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाएगी एवं इसमें एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल होंगे।
- GSTAT की राष्ट्रीय पीठ (National Bench) के गठन पर एकमुश्त व्यय 92.50 लाख रुपए होगा, जबकि आवर्ती व्यय (Recurring Expenditure) सालाना 6.86 करोड़ रुपए होगा।

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण

- वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, GST कानूनों में दूसरी अपील करने के लिये एक मंच है और केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद समाधान का प्रथम सार्वजनिक मंच है।
- केंद्र और राज्य, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरणों (Appellate Authorities) द्वारा जारी प्रथम अपीलों में दिये गए आदेशों के विरुद्ध अपील, GST अपीलीय अधिकरण के समक्ष दाखिल होती है जो कि केंद्र तथा राज्य GST अधिनियमों (State GST Acts) के अंतर्गत एक है।

प्रभाव

- सार्वजनिक मंच होने के कारण GST अपीलीय अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि GST के अंतर्गत उत्पन्न विवादों के समाधान में एकरूपता आए और इस प्रकार समूचे देश में GST को समान रूप से कार्यान्वित किया जा सकेगा।

नोट :

क्या कहता है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम ?

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (CGST Act) के अध्याय XVIII में GST प्रशासन (GST Regime) के अंतर्गत विवाद समाधान हेतु अपीलीय और समीक्षा तंत्र की व्यवस्था (Appeal and Review Mechanism) की गई है।
- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 109 केंद्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह परिषद की सिफारिश पर अधिसूचना जारी करेगा और सिफारिश में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी बनाते हुए वस्तु एवं सेवा कर अपील के रूप में पारित किये गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा।

GST पृष्ठभूमि

- ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई, 2018 को GST लागू किये जाने के एक वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार द्वारा इस दिन को GST दिवस के रूप में मनाया गया था।
- GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाज़ार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
- यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है।
- यह 122वाँ संविधान संशोधन विधेयक था जिसे राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त, 2016 और लोकसभा द्वारा 6 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था।
- राज्यों के अनुसमर्थन के पश्चात् 8 सितंबर, 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया।
- 29 मार्च, 2017 को लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित चार विधेयक विचारार्थ एवं पारित करने हेतु पेश किये गए।
  - केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017
  - एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 2017
  - संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017
  - GST (राज्यों की क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017
- ये सभी विधेयक लोकसभा ने 29 मार्च, 2017 को और राज्यसभा ने 6 अप्रैल, 2017 को पारित कर दिये।

GST परिषद

- संविधान में नया अनुच्छेद 279A जोड़कर GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इसके तहत 12 सितंबर, 2016 को GST परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी।
- इस परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त राजस्व के प्रभारी) एवं राज्यों के वित्त या कर मंत्री या वे जिन्हें नामित राज्य शामिल करें, सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
- यह परिषद संघ/राज्य/क्षेत्रीय निकाय द्वारा लगाए जाने वाले करों, उपकरों तथा अधिभारों के GST में सम्मिलन या छूट के संदर्भ में सिफारिशें देती है।
- यह GST से संबंधित मानकों का निर्धारण करती है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के ज़िला परिषदों को स्वायत्तता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों - असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में ज़िला परिषदों की स्वायत्तता और वित्तीय संसाधनों तथा कार्यकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिये अनुच्छेद 280 एवं संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन की मंज़ूरी दी गई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र के अनुसार, यह संशोधन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में रहने वाले लगभग 1 करोड़ आदिवासियों की आबादी को प्रभावित करेगा।

नोट :

- इसके अनुसार किये जाने वाले संशोधन से असम, मिज़ोरम और त्रिपुरा में गाँवों एवं नगरपालिका परिषदों में महिलाओं के लिये 30% आरक्षण सुनिश्चित हो जाएगा।
- सरकार द्वारा दिये गए एक आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया है कि अब वित्त आयोग द्वारा ज़िला परिषदों के वित्तीय संसाधनों से विकास कार्य किया जाएगा। अब तक स्वायत्त परिषदें केंद्रीय मंत्रालयों और विशिष्ट परियोजनाओं के लिये राज्य सरकारों के अनुदान पर निर्भर थीं।
- इस संशोधन के अनुसार, असम में स्थित कार्बी आंग्लोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और दीमा हसाओ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद में सार्वजनिक कार्य, वन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शहरी विकास तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित अन्य 30 विषयों को भी स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया है।
- इस ऐतिहासिक संशोधन का महत्त्वपूर्ण कार्य असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा राज्यों में स्वायत्त ज़िला परिषदों के वित्तीय संसाधनों और शक्तियों में सुधार करना है जिसकी मांग पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी आबादी द्वारा बहुत लंबे समय से की जा रही है।

संशोधन से लाभ

- प्रस्तावित संशोधन द्वारा चुने हुए ग्रामों एवं नगरपालिका परिषदों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र सुनिश्चित होगा।
- ग्राम सभाओं को उनके कृषि, भूमि सुधार, भूमि सुधारों के कार्यान्वयन, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु उद्योग और सामाजिक वानिकी सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने की स्वायत्तता होगी।
- राज्य चुनाव आयोग असम, मिज़ोरम और त्रिपुरा क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों, ग्राम और नगरपालिका परिषदों का चुनाव संपन्न करेगा। इसके अंतर्गत दलबदल विरोध के लिये भी प्रावधान किया जाएगा।
- मेघालय में कुछ समय के लिये कुछ चुने हुए ग्राम एवं नगरपालिका परिषदों के निर्वाचन में महिलाओं हेतु एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य

- संशोधन में कुछ मौजूदा स्वायत्त परिषदों का नाम परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि इन परिषदों का वर्तमान क्षेत्राधिकार एक से अधिक ज़िलों में है इनमें कुछ परिषदें निम्नलिखित हैं - करबी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (KAATC), दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (DHATC), गारो हिल्स स्वायत्तशासी प्रादेशिक परिषद (GHATC), खासी हिल्स स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (KHATC), जयंतिया हिल्स स्वायत्तशासी प्रादेशिक परिषद (JHATC), त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस टेरिटोरियल काउंसिल (TTAATC)।
- इस प्रकार स्वायत्त प्रादेशिक परिषदों की सीटों की संख्या में भी वृद्धि होगी जैसे कि - KAATC (30 से 50), DHATC (30 से 40), GHATC (30 से 42), KHATC (30 से 40) और JHATC (30 से 34)।

मलेरिया उन्मूलन के लिये ओडिशा सरकार की 'दमन' (DAMaN) योजना

चर्चा में क्यों ?

नवंबर 2018 में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2018 (World Malaria Report-2018) जारी की गई थी जिसमें मलेरिया के उन्मूलन के लिये उठाए गए कदमों के चलते भारत सुर्खियों में आया।

- इस रिपोर्ट में मलेरिया के नए मामलों में कमी के लिये ओडिशा की प्रशंसा की गई थी, जहाँ वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में 80% की कमी दर्ज की गई।

दमन (DAMaN) योजना

- अन्य भारतीय राज्यों के लिये ओडिशा (Odisha) मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक प्रेरणास्रोत के रूप में उभरकर सामने आया है।
- हाल के वर्षों में इसने अपने दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण (Durgama Anchalare Malaria Nirakaran-DAMaN) नामक पहल के माध्यम से मलेरिया के प्रसार पर अंकुश लगाने तथा उसके निदान और उपचार के लिये व्यापक प्रयास किये हैं, इस प्रयासों के चलते बहुत ही कम समय में प्रभावशाली परिणाम भी प्राप्त किये हैं।

नोट :

- 2017 में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (Accredited Social Health Activists-ASHAs) ने लगभग 11 मिलियन मच्छरदानियाँ वितरित करने में मदद की, जो उन क्षेत्रों में, जहाँ इसके प्रसार की संभावना सबसे अधिक थी, के सभी निवासियों को मलेरिया जैसे रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिये आवश्यक था। इनमें आवासीय विद्यालयों के छात्रावास भी शामिल थे।
- अपने निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप ओडिशा ने 2017 में मलेरिया के मामलों और उसके कारण होने वाली मौतों में 80% की गिरावट दर्ज की।
- DAMaN का उद्देश्य राज्य के दुर्गम और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक अपनी सेवाओं का विस्तार करना है।
- DAMaN को राज्य के स्वास्थ्य एजेंडे में प्राथमिकता दी गई है।
- इस पहल को प्रभावी बनाने के लिये राज्य द्वारा पाँच सालों के लिये वित्तीय प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट-2018 (World Malaria Report-2018)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) ने नवंबर 2018 में यह रिपोर्ट जारी की थी।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, मलेरिया उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों में स्थिरता आई है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017 में वैश्विक रूप से मलेरिया के 219 मिलियन नए मामले सामने आए। उल्लेखनीय है कि यह संख्या वर्ष 2016 की तुलना में मलेरिया के मामलों की संख्या से 2 मिलियन अधिक थी।
- भारत मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित 11 देशों में से एकमात्र देश है जहाँ इस रोग को कम करने के मामले में पर्याप्त प्रगति देखी गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 के मुकाबले 2017 में मलेरिया के मामलों में यहाँ 24% की कमी देखी गई जो कि भारत के लिये सकारात्मक संकेत है।
- इससे पता चलता है कि भारत मलेरिया को समाप्त करने के लिये किये जा रहे वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में एक अग्रणी देश के रूप में सामने आया है।
- मलेरिया उन्मूलन के मामले में भारत की सफलता मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित अन्य देशों को इस रोग से निपटने के लिये एक उम्मीद प्रदान करती है।

पृष्ठभूमि

- भारत में मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख मोड़ 2015 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) के दौरान आया, जब इसने 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने का संकल्प लिया।
- इस सार्वजनिक घोषणा के बाद, भारत ने मलेरिया उन्मूलन के लिये पंचवर्षीय राष्ट्रीय सामरिक योजना (National Strategic Plan for Malaria Elimination) की शुरुआत की।
- इसने मलेरिया 'नियंत्रण' से 'उन्मूलन' की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिये एक बदलाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया।
- यह योजना 2022 तक भारत के 678 ज़िलों में से 571 में मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य हासिल करने के लिये एक रोडमैप प्रदान करती है।

आगे की राह

- योजना को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिये 10,000 करोड़ रुपए से अधिक धन की आवश्यकता है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकारों, नागरिक समाज और परोपकारी दाताओं के बीच समन्वित कार्रवाई के साथ संयुक्त निवेश अनिवार्य है।
- चूँकि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, इसलिये देश भर की राज्य सरकारें इस बीमारी के उन्मूलन में विशेष ज़िम्मेदारी निभा सकती हैं।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक और मिज़ोरम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर-पूर्वी राज्य मिज़ोरम में नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुआ इसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर 'नमस्ते चीन, अलविदा भारत' के पोस्टर का व्यापक प्रदर्शन किया गया जो एक संप्रभु देश भारत के लिये बहुत बड़ी चिंता का विषय है।

नोट :

- पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जहाँ नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लेकर विरोध प्रदर्शन जोर-शोर से चल रहा है वहीं, मिज़ोरम राज्य में मिज़ो ज़िरलाई पावल (Mizo Zirlai Pawl-MZP) के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों को ऐसे नारे एवं पोस्टर के साथ दिखाया गया जिसका मकसद देश को यह बताना था कि वे भारत देश में सुरक्षित नहीं हैं।
- युवा मिज़ो एसोसिएशन (Young Mizo Association-YMA) की केंद्रीय समिति के महासचिव ने सरकार पर आरोप लगाया कि भारत सरकार द्वारा उनकी बातों एवं अनुरोध पर ध्यान नही दिया जा रहा है।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक क्या कहता है ?

- इस विधेयक के अनुसार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक (गैर-मुस्लिम) धर्मों से संबंधित आप्रवासियों के लिये नागरिकता पात्रता नियमों में ढील देते हुए 'नागरिकता अधिनियम 1955' में संशोधन किया गया है।
- इस विधेयक के अंतर्गत विभिन्न अन्य प्रावधानों के साथ-साथ दिसंबर 2014 तक आए सभी आप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है।
- पूर्वोत्तर के राजनीतिक दलों एवं गैर-राजनीतिक समूहों द्वारा इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव के आधार पर इस विधेयक का विरोध करते हुए इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाया सवाल उठाया गया क्योकिं इनके अनुसार यह नागरिकता शंशोधन धर्म के आधार पर किया जा रहा है।
- प्रदर्शनकारियों ने असम, मेघालय और त्रिपुरा में बांग्लादेश से आए आप्रवासी हिंदुओं के बारे में भी चिंता व्यक्त की है क्योंकि 1971 में आए इन आप्रवासी हिंदुओं को स्वीकृति देने के लिये असम समझौते के तहत नागरिकता प्राप्त करने के मानदंडों में ढील दी गई थी। इसके आधार पर ही अब नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को अपडेट किया जा रहा है, जो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है।

मिज़ोरम की स्थिति अलग कैसे है ?

- मिज़ोरम में बांग्लादेशियों एवं हिंदू आप्रवासियों की समस्या न होकर वहाँ पाई जाने वाली एक आदिवासी जनजाति 'चकमा' और बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले बौद्ध समूह से संबंधित है।
- चकमा जनजाति पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और बांग्लादेश के चटगाँव पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, जिसके साथ मिज़ोरम एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
- मिज़ोरम में जहाँ ईसाईयों की 11 लाख आबादी (2011) का 87% हैं, वहीं चकमा आदिवासी लगभग 1 लाख हैं।
- मिज़ोरम में कुछ वर्गों द्वारा बांग्लादेश से अवैध प्रवास के लिये चाकमा जनजाति को दोषी ठहराया जाता है, जबकि यह समुदाय इस बात से इनकार करता है।
- वर्तमान में राज्य में जातीय हिंसा एवं आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, मतदाताओं की सूची से चकमा आदिवासियों के नाम हटाने एवं चकमा छात्रों के स्कूल कॉलेज में प्रवेश रोकने का मामला सामने आया है।
- एक पुस्तक 'बीइंग मिज़ो' में चकमा जनजाति के बारे में यह बात सामने आई है कि मिज़ोरमवासी चकमा को गैर-मिज़ो मानते हैं तथा उनके द्वारा इन्हें अवैध आप्रवासी मानते हुए कभी भी अपने समुदाय में शामिल करने का प्रयास नहीं किया गया है और न ही चकमा मिज़ो-वासियों में शामिल होना चाहते हैं।

डेटा बनाम डेटा

- शीर्ष छात्रों के निकाय 'मिज़ो ज़िरलाई पावल' और YMA, जो वर्तमान में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं ने अपनी जनसंख्या आँकड़ों पर ज़ोर देते हुए अपने अस्तित्व को ज़ोर-शोर से दर्शाया है। वहीं दूसरी तरफ, एक नेता द्वारा इस जनजाति के जनसंख्या आँकड़ों को अवैध बताते हुए आँकड़े प्रस्तुत किये गए जिसके अनुसार, 1901 में मिज़ोरम में सिर्फ 198 चकमा जनजाति के लोग थे जो 1991 में बढ़कर 80,000 हो गए विकास दर में असामान्य वृद्धि दर बांग्लादेश से अवैध आप्रवास को दर्शाता है।
- चकमा कार्यकर्त्ताओं ने 2015 में मिज़ोरम सरकार द्वारा NHRC (National Human Rights Commission) को सौंपी गई रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें तत्कालीन राज्य उप सचिव (गृह) ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि 1901 से 1941 के बीच की जनगणना के आँकड़ों की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जनगणना निदेशालय, मिज़ोरम के पास उपलब्ध रिपोर्ट में 1951 में चकमा की आबादी 15,297 और 2011 में 96,972 है।

नोट :

अप्रत्याशित वृद्धि दर के परिणाम

अखिल भारतीय चकमा सोशल फोरम के महासचिव ने बताया है कि 1960 के दशक में संरचनात्मक भेदभाव होने के कारण चकमा जनजाति मिज़ोरम में शामिल न होकर 'चटगाँव हिल ट्रैक्ट्स' से चली गई, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश में बसाया गया था।

महासचिव ने एक समाचार रिपोर्ट 'मिज़ो दैनिक वानग्लानी' 2017 का हवाला दिया, जिसमें तत्कालीन DGP द्वारा कहा गया था कि पिछले पाँच वर्षों में बांग्लादेश से चकमा जनजाति का कोई भी अवैध प्रवास नहीं हुआ है।

विधेयक और चकमा जनजाति

MZP के नेतृत्वकर्त्ता ने बताया कि वे उन चकमा जनजातियों का विरोध नही कर रहे हैं जो दशकों से मिज़ोरम में रह रहे हैं बल्कि उनका विरोध कर रहे हैं जो अवैध रूप से बांग्लादेश से आए हैं। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो वे सभी कानूनी रूप से भारत के नागरिक हो जाएंगे और जिस तरह से चकमा जनजाति की आबादी बढ़ रही है उससे कुछ दिनों में मिज़ोरम के लोग अपनी ही भूमि पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसके अलावा यह विधयेक संविधान का भी उल्लंघन करता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

निर्यात संवर्द्धन परिषद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises-M/o MSME) ने MSMEs के विकास के लिये एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से निर्यात संवर्द्धन सेल की स्थापना की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- MSMEs को निम्नलिखित लाभ होने की संभावना है-
  - उत्पादों और सेवाओं के निर्यात हेतु MSMEs की तत्परता का मूल्यांकन।
  - वैश्विक मूल्य श्रृंखला में MSMEs का एकीकरण।
  - उन क्षेत्रों की पहचान जहाँ प्रभावी ढंग से और कुशलता से निर्यात करने में सक्षम बनने हेतु सुधार आवश्यक हैं।
- वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCIS) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2017-18 के दौरान MSMEs क्षेत्र से निर्यात की वर्तमान स्थिति, MSMEs संबंधित उत्पादों का मूल्य 147,390.08 मिलियन डॉलर है और देश के कुल निर्यात में MSMEs संबंधित उत्पादों की हिस्सेदारी 48.56% है।
- MSMES के निर्यात संबंधित सभी हस्तक्षेपों की कुशल और प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय ने एक गवर्निंग काउंसिल बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसकी अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव और सह-अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के विकास आयुक्त (Development Commissioner) द्वारा की जाएगी।
- इस काउंसिल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और वाणिज्य मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यात विकास प्राधिकरण, कमोडिटी बोर्ड और अन्य निकायों के वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य शामिल होंगे।
  - 2020 तक 100 बिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य पूरा करने हेतु एक कार्य योजना भी प्रस्तावित की जानी है।

MSME के पुनरुद्धार हेतु RBI पैनल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) को समय से कर्ज़ की सुविधा और उनकी आर्थिक तथा वित्तीय मज़बूती के संदर्भ में दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिये यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ध्यातव्य है कि यू.के. सिन्हा पूंजी बाज़ार विनियामक, सेबी (Securities and Exchange Board of India-SEBI) के पूर्व अध्यक्ष हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- आरबीआई के अनुसार, यूके सिन्हा की अध्यक्षता वाली इस समिति में कुल 8 सदस्य होंगे।
- यह समिति MSMEs इकाइयों हेतु आवश्यक ऋण उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों की पड़ताल करेगी।
- RBI द्वारा यह भी कहा गया है कि विशेषज्ञ समिति जून 2019 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
- यह समिति MSMEs क्षेत्र को समर्थन देने हेतु मौजूदा संस्थागत रुपरेखा की समीक्षा करेगी और हाल के आर्थिक सुधारों का इस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के साथ ही क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक समस्याओं की भी जाँच-पड़ताल करेगी।

नोट :

- यह समिति दुनिया भर में MSMEs क्षेत्र में किये गये विभिन्न उपायों का अध्ययन करेगी और इन उपायों में से भारत के संदर्भ में उपयुक्त कुछ उपायों को अपनाने का सुझाव भी देगी।
- देश में MSMEs क्षेत्र की मौजूदा नीतियों और उनके प्रभावों की समीक्षा का काम भी समिति को दिया गया है।

MSMEs क्षेत्र की हालत

- MSMEs क्षेत्र को जीएसटी (Goods and Services Tax-GST) और विमुद्रीकरण (Demonetization) जैसी नीतियों के कार्यान्वयन की वज़ह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं से उबारने और MSMEs क्षेत्र को आर्थिक गति प्रदान करने के उद्देश्यों के साथ इस समिति का गठन किया गया है।

अक्षय उर्जा क्षमता में भारत को पाँचवा स्थान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी की गई वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2018 पर REN21 (Renewable Energy Policy Network for 21st centuary) के अनुसार भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (Renewable Power Capacity) में पाँचवे स्थान पर रहा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वैश्विक स्थिति रिपोर्ट (Global Status Report) 2018 के अनुसार, 2017 के अंत तक भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में (जलविद्युत सहित) 5वें स्थान पर जबकि जलविद्युत रहित में चौथे स्थान पर रहा।
- 2018-19 में ऊर्जा उत्पादन लगभग 81.15 बिलियन यूनिट रहा (अक्तूबर 2018 तक) जिसमे सभी ऊर्जा उत्पादित स्रोत शामिल हैं।
- अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ ज्यादातर निजी क्षेत्रों द्वारा लागू की जा रही हैं।
- अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा भारी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है।
- आंकड़ो के अनुसार 2015–18 तक गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के FDI में लगातार (लगभग 776.51-3217.43 मिलियन डॉलर की) वृद्धि हुई है।
- इस साल की 'रिन्यूएबल्स 2018 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट' (GSR) ने दो महत्त्वपूर्ण बातों को दर्शाया है:
- बिजली क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में अक्षय ऊर्जा भविष्य की दिशा में तेजी से बदलाव ला रही है।
- समग्र रूप में यह आवश्कतानुसार साथ आगे नहीं बढ़ रही है
- 2016 तक नवीकरणीय ऊर्जा कुल वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत की अनुमानित 18.2% थी, जिसमें आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा 10.4% थी।
- नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, देश में कुल 73.35 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। इसमें अक्तूबर 2018 में विंड से लगभग 35 GW, सोलर से 24 GW, स्मॉल हाइड्रो पावर से 4.5 GW और बायो-पावर से 9.5 GW ऊर्जा शामिल है।

14 तेल, गैस ब्लॉक की नीलामी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा तेल एवं गैस आयात में कटौती करने तथा इसके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिये 14 ब्लॉकों की दूसरी नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- नई नीति ने सरकार की पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नीलामी को हटाकर क्षेत्रों को बदलने और उनकी बोली लगाने की जगह ले ली।
- यह नीति विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता की गारंटी देती है और पिछले दौर के उत्पादन साझाकरण मॉडल के स्थान पर राजस्व-साझेदारी मॉडल को अपनाती है, जहाँ सरकार द्वारा तेल और गैस का अधिकतम हिस्सा देने वाली कंपनियों को ब्लॉक प्रदान किया जाता है।

नोट :

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा 14 ब्लॉकों के साथ 29,333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की Open Acreage Licensing Policy (OALP) बोली राउंड- II में अतिशीघ्र ही शुरू की जाएगी।
- पहला OALP राउंड 2017 में शुरू किया गया था और मई 2018 तक बोलियाँ लगाई गई थीं। 15 मई, 2018 को दूसरे राउंड की बोली के लिये लोगों ने इच्छा ज़ाहिर करना बंद कर दिया। जून तक ब्लॉक पुन: नीलामी के लिये रखे जाने थे, लेकिन यह राउंड अज्ञात कारणों के चलते देरी से शुरू हुआ।
- OALP-II में दिये गए ब्लॉकों में एक कृष्णा गोदावरी बेसिन के गहरे पानी में और पाँच उथले पानी में हैं, अंडमान और कच्छ बेसिन दोनों में दो-दो और महानदी बेसिन में एक ब्लाक है। स्थल क्षेत्र में आठ ब्लॉक ऑफर किये गए हैं, जिनमें - महानदी बेसिन में चार, कैम्बे में दो और राजस्थान तथा कावेरी दोनों में एक-एक हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल आयात को 2022 तक 10% से 67% तक कम करने और 2030 तक आधा करने का लक्ष्य रखा है।
- भारत की 2015 से आयात पर निर्भरता बढ़ी है वर्तमान में भारत अपनी कुल तेल ज़रूरतों के 81% का आयात करता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- ब्लॉक ऐसी कंपनी को दिया जाता है जो सरकार को तेल और गैस का उच्चतम हिस्सा प्रदान करती हो और साथ ही 2 डी तथा 3 डी भूकंपीय सर्वेक्षण व ड्रिलिंग अन्वेषण कुओं के माध्यम से अधिकतम अन्वेषण कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध हो।
- अनुसंधान के चलते अधिक तेल और गैस का उत्पादन होगा, जिससे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक को अपनी आयात निर्भरता में कटौती करने में मदद मिलेगी।
- इस नीति के तहत कंपनियों को उन क्षेत्रों में भी तेल और गैस की तलाशी की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वर्तमान में उत्पादन या अन्वेषण हेतु लाइसेंस नहीं है।
- भारत ने जुलाई 2017 में देश के लगभग 2.8 मिलियन वर्ग किमी. के गैर-पंजीकृत क्षेत्र में कंपनियों को अपनी पसंद के ब्लॉक चुनने की अनुमति दी थी।
- इस बीच, तीसरे विंडो में EOI (Expression of Intrest) के लिये अनुमति 15 नवंबर, 2018 को बंद हो गई, जिसमें 11 ब्लॉक, 21,507 वर्ग किमी क्षेत्र और पाँच कोल-बेड मीथेन थे।
- अधिकारियों के अनुसार, इन 14 ब्लॉकों में 12,609 मिलियन टन तेल और तेल के बराबर गैस होने का अनुमान है।

बीटी कपास के बीज पर मॉनसेंटो का पेटेंट

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें न्यायालय ने दिग्गज कंपनी मॉनसेंटो टेक्नोलॉजी (Monsanto Technology) के बीटी कपास बीज पर बॉलगार्ड प्रौद्योगिकी के पेटेंट के अधिकार को अवैध करार दिया था।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मॉनसेंटो टेक्नोलॉजी के बीटी कपास बीज पर बॉलगार्ड प्रौद्योगिकी के पेटेंट के अधिकार को अवैध करार दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार, बीटी विशेषता के लिये ज़िम्मेदार जीन अनुक्रम जो कपास के पौधों को प्रभावित करने वाले कीटों को मिटाता है, बीज का एक हिस्सा है इसलिये भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 (Patents Act, 1970) की धारा 3 (j) के तहत इसे पेटेंट नहीं कराया जा सकता है।
- 8 जनवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मॉनसेंटो टेक्नोलॉजी को अपने आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास के बीज पर पेटेंट का दावा करने की अनुमति दी, जिससे नई बीज प्रौद्योगिकी विकसित करने वाली फर्मों को बढ़ावा मिलेगा।

क्या था मामला ?

- मॉनसेंटो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी है जिसने वर्ष 2015 में अपनी भारतीय सहायक कंपनी मॉनसेंटो महिको बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड (Monsanto Mahyco Biotechnology Ltd.) के माध्यम से नूज़िवीडू सीड्स और उसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ एक याचिका दायर की थी।

नोट :

- इस याचिका के अनुसार, नूज़िवीडू सीड्स (Nuziveedu Seeds) और उसकी सहायक कंपनियाँ बीटी कॉटन बीजों के लाइसेंस समझौते की समाप्ति के बावजूद भी मॉनसेंटो टेक्नोलॉजी की पेटेंट तकनीक का उपयोग कर बीजों की बिक्री कर रही थीं

बीटी कपास

- बीटी कपास (Bt-Cotton) को मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसीलस थूरीनजिएंसिस से जीन निकालकर निर्मित किया गया है।
- इस जीन को 'Cry 1AC' नाम दिया गया है।
- यह कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है।
- बीटी की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो कुछ विशिष्ट कीटों को समाप्त करने में सहायक है।

टोकन व्यवस्था के लिये रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने कार्ड से किये जाने वाले लेन-देन में सुरक्षा को और अधिक मज़बूती प्रदान करने के लिये नई 'टोकन' व्यवस्था के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

क्या है टोकनाइजेशन (Tokenisation)?

- इस प्रक्रिया में कार्ड के संवेदनशील विवरण को एक यूनिक कोड वाले टोकन में बदल दिया जाता है।
- प्वाइंट-ऑफ सेल (Point Of Sale-POS) टर्मिनल्स, क्विक रिस्पांस (Quick Response-QR) कोड के ज़रिये संपर्क रहित भुगतान करने के लिये कार्ड की वास्तविक जानकारी के स्थान पर टोकन का प्रयोग किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी कार्ड भुगतान नेटवर्क को टोकन सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है। साथ यह भी स्पष्ट किया है कि इस सेवा का लाभ उठाने के लिये ग्राहक से कोई शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिये।
- टोकन के ज़रिये लेन-देन की सुविधा फिलहाल मोबाइल और टेबलेट के ज़रिये उपलब्ध होगी।
- एक कार्डधारक टोकन अनुरोधकर्त्ता के एप पर कार्ड पंजीकृत करने और स्पष्ट सहमति 'देने के बाद इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, कार्ड से लेन-देन की सुरक्षा और प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (Additional Factor of Authentication-AFA) / पिन प्रविष्टि के लिये सुरक्षा के सभी विस्तृत निर्देश भी लागू होंगे।
- किसी भी कार्ड को टोकन व्यवस्था के लिये पंजीकृत करने का काम उपभोक्ता की विशिष्ट सहमति के बाद ही किया जाएगा।

सुरक्षा उपाय

- RBI के अनुसार, कार्ड के टोकनाइज़ेशन और टोकन व्यवस्था से हटाने का काम केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा ही किया जाएगा।
- इसमें मूल प्राथमिक खाता नंबर (Permanant Account Number-PAN) की रिकवरी भी अधिकृत कार्ड नेटवर्क से ही हो सकेगी।
- इसके अलावा, वास्तविक कार्ड डेटा, टोकन और अन्य से संबंधित विवरण एक सुरक्षित मोड में संग्रहीत किये जाएंगे और टोकन अनुरोधकर्त्ताओं को PAN या किसी अन्य कार्ड विवरण को संग्रहीत करने की अनुमति नहीं है।
- RBI के अनुसार, कार्ड टोकन सेवाओं के लिये अंतिम ज़िम्मेदारी अधिकृत कार्ड नेटवर्क की है।

गोल्ड स्कीम में बदलाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme-GMS) में कुछ बदलाव लाने की घोषणा की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

2015 में शुरू की गई इस योजना में कुछ बदलावों हेतु RBI द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

- अधिसूचना जारी होने के बाद इस योजना के तहत अब चैरिटेबल संस्थाएँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अधीन कोई संस्था भी इस योजना का लाभ ले सकेगी।
- स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme-GMS) की शुरुआत 2015 में की गई थी।

क्या है स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना ?

- स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme-GMS) के तहत कोई व्यक्ति (अब चैरिटेबल संस्थाएँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी) अपना सोना बैंक में जमा कर सकता है।
- इस पर उन्हें 2.25% से 2.50% तक ब्याज मिलता है एवं परिपक्वता अवधि के पश्चात् वे इसे सोना अथवा रुपए के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
- इस स्कीम की खास बात यह है कि पहले लोग सोने को लॉकर में रखते थे, लेकिन अब लॉकर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस पर कुछ निश्चित ब्याज भी मिलता है।
- स्कीम के तहत इसमें कम-से-कम 30 ग्राम 995 शुद्धता वाला सोना बैंक में रखना होता है। जिसमें बैंक गोल्ड-बार, सिक्के, गहने (स्टोन्स रहित और अन्य मेटल रहित) को स्वीकृति देते हैं।

क्या था उद्देश्य ?

- 'स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना' भारत द्वारा बड़े पैमाने पर किये जाने वाले स्वर्ण आयात को कम करने के लिये प्रारंभ की गई थी क्योंकि स्वर्ण आयात भारत के व्यापार घाटे (Trade Deficit) की एक बड़ी वज़ह है।
- इस योजना के तहत बैंक के ग्राहक अपने बेकार पड़े सोने को 'सावधि जमा' के रूप में बैंक में जमा कर सकते हैं।
- सरकार को आशा थी कि इस पहल से घरों एवं मंदिरों में बेकार पड़ा सोना बड़ी मात्रा में बैंकों में जमा होगा जिसे पिघलाकर जौहरियों एवं अन्य प्रयोक्ताओं को प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रकार सोने के पुनर्चक्रण के माध्यम से सोने के आयात को घटाया जा सकेगा।

योजना सफल या असफल ?

- एक तरफ भारत में घरों एवं मंदिरों में लगभग 20,000 टन सोना पड़ा है तो दूसरी ओर सोने का आयात भी लगातार बढ़ रहा है। भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक है एवं भारत के व्यापार घाटे के एक-चौथाई से अधिक भाग का कारण सोने का आयात है।
- भारत में स्वर्ण-स्टॉक का तीन-चौथाई से अधिक आभूषणों एवं मूर्तियों के रूप में है जिससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। चूँकि इस योजना के तहत जमा सोने को पिघलाया जाता है, अत: लोगों का इस योजना की तरफ कम झुकाव होना स्वाभाविक है।
- इसके अलावा, बैंकों में जमा करवाने पर सोना आधिकारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा जिससे अनधिकृत धन एवं कालेधन से खरीदे गए सोने को जमा करना मुश्किल है।
- अभी भी लोगों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है एवं वित्तीय समावेशन की कमी के कारण जनता के एक भाग की बैंकों तक पहुँच नहीं है।
- भारत में सोने को ऋण लेने के लिये जमानत (Collateral) के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं संकट काल के लिये बचाकर रखा जाता है। अत: सावधि जमा खाते में जमा करवाने पर वे सोने का ऐसा उपयोग नहीं कर पाएंगे।
- स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना आर्थिक दृष्टिकोण से एक प्रगतिशील पहल है जो निवेशकों द्वारा सोने के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने एवं देश के व्यापार घाटे को कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अत: सरकार द्वारा सोने की तरलता एवं पूंजी लाभों को सुनिश्चित कर इस योजना को सफल बनाया जा सकता है।

नोट :

सिक्किम शुरू करेगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सिक्किम सरकार ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम (Universal Basic Income-UBI) को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है। यदि सिक्किम सरकार ऐसा करने में सफल हो जाती है तो सिक्किम यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा।

क्या है UBI ?

- UBI एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है, जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता के आजीविका के लिये हर माह सरकार द्वारा दी जाएगी।
- यह बिना किसी शर्त के सभी को प्राप्त होने वाला अधिकार है तथा इसके लिये व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक होना ज़रूरी होगा।
- यह व्यक्ति को किसी अन्य स्रोत से हो रही आय के अलावा प्राप्त होगी।

पृष्ठभूमि

- भारत में यह अवधारणा चर्चा में इसलिये रही क्योंकि वर्ष 2016-17 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में UBI को एक अध्याय के रूप में शमिल कर इसके विविध पक्षों पर चर्चा की गई है।

और कहाँ लागू है UBI ?

- हाल ही में UBI की अवधारणा को लागू करने के संदर्भ में स्विट्जरलैंड पहला ऐसा देश है, जिसने पिछले साल इस पर जनमत संग्रह किया। परन्तु UBI के वित्तीय प्रभाव और इसकी वज़ह से लोगों में काम करने की प्रेरणा के खत्म होने की आशंका से स्विट्जरलैंड की जनता ने इसे खारिज कर दिया।
- वर्तमान में फिनलैंड ने UBI को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है, जिसके तहत बहुत थोड़े से लोगों को हर महीने 595 डॉलर के बराबर की राशि दी जाएगी।

यूबीआई के पक्ष में तर्क

- प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करने का यह विचार, निश्चित तौर पर संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए गरिमामय जीवन जीने के अधिकार को वास्तविकता प्रदान करेगा।
- सरकार द्वारा नियत राशि दिये जाने से गरीबी और गरीबी के कगार पर खड़े लोग उपभोग के एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर सकेंगे और इस तरह वे अपनी आर्थिक दशा सुधारने में सक्षम हो सकेंगे।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में जहाँ असंगठित क्षेत्र में 90% कामगार हों, बहुत से लोग नि:शक्त व भिक्षावृत्ति से जुड़े हों, देश के कई भागों में लोग हर वर्ष प्राकृतिक आपदा से त्रस्त हों एवं विभिन्न प्रकार की अनियोजित विकासात्मक गतिविधि के कारण पलायन को मजबूर हों, उन्हें इस अवधारणा के क्रियान्वयन से आर्थिक असुरक्षा के भय से मुक्ति मिलेगी।
- कल्याणकारी व्यय के उपयोग की ज़िम्मेदारी अब नागरिकों पर भी होगी एवं लेटलतीफी, अफसरशाही, लाभों के मनमाने वितरण आदि की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।

यूबीआई के संभावित लाभ

- यूबीआई का सबसे बड़ा लाभ है इसका यूनिवर्सल या सर्वजनीन होना, अर्थात् किसी वर्ग विशेष को या किसी जरूरतमंद वर्ग समूह को अलग से चिह्नित या लक्षित न करके सभी को एक न्यूनतम धनराशि उपलब्ध कराना।
- साथ ही मौसमी व प्रच्छन्न बेरोज़गारी, आपदा, रोगावस्था, नि:शक्तता एवं नियोक्ता द्वारा शोषण की अवस्था में व्यक्ति रोज़गार के अभाव में भी अपना जीवनयापन कर सकेगा।
- प्रणाली क्षरण (system leakage) की समस्या कम होगी एवं जैम प्रणाली (जनधन, आधार, मोबाइल) के उपयोग से लाभार्थी तक सीधे पहुँचा जा सकेगा।
- धन के आवंटन, निगरानी व भ्रष्टाचार पर अंकुश के अनावश्यक दायित्व से नौकरशाही मुक्त होगी, जिससे विकास के अन्य कार्यों को गति मिलेगी।

नोट :

यूबीआई के विपक्ष में तर्क

- एक सतत् सर्वजनीन बुनियादी आय लोगों में कार्य करने के प्रोत्साहन को कम कर सकती है।
- हमारे पितृसत्तात्मक समाज में सरकार द्वारा महिलाओं को जो बुनियादी आय प्रदान की जाएगी, उस पर संभव है कि पुरूषों का नियंत्रण हो जाए।
- यूबीआई से मजदूरी की दर बढ़ने से, वस्तुओं व सेवाओं की मूल्य वृद्धि से महँगाई का ऊर्ध्वाधर चक्र शुरू हो जाएगा।
- बेसिक आय के स्तर को उच्च बनाए रखने में भारत का राजकोषीय संतुलन प्रभावित होगा।

यूबीआई से जुड़े अनुत्तरित प्रश्न

- क्या यूबीआई जनकल्याण की अन्य दूसरी योजनाओं को प्रतिस्थापित कर देगी? यदि हाँ तो सरकारी सहायता के अभाव और मांग में वृद्धि से उत्पन्न महँगाई को बेसिक आय कैसे संतुलित कर पाएगी?
- सबसे जटिल प्रश्न यह है कि बेसिक आय का 'मान' क्या होगा? यदि गरीबी रेखा हो तो ग्रामीण क्षेत्र में ₹32 एवं शहरी क्षेत्र में औसतन ₹40 के अनुसार लगभग ₹1200 प्रतिमाह व वर्ष के ₹19,400 होंगे। क्या इससे व्यक्ति अपनी अवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा?
- फिर इस योजना के लिये सरकार पर जो बोझ होगा, वह भारतीय GDP का 9 से 10 फीसदी तक होगा। वह कहाँ से आएगा?

निष्कर्ष

यूबीआई निश्चित तौर पर सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के संबंध में एक आकर्षक विचार है। किंतु इसका खाका व्यावहारिक आधारों पर होना चाहिये, ताकि वित्तीय बोझ व राजकोषीय असंतुलन का खतरा न रहे। इस योजना से धनी व उच्च मध्यमवर्गीय लाभार्थियों को बाहर किया जाना चाहिये। निर्धन ब्लॉक एवं ज़िलों में 'पायलट प्रोजेक्ट' के तौर पर लागू कर इसका बारीकी से मूल्यांकन करना चाहिए। इसके बाद ही चरणबद्ध तरीके से इस योजना को पूरे भारत में लागू करना चाहिए।

पूंजी संरक्षण बफर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 31 मार्च, 2020 तक के लिये पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer-CCB) की अंतिम किश्त के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा है कि पूंजी संरक्षण बफर की 0.625 प्रतिशत की आखिरी किस्त को लागू करने की समय-सीमा को 31 मार्च 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 करने का फैसला किया गया है।
- आरबीआई के इस कदम की बदौलत अब बैंकों के पास 37,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होगी। जिससे बैंकों की कर्ज़ देने की क्षमता में 3.50 लाख करोड़ रुपए तक वृद्धि संभव हो सकेगी।
- इस प्रकार, पूंजी संरक्षण का न्यूनतम अनुपात 2.5 प्रतिशत अब 31 मार्च, 2020 से लागू होगा।
- वर्तमान में बैंकों का पूंजी संरक्षण बफर मुख्य पूंजी का 1.875 प्रतिशत है।
- पूंजी संरक्षण बफर की आखिरी किस्त के कार्यान्वन को टालने का फैसला आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया गया था।

पूंजी संरक्षण बफर क्या है?

- पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer-CCB) को यह सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है कि बैंक अर्थव्यवस्था के सामान्य समय के दौरान (यानी अर्थव्यस्था पर तनाव से पहले की अवधि के दौरान) पूंजीगत बफ़र का निर्माण करें, जिसे अर्थव्यवस्था के तनावग्रस्त होने पर नुकसान के समय निकाला जा सके।
- दूसरे शब्दों में पूंजी संरक्षण बफर (capital conservation buffer-CCB) वह पूंजी बफर है, जिसे बैंकों को आम दिनों में जमा करना पड़ता है ताकि आर्थिक संकट के दौरान नुकसान की भरपाई हेतु इसका इस्तेमाल किया जा सके।

नोट :

- यह आवश्यक न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं (Minimum Capital Requirements) के उल्लंघन से बचने हेतु डिज़ाइन किये गए सरल पूंजी संरक्षण नियमों (Capital Conservation Rules) पर आधारित है।
- इसे 2008 में पूरी दुनिया में आए आर्थिक संकट के बाद प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों से निपटने के लिये बैंकों की क्षमता में सुधार हेतु पेश किया गया था।

भागीदारी शिखर सम्मेलन 2019

चर्चा में क्यों ?

12 एवं 13 जनवरी, 2019 को महाराष्ट्र में भागीदारी शिखर सम्मेलन (Partnership Summit) के 25वें संस्करण का आयोजन किया गया।

थीम- न्यू इंडिया-राइज़िंग टू ग्लोबल अकेज़न (New India- Rising To Global Occasion)

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry), भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (Department of Industrial Policy and Promotion), महाराष्ट्र सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
- उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन के 22वें, 23वें और 24वें सत्र का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया, जबकि 21वें सत्र का आयोजन वर्ष 2015 में राजस्थान में किया गया था।
- शिखर सम्मेलन के दौरान देश के भीतर और पूरी दुनिया के साथ सक्रिय सहभागिता एवं गठबंधन करने वाले 'नए भारत' को दर्शाया गया।

सम्मेलन में शामिल विषय

दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में निर्धारित थीम के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को कवर किया गया-

- 'नए भारत' के साथ साझेदारी (Partnering with New India)
- सुधार एवं विनियमन - निवेश को बढ़ावा देने के लिये रणनीतियाँ (Reforms and De-regulation – Strategies to Boost Investment)
- बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं का विस्तार - विकास के लिये अत्यंत ज़रूरी (The Infra Expanse-Super Imperative for Growth The Inclusion Dynamics)
- समावेशी आयाम – सभी के लिये एक डिजिटल रूपरेखा (The Inclusion Dynamics – A Digital Wireframe for all)

महत्त्वपूर्ण क्षेत्रवार श्रृंखलाएँ

शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रवार श्रृंखलाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया-

- नवाचार (Innovations)
- इंडिया 4.0; आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI), बिग डेटा (India 4.0: AI, Big Data)
- कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण (Agri and Food Processing)
- स्वास्थ्य सेवा (Heath Care)
- पर्यटन एवं आतिथ्य (Tourism and Hospitality)
- रक्षा एवं वैमानिकी (Defence and Aeronautics)
- नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)

नोट :

पृष्ठभूमि

- भागीदारी शिखर सम्मेलन आर्थिक नीति के साथ-साथ भारत में विकास के रुझान पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के बीच संवाद, चर्चाओं, विचार-विमर्श और सहभागिता के लिये एक वैश्विक मंच है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी।

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग

- औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की स्थापना 1995 में हुई थी तथा औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ वर्ष 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था।
- इससे पहले अक्तूबर 1999 में लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (Small Scale Industries & Agro and Rural Industries -SSI&A&RI) और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम (Heavy Industries and Public Enterprises- HI&PE) के लिये अलग-अलग मंत्रालयों की स्थापना की गई थी।

कार्य एवं भूमिका

- विकास की आवश्यकता और राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप औद्योगिक विकास के लिये औद्योगिक नीति और रणनीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन।
- सामान्य रूप से औद्योगिक विकास की निगरानी करना और विशेष रूप से सभी औद्योगिक एवं तकनीकी मामलों पर सलाह सहित निर्दिष्ट उद्योगों के प्रदर्शन की निगरानी।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment -FDI) नीति का निर्माण करना और FDI को स्वीकृति देना, प्रोत्साहन देना और सहज बनाना।
- उद्योग स्तर पर विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहन देना और इसके लिये नीतिगत मानक तैयार करना।
- पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक आदि के लिये बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत नीतियों का निर्माण।
- विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के तहत उद्योगों का प्रशासन।
- औद्योगिक साझेदारी के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिये अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है।
- CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योगों को नेतृत्व प्रदान करने वाला और उद्योग-प्रबंधित संगठन है जो भारत की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
- 1895 में स्थापित भारत के इस प्रमुख व्यापार संघ के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से SME और MNC सहित लगभग 9000 सदस्य हैं तथा लगभग 265 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उद्योग/निकायों के 300,000 से अधिक उद्यमों की अप्रत्यक्ष सदस्यता है।

रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये GoM का गठन

चर्चा में क्यों ?

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अगुवाई में एक मंत्रिस्तरीय समूह का गठन किया गया है जो एक कंपोज़िशन स्कीम (composition scheme) तैयार करने के अलावा रियल स्टेट के क्षेत्र में GST दर को युक्तिसंगत बनाने की संभावनाओं की तलाश करेगा।

- GST प्रणाली के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये इस 7-सदस्यीय मंत्री समूह (Group of Ministers-GoM) के गठन का निर्णय हाल ही में हुई GST परिषद की बैठक के दौरान लिया गया था।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- GoM के विचारार्थ विषयों (Terms of Reference-ToR) में इस सेक्टर के लिये एक कंपोजिशन स्कीम तैयार करने के तरीके सुझाना शामिल है।
- GoM, रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रस्ताव के तहत उत्पन्न होने वाले मुद्दों और चुनौतियों सहित GST के अंतर्गत कर की दरों का भी विश्लेषण करेगा।
- यह समूह कंपोज़िशन स्कीम में ज़मीन के समावेशन/अपवर्जन या किसी अन्य घटक को शामिल करने की वैधानिकता की जाँच करेगा और मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधी सुझाव भी देगा।
- यह समूह एक संयुक्त समझौते और उपयुक्त मॉडल में विकास अधिकारों के हस्तांतरण (Transfer of Development Rights-TDR) और विकास अधिकारों (Development Rights) पर GST के विभिन्न पहलुओं की भी जाँच करेगा।
- GoM के अन्य मंत्रियों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री तथा गोवा के पंचायत मंत्री मौविन गोडिन्हो (Mauvin Godinho) शामिल हैं।
- वर्तमान में निर्माणाधीन संपत्ति या रेडी-टू-मूव-इन (ready-to-move-in) फ्लैट्स, जहाँ बिक्री के समय पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, के मामले में किये गए भुगतान पर 12% GST लगाया जाता है।
- GST लागू होने से पहले इस तरह की संपत्ति पर 15-18% कर लगाया जाता था।
- हालाँकि, ऐसी रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के खरीदारों पर GST नहीं लगाया जाता है जिनकी बिक्री के समय पूर्णता-प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

कालिया योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओडिशा सरकार ने छोटे किसानों एवं भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों हेतु एक सहायता योजना, 'कालिया' (Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation-KALIA) की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- कालिया योजना के तहत राज्य में गरीबी को कम करने और कृषि क्षेत्र में तेज़ी लाने हेतु तीन वर्षों के दौरान लगभग 10,180 करोड़ रूपए खर्च किये जाएंगे।
- इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत छोटे किसान और भूमिहीन खेतिहर मज़दूर लाभ ले सकेंगे।
- इस योजना को कृषि ऋण माफी के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

योजना के तहत प्रावधान

- खेती करने वालों के लिये: खेती के लिये सहायता के रूप में प्रति किसान परिवार 10,000 रुपए प्रदान किये जाएंगे। 2018-19 और 2021-22 के बीच पाँच फसली सत्रों के लिये खरीफ और रबी के मौसम में प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपए अलग से मिलेंगे। 50,000 रुपए तक के फसल ऋण ब्याज मुक्त होते हैं।
- भूमिहीन कृषि परिवारों के लिये: प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर परिवार को कृषि सहायक गतिविधियों जैसे कि बकरी पालन की छोटी इकाई, मछुआरों के लिये मत्स्य किट, मशरूम की खेती और मधुमक्खी पालन आदि के लिये 12500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- बुज़ुर्गों के लिये: बुज़ुर्ग, बीमार और अन्य ऐसे लोग जो खेती करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रति वर्ष प्रति परिवार 10,000 रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- खेती करने वालों और भूमिहीन कृषि परिवारों के लिये बीमा: कालिया योजना के तहत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर और 57 लाख परिवारों के लिये 2 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज भी शामिल है।

नोट :

RBI ने ECB मानदंडों को आसान बनाया

चर्चा में क्यों ?

भारत में व्यापार को आसान और बेहतर बनाने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक नया बाह्य वाणिज्यिक ऋण (External Commercial Borrowing-ECB) ढाँचा तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

- नए ढाँचे के तहत सभी योग्य उधारकर्त्ता ऑटोमेटिक रूट के ज़रिये एक वित्त वर्ष में 750 मिलियन डॉलर या इसके बराबर की रकम बाहरी वाणिज्यिक ऋण के रूप में ले सकते हैं। पहले यह सीमा अलग-अलग क्षेत्रों के लिये अलग-अलग निर्धारित थी
- केंद्रीय बैंक ने पात्र उधारकर्त्ताओं और मान्यता प्राप्त उधारदाताओं की सूची का भी विस्तार किया है।
- कच्चे तेल की खरीद के लिये डॉलर की मांग के चलते विदेशी मुद्रा बाज़ार में उत्पन्न अस्थिरता पर अंकुश लगाने के लिये यह ढाँचा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को एक विशेष छूट प्रदान करता है।
- इसके अलावा सभी वाणिज्यिक ऋणों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि (Minimum Average Maturity Period-MAMP) तीन साल निर्धारित की गई है, चाहे जितनी भी रकम हो।
- एफडीआई प्राप्त करने के लिये पात्र सभी संस्थाओं को शामिल करने हेतु उधारकर्त्ताओं की सूची का विस्तार किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, पोर्ट ट्रस्ट, SEZ, SIDBI, एक्जिम बैंक की इकाइयों और सूक्ष्म वित्त (Micro-finance) जैसी गतिविधियों में लगे पंजीकृत कंपनियाँ भी इस ढाँचे के तहत उधार ले सकती हैं।

परिपक्वता अवधि

- ECB के लिये न्यूनतम परिपक्वता अवधि तीन वर्ष होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को यह एक वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ प्रति वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन डॉलर तक बढ़ाने की अनुमति देता है।
- इसके अलावा यदि ECB को विदेशी इक्विटी धारक द्वारा बढ़ाया जाता है और कार्यशील पूंजी, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों या रुपए में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये उपयोग किया जाता है तो परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष होगी।
- यह संभवत: विदेशी शेयर धारकों को प्रोत्साहित करने के लिये किया गया है, विशेष रूप से भारतीय एयरलाइंस में अपने भारतीय भागीदारों का समर्थन करने के लिये। इससे जेट एयरवेज़ को अपने मौजूदा वित्तीय संकट से निपटने में मदद मिल सकती है।

निर्यात-आयात बैंक के पुनर्पूंजीकरण को स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (Export Import Bank of India-Exim Bank) के पुनर्पूंजीकरण को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय निर्यात-आयात बैंक में पूंजी लगाने के लिये भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड (Recapitalization Bonds) जारी करेगी।
- एक्ज़िम बैंक का पुनर्पूंजीकरण दो चरणों में किया जाएगा जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4,500 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,500 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई जाएगी।
- कैबिनेट ने एक्ज़िम बैंक की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने की मंज़ूरी दे दी है। पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किये जाएंगे।

नोट :

प्रमुख प्रभाव:

- एक्ज़िम बैंक भारत के लिये प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी है। एक्ज़िम बैंक में पूंजी लगाने से यह पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाने सहित ज़्यादा क्षमता के साथ भारतीय निर्यात के लिये आवश्यक सहायता देने में समर्थ हो जाएगा।
- पुनर्पूंजीकरण से भारतीय कपड़ा उद्योगों को आवश्यक सहायता देने, रियायती वित्त योजना (Concessional Finance Scheme-CFS) में संभावित बदलावों, भारत की सक्रिय विदेश नीति और रणनीतिक मंशा को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिये ऋण की नई रूपरेखा की संभावनाओं जैसी पहलों को बढ़ावा मिलेगा।

एक्ज़िम बैंक (EXIM Bank)

- एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) की स्थापना एक संसदीय अधिनियम (Act of Parliament) के तहत वर्ष 1982 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्तपोषण, इसे सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिये शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी।
- यह बैंक मुख्यत: भारत से किये जाने वाले निर्यात के लिये ऋण उपलब्ध कराता है।
- भारत के विकासात्मक एवं बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिये विदेशी खरीदारों और भारतीय आपूर्तिकर्त्ताओं को आवश्यक सहायता देना भी इसमें शामिल है।
- इसका नियमन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा किया जाता है।

स्टार्टअप्स को 'एंजेल टैक्स' पर राहत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयीय निकाय से प्रमाणन की आवश्यकता को समाप्त करके 'एंजेल टैक्स' (Angel Tax) नोटिस से छूट पाने के लिये स्टार्टअप्स की प्रक्रिया को सरल बनाया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह कदम नए शेयरों की बिक्री के माध्यम से पूंजी जुटाने के समय प्राप्त शेयर प्रीमियम पर स्टार्टअप की चिंताओं को कम करने का प्रयास करता है।
- आने वाले समय में औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (DIPP) के माध्यम से छूट के लिये ऐसे आवेदन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 45 दिनों के भीतर संसाधित (Processed) किये जाएंगे।
- मूल्यांकन के लिये किसी समिति या प्रमाणपत्र की ज़रुरत नही होगी, इसमें अतीत और भविष्य के सभी निवेश शामिल है। अप्रैल 2016 से पहले शामिल स्टार्टअप भी इसके तहत कवर किये गए हैं।
- स्टार्टअप्स के लिये यह समस्या 2012 में आयकर अधिनियम में पेश किये गए एक विरोधी दुरुपयोग प्रावधान के बाद आई इस प्रावधान में नेताओं द्वारा स्थापित गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर प्रीमियम की आड़ में रिश्वत लेने जैसे कृत्यों पर रोक लगाने की कोशिश की गई।
- आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) के उपभाग (viib) के तहत शेयर, प्रीमियम के कराधान के लिये प्रदान किया जाता है जो शेयरों के उचित मूल्यांकन के ऊपर 'अन्य आय' के रूप में होता है, चूँकि स्टार्टअप नए विचारों,तकनीकी के भिन्न-भिन्न प्रयोगों की व्यावसायिक क्षमता के आधार पर मूल्यवान होते हैं (जो समय के साथ बदल सकते हैं)। ऐसे में उन्हें प्राप्त शेयर प्रीमियम को सही ठहराना एक कठिन कार्य है।
- हालाँकि, स्टार्टअप से जुड़े लोगों के अनुसार सरकार द्वारा किया गया समाधान अव्यावहारिक है। क्योंकि स्टार्टअप्स को एक बड़े समाधान की ज़रूरत थी जिसमें (DIPP) से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को और ज़्यादा से ज़्यादा छूट प्राप्त होने चाहिये थे।

क्या है 'एंजेल टैक्स' ?

- स्टार्टअप से जुड़े लोगों को सामान्यत: अपने कारोबार के विस्तार के लिये पैसे की आवश्यकता होती है जिसके लिये वे पैसे देने वाली कंपनी या संस्था को शेयर जारी करते हैं। अक्सर ये शेयर उचित कीमत से कही ज्यादा कीमत पर जारी किये जाते हैं। शेयर की अतिरिक्त कीमत को उनकी आय (Income) माना जाता है तथा इस आय पर टैक्स लगाया जाता है, जिसे 'एंजेल टैक्स' (Angel Tax) कहा जाता है।

नोट :

- स्टार्टअप को इस तरह मिले पैसे को 'एंजेल फंड' (Angel Fund) कहते हैं।
- एंजेल टैक्स की वसूली आयकर विभाग करता है।
- एंजल टैक्स की शुरुआत 2012 में हुई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट में इसका एलान किया था, इसका उद्देश्य मनी लाउड्रिंग पर रोक लगाना था।

औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (DIPP) Department of Industrial Policy & Promotion

- औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की स्थापना 1995 में हुई थी तथा औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ वर्ष 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था।
- इससे पहले अक्तूबर 1999 में लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (Small Scale Industries & Agro and Rural Industries -SSI&A&RI) और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम (Heavy Industries and Public Enterprises- HI&PE) के लिये अलग-अलग मंत्रालयों की स्थापना की गई थी।

मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Automotive Research Association of India-ARAI) द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल को मौजूदा BS-IV मानक कारों में उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आकलन हेतु इस अध्ययन को वास्तविक परिस्थितियों में किया गया। वाहनों में 15 प्रतिशत मेथनॉल (M-15) मिश्रण का इस्तेमाल किया गया और लगभग 3,000 किमी. तक चलाकर उनका परीक्षण किया गया।
- अध्ययन के ये निष्कर्ष परिवहन मंत्रालय को सौंप दिये गए हैं। मंत्रालय भी मेथनॉल सम्मिश्रण पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये तैयार है क्योंकि 2030 तक सरकार का लक्ष्य ईंधन सम्मिश्रण को 20 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

मेथनॉल अर्थव्यवस्था

- मेथनॉल अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के आयात को कम करने के साथ-साथ देश में कोयले के विशाल भंडार का उपयोग करने में मदद कर सकती है।
- एक अनुमान के मुताबिक, भारत कच्चे तेल के आयात पर प्रत्येक वर्ष 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है।
- आयात कम करते हुए वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है। इस बचत का इस्तेमाल देश में कमज़ोर पड़ते जा रहे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में किया जा सकता है।
- भारत वर्तमान में सऊदी अरब और ईरान से मेथनॉल आयात करता है। नीति आयोग ने अकेले मेथनॉल की सहायता से कच्चे तेल के आयात में 20 प्रतिशत तक की कमी लाने हेतु एक व्यापक योजना तैयार की है।
- मेथनॉल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये गेम चेंजर साबित हो सकता है।
- मेथनॉल दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल होने वाला एक अच्छा ईंधन है।
- अधिकांश देशों में यह प्राकृतिक गैस से बनता है, जबकि भारत में यह स्थानीय रूप से उपलब्ध कोयले से प्राप्त हो सकता है।

मेथनॉल क्या है ?

- मेथनॉल एक हल्का, वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील द्रव है।
- यह आसानी से निर्मित अल्कोहल है। यह जैव ईंधन के उत्पादन में भी उपयोगी है।
- यह कार्बनिक यौगिक है और इसे काष्ठ अल्कोहल भी कहते हैं।
- यह प्राकृतिक गैस, कोयला एवं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनता है।

नोट :

स्वच्छ क्यों ?

- क्योंकि इसके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है।

सस्ता कैसे ?

- क्योंकि यह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है।
- मेथनॉल का निर्माण कृषि उत्पादों, कोयला एवं नगरपालिका के कचरे से भी किया जा सकता है।
- यह जल परिवहन के लिये एक भरोसेमंद ईंधन है क्योंकि यह स्वच्छ, जीवाश्म ईंधन की तुलना में सस्ता तथा भारी ईंधन का एक अच्छा विकल्प है।

इनसाइडर ट्रेडिंग पर नियंत्रण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने आंतरिक सूचना के आदान-प्रदान पर नियंत्रण के लिये मानदंड निर्धारित किये हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इन मानदंडों में सेबी द्वारा ऐसी कंपनी के संचालकों (Promoters) को संदर्भित किया गया है, जो अपनी कंपनी के 'वैध उद्देश्य' (Legitimate Purpose) एवं संवेदनशील जानकारी को छुपाते है या अप्रकाशित रखते हैं, ऐसे लोग इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों के उल्लंघन के दोषी होते हैं।
- एक संचालक (Promoter) जो आधिकारिक रूप में सलाहकार नहीं है या बोर्ड में कोई पद धारण नहीं करता है, उसे UPSI (Unpublished Price Sensitive Information) धारण करने के लिये 'वैध उद्देश्य' रखने वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा।
- सेबी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि मामले के आधार पर एक संरचित डिजिटल डेटाबेस को किन व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम से बनाए रखना है या किनके साथ जानकारी साझा करनी है।
- सेबी का निर्णय टी. के. विश्वनाथन समिति की सिफारिशों के 'निष्पक्ष बाज़ार आचरण' (fair market conduct) पर आधारित है।

इनसाइडर ट्रेडिंग

- इसका तात्पर्य सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों की अंदरूनी जानकारी, जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, का उपयोग कर उन्हें खरीदने या बेचने से है।
- आतंरिक जानकारी किसी भी ऐसी जानकारी को संदर्भित करती है जिसके परिणामस्वरूप इस संदर्भ में कि किस प्रतिभूति को खरीदना या बेचना है, एक निवेशक का निर्णय पर्याप्त प्रभावित हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये - एक सरकारी कर्मचारी नए पारित होने वाले विनियमन के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर काम करता है और विनियमन की जानकारी सार्वजनिक होने से कंपनी के शेयरों को खरीदकर और किसी अन्य कंपनी या फर्म को लाभान्वित कर सकता है।

कॉर्पोरेट प्रशासन

- कॉर्पोरेट प्रशासन वह प्रणाली है जिसके द्वारा कंपनियों का प्रबंधन और नियंत्रण किया जाता है। इसमें प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों का एक सेट अथवा प्रारूप शामिल होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक कंपनी अपने हितधारकों के सर्वोत्तम हित के साथ कार्य करे।
- 'अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन' सुनिश्चित करता है-
  - कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त जानकारियों का खुलासा एवं प्रभावी निर्णय।
  - व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता।
  - वैधानिक और कानूनी अनुपालन।

नोट :

- शेयरधारक के हितों की सुरक्षा।
- मूल्यों और व्यवसाय के नैतिक आचरण के लिये प्रतिबद्धता।

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (Global Financial Stability report) यह दर्शाती है कि उभरते बाज़ारों में कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों में सुधार हुआ है, लेकिन 2006-2014 के बीच भारत के संदर्भ में इसमें गिरावट दर्ज की गई है।
- कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के लिये हालिया पहल –

कोटक पैनल की रिपोर्ट

- उदय कोटक की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा गठित पैनल ने कंपनियों के कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों में सुधार के लिये कई बदलावों हेतु सुझाव दिये हैं।
- बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी के प्रबंध निदेशक/सीईओ नहीं हो सकते।
- बोर्ड में न्यूनतम छह निदेशक होने चाहिये। जिसमें 50% स्वतंत्र निदेशक में से कम-से-कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक होनी चाहिये।
- स्वतंत्र निदेशकों के लिये न्यूनतम योग्यता और उनके प्रासंगिक कौशल की सार्वजनिक जानकारी को सुनिश्चित करना।
- कंपनी और उसके प्रमोटरों के बीच जानकारी साझा करने के लिये एक औपचारिक चैनल का निर्माण करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सूचीबद्ध विनियमन द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिये, न कि नोडल मंत्रालयों द्वारा।
- यदि किसी भी लेखा परीक्षण में कोई त्रुटि पाई जाती है तो ऑडिटर्स को दंडित किया जाना चाहिये।
- सेबी के पास 'व्हिसिल ब्लोअर' (Whistle Blowers) को प्रतिरक्षा प्रदान करने की शक्ति होनी चाहिये। कंपनियों को वार्षिक रिपोर्ट में माध्यम से दीर्घकालिक व्यापार रणनीति का खुलासा करना चाहिये।

'उचित बाज़ार आचरण' पर गठित टी. के. विश्वनाथन समिति द्वारा अगस्त, 2018 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

- इनसाइडर ट्रेडिंग पर कई सिफारिशों के बीच, दो अलग-अलग आचार संहिता का निर्माण हुआ है।
  - सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा आतंरिक जानकारी लीक होने की समस्या से निपटने के लिये न्यूनतम मानक।
  - मूल्य-संवेदनशील जानकारी से सम्बद्ध बाज़ार, मध्यस्थों और अन्य के लिये मानक।
- कंपनियों को नामित व्यक्तियों के ऐसे रिश्तेदारों का विवरण रखना चाहिये जिनके साथ वह कंपनी की संवेदनशील जानकारी या वित्तीय लेन-देन संबंधी जानकारी को साझा कर सकता है।
- ऐसी सभी जानकारियों को कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सुरक्षित रखा जा सकता है, और इन्हें किसी भी मामले से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये सेबी के साथ भी साझा किया जा सकता है।
- समिति ने टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को टैप करने के लिये सेबी को प्रत्यक्ष अधिकार देने की सिफारिश की है, जिससे यह इनसाइडर ट्रेडिंग और अन्य धोखाधड़ी की जाँच कर सके।
- वर्तमान में सेबी को केवल मोबाइल या टेलीफोन नंबर और कॉल अवधि सहित कॉल रिकॉर्ड मांगने का ही अधिकार है।

ऑक्सफेम रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'ऑक्सफेम' द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार अमीरों और गरीबों के बीच भारी असमानता पाई गई, भारत के 1% सबसे अमीर लोगों की आर्थिक वृद्धि दर 2018 में 33% जबकि अन्य निचले स्तर की आधी आबादी की आर्थिक आय में सिर्फ 3 फीसदी की ही बढ़ोतरी देखी गई।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह (International Rights Group) के वार्षिक अध्ययन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 2018 में अरबपतियों की आय में एक दिन में 12 प्रतिशत या 2.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी ने अपने धन में 11 प्रतिशत की गिरावट देखी।

नोट :

- इसके अनुसार लगभग 13.6 करोड़ भारतीय, जो देश के सबसे गरीब 10 प्रतिशत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, 2004 से लगातार कर्ज़ में हैं।
- यह रिपोर्ट पाँच दिवसीय विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum-WEF) की वार्षिक बैठक के शुरू होने से पहले जारी की गई।
- दावोस में वैश्विक राजनीतिज्ञों और व्यापारिक नेताओं का वार्षिक सम्मलेन आयोजित हुआ जिसमें बढ़ते अमीरी-गरीबी द्वारा उत्पन्न सामाजिक विभाजन से निपटने हेतु चर्चा की गई, ऑक्सफेम ने भी इस बढ़ती असमानता (अमीरी-गरीबी) पर चिंता जाहिर की है।
- ऑक्सफेम ने बताया कि यह बढ़ती असमानता ही गरीबी के खिलाफ किये गए प्रयासों को असफल कर रही है, अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुँचा रही है। जिसकी वज़ह से वैश्विक स्तर पर लोगों में रोष बढ़ रहा है।
- WEF शिखर सम्मेलन में यह बात भी सामने आई कि यह असमानता अनैतिक है क्योंकि कुछ अमीर लोग ही बढ़ते भारतीय धन की हिस्सेदारी में शामिल हैं, जबकि गरीब लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं दवाइयों जैसी मूलभूत जरूरतों को ही पूरा नहीं कर पाते हैं।
- इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि ऐसी ही असमानता भारत के शीर्ष 1 प्रतिशत अमीरों और बाकी बचे सामान्य लोगों के बीच जारी रहती है तो इससे देश की सामाजिक और लोकतांत्रिक संरचना समाप्त हो जाएगी।
- रिपोर्ट में पाया गया कि अमेज़न के संस्थापक 'जेफ बेजोस' (दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति) की आय में 112 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसका मात्र 1 प्रतिशत हिस्सा इथियोपिया की सम्पूर्ण आबादी यानी 115 मिलियन लोगों के स्वास्थ्य बजट के बराबर है।
- भारत की शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास कुल राष्ट्रीय धन का 77.4 प्रतिशत हिस्सा है। जबकि शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों के पास 51.53 प्रतिशत हिस्सा है।
- लगभग 60% से निम्न आय वर्ग आबादी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का केवल 4.8 प्रतिशत ही है, जबकि शीर्ष 9 अरबपतियों का धन निम्न स्तरीय 50 प्रतिशत आबादी के धन के बराबर है। धन की यह असमानता लोकतंत्र को प्रभावित करती है।

भारतीय असमानता का प्रारूप

- ऑक्सफेम ने कहा कि 2018-2022 के बीच भारत में हर दिन 70 नए करोड़पति बनने का अनुमान है।
- सर्वेक्षण में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि कैसे सरकारें सार्वजनिक सेवाओं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को बढ़ा रही हैं, वहीं एक ओर जहाँ निगमों और अमीरों पर कर लगा रही हैं, और दूसरी ओर कर चोरी पर रोक लगाने में असफल हो रही हैं।
- इस बढ़ती आर्थिक असमानता से महिलाएँ और लड़कियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। लाखों लड़कियाँ अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो जाती हैं तथा महिलाएँ मातृत्व देखभाल की कमी के चलते मर जाती हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले साल के 18 नए अरबपतियों को मिलाकर अब इनकी संख्या 119 हो गई, जबकि उनकी संपत्ति ने पहली बार 400 बिलियन डॉलर (28 लाख करोड़ रुपए) का आंकड़ा पार कर लिया।
- यह 2017 में $ 325.5 बिलियन से बढ़कर 2018 में $ 440.1 बिलियन हो गया, जो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है।

वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency-IEA) द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018 रिपोर्ट में 2040 तक वैश्विक ऊर्जा उद्योग हेतु महत्त्वपूर्ण विचारों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग और जीवाश्म ईंधन संबंधी चिंताएँ भी शामिल हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह रिपोर्ट बढ़ती अनिश्चितताओं के दौर में बदलते वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के भविष्य के पैटर्न की जाँच करती है और इस बात का खुलासा करती है कि बढ़ते विद्युतीकरण से लेकर ऊर्जा के नवीकरण, तेल उत्पादन में वृद्धि और प्राकृतिक गैस के वैश्वीकरण तक ऊर्जा क्षेत्र हेतु बड़े परिवर्तन चल रहे हैं।

नोट :

प्रमुख निष्कर्ष

- **मुख्य ध्यान**
  - इस रिपोर्ट के 2018 संस्करण का विशेष ध्यान बिजली पर है। हल्के औद्योगिक क्षेत्रों, सेवा क्षेत्र और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे आर्थिक क्षेत्रों में बिजली पसंद का 'ईंधन' बनती जा रही है।
  - वैश्विक ऊर्जा उपयोग में बिजली का हिस्सा बढ़ रहा है, जबकि कम कार्बन प्रौद्योगिकियों का उदय बिजली के उत्पादन के तरीके में एक बड़े परिवर्तन को प्रेरित कर रहा है।
- **ऊर्जा**
  - ऊर्जा की मांग
  - लोगों की बढ़ती हुई आय और 1.7 बिलियन से अधिक लोगों की आबादी, जिनकी वृद्धि अधिकांश विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में शहरी क्षेत्रों में हुई है, 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में एक-चौथाई की वृद्धि कर देंगी।
  - मांग में वृद्धि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में हुई जिनमें सबसे आगे भारत है।
  - 2000 में, यूरोप और उत्तरी अमेरिका वैश्विक ऊर्जा मांग के 40% से अधिक के लिये ज़िम्मेदार थे, जबकि विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ केवल 20% ऊर्जा ही खपत कर रही थीं। 2040 तक यह स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी।
- **उत्पादन**
  - पंद्रह साल पहले यूरोपीय कंपनियाँ दुनिया की शीर्ष बिजली कंपनियों की सूची में हावी थीं किंतु अब शीर्ष दस बिजली कंपनियों में से छह चीनी हैं, अर्थात् 2040 तक एशिया का वर्चस्व हो जाएगा।
- **जीवाश्म ईंधन**
  - दो साल की गिरावट के बाद 2017 में कोयले का इस्तेमाल अपनी पुरानी स्थिति में आ गया लेकिन कोयला आधारित नए बिजली संयंत्रों में निवेश हाल के वर्षों में देखे गए स्तर से काफी नीचे था।
  - 2030 में कोयले से आगे निकलते हुए प्राकृतिक गैस वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में दूसरा सबसे बड़ा ईंधन बन जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) एक स्वायत्त संगठन है, जो अपने 30 सदस्य देशों, 8 सहयोगी देशों और अन्य दूसरों के लिये विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु काम करती है।
- इसकी स्थापना (1974 में) 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी जब ओपेक कार्टेल ने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ दुनिया को चौंका दिया था। IEA के मुख्य क्षेत्र हैं-
  - ऊर्जा सुरक्षा
  - आर्थिक विकास
  - पर्यावरण जागरूकता
  - दुनिया भर से इंगेजमेंट
- भारत 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सहयोगी सदस्य बना।
- इसका मुख्यालय फ्राँस के पेरिस में है।

तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा

स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये एक कदम आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री ने 20 जनवरी, 2019 को तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे (Tamil Nadu Defence Industrial Corridor) की शुरुआत की।

उद्देश्य

- रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न रक्षा औद्योगिक इकाइयों के बीच संपर्क सुनिश्चित करना है।

नोट :

निवेश

- तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिये 3,123 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है इसमें से अधिकांश निवेश सार्वजनिक क्षेत्र से किया जाएगा।
- आयुध निर्माणी बोर्ड ने इस गलियारे के विकास में 2305 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है।

तमिलनाडु डिफेंस प्रोडक्शन क्वाड

- तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा को तमिलनाडु डिफेंस प्रोडक्शन क्वॉड (Tamil Nadu Defence Production Quad) भी कहा जाता है, क्योंकि इसके नोडल केंद्र चेन्नई, होसुर, सलेम, कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं।
- आयुध निर्माणी बोर्ड ने गलियारे के लिये 2305 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है।

भारत का दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा

- अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शुरू हुए पहले रक्षा औद्योगिक गलियारे के बाद यह देश का दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा है। उल्लेखनीय है कि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में 3,732 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा के साथ ही 11 अगस्त, 2018 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में रक्षा औद्योगिक गलियारा शुरू किया गया था।

तमिलनाडु ही क्यों ?

- तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ जैसे- BHEL, हेवी अलॉय पेनिट्रेटर प्रोजेक्ट (Heavy Alloy Penetrator Project), आयुध फैक्ट्री और रेलवे कार्यशालाएँ रक्षा निर्माण के लिये सही पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करती हैं।

लाभ

- तमिलनाडु भारत के कुल निर्यात में 9.8% के योगदान के साथ देश में चौथे स्थान पर है और यह गलियारा इस क्षेत्र से होने वाले निर्यात के अवसरों को बढ़ाएगा।
- इन गलियारों के विकास से न केवल त्वरित विकास और क्षेत्रीय उद्योगों के एकीकरण में मदद मिलेगी, बल्कि एक सुव्यवस्थित और कुशल औद्योगिक आधार भी उपलब्ध होगा जिससे इस क्षेत्र के साथ ही देश में भी रक्षा उत्पादन बढ़ेगा।
- इससे उद्योगों को रक्षा विनिर्माण की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकृत करने में भी मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि

- फरवरी, 2018 में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये देश में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारे स्थापित किए जाएंगे। इसमें सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में गलियारों के निर्माण की परिकल्पना की थी।

सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र 2017-18

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs) ने सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र 2017-18 (Status Paper on Government Debt 2017-18) जारी किया है। गौरतलब है कि सरकार 2010-11 से सरकारी ऋण पर एक वार्षिक स्थिति पत्र प्रकाशित कर रही है, जो सरकार की ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार की ऋण स्थिति के अलावा, स्थिति पत्र के इस 8वें संस्करण में राज्य सरकार के ऋण भी शामिल हैं।
- केंद्र का कुल ऋण मार्च 2014 के अंत में 56,69,429 करोड़ रूपए से बढ़कर 2017-18 में, 82,35,178 करोड़ रूपए हो गया। अर्थात केंद्र सरकार के ऋण में 45% की वृद्धि हुई।

नोट :

- इसी दौरान राज्यों का ऋण 24,71,270 करोड़ रूपए से बढ़कर 40,22,090 करोड़ रूपए हो गया अर्थात् राज्यों के ऋण में भी लगभग 63% की वृद्धि दर्ज़ की गई।
- यदि ऋण-GDP अनुपात की बात करें तो केंद्र का कुल ऋण 31 मार्च 2014 तक 47.5% से घटकर 2017-18 में 46.5% हो गया अर्थात् ऋण के मुकाबले देश की GDP में बढ़ोत्तरी हुई है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये अच्छा संकेत है।

  हालाँकि, इसी अवधि के दौरान राज्यों का ऋण-GDP अनुपात 2017-18 में बढ़कर 24% हो गया जो 2013-14 के दौरान 22% था।
- सरकार द्वारा जारी किये गए आँकड़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक ऋण पर एन. के. सिंह समिति की सिफारिशों को पूरा करने के लिये सही दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि राज्य विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

क्यों बढ़ा राज्यों पर कर्ज़ ?

- इन दो वर्षों में UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) बॉण्ड जारी करने के बाद 2015-16 और 2016-17 के दौरान राज्यों की बकाया देनदारी तेज़ी से बढ़ी है। इसका ही परिणाम है कि ऋण-GDP अनुपात मार्च 2015 के अंत में 21.7% से बढ़कर मार्च 2016 के अंत में 23.4% हो गया और यही आँकड़ा मार्च 2017 के अंत में 23.8% हो गया।
- ऋण-GDP अनुपात के रूप में कुल बकाया ऋण मार्च 2018 के अंत में 24% था और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मार्च 2019 के अंत में यह बढ़कर 24.3% हो जाएगा।
- हालाँकि, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि राज्यों के पास आने वाले वर्षों में अपना ऋण कम करने के लिये कुछ राजकोषीय ताकत है, जो कि बड़े नकदी अधिशेष के कारण है।

एन. के. सिंह समिति की प्रमुख सिफारिशें

- समिति ने सरकार के ऋण के लिये GDP के 60 फीसदी की सीमा तय की है यानी केंद्र सरकार का कर्ज़ GDP का 40 फीसदी और राज्य सरकारों का सामूहिक कर्ज़ 20 फीसदी होगा।
- समिति ने मौजूदा FRBM कानून 2003 और FRBM नियम, 2004 को खत्म कर इसकी जगह नया कर्ज़ और राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाने की सिफारिश भी की है। साथ ही राजकोषीय घाटे का सालाना लक्ष्य तय करने के लिये तीन सदस्यीय राजकोषीय परिषद बनाने का सुझाव भी समिति ने दिया है।
- समिति ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा होने, युद्ध की स्थिति आने, राष्ट्रीय स्तर की कोई आपदा या फिर खेती बर्बाद होने जिसका कृषि उत्पादन पर गंभीर असर पड़े, इन परिस्थितियों में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में फेरबदल किया जा सकता है।
- समिति ने यह भी कहा है कि ढाँचागत सुधार वाले प्रयासों (जिनमें कि राजकोषीय प्रभावों का पहले से आकलन नहीं किया जा सकता) के क्रियान्यवयन में राजकोषीय लक्ष्य अनुपालन के रास्ते से हटा जा सकता है। अर्थात राजकोषीय लक्ष्य, विकास के आड़े नहीं आने चाहियें।
- समिति ने राजस्व घाटे में भी साल दर साल 0.25 प्रतिशत की कटौती करने को कहा है। समिति ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में राजस्व घाटा 2.05 प्रतिशत होना चाहिये, वहीं अगले वित्त वर्ष में इसे घटाकर 1.8 प्रतिशत तथा वित्त वर्ष 2019-20 में कम करके 1.55 प्रतिशत के स्तर पर लाना चाहिये। समिति का कहना है कि वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा कम करके 0.8 प्रतिशत के स्तर पर लाना चाहिये।

क्या है FRBM ?

- उल्लेखनीय है कि देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिये तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नज़र रखने के लिये राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (FRBM) कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया था तथा जुलाई 2004 में इसे प्रभाव में लाया गया था।
- यह सार्वजनिक कोषों तथा अन्य प्रमुख आर्थिक कारकों पर नज़र रखते हुए बजट प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। FRBM के माध्यम से देश के राजकोषीय घाटों को नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई थी, जिसमें वर्ष 1997-98 के बाद भारी वृद्धि हुई थी।
- केंद्र सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून की नए सिरे से समीक्षा करने और इसकी कार्यकुशलता का पता लगाने के लिये एन. के. सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था।

नोट :

डेटा पॉइंट: डॉलर के मुकाबले रुपए में हालिया सुधार

संदर्भ

वर्ष 2018 में भारतीय रुपए में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। जनवरी-अक्तूबर के दौरान रुपए में 15% की गिरावट (जनवरी 2018 में मासिक औसत 63.6 रुपए प्रति डॉलर से अक्तूबर में 73.5 रुपए प्रति डॉलर तक) दर्ज़ की गई थी। हालाँकि हाल ही में अक्तूबर 2018 से जनवरी 2019 के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में काफी सुधार दर्ज़ किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल अक्तूबर में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई थी।

प्रमुख बिंदु

- रुपए की कीमत में आने वाला यह उतार-चढ़ाव विभिन्न वैश्विक और घरेलू कारणों की वज़ह से होता है। मसलन, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, अनियमित व्यापार संतुलन, डॉलर की मज़बूती और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investments-FPI) का निरंतर बहिर्वाह। इसके अलावा, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी तथा इसके परिणामस्वरूप FPI का भारतीय मुद्रा पर अधिक भार होना।
- अक्तूबर 2018-जनवरी 2019 के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में दर्ज़ किया गया सुधार नीचे दिये गए ग्राफ में प्रदर्शित है।
- 2018 के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में दर्ज़ किया गया उतार-चढ़ाव नीचे दिये गए ग्राफ में प्रदर्शित है।

हालिया सुधार के पीछे कारक

- भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के अनुसार, भारत की औसत कच्चे तेल आयात पर निर्भरता 2018 में कुल कच्चे तेल की खपत का 82.8% थी, जबकि यही आँकड़ा 2017 में 81.7% था।
- ईरान से भौगोलिक निकटता के कारण भारत कच्चे तेल हेतु इस पर बहुत अधिक निर्भर है। इस निकटता के कारण भारत के लिये कम शिपिंग लागत और लंबी अवधि की क्रेडिट जैसी अनुकूल वित्तीय स्थितियाँ उपलब्ध हैं।
- अमेरिका द्वारा ईरान पर लगे प्रतिबंधों को भारत के लिये हटाए जाने के बाद भारत ने बड़ी मात्रा में तेल का आयात किया। इसके साथ ही तेल की वैश्विक कीमत गिरने से भी भारत को काफी फायदा हुआ जिसकी वज़ह से रुपए पर अनुकूल प्रभाव पड़ा।
- व्यापार घाटे में कमी, FPI का अंतर्वाह जैसे कारकों ने भी रुपए को मज़बूती प्रदान की।
- रुपए की मज़बूती का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक अमेरिकी शटडाउन का प्रभाव भी है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं को अमेरिकी सरकार के 35- दिवसीय शटडाउन का कम किंतु सकारात्मक लाभ मिला।

राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) ने 1100 करोड़ रुपए की लागत से महत्त्वकांक्षी राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (National Agricultural Higher Education Project-NAHEP) की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ ही देश में उच्चतर कृषि शिक्षा को मज़बूत करना है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (NAHEP) को विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50:50 की साझा लागत के आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा। इसके अलावा कृषि, बागवानी, मछली पालन और वानिकी में चार वर्षीय डिग्री को व्यावसायिक डिग्री घोषित किया गया है।

नोट :

- कृषि शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिये पाँचवी डीन समिति की सिफारिशों को सभी कृषि विश्वविद्यालयों में लागू करा दिया गया है। इसके तहत कृषि डिग्री के पाठ्यक्रमों को संशोधित कर उसमें जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो इन्फ़ॉर्मेटिक्स, दूरसंवेदी, जैविक खेती, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है।
- इसमें अनुभवजन्य शिक्षा, कौशल और उद्यमशीलता विकास पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही बी.एस.सी. (समुदाय विज्ञान), बी. एस.सी. (खाद्य पोषण और आहार विद्या) तथा बी.एस.सी. (रेशम उत्पादन) जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है।
- कृषि व्यापार में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये 'स्टूडेंट रेडी' नामक ग्रामीण उद्यमशीलता जागरूकता विकास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत परास्नातक छात्रों को कृषि और उद्यमशीलता के लिये व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है।
- कृषि के क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक समझौता-दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किये गए हैं। इसके तहत देश के कृषि विज्ञान केंद्रों पर नियमित रूप से कौशल विकास प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि एवं संबंधित विषयों पर आधारित हैं।

पाँचवीं डीन समिति

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉ. राम बदन सिंह की अध्यक्षता में पाँचवीं डीन समिति का गठन किया था।
- पाँचवीं डीन समिति का उद्देश्य कृषि स्नातक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम का पुनर्निर्धारण करना था।

द फ्यूचर ऑफ़ रेल' रिपोर्ट

30 जनवरी, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency-IEA) की 'द फ्यूचर ऑफ रेल' (The Future of Rail) रिपोर्ट जारी की गई।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 'द फ्यूचर ऑफ रेल' में एक बुनियादी परिदृश्य (Base Scenario) शामिल है जो घोषित नीतियों, विनियमों और परियोजनाओं के आधार पर वर्ष 2050 तक रेलवे क्षेत्र में होने वाले संभावित विकास को दर्शाता है।
- इसमें एक उच्च रेल परिदृश्य (High Rail Scenario) को भी शामिल किया गया है जो रेल परिवहन की ओर यात्रियों तथा वस्तुओं के स्थानांतरण के कारण होने वाले ऊर्जा और पर्यावरणीय लाभों को प्रदर्शित करता है।
- बुनियादी रेल परिदृश्य की तुलना में उच्च रेल परिदृश्य के लिये लगभग 60% अधिक निवेश किये जाने की आवश्यकता है। इसके चलते वर्ष 2030 के अंत तक परिवहन के कारण होने वाले वैश्विक CO_2 उत्सर्जन में कमी आएगी, वायु प्रदूषण कम होगा और तेल की मांग में भी कमी आएगी।
- 'द फ्यूचर ऑफ रेल' IEA श्रृंखला में नवीनतम रिपोर्ट है जो ऊर्जा प्रणाली में ऐसे मुद्दे पर प्रकाश डालती है जिस पर नीति-निर्माताओं को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में भारत पर किया गया है मुख्य फोकस

- रिपोर्ट में भारत पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। क्योंकि यहाँ रेल परिवहन का प्राथमिक साधन बना हुआ है, यह शहरों और विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है और यात्रियों को सस्ते आवागमन की गारंटी देता है जो लंबे समय से भारत सरकार की प्राथमिकता रही है।
- हालाँकि वर्ष 2000 के बाद से भारत में रेल से यात्रा करने वालों की संख्या में लगभग 200% की वृद्धि हुई है, फिर भी भविष्य में इस संख्या में और अधिक वृद्धि होने की संभावनाएँ बनी हुई हैं।
- भारत की पहली हाई-स्पीड रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मेट्रो लाइनों की कुल लंबाई अगले कुछ वर्षों में तिगुनी से अधिक होने की संभावना है और वर्ष 2020 तक दो समर्पित फ्रेट (Freight) कॉरीडोर का संचालन शुरू होने की भी संभावना है।

नोट :

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- रेल, माल (Freight) और यात्रियों के परिवहन हेतु सबसे अधिक ऊर्जा कुशल (Energy Efficient) माध्यमों में से एक है। जहाँ एक तरफ यह क्षेत्र दुनिया के यात्रियों का 8% और वैश्विक माल परिवहन का 7% वहन करता है वहीं, कुल परिवहन ऊर्जा मांग में इसकी हिस्सेदारी केवल 2% है।
- वर्तमान में तीन-चौथाई यात्री रेल परिवहन की गतिविधियाँ इलेक्ट्रिक ट्रेनों के माध्यम से होती है, जिसमें वर्ष 2000 से अब तक 60% की वृद्धि हुई है। रेल, परिवहन का एकमात्र साधन है जो वर्तमान में व्यापक रूप से विद्युतीकृत है। बिजली पर निर्भरता का मतलब है कि रेल क्षेत्र परिवहन का सबसे अधिक ऊर्जा विविधता वाला साधन है।
- इलेक्ट्रिक ट्रेन की अधिकतम गतिविधि वाले क्षेत्र यूरोप, जापान और रूस हैं, जबकि उत्तर और दक्षिण अमेरिका अभी भी डीज़ल पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
- लगभग सभी क्षेत्रों में यात्री रेल, माल ढुलाई रेल की तुलना में अधिक विद्युतीकृत हैं।

आगे की राह

- विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती आय और आबादी के कारण तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। ये देश अधिक कुशल, तेज़ तथा स्वच्छ परिवहन की मज़बूत मांग का नेतृत्व करने के लिये तैयार तो हैं, लेकिन गति और सुगमता की आवश्यकता के चलते कार स्वामित्व और हवाई यात्रा के पक्ष में भी हैं।
- भारत सहित सभी देशों में रेल क्षेत्र के भविष्य का निर्धारण इस बात से होगा कि ये परिवहन की बढ़ती मांग और प्रतिस्पर्द्धी परिवहन साधनों के बढ़ते दबाव दोनों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) एक स्वायत्त संगठन है, जो अपने 30 सदस्य देशों, 8 सहयोगी देशों और अन्य दूसरों के लिये विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु काम करती है।
- इसकी स्थापना (1974 में) 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी जब ओपेक कार्टेल ने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ दुनिया को चौंका दिया था।
- भारत 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सहयोगी सदस्य बना।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूनेस्को से अलग हुए अमेरिका और इजराइल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल आधिकारिक तौर पर यूएन (UN) के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को (UNESCO) से बाहर निकल गए। ट्रंप प्रशासन ने अक्तूबर 2017 में यूनेस्को पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए इससे बाहर निकलने की घोषणा की थी, जिसके कुछ दिन बाद ही इज़राइली प्रधानमंत्री बेंज़ामिन नेतान्याहू ने भी इज़राइल के यूनेस्को से बाहर होने का निर्णय लिया था।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिये UN द्वारा स्थापित इस संस्था में अमेरिका भी सहयोगी देश था।
- अमेरिका इससे पहले भी 1984 में यूनेस्को से बाहर निकल गया था लेकिन 2003 में पुन: इसमें शामिल हो गया।
- यूनेस्को द्वारा फिलिस्तीन को स्थायी सदस्यता देने के विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुन: इससे बाहर निकलने का निर्णय लिया।
- यूनेस्को द्वारा 2011 में फिलिस्तीन को UN की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी।
- यूनेस्को ने यहूदियों की धरोहर पर फिलिस्तीन के अधिकार को भी पुष्ट किया जिससे दोनों देश यूनेस्को से नाराज थे।
- दोनों देशों द्वारा 2011 से ही यूनेस्को की फंडिंग रोक दी गई थी, स्पष्ट है कि, इस निर्णय से इस संस्था पर कोई खास असर नही पड़ेगा।
- अमेरिका ने यूनेस्को पर बढ़ते आर्थिक दबाव के संबंध में चिंता व्यक्त की थी और इसमें मूलभूत बदलाव के लिये प्रस्ताव भी दिया था।

यूनेस्को

- यूनेस्को (UNESCO) 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)' का संक्षिप्त रूप है। यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है।
- मुख्यालय-पेरिस (फ्राँस)
- गठन - 16 नवंबर, 1945
- कार्य - शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना।
- उद्देश्य - इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए।

रायसीना डायलॉग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'रायसीना डायलॉग' के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। गौरतलब है कि 'रायसीना डायलॉग 2019' विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (Observer Research Foundation -ORF) के तत्त्वावधान में आयोजित किया गया था जिसमें दुनिया के तमाम देशों से सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- नार्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोल्बर्ग के उद्घाटन भाषण से इस सम्मेलन का शुभारंभ हुआ।
- रायसीना डायलॉग के 2019 संस्करण की थीम है 'ए वर्ल्ड रिऑर्डर: न्यू जियोमेट्री, फ्लुइड पार्टनरशिप एंड अनसर्टेन आउटकम्स'।
- इस सम्मेलन में अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार के मुद्दे से लेकर हिंद-प्रशांत महासागर में बदलते माहौल और यूरोपीय संघ में चल रही उथल-पुथल तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई।

नोट :

- इस दो दिवसीय सम्मेलन में सोशल मीडिया की भूमिका और पर्यावरण व विकास के बीच सामंजस्य बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। साथ ही सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

उद्देश्य

- रायसीना डायलॉग का मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण के साथ-साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है।
- रायसीना वार्ता एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिये नीतिगत, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज के वैश्विक नेताओं को प्रति वर्ष रायसीना डायलॉग में आमंत्रित किया जाता है।

रायसीना डायलॉग से भारत को लाभ

- भारत के पुराने सहयोगियों, जैसे-अमेरिका और रूस को छोड़कर यूरोपीय संघ व दक्षिण अमेरिकी देशों ने जिस तरह से रायसीना डायलॉग में भाग लिया वह इस बात का संकेत है कि भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक पहुँच बढ़ाई है बल्कि कई देशों की नज़र में भारत आगे आकर वैश्विक भूमिका निभाने में सक्षम है।
- रायसीना डायलॉग सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न सवालों और मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

इसका नाम रायसीना डायलॉग क्यों है ?

- भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी (साउथ ब्लॉक), नई दिल्ली में स्थित है, इसी के नाम पर इसे रायसीना डायलॉग के रूप में जाना जाता है।

रायसीना डायलॉग क्या है ?

- यह भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ओआरएफ (Observer Research Foundation -ORF) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- यह एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टरल बैठक है जिसमें नीति-निर्माताओं एवं निर्णयकर्त्ताओं, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेताओं, पत्रकारों, उच्चाधिकारियों तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है जो कि एक मंच पर अपने विचार साझा करते हैं।
- इसके अंतर्गत न केवल विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों को शामिल किया गया है, बल्कि उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों, नीति-निर्माताओं, व्यापार और उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों तथा मीडिया एवं अकादमिक सदस्यों को भी शामिल किया जाता है।
- ORF (Observer Research Foundation) नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय महासागरीय क्षेत्र में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर आधारित सम्मेलन है।

रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया' (Macedonia) के सांसदों ने अपने देश का नाम बदलकर 'रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया' करने के लिये मतदान किया। मेसेडोनिया के 120 में से 81 सांसदों ने नाम परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया जिससे नाम बदलने हेतु आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल हो गया।

प्रमुख बिंदु

- इस कदम से यूरोप के दो देशों ग्रीस और 'रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया' के बीच लगभग तीन दशकों से जारी विवाद का अंत हो सकता है।
- दोनों देशों के बीच यह विवाद 'रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया' के नाम को लेकर था। 'रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया' की सीमा से लगने वाले ग्रीस के क्षेत्र ('रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया' के दक्षिण में स्थित ग्रीस के कुछ हिस्से) को भी मेसेडोनिया ही कहा जाता है।

नोट :

- सिकंदर महान ग्रीस के मेसेडोनिया क्षेत्र का रहने वाला था। इसी वजह से ग्रीस के नागरिक इस नाम को लेकर नाराज़ थे और नाटो तथा यूरोपीय संघ में 'रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया' की सदस्यता को रोक रहे थे।
- इसी विवाद को सुलझाने हेतु पिछले साल जून में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत 'रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया' को अपना नाम बदलना था। फलस्वरूप नाटो तथा यूरोपीय संघ में 'रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया' की सदस्यता को ग्रीस द्वारा समर्थन मिलना था।
- दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि 'रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया' को अब 'रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया' के नाम से जाना जाएगा और मेसोडोनियन भाषा में इसे 'सेवेर्ना मकदूनिया' कहा जाएगा।
- समझौते में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उत्तरी मेसेडोनिया को पुरानी ग्रीक सभ्यता से संबंधित नहीं माना जाएगा।
- नए नाम की आधिकारिक घोषणा से पहले मेसेडोनिया की जनता और ग्रीस की संसद की मंज़ूरी मिलनी आवश्यक है जिसके मद्देनज़र यह मतदान किया गया।
- यदि तय समझौते के तहत ग्रीस द्वारा भी इस नाम को मंज़ूरी दे दी जाती है तो इस छोटे से गणराज्य, 'रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया' के लिये नाटो और यूरोपीय संघ में प्रवेश करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

'रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया' का इतिहास

- इसे रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया, रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया या मकदूनिया भी कहा जाता है।
- वर्ष 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर नया देश 'रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया' बना था।
- 1991 में रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया पूर्व यूगोस्लाविया से अलग हो गया और स्वतंत्रता की घोषणा की।
- लगभग 25,000 वर्ग किमी. से थोड़े अधिक क्षेत्रफल वाले इस देश की आबादी लगभग 20 लाख है।

भारत का मध्य-एशिया के साथ बेहतर उड़ान संपर्क का प्रयास

चर्चा में क्यों ?

भारत ने हाल ही में मध्य एशिया के देशों के साथ एयर कॉरिडोर पर बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। इसे वर्षों से 2 अरब डॉलर से नीचे रहे व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वित्तीय ज़िम्मेदारी के सिद्धांतों का पालन करने के लिये कनेक्टिविटी पहल की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

पहला भारत-मध्य एशिया संवाद

- उज़्बेकिस्तान में पहली भारत-मध्य एशिया वार्ता (First India-Central Asia Dialogue) में एक भाषण में स्वराज ने मध्य एशिया के देशों को चाबहार बंदरगाह परियोजना में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया। इसे संयुक्त रूप से भारत और ईरान द्वारा अफगानिस्तान में भारतीय वस्तुओं को उतारने और उन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजने के लिये विकसित किया गया है।
- विदेश मंत्री स्वराज कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और युद्ध से तबाह अफगानिस्तान को स्थायित्व प्रदान करने के तरीकों सहित कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिये दो दिवसीय यात्रा पर उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुँचीं।
- स्वराज ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में किये गए सभी पाँच मध्य एशियाई देशों- कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दौरों का उल्लेख किया।
- विकास साझेदारी भारत के अन्य देशों के साथ जुड़ाव का एक महत्त्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है।
- उन्होंने इस साझेदारी को मध्य एशिया में भी विस्तारित करने की पेशकश की है, जहाँ हम देशों को अपनी परियोजनाओं तथा क्रेडिट्स एंड बायर्स क्रेडिट के तहत तथा अपनी विशेषज्ञता साझा कर करीब ला सकते हैं।

मध्य एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ संबंध

- भारत 1990 के दशक से मध्य-एशियाई गणराज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब तक के प्रयासों के बेहतर परिणाम नहीं निकले पाए हैं।

नोट :

- भारत का सभी पाँच देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2 बिलियन डॉलर से कम है। भारत ने इसके लिये मध्य एशिया को भू-आबद्ध (land-locked) क्षेत्र के रूप में होने को ज़िम्मेदार माना है और वाणिज्य में सुधार के लिये चाबहार पोर्ट के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग खोजने की कोशिश की है।
- हालाँकि भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान और मध्य एशिया भू-आबद्ध क्षेत्र हैं, इसके बावजूद ऐसे कई तरीके हैं जिनसे भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देश इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये काम कर सकते हैं ताकि देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में आदान-प्रदान सुनिश्चित हो सके।
- इस संदर्भ में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के संयुक्त प्रयासों से ईरान में चाबहार पोर्ट के विकास ने एक व्यवहार्य और परिचालन व्यापार मार्ग के रूप में अफगानिस्तान और मध्य एशिया में व्यापार हेतु एक नई उम्मीद जगाई है।

चाबहार एक मज़बूत उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किसी भी बाधा को दूर करने के लिये मज़बूत साझेदारी की अहमियत क्या हो सकती है।

एयर कॉरिडोर पर वार्ता

- मध्य एशिया के साथ घनिष्ठ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिये भारत और मध्य एशिया के नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों, हवाई माल ढुलाई और विमानन कंपनियों की भागीदारी के साथ भारत 'एयर कॉरिडोर पर एक संवाद' आयोजित करने का इच्छुक है ताकि, वस्तुओं (जिसमें जल्द खराब होने वाली वस्तुएँ भी शामिल हैं) का कुशलता और तेज़ी से आदान-प्रदान किया जा सके।
- भारत ने पहले से ही भारत और कई अफगान शहरों के बीच माल के परिवहन के लिये हवाई गलियारे खोले हैं।
- पिछले साल अश्गाबाद समझौते में शामिल होकर भारत ने 'क्षेत्र में कनेक्टिविटी के कई विकल्पों' का समर्थन किया है। अश्गाबाद समझौते का उद्देश्य ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना करना है।
- स्वराज ने 'सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, सुशासन, कानून का शासन, खुलापन, पारदर्शिता और समानता' के आधार पर कनेक्टिविटी पहल की आवश्यकता को रेखांकित किया।

भारत-अमेरिका समझौतों की प्रगति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी 2+2 वार्ता (mini 2+2) का आयोजन किया गया जिसमें दोनों देशों के बीच समग्र रक्षा सहयोग का जायजा लेने के अलावा 2+2 वार्ता के दौरान हुए दो प्रमुख समझौतों को अंतिम रूप देने के लिये इनकी प्रगति की समीक्षा की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक के दौरान जिन समझौतों को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई उनमें औद्योगिक सुरक्षा अनुलग्नक (Industrial Security Annex-ISA) और भू-स्थानिक सहयोग के लिये बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौता (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-spatial Cooperation-BECA) शामिल हैं।
- भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षर के लिये निर्धारित BECA समझौते का मसौदा अमेरिका पहले ही भारत के साथ साझा कर चुका है।
- इस बैठक का उद्देश्य 2+2 वार्ता का पालन करना और आधिकारिक स्तर के संवाद को आगे भी जारी रखना था।
- बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, विशेष रूप से अधिक-से-अधिक समुद्री क्षेत्र में जागरूकता (Maritime Domain Awareness (MDA) एमडीए) और इस साल के अंत में निर्धारित पहली त्रि-सेवा अभ्यास (tri-service exercise) की भी समीक्षा की गई।

भारत के लिये ISA का महत्त्व

- यह समझौता अमेरिकी सरकार और अमेरिकी कंपनियों को भारतीय निजी क्षेत्र के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, जो अब तक भारत सरकार और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों तक सीमित है।
- ISA का मसौदा वर्तमान में वाशिंगटन में आधिकारिक प्रक्रिया से गुज़र रहा है।
- भारतीय उद्योग रक्षा विनिर्माण में अधिक भूमिका पाने की तलाश में हैं इसलिये ISA भारत के लिये विशेष रूप से आवश्यक है।

नोट :

क्या है 2+2 वार्ता ?

- यदि दो देशों के बीच एक साथ दो-दो मंत्रिस्तरीय वार्ताएँ आयोजित की जाएँ तो इसे 2+2 वार्ता का नाम दिया जाता है।
- औपचारिक रूप से दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता की शुरुआत सितंबर 2018 में हुई थी। इस दौरान तीसरे आधारभूत समझौते 'संचार संगतता और सुरक्षा समझौता', (Communications Compatibility and Security Agreement) पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- इस मॉडल के तहत भारत और जापान तथा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी वार्ताएँ हुई हैं।

भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय समझौते

- COMCASA: संगतता और सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement -COMCASA) एन्क्रिप्टेड संचार प्रणाली के हस्तांतरण को सरल बनाता है और उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरणों को साझा करने हेतु यह समझौता अमेरिका की प्रमुख आवश्यकता है।
- BECA: मूल विनिमय और सहयोग समझौता (Basic Exchange and Cooperation Agreement) भू-स्थानिक जानकारी के विनिमय को आसान बनाता है।
- LEMOA: लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) पर भारत ने वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किये थे। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं की एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुँच को आसान बनाता है लेकिन यह इसे स्वचालित या अनिवार्य नहीं बनाता है।
- GSOMIA: सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (General Security Of Military Information Agreement) पर भारत ने वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये थे. यह सेनाओं को उनके द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी को साझा करने की अनुमति देता है।

यूएई खाद्य की मांग को पूरा करने हेतु फसल उगाएगा भारत

चर्चा में क्यों ?

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) खाद्य सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 'कृषि-से-बंदरगाह' (farm-to-port) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की भारत यात्रा के दौरान जारी एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि खाद्य सुरक्षा दोनों पक्षों के लिये उच्च प्राथमिकता क्षेत्र है।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने घोषणा की कि UAE और सऊदी अरब ने अपनी खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये भारत को एक आधार के रूप में उपयोग करने का फैसला किया है।
- पहली बार भारत की निर्यात नीति के अंतर्गत बागवानी, डेयरी, वृक्षारोपण और मत्स्य पालन के साथ-साथ कृषि क्षमता की पहचान की गई है।

फार्म-टू-पोर्ट प्रोजेक्ट

- फ़ार्म-टू-पोर्ट प्रोजेक्ट एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के समान होगा। इसके तहत UAE बाज़ार को ध्यान में रखते हुए एक सामूहिक एवं संगठित कृषि की शैली में विशिष्ट फसलों को उगाया जाएगा।
- इस अवधारणा को दोनों देशों की सरकारों ने स्वीकार किया है।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना दोनों देशों के लिये उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है, जिसमें 2015 से सुधार जारी है।
- इसके अतिरिक्त UAE में खाद्य सुरक्षा पार्कों की स्थापना संबंधी एक प्रस्ताव भी पेश किया गया है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य प्रसंस्करण हेतु बुनियादी ढाँचे का विकास, एकीकृत कोल्ड चेन का निर्माण, मूल्य संवर्द्धन, संरक्षण प्रौद्योगिकी, खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन आदि शामिल है।

नोट :

लाभ

- निर्यात नीति से महाराष्ट्र के नासिक में अंगूर, रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग में आम, नागपुर में संतरे तथा लासलगाँव में प्याज का निर्यात होने से वहाँ के किसानों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा।
- इससे दोनों देशों के मध्य संबंधों में मज़बूती आएगी। साथ ही निर्यात में वृद्धि होने से किसानों के साथ-साथ देश की आर्थिक संवृद्धि में भी इज़ाफा होगा।

भारत में निवेश के संदर्भ में वैश्विक रूझान

- पिछले कुछ समय से अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और कोरिया आदि कई देशों ने भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश करने में अपनी रुचि दिखाई है।
- जहाँ एक ओर विश्व की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ भारत में निवेश करना चाहती हैं, वहीँ दूसरी ओर भारत मध्य अफ्रीकी राष्ट्र अंगोला में निवेश की योजना बना रहा है।
- जैसा कि हम जानते हैं कि अंगोला खनिज भंडार में समृद्ध है। ऐसे में अंगोला में अपनी स्थिति को मज़बूत आधार प्रदान करने के लिये भारत एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिये यहाँ निवेश की योजना बना रहा है। ऐसे में यह पहल देश के आर्थिक विकास में सहायक होगा।
- भारत निर्यात के लिये तैयार है। खाड़ी क्षेत्र से बड़ी खरीदारी संभव है। UAE जैविक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश करना चाहता है। यहाँ किसानों को उत्पादन लागत का 150% न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में पहले से ही मिल रहा है। यदि कोई किसान निर्यात करता है तो वह बहुत अधिक लाभ प्राप्त करेगा।

सार्क के सदस्य देशों के लिये मुद्रा विनिमय प्रबंध के प्रारूप' में संशोधन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'सार्क के सदस्य देशों के लिये मुद्रा विनिमय प्रबंध के प्रारूप' ('Framework on Currency Swap Arrangement for SAARC Member Countries) में संशोधन को कार्योत्तर मंज़ूरी दे दी है।

- यह मंज़ूरी अनुरोधकर्त्ता सार्क (SAARC) सदस्य देशों की परिस्थितियों और भारत की घरेलू ज़रूरतों पर उपयुक्त रूप से ध्यान देने के पश्चात् दी गई है।
- इसका उद्देश्य दो बिलियन डॉलर की सुविधा के तहत परिचालित 400 मिलियन डॉलर तक की राशि के 'अतिरिक्त विनिमय' (Standby Swap') को समाहित करना तथा विनिमय की अवधि, रोल ओवर आदि जैसे परिचालन के तौर-तरीकों के संबंध में लचीलापन लाना है।

स्वीकृत प्रारूप से क्या लाभ होंगे ?

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक वित्तीय जोखिम और अस्थिरता के कारण सार्क सदस्य देशों की अल्पावधि विनिमय आवश्यकताएँ पूर्व सहमतियों से अधिक हो सकती हैं।
- स्वीकृत सार्क प्रारूप के अंतर्गत 'अतिरिक्त विनिमय' को समाहित किये जाने से प्रारूप में आवश्यक लचीलापन आएगा तथा भारत, सार्क विनिमय प्रारूप (SAARC Swap Framework) के अंतर्गत निर्धारित मौजूदा सीमा से अधिक राशि की विनिमय सुविधा प्राप्त करने संबंधी सार्क सदस्य देशों के वर्तमान अनुरोध पर तत्काल प्रत्युत्तर देने में समर्थ हो सकेगा।

सार्क सदस्य देशों के लिये मुद्रा विनिमय समझौते से संबंधित प्रारूप

- मंत्रिमंडल ने सार्क सदस्य देशों के लिये मुद्रा विनिमय समझौते से संबंधित प्रारूप (Framework on Currency Swap Arrangement for SAARC Member Countries) को विदेशी मुद्रा की अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने या दीर्घकालिक व्यवस्था होने तक अथवा अल्पकाल में ही मसले का समाधान होने तक भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के उद्देश्य से 01 मार्च, 2012 को मंज़ूरी दी थी।
- इस सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) प्रत्येक सार्क सदस्य देश को उसकी दो महीने की आयात आवश्यकताओं के आधार पर और कुल मिलाकर दो बिलियन डॉलर से कम राशि के डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए में विभिन्न आकार में विनिमय की पेशकश करता है।

नोट :

- उपरोक्त सुविधा के तहत प्रत्येक देश के लिये न्यूनतम 100 मिलियन डॉलर और अधिकतम 400 मिलियन डॉलर की विनिमय राशि निर्धारित की गई है।
- प्रत्येक आहरण तीन महीने की अवधि का और अधिकतम दो रोल-ओवर (Rollovers) तक का होगा।
- RBI अतिरिक्त विनिमय (Standby Swap) की सुविधा प्राप्त कर रहे सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों (Central Banks) के साथ द्विपक्षीय परिचालन के विवरण के बारे में विचार-विमर्श करेगा।

मुद्रा विनिमय समझौता क्या है ?

- मुद्रा विनिमय समझौता दो देशों के बीच ऐसा समझौता है जो संबंधित देशों को अपनी मुद्रा में व्यापार करने और आयात-निर्यात के लिये अमेरिकी डॉलर जैसी किसी तीसरी मुद्रा को बीच में लाए बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर भुगतान करने की अनुमति देता है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC)

- सार्क (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है।
- इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। 2007 से पहले सार्क के सात सदस्य थे, अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया था।
- सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू (नेपाल) में है। सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में दिसंबर 1985 में हुआ था।
- प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिये देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है।

फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट: ILO

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कामकाज के भविष्य पर वैश्विक आयोग (Global Commission On The Future of Work) ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कामकाज की दुनिया (World of Work) में आए अभूतपूर्व परिवर्तनों के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिये दुनिया भर की सरकारों से उचित कदम उठाने का आह्वान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- कामकाज के भविष्य पर वैश्विक आयोग (Global Commission On The Future of Work) द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट का शीर्षक 'एक बेहतर भविष्य के लिये कामकाज' (Work for a Brighter Future) है।

कामकाज के भविष्य पर वैश्विक आयोग ने 15 महीने की मेहनत के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया है जिसमें व्यापार, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के 27 प्रतिनिधि शामिल थे।

- अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में नई खोज़ों और तकनीकों के इस्तेमाल से रोज़गार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं लेकिन निर्णायक प्रयासों और नीतियों में बदलाव के ज़रिये अगर उन्हें नहीं संवारा गया तो फिर कार्यस्थलों पर असमानताएँ और अनिश्चितताएँ और गहरा जाएंगी।
- श्रम संगठन की स्थापना 1919 में पहले विश्वयुद्ध के बाद हुई थी और 2019 में उसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है।
- कामकाज के भविष्य पर श्रम संगठन द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, कामकाजी जीवन को बेहतर बनाने, विकल्पों का दायरा बढ़ाने, लैंगिक खाई को पाटने और वैश्विक असमानता से हुए नुकसान की भरपाई के अनगिनत अवसर हमारे सामने हैं।
- लेकिन इन सभी अवसरों को भुनाने के लिये हमें उचित कदम उठाने होंगे। निर्णायक और उचित प्रयासों के बगैर हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे होंगे जहाँ पहले से ही कायम असमानताएँ तथा अनिश्चितताएँ और अधिक बढ़ जाएंगी।

नोट :

- आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में नई तकनीक, जनसांख्यिकी और जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए बेहतरी की ओर कदम बढ़ाने हेतु विश्वव्यापी और सामूहिक मौजूद करने की अपील की गई है। इसके तहत नीतिगत बदलावों को महत्त्वपूर्ण बताया गया है।
- रिपोर्ट बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, स्वचालित यंत्रों और रोबोटिक्स का प्रभाव नौकरियो पर ज़रूर पड़ेगा। इन क्षेत्रों में नई नौकरियाँ भी पैदा होंगी लेकिन ऐसे अवसरों को पाने के लिये अपने कौशल को भी लगातार निखारना पड़ेगा और सीखने की प्रक्रिया में पीछे रह गए लोग इनका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
- तकनीकी आधुनिकीकरण और हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण की कोशिशों से नई नौकरियों के सृजन की भी संभावना दिखती है।
- कुछ प्रमुख सिफारिशें
- एक सार्वभौमिक श्रम गारंटी जो श्रमिकों के मौलिक अधिकारों, जैसे- पर्याप्त मज़दूरी, काम के घंटे की तय सीमा और सुरक्षित तथा स्वस्थ कार्यस्थल की सुरक्षा प्रदान करती हो।
- जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी जो जीवन-चक्र में लोगों की ज़रूरतों में सहायक साबित हो सके।

मानवीय पहलुओं पर आधारित एजेंडा

- दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफन लोवेन की सहअध्यक्षता में वैश्विक आयोग ने मानवीय पहलुओं पर आधारित एजेंडा पर काम किया जिसमें लोगों, संस्थानों और टिकाऊ रोज़गार में निवेश करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
- इस रिपोर्ट से दुनिया में कामकाज के तरीको में आ चुके बदलाव और भविष्य में आने वाले बदलावों को समझने में मदद मिलेगी।
- इस रिपोर्ट से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर साझेदारी और आपसी मेलजोल का रास्ता खुलना चाहिये ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज में समानता, न्याय तथा समावेशिता कायम करना सुनिश्चित किया जा सके।

कामकाज के भविष्य पर वैश्विक आयोग (Global Commission On The Future of Work)

- कामकाज के भविष्य पर ILO द्वारा वैश्विक आयोग का गठन ILO की पहल के दूसरे चरण को चिह्नित करता है।
- इसका कार्य कामकाज के भविष्य की गहराई से जाँच करना है जो 21वीं सदी में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु विश्लेषणात्मक आधार प्रदान कर सके।
- आयोग के उद्देश्यों में कामकाज की दुनिया में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना तथा भविष्य में इनसे निपटने के तरीकों के बारे में व्यावहारिक सिफारिशें करना भी शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization - ILO)

- यह 'संयुक्त राष्ट्र' की एक विशिष्ट एजेंसी है, जो श्रम-संबंधी समस्याओं/मामलों, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, सामाजिक संरक्षा तथा सभी के लिये कार्य अवसर जैसे मामलों को देखती है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों से इतर एक त्रिपक्षीय एजेंसी है, अर्थात् इसके पास एक 'त्रिपक्षीय शासी संरचना' (Tripartite Governing Structure) है, जो सरकारों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों का (सामान्यत: 2:1:1 के अनुपात में) इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करती है।
- यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को पंजीकृत तो कर सकती है, किंतु यह सरकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती है।
- इस संगठन की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् 'लीग ऑफ नेशन्स' (League of Nations) की एक एजेंसी के रूप में सन् 1919 में की गई थी। भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य रहा है।
- इस संगठन का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है।
- वर्तमान में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं, जिनमें से 186 देश संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से हैं तथा एक अन्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित 'कुक्स द्वीप' (Cook's Island) है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1969 में इसे प्रतिष्ठित 'नोबेल शांति पुरस्कार' प्रदान किया गया था।

नोट :

विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दावोस में पाँच दिवसीय विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2019 आयोजित की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और अमेरिका-चीन व्यापार तनाव सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) का सम्मलेन दावोस में आयोजित किया गया। इसमें राजनीति, व्यापार, विज्ञान, समाज और पर्यावरण से संबंधित परिचित एवं नए लोगों एवं विविध विचारों एवं संस्कृतियों का संवेदी समावेश किया गया।
- इस सम्मलेन में सामान्य विषयों को भी शामिल किया गया है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि सबके सहयोग से ही बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकता है।
- इस वर्ष सम्मलेन का विषय ग्लोबलाइज़ेशन 4.0 था जिसमें संस्कृति के महत्त्वपूर्ण आयामों को शामिल किया गया। इसमें वैश्वीकरण (ग्लोबलाइज़ेशन) के वास्तविक अर्थ पर बात की गई, जबकि पहले ग्लोबलाइज़ेशन का अर्थ पश्चिम से पूर्व देशों को किया जाने वाला आयात था। जो आज पूरी तरह बदल चुका है।
- इस सम्मलेन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लगभग 3,000 प्रतिभागी और 115 देशों के नागरिक और सांस्कृतिक समाज के संगठन शामिल हुए।

भारत के संदर्भ में

- WEF भविष्य को नया आयाम देने के अंतर्गत विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के युवाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है।
- इसके अंतर्गत बाज़ार अवसरों पर चर्चा की गई जैसे कि तेजी से बढ़ते बाजारों में भविष्य में होने वाली खपत। इस बार इसका केंद्रबिंदु भारत रहा जिसमें साझेदारी पर महत्त्वपूर्ण ध्यान दिया गया है।
- WEF की भविष्य की खपत प्रणाली की पहल के अंतर्गत एक ऐसे वैश्विक समाज को शामिल करती है जहां लोगों के जीवन में तकनीकी प्रगति समावेशी और दृढ़ता से जुड़ा है, जो लोगों के दैनिक जीवन को सरल बनाता है।
- WEF की इस साल की रिपोर्ट में भारत को युवा राष्ट्र बताते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि भारत 2030 तक अपनी खपत में लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि करेगा क्योंकि तब तक इसकी आबादी और बढ़ जाएगी।
- नीति आयोग के CEO ने भी भारत को नवाचार से जोड़ने के लिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और अधिक सुविधा प्रदान करने पर बल देने की बात कही है।
- कंपनियों, सरकार एवं नागरिक समाज ने आने वाले दशक में भारत को बहुत बड़ा उपभोक्ता और सकारात्मक परिणामों को आगे बढ़ाने के लिये जीवन भर का अवसर बताया है।

वैश्वीकरण 1.0

- यह प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व का चरण था, जिसे भाप और यांत्रिक शक्ति के अन्य रूपों द्वारा व्यापार की लागत में एक ऐतिहासिक गिरावट के साथ शुरू किया गया था। इस दौरान दूरदराज़ से निर्मित वस्तुओं को उपभोग करने के लिये किफायती बनाया गया था।
- इस वैश्वीकरण को कोई सरकारी समर्थन प्राप्त नहीं था।
- इसके लिये कोई वैश्विक शासन नहीं था।

वैश्वीकरण 2.0

- यह द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद का चरण है जहाँ वस्तुओं के व्यापार को पूरक घरेलू नीतियों के साथ जोड़ा गया था।
- इसमें जहाँ बाज़ार पर दक्षता का प्रभाव था वहीं, सरकार पर न्याय का प्रभार था।
- वैश्वीकरण 2.0 के तहत संस्थान आधारित, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक (WB), गैट / डब्ल्यूटीओ और खाद्य एवं कृषि संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसी कई विशिष्ट एजेंसियों की स्थापना की गई।

नोट :

वैश्वीकरण 3.0

- इसे हाइपर ग्लोबलाइज़ेशन भी कहा जाता है। अरविंद सुब्रमण्यन के अनुसार वैश्वीकरण 3.0 के दौरान विनिर्माण की एक नई दुनिया बनाई गई जिसमें उच्च तकनीक को कम मज़दूरी के साथ जोड़ा गया। इसका मतलब था सीमाएँ पार करने वाले कारखाने।

वैश्वीकरण 4.0

- यह वैश्वीकरण का एक नया चरण है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के विस्फोट के साथ आगे बढ़ने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है।
- इसमें दूरियाँ कम हो रही हैं और दायरा बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाया जा रहा है।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum)

- विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिये एक मंच के रूप में काम करना है।
- यह स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
- इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम. श्वाब ने की थी।
- इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तरों पर प्रदान की जानी है और ये स्तर संस्था के काम में उनकी सहभागिता पर निर्भर करते हैं।
- इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है।

दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति का भारत दौरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति महामहिम सिरिल रामाफोसा भारत के दो दिवसीय दौरे पर आए।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को 26 जनवरी, 2019 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ इस दौरे में उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी डॉ. शेपो मोटसेपे, नौ मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, उनकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और 50 सदस्यों वाला व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ।
- राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति रामाफोसा का यह पहला भारत दौरा है। राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बाद वे ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने।

कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति रामाफोसा ने 25 जनवरी, 2019 को भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यापार मंच को संबोधित किया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाना था।
- दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने IBSA मंच (India-South Africa Business Forum) की 15वीं वर्षगाँठ के अवसर पर IBSA की रूपरेखा के तहत भारतीय विश्व कार्यक्रम परिषद (Indian Council of World Affairs) द्वारा आयोजित 'गांधी-मंडेला स्वतंत्रता व्याख्यान' (Gandhi-Mandela Freedom Lecture) को भी संबोधित किया।

भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंध

- राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और नरेंद्र मोदी के बीच हुई वार्ता में कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके तहत रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश संबंधी कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।
- भारत, दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष पाँच व्यापारिक साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 के 9.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 10.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

नोट :

- दोनों देशों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग है। दोनों देश वैश्विक मुद्दों पर समान दृष्टिकोण साझा करते हैं और विभिन्न बहुपक्षीय मंचों UN, BRICS, G-20, कॉमन वेल्थ, IORA और IBSA में सहयोग करते हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच 1997 से ही एक करीबी और बहुमुखी रणनीतिक साझेदारी रही है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों से जुड़ी हुई है।
- हाल के दिनों में कई उच्च स्तरीय दौरों का आदान-प्रदान किया गया है, जिनमें जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिये प्रधानमंत्री का दौरा भी शामिल है।
- लगभग 1.5 मिलियन भारतीय मूल के लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं और वे दोनों देशों के बीच एक चिरस्थायी कड़ी बने हुए हैं। 150 से अधिक भारतीय कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका में निवेश किया है तथा 20,000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया है।

वर्ष 2021 में पीसा (PISA) में भाग लेगा भारत

चर्चा में क्यों ?

भारतीय छात्र पढ़ाई के मामले में दुनिया के अन्य देशों के छात्रों से पीछे नहीं हैं। यही दर्शाने के लिये केंद्र सरकार ने 2021 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (Program for International Student Assessment-PISA) में भाग लेने का फैसला लिया है। इसके लिये भारत सरकार और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (Program for International Student Assessment-PISA) का आयोजन करेगा।
- इस कार्यक्रम में भारत की तरफ से केंद्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan-KVS), नवोदय विद्यालय समिति (Navodaya Vidyalaya Samiti-NVS) द्वारा संचालित विद्यालय तथा केंद्रशासित क्षेत्र चंडीगढ़ के विद्यालय भाग लेंगे।
- PISA के तहत मूल्यांकन के लिये किसी देश (बड़े देशों के मामले में विशिष्ट भौगौलिक क्षेत्र) के 15 साल की आयु के छात्रों को शामिल किया जाता है जो स्कूली शिक्षा के सभी रूपों अर्थात् सार्वजनिक, निजी, निजी-सहायता प्राप्त आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- PISA सामग्री-आधारित मूल्यांकन के विपरीत एक सक्षमता आधारित मूल्यांकन है, जो यह मापता है कि छात्रों ने वे महत्त्वपूर्ण दक्षताएँ हासिल की हैं अथवा नहीं जो आधुनिक समाज में पूर्ण भागीदारी के लिये आवश्यक हैं।
- यह भारतीय छात्रों के विवेक और उनकी ग्राह्यता का मार्गदर्शन कर उन्हें 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये तैयार करेगा।
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education-CBSE) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training-NCERT) वास्तविक परीक्षा की प्रक्रिया और उससे संबंधित गतिविधियों का हिस्सा होंगे।
- वर्ष 2000 में आयोजित परीक्षण के पहले दौर के बाद से 44 मध्यम आय वाले देशों सहित 80 से अधिक देशों ने इस मूल्यांकन में भाग लिया है।
- वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले PISA हेतु पंजीकृत देशों की सूची में ब्राज़ील, चीन (शंघाई और बीजिंग जैसे कुछ क्षेत्र), तथा दक्षिण एशिया के थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (Program for International Student Assessment-PISA)

- अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (PISA) का आयोजन पहली बार वर्ष 2000 में किया गया था।
- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) द्वारा समन्वित यह एक त्रैवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण है जिसमें दुनिया भर की शैक्षिक प्रणाली की गुणवत्ता का आकलन विज्ञान, गणित और पठन संबंधी क्षेत्रों में छात्रों का मूल्यांकन करके किया जाता है।

नोट :

- भारत में अधिकांश स्कूली परीक्षाओं के विपरीत, यह छात्र की स्मृति और पाठ्यचर्या आधारित ज्ञान का परीक्षण नहीं करता है। उदाहरण के लिये, PISA का विज्ञान परीक्षण तीन दक्षताओं को मापता है- वैज्ञानिक घटनाओं को समझने की क्षमता, डेटा एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक व्याख्या तथा वैज्ञानिक जिज्ञासाओं को डिज़ाइन और मूल्यांकन करने की क्षमता।

PISA और भारत

- अब तक भारत ने PISA में केवल एक बार ही भाग लिया है। भारत ने 2009 के परीक्षण के "विस्तारित चक्र" में अपनी शुरुआत की, जिसमें हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के 400 स्कूलों के 16,000 छात्रों ने भाग लिया। तब भारत को भाग लेने वाले 74 देशों में 72वें स्थान पर रखा गया था।

आलोचना

- PISA के नतीजों ने भाग लेने वाले देशों में शिक्षा नीतियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, शिक्षाविदों ने ऐसी रैंकिंग के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। आलोचकों का मानना है कि PISA ने मानक परीक्षण के साथ एक स्थिर विचार में योगदान दिया है जो मात्रात्मक उपायों पर अत्यधिक निर्भर करता है।
- अमेरिका के 'रेस टू द टॉप' कार्यक्रम को अक्सर इस संदर्भ में एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है क्योंकि यह छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों का मूल्यांकन करने के लिये मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करता है।
- इस त्रैवार्षिक सर्वेक्षण की भी कामचलाऊ उपायों को रोकने हेतु दीर्घकालिक और स्थायी समाधानों से ध्यान हटाने के लिये आलोचना की गई है। बाद में आलोचकों ने दावा किया कि देशों द्वारा अपनी रैंकिंग में सुधार के लिये इसे तेज़ी से अपनाया जा रहा है।
- लेकिन OECD के अनुसार, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि PISA या किसी अन्य शैक्षिक तुलना ने अल्पकालिक सुधारों में बदलाव किया है बल्कि PISA ने नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिये सीमा-पार सहयोग के अवसर पैदा किये हैं।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)

स्थापना- 1961
मुख्यालय- पेरिस (फ्राँस)
सदस्य देशों की संख्या- 36

निष्कर्ष

- PISA में भाग लेने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने छात्रों की शैक्षणिक क्षमता का पता चलेगा जिससे अपनी शिक्षा नीति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी साथ ही आधुनिक वैज्ञानिक युग में देश को अन्य देशों के साथ मुकाबला करने के लिये नवाचारी कार्यक्रमों के संचालन की प्रेरणा मिलेगी। PISA रैंकिंग में एशियाई देशों का हमेशा से वर्चस्व रहा है, अत: भले ही भारत का प्रदर्शन 2009 में संतोषजनक न रहा हो लेकिन भविष्य में भारत से बेहतर प्रदर्शन की आशा की जा सकती है।

नोट :

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

नासा का अंतरिक्ष यान अल्टिमा थुले (Ultima thule) तक पहुँचा

चर्चा में क्यों ?

- नासा का न्यू होराइजन्स (New Horizons) अंतरिक्ष यान कुइपर बेल्ट (Kuiper Belt) में अल्टिमा थुले (TOO-lee) के बर्फीले ऑब्जेक्ट के सामने से उड़ान भरेगा।
- अल्टिमा थुले (Ultima Thule) प्लूटो से 1.6 बिलियन किलोमीटर और पृथ्वी से 6.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- अंतरिक्ष यान अल्टिमा थुले के 3,500 किलोमीटर के दायरे में उड़ान भरेगा।

अल्टिमा थुले

- इस कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट को 2014 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था।
- आधिकारिक तौर पर इसे 2014 MU69 के रूप में जाना जाता है और इसे अल्टिमा थुले उपनाम दिया गया है।
- थुले का अर्थ है ज्ञात दुनिया से परे सबसे दूर स्थित स्थान।

महत्त्व

- अल्टिमा थुले एक अंतरिक्ष यान द्वारा देखी गई अब तक की सबसे दूर की वस्तु होगी।
- अल्टिमा थुले 4.5 बिलियन साल पहले सौर प्रणाली के उत्पत्ति के संबंध में सूचनाएँ एकत्र करेगा। किसी भी अंतरिक्ष यान ने इतनी आदिम यात्रा नहीं की है। इससे हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी।
- मिशन को चरम सीमा के अध्ययन में भी मदद मिलेगी।

न्यू होराइजन्स

यह अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था नासा का एक अंतरिक्ष शोध यान है, जो सौर मंडल के बाहरी बौने ग्रह प्लूटो के अध्ययन के लिये छोड़ा गया था। इस यान का प्रक्षेपण 19 जनवरी, 2006 किया गया था।

IIT मद्रास द्वारा CO_2 और CH_4 के हाइड्रेट्स की खोज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में IIT (Indian Institute of Technology) मद्रास के शोधकर्त्ताओं द्वारा प्रयोगशाला में एक निश्चित तापमान और दाब पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के हाइड्रेट बनाए गए।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में अंतर-तारकीय वातावरण (Interstellar Atmosphere) तैयार कर मीथेन (CH_4) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) गैस के हाइड्रेट्स प्राप्त किये।
- जल और मीथेन को मूल रूप से -263 डिग्री सेल्सियस (10k) से -243 डिग्री सेल्सियस (30K) तक लाया गया। मौजूद मीथेन का लगभग 10% 25 घंटों के बाद हाइड्रेट रूप में पाया गया और 75 घंटों में अधिकांश मीथेन हाइड्रेट में परिवर्तित हो गया।
- गैस, गैस हाइड्रेट में तब परिवर्तित होती है जब मीथेन जैसी गैस जल के क्रिस्टलीय अणुओं के बीच आ जाती है। स्थल पर गैस हाइड्रेट प्राकृतिक रूप से समुद्र के अंदर और ग्लेशियरों में उच्च दबाव एवं कम तापमान की स्थिति में बनते हैं।

नोट :

- मीथेन हाइड्रेट प्राकृतिक गैस का एक संभावित स्रोत है।
- IIT के एक प्रोफेसर ने बताया कि CO_2 हाइड्रेट CH_4 हाइड्रेट की तुलना में थर्मोडायनामिक रूप से अधिक स्थिर है। क्योंकि समुद्र में CO_2 की मात्रा बढ़ रही है। अगर समुद्र तल के नीचे मीथेन हाइड्रेट लाखों वर्षों तक स्थिर रहता है तो समुद्र तल के नीचे ठोस हाइड्रेट के रूप में गैसीय CO_2 को परिवर्तित करना संभव होगा।

(Interstellar Atmosphere) - पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडलीय भाग जो पृथ्वी और तारों के बनने की प्रक्रिया के शोध के अनुकूल है।
CO_2 हाइड्रेट – एक बर्फ जैसा क्रिस्टलीय पदार्थ है जो ठोस जल (H_2O) और CO_2 से बनता है।
CH_4 हाइड्रेट – बर्फ के अंदर पाया जाने वाली मिथेन गैस होती है।

IT (Information Technology) एक्ट की धारा 66 A

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court - SC) ने केंद्र सरकार की एक याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यों पर आरोप लगाया कि (SC द्वारा) 2015 में IT अधिनियम की धारा 66A को समाप्त करने के बावजूद विभिन्न राज्यों में अभी भी सोशल मीडिया पर भाषण देने की स्वंतत्रता के विरुद्ध FIR (First Information Report) दर्ज की जा रही है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- याचिका में कहा गया कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (Internet Freedom Foundation) द्वारा प्रदर्शित पेपर के अनुसार धारा 66 A के तहत लंबित मुकदमों को समाप्त नहीं किया गया था और आगे भी 2015 के SC के फैसले के बाद भी पुलिस द्वारा लगतार FIR दर्ज की गई।
- इसमें यह भी बताया गया कि वास्तविक स्थिति कागज़ी स्थिति से बिलकुल अलग है, संभवत: इसका कारण यह है कि बहुत से अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में पता ही नहीं होगा।
- ट्रायल कोर्ट और अभियोजक द्वारा सक्रिय रूप से फैसले को लागू नहीं किया गया, जिसके कारण आरोपी व्यक्तियों पर धारा 66 A के आधार पर अदालती कार्यवाई चलती रही।

धारा 66 A की पृष्ठभूमि

- धारा 66 A सूचना संबंधी अपराधों से संबंधित है जिसमें कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से कोई भी अपमानजनक या अवैध एवं खतरनाक सूचना भेजना एक दंडनीय अपराध है।
- श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के निर्णय में जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन और जे. चेलमेश्वर ने धारा 66 A में एक कमज़ोर तथ्य पाया कि इसे अपरिभाषित कार्यों के आधार पर अपराध बनाया गया था, जैसे कि असुविधा, खतरा, बाधा और अपमान, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिये गए अपवादों के बीच नहीं आते हैं, जो भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- अदालत ने यह भी पाया कि चुनौती यह पहचानने की थी कि रेखा कैसे निर्धारित करें। क्योंकि बाधा और अपमान जैसे शब्द व्यक्तिपरक बने हुए हैं।
- इसके अलावा अदालत ने यह भी उल्लेख किया था कि धारा 66 A में समान उद्देश्य वाले कानून में अन्य वर्गों की तरह प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं थे, जैसे:
  - कार्रवाई से पहले केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।
  - स्थानीय अधिकारी राजनीतिक से प्रेरित होकर स्वायत्त रूप से आगे बढ़ सकते हैं।
- निर्णय में पाया गया कि धारा 66 A संविधान के अनुच्छेद 19 (भाषण की स्वंतत्रता) और 21 (जीवन के अधिकार) दोनों के विपरीत था। इसलिये इस पूरे प्रावधान को अदालत ने समाप्तं कर दिया।
- उसके बाद सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति (टी. के. विश्वनाथन समिति) की नियुक्ति की, जिसने अभद्र भाषा की चुनौती के लिये एक कानून प्रस्तावित किया।

नोट :

2024 तक वायु प्रदूषण को 20% तक कम करने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक देश के कम-से-कम 102 शहरों में 20-30% वायु प्रदूषण कम करने के लिये एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme - NCAP) को वायु प्रदूषण के अंतर्गत पर्टिकुलेट मैटर (PM - Particulate Matter) से निपटने के लिये औपचारिक रूप से शुरू किया गया है।
- इसमें राज्यों और केंद्र के लिये ऐसी रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें क्षेत्रफल के अनुसार लगभग 102 शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने पर काम किया जाएगा इसमें शामिल लगभग एक तिहाई शहर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से हैं।
- अधिकारियों के अनुसार, पर्टिकुलेट मैटर (PM) पर अंकुश लगाना एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। इसके तहत लगभग 300 करोड़ रूपए व्यय होने का अनुमान है, जो राज्य की विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण को कम करने के लिये कार्य करेगा।
- यह एक पँचवर्षीय कार्य योजना है, जो अखिल भारतीय नहीं बल्कि एक शहर-विशिष्ट कार्यक्रम है। पाँच साल बाद इसके तहत हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
- इससे पहले 102 शहरों को प्रदूषण के हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था तथा उनसे प्रदूषण निवारण के लिये योजनाएँ एवं सुझाव जैसे कि योजनाओं में मॉनीटरिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाना, प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करना, प्रदूषण-स्रोत के अपरोक्ष अध्ययन का संचालन करना और प्रवर्तन को मज़बूत करना इत्यादि देने को कहा गया था।
- NCAP ने मुख्यत: यातायात में सुधार के लिये गढ्ढा मुक्त सड़क एवं ईंट भट्ठों पर नियंत्रण के सम्बंध में सख्त ज़ोर दिया है जिससे धूल की समस्या को कम किया जा सके।

वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो

- यह स्पष्ट नहीं है कि PM कटौती को निर्धारित करने के लिये सरकार कितने शहरों में काम कर चुकी है तथा अभी कितना कार्य किया जाना बाकी है।
- हालाँकि पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग ने वायु प्रदूषण के सन्दर्भ में, 5 वर्षों में 40%, मैक्सिको ने 25 वर्षों में 73% और सैंटियागो (चिली) ने 22 वर्षों में 61% की गिरावट दर्ज की। 2016 से दिल्ली में वार्षिक PM स्तर में 8% की कमी देखी गई है।
- पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के डेटाबेस टियर-I और टियर-II के तहत भारतीय शहरों को दुनिया के कुछ सबसे अधिक प्रदूषित स्थानों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- 2018 में दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के थे।
- एक पत्रिका द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार, भारत को समय से पहले एवं वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में पहले स्थान पर रखा गया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP - National Clean Air Programme)

- वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया एक कार्यक्रम ।
- कार्यक्षेत्र - प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के बीच प्रदूषण एवं समन्वय के सभी स्रोतों पर ध्यान केन्द्रित करना।
- उद्देश्य - वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिये कार्य करना।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation - WHO)

- संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है।
- स्थापना - 7 अप्रैल, 1948
- मुख्यालय - जिनेवा, (स्विट्ज़रलैंड)

नोट :

गरज/बिजली के लिये 'एंड-टू-एंड' भविष्यवाणी प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) द्वारा अप्रैल 2019 तक गरज/बिजली अवलोकन नेटवर्क को मज़बूत बनाने के लिये 'एंड-टू-एंड' भविष्यवाणी प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा बताया गया है कि पिछले वर्ष मानसून से पहले आए आंधी तूफान एवं बारिश से हुए जान-माल की हानि को देखते हुए जल्द ही एक ऐसे उपकरण का प्रयोग किया जाएगा जो मौसम की सटीक जानकारी देगा।
- इसे पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology-IITM) और नई दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- IITM पुणे ने देश में पहले से ही बिजली के 48 सेंसर लगाए हैं, जो वास्तविक समय (Real Time) पर आंधी/बिजली की गतिविधियों का पता लगा सकते हैं।
- IITM पुणे ने क्षेत्र पर होने वाली बिजली गतिविधि पर चेतावनी देने के लिये 'DAMINI' नामक एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया है।
- वर्तमान में IITM (पुणे) और IMD (दिल्ली) दोनों मिलकर किसानों और शहर के पूर्वानुमानों के लिये मोबाइल ऐप के साथ एक नई वेबसाइट विकसित कर रहे हैं। ये नए उपकरण IMD को यथा-समय पूर्वानुमान और चेतावनियों को प्रसारित करने में मदद करेंगे।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- IMD अवलोकन नेटवर्क को मज़बूत कर रहा है और इस साल के अंत तक, उत्तर-पश्चिम हिमालय (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) पर 10 नए एक्स-बैंड (X-band) मौसम रडार स्थापित किये जाने का अनुमान है।
- भारत के मैदानी इलाकों में 2020 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर 11 अन्य सी-बैंड (C-Band) रडार लगाए जाएंगे।
- IITM (पुणे), मुंबईमें IMD और मुंबई नगर निगम की मदद से रेन-गेज नेटवर्क (Rain-Gauge Network) एवं 4 X-Band रडार स्थापित कर रहा है। जिससे 2 किमी रिज़ॉल्यूशन पर होने वाले वर्षा के आँकड़े को तैयार किया जा सके और वास्तविक समय पर जनता को जानकारी उपलब्ध कराया जा सके।
- इससे पहले मौजूदा 130 कृषि मौसम क्षेत्र इकाइयों (Agro Meteorological Field Units) तथा 8 नए ज़िला कृषि मौसम क्षेत्र इकाइयों (District Agro Meteorological Field Units - DAMUs) को जोड़ा गया है जो स्थापित किये गए हैं और 200 ब्लॉकों में ब्लॉक स्तर पर कृषि मौसम पूर्वानुमान भी शुरू किये गए हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- IMD, जिसे मौसम विभाग भी कहा जाता है, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी गतिविधियों, मौसम की भविष्यवाणी और भूकंपीय विज्ञान की समस्त जानकारियों का पता लगाती है।

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान

- पुणे अवस्थित यह संस्थान भारत में मौसम विज्ञान और वायु-समुद्र की विशेष गतिविधियों के साथ उष्णकटिबंधीय महासागर, हिंद महासागर में अनुसंधान के विस्तार के लिये एक वैज्ञानिक संस्थान है।

रडार (Radio Detection And Ranging)

- रडार एक पहचान प्रणाली है जो वस्तुओं की सीमा, कोण या वेग को निर्धारित करने के लिये रेडियो तरंगों का उपयोग करती है।
- इसका उपयोग विमान, जहाजों, अंतरिक्ष यान, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों, मौसम संरचनाओं एवं इलाके का पता लगाने के लिये किया जा सकता है।

रेन-गेज नेटवर्क (Rain-Gauge Network)

मौसम वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित अवधि में एकत्रित वर्षा जल की मात्रा को मापने के लिये उपयोग किया जाता है।

नोट :

ग्लोबल एविएशन समिट 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation-MCA) और फिक्की (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry-FICCI) द्वारा संयुक्त रूप से प्रथम ग्लोबल एविएशन समिट (Global Aviation Summit) का आयोजन किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा फिक्की के साथ मिलकर पहला ग्लोबल एविएशन समिट का आयोजन भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में किया गया।
- इसकी थीम "Flying for all - especially the next 6 Billion" थी।
- इस कार्यक्रम में वैश्विक विमानन से जुड़े विशेषज्ञों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की मेज़बानी में विकसित होती अर्थव्यस्थाओं में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को सुनिश्चित करने, आने वाले वर्षों में विकास क्षेत्रों की पहचान कर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने एवं इनमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया।
- यह कार्यक्रम ड्रोन (Drones), एयर टैक्सी (Air Taxis), वोलोकॉप्टर (Volocopters), नए जेट (New Jets) और अल्ट्रा-लाइट एरियल इलेक्ट्रिक वाहनों (Ultra-light aerial electric vehicles) आदि की नवीनतम अवधारणा को विकसित करने का अवसर देता है।
- यह भविष्य के हवाई अड्डों (Airports), नवाचारों, (Innovations), बचाव और सुरक्षा (Safety & Security), वित्तपोषण और पट्टे (financing & leasing) हेतु सतत विकास (Sustainable Development) एवं सामानों जैसे- कार्गो(cargo), रसद (Logistics) आदि को सुगमता से संचालित करने पर बल देता है।

उद्देश्य

- इस सम्मेलन का उद्देश्य विमानन विकास के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक व्यापक मंच प्रदान करना है ताकि विकास के लिये चयनित स्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जा सके और प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचार से भविष्य में हवाई यात्रा में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।
- इसके अलावा विमानन क्षेत्र में निर्माताओं, निवेशकों, विक्रेताओं, कार्गो, अंतरिक्ष उद्योग, बैंकिंग संस्थानों, कौशल विकास एजेंसियों तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वैश्विक नेताओं को आकर्षित कर वैश्विक उड्डयन तंत्र का सफल प्रतिनिधित्व करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।

संगठन

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

- भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन के क्रमिक विकास और विस्तार के लिये योजनाओं के विकास और विनियमन हेतु राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के लिये ज़िम्मेदार नोडल मंत्रालय है।
- इसका कार्य हवाई अड्डे की सुविधाओं, हवाई यातायात सेवाओं और यात्रियों तथा कार्गो (माल की गाड़ी) की देख-रेख करना है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India (AAI)

- इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था।
- 1 अप्रैल, 1995 को भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का विलय करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)कर दिया गया।
- तब से यह ग्राउंड (Ground) और एयरस्पेस (Airspace) दोनों में नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य करता है।

नोट :

फिक्की (FICCI)

- 1927 में स्थापित FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सर्वोच्च व्यापारिक संगठन है।
- यह गैर-सरकारी नॉन-फॉर-प्रॉफिट संगठन, भारत के व्यापार और उद्योग, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिये एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।
- यह भारतीय निजी एवं सार्वजनिक कॉर्पोरेट क्षेत्रों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अपने सदस्यों को सेवा एवं सुविधा प्रदान करता है।

पृथ्वी के आंतरिक भाग में अप्रत्याशित परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे (British Geological Survey-BGS) द्वारा किये गए एक अध्ययन में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अप्रत्याशित परिवर्तन पाया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवों में अप्रत्याशित बदलाव पाया गया पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कनाडा में अपनी वर्तमान स्थिति से साइबेरिया की तरफ बढ़ रहा है।
- इस बदलाव के चलते भू-भौतिकीविदों द्वारा विश्व चुंबकीय मॉडल पर पुनर्विचार किया जा रहा है जो नेविगेशन उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है।
- विश्व चुंबकीय मॉडल (World Magnetic Model-WMM) कोर और बड़े पैमाने पर क्रस्टल मैग्नेटिक फील्ड (crustal magnetic field) का एक मानक मॉडल है।
- इसका उपयोग यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका द्वारा रक्षा उद्देश्यों हेतु नेविगेशन के लिये किया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (North Atlantic Treaty Organization - NATO) और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गनाइजेशन (International Hydrographic Organization - IHO) भी इसका प्रयोग करते है। इसके अलावा इसका उपयोग व्यापक रूप से नागरिक नेविगेशन में भी किया जाता है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के बदलाव का सबसे बड़ा कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद तरल आयरन (लोहे) में अप्रत्याशित परिवर्तन आना है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, वर्तमान में पृथ्वी की गति एक साल में लगभग 50 किलोमीटर है। जबकि 1900 से 1980 के बीच इसकी गति बहुत कम थी, लेकिन पिछले 40 वर्षों में इसमें तेज़ी से वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2015 में विश्व चुंबकीय मॉडल को पाँच साल (2015 – 2020) के लिये तैयार किया गया था, लेकिन अमेरिकी सेनाओं द्वारा इस अप्रत्याशित बदलाव होने से लिये इसकी प्रारंभिक समीक्षा की बात कही जा रही है।
- वर्तमान परिदृश्य में सेल फोन की मैपिंग सुविधा से लेकर समुद्र और हवाई जहाजों को पार करने वाले, लगभग सभी तकनीकी इसको उपयोग में लाते हैं, जिसे विश्व चुंबकीय मॉडल के रूप में जाना जाता है।

भौगोलिक ध्रुव बनाम चुंबकीय ध्रुव

भौगोलिक ध्रुव (Geographic Poles)

- पृथ्वी भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर घूमती है। भौगोलिक उत्तर और दक्षिणी ध्रुव वे हैं जहाँ देशांतर (मेरिडियन) की रेखाएँ उत्तर से दक्षिण तक मिलती हैं। दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव सीधे एक दूसरे के विपरीत हैं।

चुंबकीय उत्तरी ध्रुव

- पृथ्वी एक बड़े चुंबक के रूप में कार्य करता है।
- पृथ्वी के आतंरिक भाग (Core) में मुख्यत: ठोस लोहा पाया जाता है। यह मुख्यत: तरल धातु के घेरे में अवस्थित होता है।

नोट :

- पृथ्वी की कोर में बहने वाली तरल धातु विद्युत धाराओं का निर्माण करती है, जो बदले में हमारे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है।
- चुंबकीय उत्तरी ध्रुव उत्तरी कनाडा के एल्समेरे द्वीप पर एक बिंदु है जहां से आकर्षण की उत्तरी रेखाएं पृथ्वी में प्रवेश करती हैं।
- इसका मतलब है कि एक कम्पास सुई चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करती है - जो भौगोलिक उत्तर से अलग है।

अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO)

- अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन एक अंतर-सरकारी परामर्शदाता और तकनीकी संगठन है जिसे वर्ष 1921 में नेविगेशन की सुरक्षा एवं समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा का समर्थन करने के लिये स्थापित किया गया था।
- भारत भी IHO का सदस्य है।

संगठन का उद्देश्य:

- राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालयों की गतिविधियों का समन्वय करना।
- समुद्री चार्ट और दस्तावेजों एकरूपता लाना।
- हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने और उनके लाभ हेतु विश्वसनीय एवं कुशल तरीकों को अपनाना।
- हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में विज्ञान का विकास और समुद्रशास्त्र में तकनीक का उपयोग करना।

शनि (Saturn) पर उपस्थित वलयों (घेरा) की आयु अनुमान से कम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा नासा के कैसिनी मिशन (Cassini spacecraft) के अंतिम चरण के अध्ययन से यह पता लगाया गया कि शनि ग्रह पर पाए जाने वाले वलय/छल्ले (Ring) अनुमान से बहुत कम आयु के हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया गया कि कैसिनी मिशन के प्रयोगों के अंतिम चरण में शनि और इसके आंतरिक भाग में उपस्थित वलयों के बीच की जानकारियों को इकठ्ठा किया गया।
- इसके तहत छह क्रॉसिंगों के दौरान, ग्रह के वलय में उपस्थित पदार्थों की मात्रा का सटीक अनुमान लगाने के लिये पृथ्वी के साथ एक रेडियो लिंक की निगरानी की गई थी।
- शनि के चंद्रमा 'मीमास' (Mimas) के द्रव्यमान का लगभग 40%, जो पृथ्वी के चंद्रमा से 2,000 गुना छोटा है, के अध्ययन से यह पता चलता है कि शनि ग्रह पर उपस्थित गैसों के विशालकाय छल्ले हाल ही के हैं, जिनकी उत्पत्ति लगभग 100 मिलियन से 10 मिलियन वर्ष पहले हुई है।
- हमारे सौर मंडल के शुरुआती वर्षों में ही शनि का निर्माण हुआ था।
- इससे पहले किये गये अध्ययनों में वलय (छल्ले) का आकार छोटा तो पाया गया, लेकिन इनकी उम्र का अनुमान लगाने के लिये आवश्यक इनके द्रव्यमान आदि महत्वपूर्ण आँकड़ों का अभाव बना रहा।
- नासा के वायेज़र अंतरिक्ष यान के 1980 के आँकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि वलयों का द्रव्यमान (रिंग मास) इसके संबंध में व्यक्त पिछले अनुमानों की तुलना में 45% कम निकला। शोधकर्त्ताओं के अनुसार कम द्रव्यमान इनकी कम उम्र का संकेत देते हैं।

शनि ग्रह

- शनि सौरमंडल में सूर्य के नज़दीक स्थित छठा और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
- इसमें बर्फीले वलयों की चमकदार सुसज्जित प्रणाली पाई जाती है।
- हालाँकि यह एकमात्र वलय-युक्त ग्रह नहीं है, लेकिन अन्य ग्रह शनि के समान सुसज्जित एवं जटिल नहीं है।
- बृहस्पति की तरह शनि भी एक विशालकाय गेंद के समान है जिसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं।

नोट :

महत्त्वपूर्ण तथ्य

दिन की अवधि - 10.7 घंटे 1 वर्ष - पृथ्वी के 29 वर्ष के बराबर

त्रिज्या - 36,183.7 मील/58,232 किमी०

ग्रह का प्रकार – गैसीय

उपग्रह - 53 स्थाई, 9 अस्थाई

कैसिनी मिशन (Cassini spacecraft)

- 15,अक्तूबर 1997 को इस मिशन को प्रारंभ किया गया तथा यह 15 सितंबर, 2017 को समाप्त हो गया।
- कैसिनी द्वारा शनि और इसके चंद्रमाओं की परिक्रमा तथा इसका अध्ययन किया गया।
- जनवरी 2005 में इस मिशन के द्वारा शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर जानकारी एकत्र करने के लिये ह्यूजेंस प्रोब (Huygens probe) को भी उतारा गया था।

वलय (Ring)

शनि पर पाए जाने वाले वलय सौर मंडल के किसी भी ग्रह की सबसे व्यापक वलय प्रणाली हैं। इनमें अनगिनत छोटे-छोटे कण पाए जाते हैं, जिनका आकार मिलीमीटर (mm) से मीटर (m) तक होता है। यह वलय शनि ग्रह पर चारो ओर परिक्रमा करते हैं, जो चट्टानी पदार्थों के सूक्ष्म घटकों और बर्फ से बने होते हैं।

डिजिटल हब में बदलते रेलवे स्टेशन

चर्चा में क्यों ?

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में सैकड़ों रेलवे प्लेटफॉर्म पर वाई-फाई की सुविधा प्रदान की गई। डिजिटल समावेशन हेतु रेलवे स्टेशनों को एक डिजिटल हब प्लेटफॉर्म में बदलने के लिये प्रदान की गई उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा अभूतपूर्व रही है।

प्रमुख बिंदु

- आँकड़ों की मानें तो एक महीने में लगभग 2.6 करोड़ उपयोगकर्त्ता लॉगिन करते हैं और कुल डेटा खपत 9,491 टेरा बाइट्स (TB) है।
- भारत अब देश भर के 746 रेलवे स्टेशनों पर रेलवायर वाई-फाई जो कि दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क में से एक है, के रूप में उभरा है।
- रेल मंत्रालय के तहत रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया वाई-फाई नेटवर्क सबसे बड़ा होने के साथ ही सबसे तेज़ भी है।
- किसी आधुनिक और वाई-फाई से युक्त हैंडसेट में शुरुआती 30 मिनट तक इंटरनेट की गति 40 एमबीपीएस तक प्राप्त की जा सकती है, जो किसी अन्य नेटवर्क की तुलना में कहीं ज़्यादा है।
- रेलटेल की रिटेल ब्रॉडबैंड पहल, रेलवायर के तहत यात्रियों को मुफ्त वाई-फाई सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- 746 रेलवे स्टेशनों पर रेलटेल ने गूगल (प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में) के साथ मिलकर देश भर में 414 A, A1 और C श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर हाई-स्पीड वाई-फाई सुविधा प्रदान की है।
- 1,000 से अधिक हॉटस्पॉट के साथ मुंबई वाई-फाई को सबसे बड़े सार्वजनिक वाई-फाई सेवा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और सबसे बड़ा सार्वजनिक वाई-फाई क्षेत्र पटना के अशोक राजपथ से दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच 20 किमी. तक फैला हुआ है।

क्या है रेलटेल ?

- रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड 'मिनी रत्न (श्रेणी-I) 'सार्वजनिक उपक्रम' देश के सबसे बड़े न्यूट्रल दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं में से एक है।
- रेलटेल के पास पूरे भारत में रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है। रेलटेल का OFC (Optical Fiber Cable) नेटवर्क भारत के सभी महत्त्वपूर्ण शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रो में उपस्थित है और देश की 70% आबादी को कवर करता है।

नोट :

- मज़बूत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति के साथ रेलटेल अत्याधुनिक तकनीक लाने और भारतीय दूरसंचार हेतु नवीन सेवाओं की पेशकश करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- रेलटेल, रेल संचालन और प्रशासन नेटवर्क प्रणाली के आधुनिकीकरण के अलावा देश के सभी भागों में राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करने में भी सबसे आगे है।

रेलवायर क्या है ?

- रेलटेल रेलवायर मंच के माध्यम से आम जनता के लिये ब्रॉडबैंड और एप्लीकेशन सेवाएँ प्रदान करता है।
- रेलवायर 'आम जनता के लिये इंटरनेट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं' और 'आम जनता के लिये आईसीटी' उपलब्ध करवाने के लिये एक मिशन के साथ, रेलटेल की ब्रॉडबैंड पहल है।
- रेलटेल द्वारा (उनके लास्ट माईल का उपयोग करके, स्थानीय केबल ऑपरेटरों और नेटवर्क प्रदाताओं के सहयोग से) दूरदराज के क्षेत्रों सहित जनता के लिये ब्रॉडबैंड और आवेदन सेवाओं के विस्तार की परिकल्पना की गई।
- रेलवायर रेलटेल के बुनियादी ढाँचे और अखिल भारतीय उपस्थिति का लाभ उठाता है। रेलवायर का उद्देश्य खुदरा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन शैली में मूल्य वर्द्धित सेवाएँ प्रदान करना है।
- रेलवायर ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाओं पर केंद्रित है। रेलवायर कम कीमत में ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाएँ प्रदान करता है।
- रेलवायर का उद्देश्य स्थानीय जानकारी का एक केंद्र और आम जनता के लिये संचार, सूचना एवं मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक सेवा प्रदान करने के लिये एक मंच बनाना है।

पीत-ज्वर टीका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 67 वर्षीय प्रोफेसर 'मार्टिन गोर' की पीत ज्वर से मृत्यु हो गई। प्रोफेसर गोर ब्रिटेन में रॉयल मार्सडेन अस्पताल के पूर्व चिकित्सा निदेशक एवं एक प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ थे। नियमित टीकाकरण के बाद भी इस बीमारी के कारण हुई उनकी मृत्यु ने एक बार फिर से पीत ज्वर संबंधी टीकाकरण (Vaccination) को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है।

पीत ज्वर टीकाकरण क्यों आवश्यक है ?

- पीत ज्वर मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। यह पीलिया (Jaundice) जैसी होती है इसीलिये इसे पीत/पीला (Yellow) के नाम से भी जाना जाता है।
- पीत ज्वर से होने वाली मृत्यु अनुपात से कहीं ज़्यादा है, इसीलिये अफ्रीका के कुछ हिस्सों और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका (पीत ज्वर-स्थानिक देश) में यात्रा करने से पहले अनिवार्य रूप से इसका टीका लगवाया जाता है।

पीत ज्वर टीकाकरण कितना सुरक्षित है ?

- पीत-ज्वर को सामान्यत: '17D' भी कहा जाता है। आमतौर पर यह टीका (Vaccine) सुरक्षित माना जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, पीत ज्वर को एक अत्यंत प्रभावी टीके की सिर्फ एक खुराक द्वारा रोका जाता है, जो सुरक्षित और सस्ती होने के साथ-साथ इस बीमारी के खिलाफ निरंतर प्रतिरक्षा एवं जीवन भर सुरक्षा प्रदान करने के लिये पर्याप्त है।
- हालाँकि, इसके संबंध में किये गए अनुसंधानों एवं कुछ रिपोर्टों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पीत ज्वर संबंधी टीकाकरण के बाद शरीर के कई तंत्रों के खराब होने या सही से काम न करने की बातें सामने आई हैं, यहाँ तक कि इसके कारण कुछ लोगों की मृत्यु तक हो गई है।

पीत ज्वर टीकाकरण के क्या-क्या जोखिम हैं ?

- इस संदर्भ में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (Center for Disease Control & Prevention-CDC-Atlanta) द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, इस टीकाकरण के उपरांत गंभीर नुकसान या मृत्यु बहुत कम होती है।
- हालाँकि पीत ज्वर के टीकाकरण के बाद कुछ समस्याएँ जैसे - हल्का बुखार, शरीर में दर्द, लालिमा या सूजन हो सकती हैं, लेकिन यह समस्या भी 4 लोगों में से सिर्फ 1 को होती है।

नोट :

इतने जोखिमों के बाद टीकाकरण क्यों आवश्यक है ?

- सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के अनुसार, टीकाकरण को मृत्यु दर और रुग्णता से बचाने में एक सकारात्मक मार्ग के रूप में देखा जा रहा है लेकिन आज भी लोगों में टीकाकरण के लिये संदेह व्याप्त है।
- CDC के अनुसार, इस टीके से उत्पन्न होने वाली गंभीर समस्याएँ नगण्य हैं, फिर भी वैक्सीन के प्रति बढ़ता संदेह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है।

भारत में टीकाकरण की स्थिति

- भारत में भी लोगों में टीकाकरण के लिये संदेह व्याप्त है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूल में बच्चों को दिये जाने वाले टीकों के लिये इनके माता-पिता की सहमति को रेखांकित किया।
- इसका कारण संभवत: यह है कि डिप्थीरिया के टीकाकरण के कारण सितंबर 2018 में दिल्ली में 24 और दिसंबर में नूंह (हरियाणा) में 27 बच्चों की मौत हो गई। हालाँकि, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) के तहत यह सबसे पुराना टीका है।
- भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, GAVI के साथ मिलकर टीकाकरण तकनीकी सहायता इकाई द्वारा टीके के प्रति लोगों में संकोच एवं संदेह पर एक अध्ययन कार्य शुरू किया है।

वर्तमान में वैक्सीन के प्रति संकोच दुनिया भर में एक गंभीर समस्या है। अमेरिका जैसे देश (मिनेसोटा राज्य) में भी विशेष रूप से अप्रवासी लोगों में टीकाकरण के प्रति संदेह व्याप्त है। हाल ही में एक ब्रिटिश डॉक्टर के चिकित्सीय निरीक्षण दौरे के दौरान उनके चिकित्सीय प्रेक्टिस लाइसेंस को भीड़ द्वारा छीन लिया गया तथा टीकाकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। यदि अमेरिका जैसे विकसित देश में टीकाकरण के संबंध में आमजन में इतना अधिक आक्रोश है तो विकासशील देशों द्वारा भी इस समस्या के संदर्भ में गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। विकास की राह पर अग्रसर भारत जैसे विकासशील देश के नीतिनिर्माताओं को इस विषय पर गंभीर कदम उठाने चाहिये तथा आवश्यक शोध एवं अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सौर ऊर्जा और जल उपचार प्रौद्योगिकी मिशन केंद्रों की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने चेन्नई स्थित IIT मद्रास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा स्थापित तीन प्रमुख केंद्रों की शुरुआत की।

पहला केंद्र

- इसका नाम DST-IITM Solar Energy Harnessing Centre है।
- इस केंद्र में सिलिकॉन सोलर सेल जैसी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- उच्च दक्षता युक्त सिलिकॉन सोलर सेल भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं।
- इस केंद्र में नियुक्त अनुसंधानकर्त्ताओं के नेटवर्क में IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, अन्ना विश्वविद्यालय, ICT मुंबई, BHEL और KGDS के वैज्ञानिक शामिल हैं। इस नेटवर्क का भविष्य में और विस्तार किया जाएगा।
- इस केंद्र का उद्देश्य ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जिससे पारिस्थितिकी प्रणाली के ज्ञान को मजबूत कर आसानी से आगे बढ़ाया जा सके।
- यह केंद्र भारत के ऊर्जा परिदृश्य में बदलाव लाने में सहायक हो सकता है।
- इस कंसोर्टियम से मेक इन इंडिया की भावना के अनुसार सतत् आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

दूसरा केंद्र

- इसका नाम DST-IITM Water-IC for SUTRAM of Easy Water है।
- इसे अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल उपचार, सेंसर विकास, चक्रवाती जल प्रबंधन, वितरण और एकत्रीकरण प्रणालियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में समावेशी अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

नोट :

- यह बहुविध संस्थागत वर्चुअल केंद्र, अपशिष्ट जल उपचार, पुन: उपयोग, तूफान जल प्रबंधन के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये एक स्थायी दृष्टिकोण प्रदान करेगा।
- यह केंद्र अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और क्षमता निर्माण के माध्यम से बहुत अधिक प्रदूषित और जल का अधिक उपयोग करने वाले उद्योगों के साथ ही ग्रामीण और शहरी भारत के लिये पेयजल के पर्याप्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और सतत् स्रोतों को सुनिश्चित करेगा।
- यह केंद्र समावेशी तरीके से कार्य करने और सहयोग करने के लिये अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल शोधन, सेंसर विकास और चक्रवाती जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न प्रमुख संगठनों के विभिन्न समूहों के लिये अवसर उपलब्ध कराएगा।

तीसरा केंद्र

- इसका नाम The Test Bed on Solar Thermal Desalination Solutions है।
- IITM–Imperial KGDS द्वारा रामनाथपुरम जिले के नारिपयूर में स्थापित इस केंद्र का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित शुष्क तटीय गाँवों में मौजूद जल चुनौतियों से निपटने के लिये तकनीकी समाधान उपलब्ध कराना है।
- इसके विकास में सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए तटीय क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये अनुकूल प्रौद्योगिकीय जल समाधान उपलब्ध होंगे।

IIT मद्रास

IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) मद्रास उच्च तकनीकी शिक्षा, बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्त्व के अग्रणी संस्थानों में से एक है। 1956 में जर्मनी सरकार ने इसके लिये तकनीकी सहयोग की पेशकश की थी और 1959 से IIT मद्रास ने काम करना शुरू कर दिया था। इसकी स्थापना के लिये पश्चिम जर्मनी के बॉन में इंडो-जर्मन समझौते पर 1959 में हस्ताक्षर किये गए थे। इसका औपचारिक उद्घाटन 1959 में तत्कालीन केंद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री प्रो. हुमायूँ कबीर ने किया था।

इसरो का 2019 में प्रथम सफल अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization-ISRO) ने PSLV C-44 द्वारा दो उपग्रह माइक्रोसैट-R एवं कलामसेट को कक्षा में स्थापित करने में सफलता हासिल की।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह PSLV की उत्तम तकनीक को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह सिर्फ दो इंजनों से संलग्न प्रथम प्रक्षेपण था जिसे PSLV-DL, D नाम से संबोधित किया गया।
- इस प्रक्षेपण से PSLV के सामान्य 6 स्तरीय संलग्न इंजनों (साइड रॉकेट बूस्टर) का विकल्प प्रदान किया गया है जो पहले की तुलना में ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम है।

मिशन का महत्त्व

माइक्रोसेट–R

- माइक्रोसेट-R एक सैन्य इमेजिंग उपग्रह है, जिसका वज़न 130 किलोग्राम है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organization-DRDO) द्वारा बनाया गया है।
- इसे निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। ऐसा पहली बार है जब भारतीय उपग्रह को ISRO द्वारा 274 किमी की ऊँचाई से कम कक्षा में रखा गया है।

कलामसैट

- ISRO ने स्पेस किड्ज इंडिया के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए एक उपग्रह, 'कलामसैट' को भी लॉन्च किया है, जिसका वज़न सिर्फ 1.26 किलोग्राम है।

नोट :

- कलामसैट दुनिया का सबसे छोटा और सबसे हल्का संचार उपग्रह है।
- स्पेस किड्ज इंडिया (Space Kidz India) एक ऐसा संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिये नवीन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए समर्पित है।

चतुर्थ चरण (PS4) की उपयोगिता

- उपग्रह को कक्षा में प्रवेश कराने के बाद इसरो ने इस प्रक्षेपण का उपयोग रॉकेट के चतुर्थ चरण की उपयोगिता को प्रदर्शित करने के एक अवसर के रूप में किया।
- रॉकेट का अंतिम यानि चतुर्थ चरण किसी उपग्रह को उचित गंतव्य तक पहुँचाने के बाद सामान्य रूप से मलबे में बदल जाता है।
- अब अंतरिक्ष में प्रयोग करने की इच्छुक एजेंसी चौथे चरण का उपयोग तब तक कर सकती है जब तक कि वह प्राकृतिक रूप से विघटित न हो जाए। रॉकेट का चौथा चरण छह महीने से एक साल तक अंतरिक्ष में परिक्रमा करता रहेगा।
- ISRO का लक्ष्य इस समय-सीमा का उपयोग करना है ताकि इच्छुक एजेंसियों को कम समय के प्रयोगों को चलाने में सक्षम बनाया जा सके।
- कलामसैट (Kalamsat) चतुर्थ चरण को अंतरिक्ष के कक्षीय मंच के रूप में उपयोग करने वाला पहला उपग्रह होगा।
- कलामसैट के साथ प्रयोग टेक-ऑफ से लगभग 1.5 घंटे बाद शुरू होगा और लगभग 14 घंटे तक चलेगा। बाद में PS4 के साथ प्रयोगों की अवधि में धीरे-धीरे सुधार किया जाएगा।

विश्व एकीकृत औषधि फोरम

23 से 25 जनवरी, 2019 के बीच होम्योपैथिक औषधीय उत्पादों के विनियमन पर विश्व एकीकृत औषधि फोरम/मंच (World Integrated Medicine Forum) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस फोरम का आयोजन गोवा में किया गया।
- यह फोरम का दूसरा आयोजन था पहला आयोजन वर्ष 2017 में किया गया था।
- फोरम की थीम 'वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाना' (Advancing Global Collaboration) थी।
- इस फोरम में 21 देशों के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
- केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (Central Council for Research in Homeopathy-CCRH) के द्वारा इस फोरम का आयोजन निम्नलिखित के सहयोग से किया गया-
  - आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH)
  - होम्योपैथिक फॉर्माकोपिया कन्वेंशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (Homoeopathic Pharmacopoeia Convention of the United States-HPCUS)
  - यूरोपियन कोलीशन ऑन होम्योपैथिक एंड आन्थ्रोपोसोफिक मेडिसिनल प्रोडक्ट (European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Products-ECHAMP)
  - फॉर्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी (Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine and Homoeopathy)
  - केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization-CDSCO)
- इस फोरम में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) के प्रतिनिधियों और औषधि नियामक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ फॉर्माकोपिया विशेषज्ञों और जर्मनी, अमेरीका, फ्राँस, यू.के, ब्राज़ील, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, रूस, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, क्यूबा, कतर, क्रोएशिया, मलेशिया, जापान, हॉन्गकॉन्ग और श्रीलंका आदि देशों के उद्योगपतियों सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के हितधारकों ने भागीदारी की।
- भारत के विभिन्न राज्यों के पशुचिकित्सा विशेषज्ञ, नियामक और औषधि नियंत्रक भी इस फोरम के प्रतिनिधियों में शामिल थे।

नोट :

फोरम का महत्त्व

- दुनिया भर के दस खरब से अधिक रोगियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिये सुरक्षित और प्रभावी औषधियों की मांग की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप होम्योपैथी की मांग भी बढ़ रही है। विभिन्न देशों में होम्योपैथिक दवाओं के नियमन के संबंध में अभी भी अत्यधिक विषम स्थिति है और इसका सीधा प्रभाव इन दवाओं की उपलब्धता पर पड़ता है।
- लंबे समय से होम्योपैथी को अपनाने वाले देशों ने होम्योपैथी को कैसे विनियमित और एकीकृत किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देने के अलावा इस फोरम में उन देशों को भी चर्चा में शामिल किया गया जहाँ हाल ही में होम्योपैथी अपनाई गई है।

पृष्ठभूमि

- CCRH ने 2017 में इसी तरह के पहले फोरम का आयोजन किया था, जो विभिन्न देशों में होम्योपैथिक औषधीय उत्पादों के प्रभावी नियमन के लिये उठाए गए आवश्यक कदमों पर संवाद शुरू करने में बेहद सफल रहा था।
- होम्योपैथिक उद्योग और नियामक क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक मंच पर 'होम्योपैथिक औषधीय उत्पाद के विनियमन पर विश्व एकीकृत औषधि फोरम' में सामरिक चर्चा की शुरुआत भारत सरकार के केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद तथा आयुष मंत्रालय और इस प्रकार के आयोजन की व्यवस्था के लिये परामर्श देने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनी वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फ़ोरम (World Integrated Medicine Forum-WIMF) ने संयुक्त रूप से की थी।

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (Central Council for Research in Homeopathy-CCRH)

- केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है, जो होम्योपैथी में समन्वय, इसके विकास, प्रसार एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है।
- इसका गठन औपचारिक रूप से 30 मार्च, 1978 को आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया था और बाद में 1860 के सोसायटीज़ पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत किया गया, उसके बाद जनवरी 1979 से इस परिषद ने एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था।
- परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं और पूरे भारत में परिषद के 22 संस्थानों/इकाइयों के नेटवर्क के माध्यम से बहु-केंद्रित अनुसंधान कार्य किये जाते हैं।

होम्योपैथी

- होम्योपैथी की खोज एक जर्मन चिकित्सक, डॉ. क्रिश्चन फ्रेडरिक सैमुएल हैनिमैन (Christian Friedrich Samuel Hahnemann) (1755-1843), द्वारा अठारहवीं सदी के अंत के दशकों में की गई थी।
- यह 'समः समम् शमयति' (Similia Similibus Curentur) या 'समरूपता' (let likes be treated by likes) दवा सिद्धांत पर आधारित एक चिकित्सीय प्रणाली है।
- यह प्रणाली दवाओं द्वारा रोगी का उपचार करने की एक ऐसी विधि है, जिसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्राकृतिक रोग का अनुरूपण करके समान लक्षण उत्पन्न किया जाता है, जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है।
- होम्योपैथी, जो भारत में लगभग दो सौ साल पहले आरंभ की गई थी, वर्तमान में भारत की बहुलवादी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत में होम्योपैथी का इतिहास

- भारत में होम्योपैथी उस समय आरंभ की गई थी, जब कुछ जर्मन मिशनरियों और चिकित्सकों ने स्थानीय निवासियों के बीच होम्योपैथिक दवाओं के वितरण का कार्य आरंभ किया था। तथापि, होम्योपैथी ने भारत में 1839 में उस समय अपनी जड़ें जमाईं जब डॉ. जॉन मार्टिन होनिगबर्गर (John Martin Honigberger) ने स्वर-रज्जु पक्षाघात (paralysis of Vocal Cords) के लिये महाराजा रणजीत सिंह का सफलतापूर्वक इलाज किया।
- डॉ. होनिगबर्गर कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में बस गए और हैजा-चिकित्सक के रूप में लोकप्रिय हुए। बाद में डॉ. एम.एल. सिरकार, जो अपने समय के एक ख्यातिप्राप्त चिकित्सक थे, ने भी होम्योपैथी में प्रैक्टिस आरंभ कर दी। उन्होंने वर्ष 1868 में प्रथम होम्योपैथिक पत्रिका 'कलकत्ता जर्नल ऑफ़ मेडिसिन' (Calcutta Journal of Medicine) का संपादन किया।
- वर्ष 1881 में डॉ. पी.सी मजूमदार और डॉ. डी.एन रॉय सहित अनेक प्रसिद्ध चिकित्सकों ने प्रथम होम्योपैथिक कॉलेज- 'कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज' (Calcutta Homoeopathic Medical College) की स्थापना की।

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (Climate Change Performance Index-CCPI) में मोरक्को को स्वीडन के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश घोषित किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को (Morocco) ने पिछले पाँच वर्षों में नवीकरणीय वस्तुओं की हिस्सेदारी में अत्यधिक वृद्धि करते हुए नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा को बढ़ाया है।
- ग्रिड के लिये दुनिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र के कनेक्शन के साथ, मोरक्को 2020 तक 42% स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है।
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में मोरक्को ने 70.48 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया है।
- स्वीडन 76.28 अंकों के साथ शीर्ष पर है।
- भारत 62.93 अंक प्राप्त कर 11वें स्थान पर है, जबकि 2018 में वह 14वें स्थान पर था।
- सूची में शीर्ष पाँच देशों में स्वीडन (Sweden) और मोरक्को (Morocco) के साथ लिथुआनिया (Lithuania), लाटविया (Latvia) और यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) हैं।
- सूची में सबसे निम्न रैंकिंग वाले पाँच देश हैं - सऊदी अरब (SA), यू. एस. (US), ईरान (Iran), दक्षिण कोरिया (South Korea) और ताइवान (Tiavan)।

क्या है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI)?

- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिये बनाया गया एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।
- पहली बार 2005 में जारी किये जाने के बाद से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये देशों द्वारा किये गए प्रयासों की निगरानी करता है।
- इसका उद्देश्य उन देशों पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ाना है जो अब तक, जलवायु संरक्षण पर महत्त्वाकांक्षी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।
- पेरिस जलवायु समझौते (Paris Climate Agreement) को लागू करने के लिये, देशों को अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को बढ़ाने और वैश्विक लक्ष्य में व्यक्तिगत योगदान देने के लिये ठोस उपाय करना चाहिये।
- मानकीकृत मानदंडों के आधार पर सूचकांक 56 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन करता है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिये ज़िम्मेदार है
- CCPI को जर्मनवॉच (Germanwatch), न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट(NewClimate Institute) और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (Climate Action Network) द्वारा सालाना तौर पर प्रकाशित किया जाता है।
- रैंकिंग परिणामों को चार श्रेणियों - 'GHG उत्सर्जन', 'नवीकरणीय ऊर्जा' और 'ऊर्जा उपयोग' तथा 'जलवायु नीति' के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर परिभाषित किया गया है।
- अब तक सूचकांक में किसी भी देश को एक से तीन तक के रैंकिंग पर जगह नहीं मिली, जो यह दर्शाता है कि खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये किये जाने वाले प्रयास अभी भी अपर्याप्त हैं।

नोट :

तेज़ी से गर्म होते महासागर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी जर्नल 'साइंस' के निष्कर्ष में शोधकर्त्ताओं ने यह खुलासा किया है कि दुनिया के महासागर तेज़ी से गर्म हो रहे हैं। इन निष्कर्षों ने उन पिछली रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हाल के वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग में एक तथाकथित ठहराव आया है।

प्रमुख बिंदु

- यह रिपोर्ट चीनी विज्ञान अकादमी के नेतृत्व में अमेरिकी जर्नल 'साइंस' में प्रकाशित की गई है।
- यह नवीनतम रिपोर्ट 2014 और 2017 के बीच प्रकाशित चार अध्ययनों पर आधारित है, जिसमें समुद्र के पूर्व के तापमानों के बारे में अधिक सटीक अनुमान दिये गए हैं। इन अनुमानों से वैज्ञानिकों को भविष्य में शोध तथा अन्य पूर्वानुमानों की सुविधा प्राप्त होगी।
- महासागर के तापमान में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण संकेतक है और विभिन्न अध्ययनों की बदौलत आज हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत उपलब्ध हैं कि महासागर बहुत तेज़ी से गर्म हो रहे हैं।
- जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त ऊष्मा (जो ग्रीनहाउस गैसों द्वारा पृथ्वी पर ही रोक ली जाती है) का लगभग 93% हिस्सा दुनिया के महासागरों में जमा होता है और इनके तापमान को बढ़ा देता है।
- एक नए विश्लेषण से यह भी पता चला है कि महासागरों के तापमान की वृद्धि के साथ-साथ वायु के तापमान में भी वृद्धि हो रही है।
- ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जल-स्तर में कम वृद्धि होगी, जबकि महासागर का तापमान बढ़ने से जल-स्तर में तेज़ी से वृद्धि होगी क्योंकि गर्म होने पर जल का आयतन भी बढ़ता है।
- इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों को नहीं रोका गया तो महासागरों में उपरी जल-स्तर (2,000 मीटर की गहराई तक) का तापमान सदी के अंत तक 0.78 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा।

रिपोर्ट की खास बातें

- इस रिपोर्ट की सटीकता हासिल करने में प्रमुख योगदान महासागरीय निगरानी बेड़ों का है जिन्हें अर्गो कहा जाता है। इसमें लगभग 4000 फ्लोटिंग रोबोट शामिल हैं जो दुनिया भर के महासागरों में बहते रहते हैं और कुछ दिनों के अंतराल पर 2000
- मीटर की गहराई तक गोताखोरी करते हैं तथा समुद्र के तापमान, pH (अम्लीयता या क्षारीयता), लवणता को मापते हैं।
- अर्गो, फ्लोटिंग रोबोटों ने वर्ष 2000 के मध्य से समुद्र के तामपान पर लगातार और व्यापक आँकडें प्रदान किये हैं। इन्हीं आँकड़ो की बदौलत इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है।

आगे की राह

- ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिये ऊर्जा, भूमि, शहरी अवसंरचना (परिवहन और भवनों सहित) तथा औद्योगिक प्रणालियों में तीव्र एवं दूरगामी नज़रिये से बदलाव लाने की आवश्यकता है।
- विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से बचना चाहिये, जबकि विकसित देशों को अपने देश में ऐसी खपत पर रोक लगानी चाहिये, जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ावा देती हो।
- विज्ञान समय-समय पर अपना फैसला सुनाता रहता है। महासागरीय तापमान वृद्धि के मद्देनज़र अब दुनिया भर के नीति निर्माताओं की ज़िम्मेदारी बनती है कि मानव जाति और पृथ्वी का अस्तित्त्व लंबे समय तक बनाए रखने हेतु ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिये आवश्यक कार्रवाई करें।

रेल दुर्घटनाओं में 49 हाथियों की मृत्यु

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) ने राज्यसभा में एक सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए संसद को बताया कि पिछले तीन वर्षों में 49 हाथी रेल दुर्घटनाओं में मारे गए।

नोट :

क्या कहते हैं आँकड़े ?

- MOEFCC द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015-16 में 9, 2016-17 में 21 और 2017-18 में कुल 19 हाथियों की मौत रेल दुर्घटनाओं में हुई।
- इन्ही तीन वर्षों के दौरान तीन बाघों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में, जबकि आठ बाघों की मौत रेल दुर्घटनाओं में हुई।
- दिसंबर 2018 में गुजरात के अमरेली ज़िले में एक ट्रेन दुर्घटना में तीन शेरों की मौत हो गई थी। इससे पहले 2016-2018 के बीच रेलवे और सड़क दुर्घटनाओं में 10 शेरों की मौत हो गई थी।

पश्चिम बंगाल और असम में हुई सर्वाधिक मौतें

- ट्रेन की पटरियों पर मारे गए हाथियों की कुल संख्या 49 में से 37 हाथियों की मौत केवल दो राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में हुई।
- एक ओर जहाँ पश्चिम बंगाल में इस अवधि के दौरान रेल दुर्घटनाओं में हाथियों के मारे जाने की संख्या में कमी आई है वहीं असम में इस संख्या में वृद्धि हुई है।

रेल दुर्घटनाओं में मारे गए हाथियों की संख्या		
वर्ष	पश्चिम बंगाल	असम
2015-16	05	03
2016-17	03	10
2017-18	02	14

मंत्रालय द्वारा किये गए प्रयास और उनका प्रभाव

- 2016 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MOEFCC) ने 'रैखिक-अवसंरचना के प्रभावों को कम करने के लिये पर्यावरण के अनुकूल उपाय ' (Eco-friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure) जारी किये, जो मानव-पशु संघर्षों को कम करने के लिये एक सलाहकारी दस्तावेज़ है।
- मंत्रालय के अलावा कई अन्य संरक्षणवादियों और संगठनों द्वारा जारी किये गए दस्तावेज़ों के बावजूद भी सड़क और रेल दुर्घटनाओं में जंगली जानवरों की मौत बेरोक-टोक जारी हैं।
- मंत्रालय के अनुसार, ट्रेन दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौत की संख्या को कम करने के लिये एहतियाती उपाय लागू करने के उद्देश्य से एक के बाद एक कई नोटिस जारी किये गए हैं जिसमें 28 दिसंबर, 2016 को जारी मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Wardens) नोटिस भी शामिल है।

निष्कर्ष

जोस लुईस, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (Wildlife Trust of India-WTI) के संरक्षणविद, जिसने सडकों पर होने वाली मौतों की निगरानी के लिये एक मोबाइल एप विकसित किया है, के अनुसार, जब रेल और सड़क बुनियादी ढाँचा विकसित किया गया था उस समय कभी नहीं सोचा गया होगा कि यह इतने जानवरों की मृत्यु का कारण बन सकता है।

जल अलवणीकरण संयंत्र पर्यावरण के लिये हानिकारक : UN

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में UN (United Nation) की एक रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में संचालित अलवणीकरण संयंत्रों (Desalination Plants) से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचा रहा है।

नोट :

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में UN की एक रिपोर्ट में पाया गया कि दुनिया भर में संचालित लगभग 16,000 अलवणीकरण संयंत्रों से निकलने वाले अत्यधिक लवणीय अपशिष्ट जल और विषाक्त रसायन पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, अलवणीकरण संयंत्र (Desalination Plants) प्रतिदिन 142 मिलियन क्यूबिक मीटर लवण (पिछले अनुमानों की तुलना में 50% अधिक शुद्ध जल प्राप्त करने के लिये) का उत्पादन करते हैं।
- उच्च लवणीय जल को अधिकतर समुद्र में प्रवाहित किया जाता है, जो समुद्र में एक वर्ष में लगभग एक फीट की तेज़ी से इकठ्ठा हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप वहाँ शुष्क क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है।
- कनाडा स्थित 'इंस्टीट्यूट फॉर वाटर, एनवायरमेंट एंड हेल्थ' (Institute for Water, Environment and Health) के अध्ययन के अनुसार सऊदी अरब (Saudi Arabia), संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) और कतर (Qatar) में समुद्री जल को संशोधित करने वाले विलवणीकरण संयंत्रों से लगभग 55% ब्राइन (Brine-खारा जल) का उत्पादन होता है।
- ब्राइन में लगभग 5% नमक एवं विषैले पदार्थ जैसे - क्लोरीन और तांबा इत्यादि होते हैं, जो अलवणीकरण में उपयोग किये जाते हैं। इसके विपरीत वैश्विक समुद्री जल में मात्र 3.5% (के लगभग) नमक/लवण पाया जाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, ब्राइन समुद्री मछलियों, केकड़ों और अन्य समुद्री जीवों एवं वनस्पतियों के लिये अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि इससे समुद्री जल में विद्यमान ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो सकता है, जिसका खाद्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।
- पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना बढ़ती आबादी के लिये ताज़े पानी को सुरक्षित करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है जिसके सम्बन्ध में पर लगातार शोधकार्य किये जा रहे हैं।

अलवणीकरण प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में लवणीय जल से लवण एवं अन्य खनिज पदार्थों/घटकों को अलग करके शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है।

ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैश्विक जोखिम परिदृश्य के संदर्भ में वर्ल्ड इकनोमिक फोरम द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019 (Global Risk Report-2019) जारी किया गया।

ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019

- ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, 2019 वर्तमान में वैश्विक जोखिम परिदृश्य को दर्शाने और इस संदर्भ में कार्रवाई हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर प्रदान करती है।
- इस वर्ष की रिपोर्ट में "what if" (क्या हो अगर) शब्दों की एक श्रृंखला शामिल की गई है जिसमें भविष्य में आने वाले जोखिमों जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, मौसम में तात्कालिक परिवर्तन, मौद्रिक लोकलुभावनवाद (Monetary Populism), भावनात्मक रूप से उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य संभावित जोखिमों पर चर्चा की गई है।
- इस रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक (Geopolitical) और भू-आर्थिक (Geo-economic) समस्याओं की पृष्ठभूमि पर चिंता व्यक्त करते हुए पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक परिवर्तनों से लेकर चौथी औद्योगिक क्रांति के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है।
- इस रिपोर्ट में वर्तमान के वैश्विक जोखिम सर्वेक्षण के परिणामों को प्रस्तुत किया गया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा और नागरिक समाज से लगभग 1,000 सदस्यों द्वारा दुनिया के सामने आने वाले जोखिमों का आकलन किया गया है।
- आने वाले दस वर्षों में वैश्विक स्तर पर मौसम एवं जलवायु-परिवर्तन नीति की विफलता को सबसे गंभीर खतरों के रूप में बताया जा रहा है।
- वैश्विक जोखिमों के मानवीय कारणों और प्रभावों पर विशेष ध्यान देते हुए दुनिया भर में मनोवैज्ञानिक तनाव के बढ़ते स्तर पर सकारात्मक कदम उठाने पर बल दिया गया है।

नोट :

वर्ल्ड इकनोमिक मंच (World Economic Forum)

विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिये एक मंच के रूप में काम करना है।

- यह स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
- इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम. श्वाब ने की थी।
- इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तरों पर होती है और ये स्तर संस्था के काम में उनकी सहभागिता पर निर्भर करते हैं।
- इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है।

चिल्का झील में समुद्री घास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यह दावा किया गया है कि भारत में कुल समुद्री घासों का लगभग 20% हिस्सा चिल्का झील में है। गौरतलब है कि यह घास ऑक्सीजन उत्पन्न करने और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रमुख बिंदु

- चिल्का विकास प्राधिकरण, झील के प्रबंधन हेतु मुख्य निकाय के अनुसार, चिल्का झील की वार्षिक निगरानी के दौरान होलोड्यूल यूनिनर्विस (Holodule Uninervis), होलोड्यूल पिनिफ़ोलिया (Holodule Pinifolia), हेलोफिला ओवलिस (Halophila Ovalis), हेलोफिला ओवेटा (Halophila Ovata) और हेलोफिला बीकेरी (Halophila Beccarii) जैसी समुद्री प्रजातियाँ पाई गईं।
- पिछले वर्ष चिल्का झील के 135 वर्ग किमी. क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष 152 वर्ग किमी. क्षेत्र में समुद्री घासें पाई गई हैं।
- दुनिया भर में कम होती समुद्री घासों के मुकाबले भारत में इसकी वृद्धि जलीय पारिस्थितिकी के संदर्भ में सकारात्मक संदेश प्रस्तुत करती है। समुद्री घासों में वृद्धि तभी होती है जब पानी साफ होता है।
- समुद्री घासों में यह वृद्धि समुद्री मछलियों की महत्त्वपूर्ण प्रजातियों को प्राकृतिक आवास प्रदान करेगी और परिणामस्वरूप मत्स्यकी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।

समुद्री घास

- यह समुद्री नितल पर उगने वाले लवणीय पुष्पीय पादप होते हैं।
- विश्व भर में समुद्री घासों की लगभग 60 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- इन घासों की उत्पत्ति छिछले सागरों के प्रकाशित मंडल में होती है ताकि इन्हें पर्याप्त प्रकाश की प्राप्ति हो सके।

पर्यावरणीय महत्त्व

- समुद्री घासें, सागरीय जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होती हैं जो जलीय जीवन के लिये आवश्यक हैं।
- समुद्री घासें जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक है।
- समुद्री घासें जलीय जीवों को भोजन एवं आवास भी उपलब्ध कराती हैं।

हंपबैक डॉल्फिन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महाराष्ट्र के बांद्रा-वर्ली समुद्री लिंक (Bandra-Worli sea link) पर हंपबैक डॉल्फ़िन (Humpback Dolphins) के एक समूह को देखा गया। आमतौर पर ये डॉल्फिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग ज़िलों के तट पर दिखाई देती हैं।

नोट :

- पिछले कुछ समय में मुंबई तट के पास डॉल्फ़िन दिखाई देने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पिछले साल, मुंबई के पश्चिमी तट पर वर्सोवा (Versova) और मध जेट्टी (Madh Jetty) के बीच एक हंपबैक डॉल्फिन के देखे जाने की घटना चर्चा में थी।
- कुछ समय पूर्व, ससून डॉक्स (Sassoon Docks) के पास भी हिंद महासागरीय हंपबैक डॉल्फ़िन (Indian Ocean Humpback Dolphin) के एक समूह को देखा गया था।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- ये डॉल्फ़िन आमतौर पर उथले, तटीय जल में रहती हैं।
- हंपबैक डॉल्फ़िन पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका, भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आस-पास के महासागरों में पाई जाती हैं। ये अधिकांशत: भूरे रंग की होती हैं।
- युवावस्था में ये काले या गहरे भूरे रंग की होती हैं और फिर जैसे-जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है इनका रंग हल्का भूरा होता जाता है।
- हंपबैक डॉल्फ़िन मध्यम से छोटे आकार की डॉल्फ़िन होती हैं। ये स्तनधारी जीव हैं तथा सांस लेने के लिये पानी की सतह पर आती हैं।
- अन्य डॉल्फिन की तरह ये भी बुद्धिमान जानवर हैं जो आम तौर पर समूहों में रहती हैं।
- डॉल्फिन विलुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं, जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I (Schedule I of the Wildlife Protection Act, 1972) के तहत संरक्षण प्राप्त है।

हंपबैक डॉल्फिन प्रजातियाँ

साधारण नाम	वैज्ञानिक नाम	निवास	स्थिति
इंडो-पैसिफिक हंपबैक डॉल्फिन या चाइनीज़ व्हाइट डॉल्फिन	सौसा चिनेंसिस (Sousa chinensis)	पूर्वी हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर	सुभेद्य (ताइवान की व्हाइट डॉल्फिन को गंभीर रूप से विलुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है)
अटलांटिक हंपबैक डॉल्फिन	सौसा तयूस्ज़ी (Sousa teuszii)	पूर्वी अटलांटिक में पश्चिमी अफ्रीका के तट पर	गंभीर रूप से विलुप्तप्राय (critically endangered)
हिंद महासागरीय हंपबैक डॉल्फिन	सौसा प्लूम्बा (Sousa plumbea)	पश्चिमी और मध्य हिंद महासागर	विलुप्तप्राय (endangered)
ऑस्ट्रेलियाई हंपबैक डॉल्फिन	सौसा साहुलेंसिस (Sousa sahulensis)	उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी न्यू गिनी	सुभेद्य (vulnerable)

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

- भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी एवं वन्य जीवन तथा उनके व्युत्पन्न के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू किया।
- इस अधिनियम में जनवरी 2003 में संशोधन किया गया तथा इस कानून के तहत अपराधों के लिये दी जाने वाली सज़ा और जुर्माने को पहले की तुलना में अधिक कठोर बना दिया गया।
- इसका उद्देश्य सूचीबद्ध लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों तथा पर्यावरण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना है।

डेटा पॉइंट: स्वच्छ गंगा मिशन, क्या कहते हैं आँकड़े

संदर्भ

पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर के दौरान सरकार के आदेशानुसार गंगा किनारे स्थित 92 शहरों का एक स्वतंत्र अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में देश के पाँच राज्यों से होकर गुज़रने वाली गंगा के किनारे स्थित कस्बों की स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और नालों को शामिल किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अध्ययन में 5 अन्य कस्बों को भी शामिल किया जाना था किंतु इनके आँकड़े उपलब्ध नहीं हो सके।
- इस अध्ययन में कहा गया है कि गंगा के किनारे स्थित 39% कस्बों में स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नालों (नालियों) की देख-भाल के तरीके में समग्र सुधार की आवश्यकता है।

शहरों की ग्रेडिंग

- इस अध्ययन में गंगा किनारे अवस्थित शहरों को तीन ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है-
  - ग्रेड A: घाट क्षेत्र में और उसके आसपास अच्छी सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएँ। अधिकांश नाले गंदा पानी साफ करने के संयंत्र (Sewage Treatment Plants-STP) से जुड़े थे।
  - ग्रेड B: घाटों के आसपास आंशिक सफाई। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है।
  - ग्रेड C: साफ-सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं और नालों के निर्माण के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे में समग्र सुधार की आवश्यकता है।

शहरों का प्रदर्शन

- बिहार और पश्चिम बंगाल के आधे से अधिक शहरों (जिनसे होकर गंगा प्रवाहित होती है) को ग्रेड C दिया गया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें समग्र सुधार की आवश्यकता है।
- राज्यवार शहरों के प्रदर्शन के बारे में और जानकारी के लिये नीचे दिये गए ग्राफ का अवलोकन करें।
- नदियों में कचरा
- आमतौर पर सभी राज्यों के शहरों को नाले के माध्यम से गंगा में कचरा बहाते हुए पाया गया। बिहार के शहरों में नदी के आस-पास कचरा फेकने के लिये उचित स्थल भी पाए गए।
- नदियों के किनारे कचरा प्रबंधन और डंपिंग के बारे में विस्तृत जानकारी के लिये नीचे दिये गए ग्राफ का अवलोकन करें।

जनसंख्या का प्रभाव

- एक लाख से अधिक आबादी वाले केवल तीन कस्बों को ग्रेड A में श्रेणीबद्ध किया गया। A ग्रेड प्राप्त करने वाले अधिकांश कस्बों की आबादी बहुत कम है। अर्थात् आबादी बढ़ने के साथ-साथ कचरा प्रबंधन और स्वच्छता संबंधी मामलों में शहर पिछड़ने लगता है।

आवंटित निधि के उपयोग में दक्षता

- स्वच्छ गंगा मिशन के लिये आवंटित धन के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017-18 के बजट की केवल आधी राशि जारी/खर्च की गई थी, जबकि 2015 में केवल 8.33 प्रतिशत राशि जारी/खर्च की गई थी।

भारतीय संस्थानों द्वारा नाइट्रोजन प्रदूषण का अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom-UK) द्वारा 50 अनुसंधान संस्थानों को नाइट्रोजन प्रदूषण के आकलन और अध्ययन के लिये 20 मिलियन पाउंड का वित्त प्रदान किया गया। इन 50 अनुसंधान संस्थानों में भारत के 18 संस्थान भी शामिल हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यूनाइटेड किंगडम द्वारा दक्षिण एशिया में पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिये नाइट्रोजन प्रदूषण की चुनौती से निपटने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
- दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब, यूनाइटेड किंगडम के सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी (Centre for Ecology & Hydrology) के अंतर्गत एक सहयोगी की भूमिका में काम कर रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन और दक्षिण एशिया के 50 से अधिक संगठन शामिल किये गए हैं।

नोट :

- नाइट्रोजन प्रदूषण के आकलन और अध्ययन हेतु इस वित्त को ग्लोबल चैलेंज रिसर्च फंड (Global Challenges Research Fund-GCRF) के तहत यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन (United Kingdom Research and Innovation-UKRRI) द्वारा दिया जाएगा।
- आने वाले पाँच वर्षों में 19.6 मिलियन पाउंड दिया जाएगा जिसमें URKI से 17.1 मिलियन तथा UK एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से 2.5 मिलियन पाउंड का सहयोग शामिल है। इसमें दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (SACEP) भी शामिल है।
- जिसका उद्देश्य विकासशील देशों एवं वैश्विक स्तर पर सतत् विकास में आने वाली चुनौतियों के लिये सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, भागीदारों और गैर सरकारी संगठनों के रचनात्मक और टिकाऊ समाधान विकसित करना है

वित्त प्राप्त भारतीय अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित हैं –

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
- सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी
- काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
- राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान
- गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
- राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान
- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी परिसर
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान
- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, पारिस्थितिक समाधान
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
- कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी
- नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट
- नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी
- प्रकृति संरक्षण सोसाइटी
- सस्टेनेबल इंडिया ट्रस्ट
- ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI)

नाइट्रोजन प्रदूषण

- नाइट्रोजन - वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली एक निष्क्रिय गैस है। परंतु जब यह गैस खेतों, नालों और जैविक कचरे के यौगिकों से निकलती है तो क्रियाशील होकर प्रदूषणकारी हो जाती है, इसका प्रभाव ग्रीन हाउस गैस जैसा भी हो सकता है।
- वैज्ञानिकों द्वारा अब तक कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और इसके ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव के लिये 300 गुना अधिक शक्तिशाली है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण

- अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल (International Nitrogen Initiative-INI) के अध्यक्ष तथा नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी के एक प्रोफेसर के अनुसार, नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) की मात्रा वायुमंडल में नगण्य है, लेकिन प्रदूषण से यह बढ़ सकती है और निकट भविष्य में कार्बन डाईऑक्साइड से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है।

नोट :

- वायु प्रदूषण के साथ-साथ नाइट्रोजन प्रदूषण, जैव विविधता, नदियों एवं समुद्रों के प्रदूषण, ओज़ोन परत , स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आजीविका पर भी बुरा असर डाल सकता है। उदाहरण के लिये –
  - नाइट्रोजन प्रदूषण सामान्यत: रासायनिक उर्वरकों, पशुओं के मल और जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जन के कारण होता है। अमोनिया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहयोग करती हैं जो वैश्विक स्तर पर श्वसन एवं हृदय संबंधी बीमारियों को बढ़ा सकती हैं।
  - रासायनिक उर्वरक, नाइट्रेट और उद्योग धंधों से निकलने वाले अवशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थ नदियों और समुद्रों को प्रदूषित करते हैं, जो मनुष्यों, मछलियों, प्रवाल और पौधों के जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

आर्कटिक पहुँचा न्यू डेल्ही सुपरबग जीन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पता चला है कि न्यू डेल्ही सुपरबग जीन अब आर्कटिक तक पहुँच गया है। गौरतलब है कि यह सुपरबग जीन लगभग एक दशक पहले दिल्ली के पानी में खोजा गया था।

प्रमुख बिंदु

- अब तक न्यू डेल्ही सुपरबग जीन 100 से ज़्यादा देशों में देखा जा चुका है और कई जगहों पर इसके नए वैरिएंट भी देखने को मिले है।
- आर्कटिक के स्वालबार्ड द्वीप (Svalbard) के आठ अलग-अलग स्थानों से जुटाए गए सैंपल में एंटीबायोटिक रज़िस्टेंट जीन (Antibiotic Resistance Genes-ARG) के रूप में NDM-1 की पहचान की गई है जिसे न्यू डेल्ही मैटलो-बीटा-लैक्टामेज़-1 (New Delhi Metallo-beta-lactamase-1) कहा जाता है।
- इस तरह के एंटीबायोटिक रज़िस्टेंट जीन (ARG) विभिन्न सूक्ष्म जीवों में एक से ज़्यादा दवाओं के प्रति प्रतिरोधकता (Multidrug-resistant-MDR) पैदा करते हैं।
- विभिन्न बैक्टीरिया में दवा प्रतिरोधकता पैदा करने में सक्षम प्रोटीन NDM-1 की पहचान सबसे पहले वर्ष 2008 में की गई थी। उस समय क्लीनिकल परीक्षण में इस प्रोटीन वाले जीन blaNDM-1 को देखा गया था।

आर्कटिक कैसे पहुँचा सुपरबग ?

- वैज्ञानिकों का मानना है कि विभिन्न जीवों और मनुष्यों के पेट में मिलने वाले blaNDM-1 व अन्य एंटीबायोटिक रज़िस्टेंट जीन (ARG) संभवत: आर्कटिक आने वाले पक्षियों और पर्यटकों के ज़रिये यहाँ पहुँचे होंगे।
- ध्रुवीय क्षेत्र धरती के प्राचीनतम संरक्षित पारिस्थितिक तंत्र में शामिल हैं। इनसे प्री-एंटीबायोटिक काल को समझने में मदद मिलती है।

बहुत जटिल है दवा प्रतिरोधकता की समस्या

- आर्कटिक जैसे क्षेत्र में सुपरबग का पहुँचना यह साबित करता है कि एंटीबायोटिक रज़िस्टेंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है।
- कुछ ही ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो चुके बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम हैं। ऐसे में blaNDM-1 और अन्य एंटीबायोटिक रज़िस्टेंट जीन (ARG) का दुनियाभर में फैलना चिंता का विषय बनता जा रहा है।

क्या है न्यू डेल्ही सुपरबग

- न्यू डेल्ही मिटेलो बीटा लेक्टामेस-1 (New Delhi Metallo-beta-lactamase-1) एक ऐसा जीन है जो एक बैक्टीरिया के ज़रिये शरीर में प्रवेश करता है।
- यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके चलते शरीर पर एंटीबायोटिक्स दवाएँ भी असर करना बंद कर देती हैं।
- NDM-1 आसानी से एक बैक्टीरिया से दूसरे में पहुँच जाता है। इसके बाद यह एक दूसरा बैक्टीरिया उत्पन्न करता है जो एंटीबायोटिक्स दवाओं का असर नहीं होने देता है।
- यह कई प्रकार की बीमारियाँ पैदा कर सकता है जो बहुत ही तेज़ी के साथ लोगों में फैल सकती हैं। इस बैक्टीरिया से बच पाना अब तक संभव नहीं हो पाया है।

नोट :

इस संबंध में भारत का रुख

- अब तक भारत का एंटीबायोटिक प्रतिरोध अभियान अनावश्यक एंटीबायोटिक दवाओं की खपत में कटौती करने पर केंद्रित रहा है।
- लेकिन 'द 2017 नेशनल प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस' (The 2017 National Action Plan on Antimicrobial Resistance) में पहली बार इन दवा निर्माताओं द्वारा वातावरण में एंटीबायोटिक दवाओं को डंप करने की बात कही गई।
- विदित हो कि इस समस्या की गंभीरता की पहचान करते हुए वर्ष 2012 में 'चेन्नई डिक्लरेशन' (Chennai Declaration) में सुपरबग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिये व्यापक योजना बनाई गई थी।
- इस योजना में 30 ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना की बात की गई थी जो एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेंगे।
- एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक प्रयोग को रोकने के लिये सरकार ने बिक्री योग्य दवाओं की नई सूची जारी कर उसके आधार पर ही दवा विक्रेताओं को दवा बेचने का निर्देश दिया है। लेकिन, कहीं भी आसानी से एंटीबायोटिक दवाओं का मिल जाना चिंताजनक है। अत: इस संबंध में निगरानी तंत्र को और अधिक चौकस बनाए जाने की आवश्यकता है।
- हालाँकि, इसमें एक महत्त्वपूर्ण बिंदु संतुलन बनाए रखने का भी है। पूरे विश्व में अभी भी एंटीबायोटिक दवाओं समेत अन्य आवश्यक दवाओं की कमी से मरने वालों की संख्या एंटीबायोटिक प्रतिरोध से मरने वालों से कहीं ज़्यादा है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ हमें सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा।

क्या होता है सुपरबग ?

- वर्ष 1928 में जब अलेक्ज़ेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक 'पेन्सिसीन' का अविष्कार किया तो यह खोज जीवाणुओं के संक्रमण से निपटने में जादू की छड़ी की तरह काम करने लगी।
- समय के साथ एंटीबायोटिक दवाओं का धड़ल्ले से प्रयोग होने लगा। लेकिन, एंटीबायोटिक खा-खाकर बैक्टीरिया अब इतना ताकतवर हो गया है कि उस पर इसका असर न के बराबर हो गया है।
- धीरे-धीरे यही प्रभाव अन्य सूक्ष्मजीवियों (Micro-Organism) के संदर्भ में भी देखने को मिलने लगा, यानी एंटीफंगल (Antifungal), एंटीवायरल (Antiviral) और एंटीमलेरियल (Antimalarial) दवाओं का भी असर कम होने लगा।
- अत: एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antibiotic Resistance) ही नहीं बल्कि एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) आज समस्त विश्व के लिये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे सामान्य से भी सामान्य बीमारियों के कारण मौत हो सकती है।
- एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को 'सुपरबग' के नाम से जाना जाता है। सुपरबग एक ऐसा सूक्ष्मजीवी है, जिस पर एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है।

बाघ संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

28-29 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में बाघ संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन (International Stock Taking Conference on Tiger Conservation) का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि बाघ संरक्षण पर यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन था।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 2012 के बाद भारत में आयोजित होने वाला यह दूसरा समीक्षा सम्मेलन था।
- तीसरे समीक्षा सम्मेलन में बाघ रेंज के 13 देशों द्वारा वैश्विक बाघ पुन: प्राप्ति कार्यक्रम (Global Tiger Recovery Program-GTRP) की स्थिति और वन्य जीव तस्करी से निपटने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
- सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) द्वारा ग्लोबल टाइगर फोरम (Global Tiger Forum) जो दुनिया में बाघों के संरक्षण के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय, अंतर सरकारी संगठन है, के सहयोग से किया गया ।

नोट :

भारत में बाघों की अनुमानित संख्या

- सरकार द्वारा बाघ संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर हर चार वर्ष बाद आधुनिक तरीकों से बाघों की संख्या की गिनती की जाती है।
- बाघ रेंज के देशों ने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में घोषणा के दौरान 2022 तक अपनी-अपनी रेंज में बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प व्यक्त किया था।
- सेंट पीटर्सबर्ग चर्चा के समय भारत में 1411 बाघ होने का अनुमान था जो कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2014 के तीसरे चक्र के बाद दोगुना होकर 2226 हो गया है।
- वर्तमान में अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 (All India Tiger Estimation) का चौथा चक्र जारी है।

बाघ संरक्षण के लिये भारत सरकार के प्रयास

कानूनी उपाय

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया ताकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य लुप्तप्राय प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया जा सके।
- बाघ आरक्षित वन क्षेत्र या बाघों की अधिक संख्या वाले क्षेत्र से संबंधित अपराधों के मामले में सजा में बढ़ोत्तरी की गई।

प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger)

- भारत सरकार ने 1973 में राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने के लिये 'प्रोजेक्ट टाइगर' लॉन्च किया।
- 'प्रोजेक्ट टाइगर' पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सतत केंद्र प्रायोजित योजना है जो नामित बाघ राज्यों में बाघ संरक्षण के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।

ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से एक ऑनलाइन बाघ अपराध डाटा बेस की शुरुआत की गई है और बाघ आरक्षित क्षेत्रों के लिये सुरक्षा योजना बनाने के लिये दिशा-निर्देश तैयार किये गए हैं।

बाघों का पुनर्वास

- सक्रिय प्रबंधन के अंतर्गत सरिस्का और पन्ना बाघ आरक्षित वन क्षेत्रों में, जहाँ स्थानीय रूप से बाघ लुप्त हो चुके थे, बाघ और बाघिनों के जोड़ों को वहाँ फिर से बसाया गया है।
- जिन बाघ आरक्षित वन क्षेत्रों में बाघों और शिकार किये जाने वाले अन्य जीवों की संख्या कम है वहाँ सक्रिय प्रबंधन के ज़रिये उनकी संख्या बढ़ाने के संबंध में विशेष परामर्श और निर्देश जारी किये गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- चीन के साथ बाघ संरक्षण से संबंधित एक समझौते के अलावा सीमापार से वन्य जीवों के गैरकानूनी व्यापार को रोकने और वन्य जीव संरक्षण के लिये भारत ने नेपाल के साथ भी आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- सुंदरवन के रायल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिये बांग्लादेश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- बाघ/चीता संरक्षण के संबंध में रूसी संघ के साथ सहयोग के लिये एक उप-समूह बनाया गया है।

ग्लोबल टाइगर फोरम (Global Tiger Forum-GTF)

- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) बाघों की रक्षा के लिये इच्छुक देशों द्वारा स्थापित एकमात्र अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है।
- GTF दुनिया के 13 टाइगर रेंज के देशों में वितरित बाघों की शेष 5 उप प्रजातियों को बचाने पर केंद्रित है।
- GTF का गठन 1993 में नई दिल्ली, भारत में बाघ संरक्षण पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों पर किया गया था।
- फोरम की स्थापना के लिये टाइगर रेंज के देशों की पहली बैठक 1994 में हुई थी, जिसमें भारत को अध्यक्ष चुना गया था और अंतरिम सचिवालय बनाने के लिये कहा गया था।
- 1997 में, GTF एक स्वतंत्र संगठन बना।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

नोट :

राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है।
- वर्ष 2006 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों में संशोधन कर बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। प्राधिकरण की पहली बैठक नवंबर 2006 में हुई थी।

पहली बार बंधक हाथियों का सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश में हाथियों का सर्वेक्षण कराया गया। इसमें स्वामित्व प्रमाणपत्र रहित/सहित दोनों को शामिल किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे के अनुसार, बंदी हाथियों के सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके अनुसार सिर्फ केरल और असम में ही देश भर (2,454) के हाथियों की संख्या के आधे हैं, इनमें लगभग एक-तिहाई संख्या ऐसे हाथियों की है जो कानून द्वारा अनिवार्य किसी भी स्वामित्व प्रमाणपत्र के बिना निजी संरक्षण में तथा चिड़ियाघर, सर्कस और मंदिरों में हैं जो कि लगभग 207 हैं।
- यह रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय (Ministry of Environment and Forests-MoEF) ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी है जो खासकर केरल और असम में हाथियों की बढ़ती मौत तथा मानव-हाथी संघर्ष के चलते आई है।
- कुछ दिन पहले न्यायालय ने वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) को सभी बंदी हाथियों (स्वामित्व प्रमाणपत्र रहित/सहित) की पहचान करने का निर्देश दिया गया था।
- हाल ही में जस्टिस ए. के. सीकरी और एस. अब्दुल नजीर की पीठ द्वारा राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रबंधकों को सभी बंदी हाथियों की उम्र का पता लगाने का निर्देश दिया गया है, इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को सुनिश्चित की गई है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) की रिपोर्ट

- हलफनामे में 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आँकड़े शामिल किये गए हैं।
- इसके अनुसार, बंदी 2,454 हाथियों में से 560 वन विभाग के संरक्षण में हैं और 1,687 हथियों को लोगों ने अपने पास रखा है।
- हालाँकि, देश में कुल बंदी हाथियों में से 664 को मालिकाना हक के बिना रखा गया है, जबकि चिड़ियाघरों में 85, सर्कस में 26 और मंदिरों/धार्मिक संस्थानों में 96 हाथी हैं।
- महाराष्ट्र (13 बंदी हाथी) ने वन विभाग के साथ अपने हाथियों की संख्या को हलफनामे में शामिल नहीं किया है।
- इसमें 664 हाथियों के लिये कोई स्वामित्व प्रमाणपत्र नहीं है, या प्रमाणपत्र प्रक्रियाधीन हैं।
- 469 में असम से (335) और केरल (134) में इनकी ऐसी संख्या है जिसके लिये मालिकों के पास प्रमाणपत्र नहीं है। असम में 752 और केरल में 479 ऐसे हाथी हैं जो निजी स्वामित्व में हैं।
- पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) ने शीर्ष अदालत को बताया कि सभी बंदी हाथियों में से 58 प्रतिशत दो राज्यों में केंद्रित हैं - असम में 905 और केरल में 518।
- हलफनामे में बिहार द्वारा प्रस्तुत बंदी हाथियों के आँकड़ों में विसंगतियों को दर्शाया गया है जिनकी संख्या 66 है। सात ही पिछले दो सालों में 73 लोगों के खिलाफ निजी हिरासत में 59 हाथियों को रखने का आरोप सामने आया है।

असम की गोल्डन लंगूर प्रजनन परियोजना को मिली सफलता

चर्चा में क्यों ?

असम के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य में गोल्डन लंगूर संरक्षण कार्यक्रम (Golden Langur Conservation Project-GLCP) की सफलता की घोषणा की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहाटी में 26 जनवरी, 2019 को एक मादा गोल्डन लंगूर ने एक बच्चे को जन्म दिया।
- उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष अप्रैल में असम राज्य चिड़ियाघर के गोल्डन लंगूर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के तहत प्रायोगिक आधार पर गोल्डन लंगूर की एक उपयुक्त जोड़ी 'लवली' (मादा) तथा 'बोलिन' (नर) के बीच प्रजनन के उद्देश्य से प्रजनन स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया था।
- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority), नई दिल्ली की ओर से जारी एक घोषणा के अनुसार, असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहाटी को गोल्डन लंगूर के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिये चुना गया था।

गोल्डन लंगूर

- गोल्डन लंगूर, ट्रेचिपिथेकस गीई (trachypithecus geei) पश्चिमी असम और भारत-भूटान की सीमा से सटे इलाकों में पाया जाता है। यह भारत में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा हाल ही में खोजे गए प्राइमेट्स में से एक है।
- इसकी खोज 1953 में ई.पी.गी द्वारा औपचारिक रूप से की गई थी। IUCN की लाल सूची में इस प्रजाति को संकटापन्न (Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।
- हाल के वर्षों में कई एनजीओ और प्राइमेटोलॉजिस्टों ने असम के आसपास कई खंडित वन अधिवासों में प्राइमेट्स के संरक्षण के लिये काम शुरू किया है।

गोल्डन लंगूर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम

- असम चिड़ियाघर में गोल्डन लंगूर संरक्षण परियोजना (GLCP) की शुरुआत वर्ष 2011-12 में की गई थी। इस परियोजना के लिये धन की व्यवस्था केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा की गई थी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य विलुप्त हो रहे गोल्डन लंगूर की प्रजाति को संरक्षित करना है।

असम राज्य चिड़ियाघर

- असम राज्य चिड़ियाघर राजधानी गुवाहाटी के हेंगारी रिज़र्व फॉरेस्ट में स्थित है। यह चिड़ियाघर 175 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है जिसमें 82 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले वनस्पति उद्यान शामिल हैं।
- चिड़ियाघर में विभिन्न वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों की अनूठी विविधता के साथ 112 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- गुवाहाटी चिड़ियाघर की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी और इसका उद्घाटन वर्ष 1958 में किया गया था।
- अपने समृद्ध जीवों के कारण, असम राज्य चिड़ियाघर को गुवाहाटी शहर के "ग्रीन लंग" के रूप में जाना जाता है।

नोट :

सामाजिक मुद्दे

अभिनव (नई) दवाओं हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने विदेशी कंपनियों द्वारा विकसित की अभिनव (नई) दवाओं को पाँच साल के लिये मूल्य नियंत्रण से मुक्त कर दिया, जिससे भारतीय मरीजों को उन दवाओं तक पहुँच की सुविधा मिल सकेगी जो कि वर्तमान में केवल विदेशों में उपलब्ध है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- देश में दवाओं के वाणिज्यिक विपणन के लिये ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के संशोधन के तहत रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने नई दवाओं के उत्पादकों को छूट दी है। यह छूट भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 39 के तहत पेटेंट की तारीख से पाँच साल तक की अवधि के लिये होगी।
- इनमें ऐसी दवाएँ शामिल हैं जिनका उपयोग दुर्लभ चिकित्सा स्थितियों में इलाज के लिये किया जाता है।
- ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क की सह-संयोजक मालिनी आइसोला ने कहा कि निकट भविष्य में विदेशी कंपनियों को इससे लाभ मिलेगा और सरकार द्वारा नीतिगत रूप से लोगों के जीवन के लिये आवश्यक बेहद महँगी दवाइयों तक पहुँच को कठिन बना देगा।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की परवाह किये बिना महँगी दवाओं को मूल्य नियंत्रण के तहत रखने से सरकार को रोकेगा।
- सरकार का कहना है कि इस कदम से भारतीय मरीजों की विदेशी दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित होगी। हालाँकि सरकार द्वारा दी जा रही यह छूट गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की आलोचना के दायरे में आ गई है। ये NGO दावा करते हैं कि आपात स्थिति के दौरान मूल्य सीमा तय नहीं की जा सकती है।
- ऐसी आशंका है कि डीपीसीओ (DPCO) की अनुसूची -1 के रूप में जानी जाने वाली आवश्यक दवाओं की एक राष्ट्रीय सूची के माध्यम से दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के चलते गंभीर बीमारियों में उपयोग होने वाली कुछ दवाएँ पहुँच से बाहर हो सकती हैं, जबकि कोई भी दवा जो अनुसूची- I में शामिल है, स्वत: मूल्य नियंत्रण योग्य है। डीपीसीओ (DPCO) ने पहले से पेटेंट की गई दवाओं को छूट दी है जिन्हें "स्वदेशी" रूप से पाँच साल की अवधि के लिये विकसित किया जाना है।
- अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने अप्रैल में घोषणा की थी कि वह अमेरिकी डेयरी उद्योग और अमेरिकी चिकित्सा उपकरण उद्योग द्वारा भारत के GSP (Generalized System of Preferences) लाभों की समीक्षा का अनुरोध करने के बाद भारत की प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली (Generalized System of Preferences - GSP) की समीक्षा कर रहा था।
- एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन (Advance Medical Technology Association) ने USTR (United State Trade Representative) को भारत में जीएसपी लाभों को निलंबित करने की मांग करते हुए लिखा है कि इसके सदस्यों को कोरोनरी स्टेट और घुटने के प्रत्यारोपण पर 'ड्रैकोनियन' से संबंधित भारतीय मूल्य नियंत्रण को लेकर चिंतित थे, क्योंकि इसके कारण कीमतों में क्रमश: 85% और 70% गिरावट आई थी।

USTR क्या है ?

यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव (United State trade Representative)

- अमेरिकी व्यापार नीति किसानों, निर्माताओं, श्रमिकों, उपभोक्ताओं और व्यवसायियों के लिये नए अवसरों और उच्च जीवन स्तर बनाने के लिए दुनिया भर में बाजार खोलने की दिशा में काम करती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशों के साथ कई व्यापार समझौतों के लिये एक महत्त्वपूर्ण पार्टी है, जो दुनिया के कई देशों और क्षेत्रों के साथ नए व्यापार समझौतों के लिये वार्ता में भाग लेता है।

नोट :

NPPA (National Pharmaceutical Pricing Authority) क्या है ?

- नेशनल फ़ार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) एक सरकारी नियामक एजेंसी है जो भारत में फार्मास्यूटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है। इसका गठन 29 अगस्त 1997 को किया गया था।

GSP (Generalized System of Preferences) क्या है ?

- GSP एक वरीयता प्राप्त टैरिफ प्रणाली है जिसे विकसित देशों में विकासशील देशों द्वारा विस्तारित किया जाता है।

बाल देखभाल संस्थानों का सर्वे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत बाल देखभाल संस्थानों की जाँच-पड़ताल शामिल है। इस रिपोर्ट में चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा किये गए 9,589 आश्रय घरों/बाल देखभाल संस्थानों के सर्वेक्षण के निष्कर्ष शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- 'मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस (CCI)/होम्स' का अध्ययन किशोर न्याय प्रणाली के एक महत्त्वपूर्ण घटक पर प्रकाश डालता है जिसमें किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संदर्भ में देश भर में बाल देखभाल संस्थानों/आश्रय घरों की कार्य पद्धति प्रमुख है।
- इस सर्वेक्षण में 9,589 बाल देखभाल संस्थानों और आश्रय घरों का अध्ययन किया गया। इन संस्थानों में से ज्यादातर गैर-सरकारी संगठनों (NGO) द्वारा चलाए जाते हैं, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत आते हैं।
- आश्रय लेने वाले अधिकांश बच्चे अनाथ, परित्यक्त, यौन हिंसा के शिकार, तस्करी या आपदाओं एवं अन्य संघर्ष के शिकार हैं। इनमें कानूनी लड़ाई लड़ने वाले 7,422 बच्चे और 1,70,375 लड़कियों सहित देखभाल एवं सुरक्षा के इच्छुक कुल 3,70,227 बच्चे शामिल हैं।
- बच्चों को अक्सर उचित शौचालयों की कमी, असुरक्षित वातावरण जैसे माहौल का सामना करते हुए आश्रय घरों में रहना पड़ता है। विधि के तहत प्रदत्त शिकायत निवारण अवसर दर्दनाक वास्तविकता को रेखांकित करते हैं।
- हाल के अध्ययनों के अनुसार, 2016 तक केवल 32% बाल देखभाल संस्थान या आश्रय घर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत किये गए थे और बाकी या तो अपंजीकृत थे या पंजीकरण की प्रतीक्षा में थे।
- कुछ राज्यों में स्पष्ट रूप से बहुत कम आश्रय घर हैं। कुल आश्रय घरों के 43.5% तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में हैं।

आगे की राह

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस निराशाजनक प्रवृति में वांछित सुधार केवल राज्य सरकारों द्वारा व्यवस्थित जाँच के माध्यम से कर सकता है।
- यह कार्य कुछ विशेष अधिकारियों को नियुक्त करके किया जा सकता है, जिनका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी संस्थान किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत हों, प्रत्येक को प्राप्त धनराशि का लेखा-जोखा हो और गोद लेने के दौरान अनिवार्य बाल संरक्षण नीतियों का पालन किया जा रहा हो।

डेटा पॉइंट: स्कूली बच्चों की ड्रॉपआउट दर

क्या हैं हालात ?

हाल ही में 'शिक्षा हेतु एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली, U-DISE (Unified District Information System for Education)' ने भारत में स्कूली बच्चों की ड्रॉपआउट यानी समय से पहले स्कूल छोड़ने की दर जारी की है। U-DISE द्वारा जारी किये गए आँकड़े भारतीय शिक्षा प्रणाली पर कुछ सवाल खड़े करते हुए प्रतीत होते हैं।

नोट :

क्या कहते हैं आँकड़े ?

- **भारत में स्कूल ड्रॉपआउट की औसत दर**
  - 100 छात्रों के प्रारंभिक नामांकन में से भारत में औसतन केवल 70 छात्र सीनियर सेकेंडरी अर्थात 12वीं की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं।
  - प्राथमिक शिक्षा स्तर पर छात्रों की संख्या औसतन 94 है, जबकि सेकेंडरी अर्थात् 10वीं तक आते-आते छात्रों की यह संख्या 75 रह जाती है।
- **SC/ST छात्रों के बीच ड्रॉपआउट दर**
  - 100 ST छात्रों में से केवल 61 छात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल (12वीं) तक पहुँच पाते हैं जो SC/ST/ OBC/GEN समुदायों में सबसे कम हैं।
  - वहीं 100 SC छात्रों में से केवल 65 छात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल (12वीं) तक पहुँच पाते हैं। विस्तृत अवलोकन हेतु नीचे दिया गया टेबल देखें...
- **ड्रॉपआउट में लैंगिक समानता**
  - ड्रॉपआउट में कोई लैंगिक असमानता नहीं है। पढ़ाई पूरी किये बिना स्कूल छोड़ने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है। विस्तृत अवलोकन हेतु नीचे दिया गया टेबल देखें...

राज्य-वार आँकड़ा

- सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाले झारखंड राज्य में स्कूली बच्चों की ड्रॉपआउट दर सबसे उच्चतम है। जहाँ 100 में से केवल 30 छात्र अपनी पढाई पूरी कर पाते हैं।
- आदिवासियों में ड्रॉपआउट दर सभी समुदायों में सबसे अधिक है।
- झारखंड के विपरीत सबसे कम ड्रॉपआउट दर वाले राज्य इस प्रकार हैं-
  - तमिलनाडु (सबसे कम ड्रॉपआउट दर), केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र।

नोट:

- आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हेतु डेटा उपलब्ध नहीं है।
- प्राथमिक विद्यालय (Elementary School) ग्रेड 1 से 8 को संदर्भित करता है, सेकेंडरी (Secondary School) ग्रेड 9 और 10 को संदर्भित करता है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल (Senior) ग्रेड 11 और 12 को संदर्भित करता है।

मानव तस्करी' में यूरोप की स्थिति गंभीर: UN

चर्चा में क्यों ?

हाल में आई UN (United Nation) की एक रिपोर्ट में यूरोप में मानव तस्करी विशेष रूप से बच्चों की तस्करी की भयावह स्थिति को प्रदर्शित किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप के कई भागों में भारत सहित दक्षिण-एशियाई देशों से तस्करी कर लाये गए लोगों की पहचान की गई।
- इसके अनुसार मानव तस्करी से लगभग एक-तिहाई बच्चे पीड़ित हैं जिनको मुख्यत: बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान सहित दक्षिण एशियाई देशों से तस्करी कर लाया जाता है इनमें नेपाल एवं श्रीलंका भी शामिल हैं।
- अफगानिस्तान से तस्करी कर लाये गए लोगों को नॉर्डिक देशों, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में देखा जा सकता है।
- तस्करी द्वारा लाये गए मूल रूप से दक्षिण एशियाई देशों के पीड़ितों की पहचान दुनिया के 40 से भी अधिक देशों में की गई, जिनमें अधिकतर पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में पाए गए हैं।
- बांग्लादेश और भारत से तस्करी कर लाये गए बहुत से पीड़ित लोग दक्षिण-पूर्व एशिया में भी पाए गए हैं।

नोट :

- संयुक्त राष्ट्र का ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस (UNODC) 142 देशों की तस्करी की स्थिति और प्रक्रिया के जाँच की वैश्विक रिपोर्ट जारी करती है।
- बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान के बारे में उपलब्ध सीमित जानकारी के अनुसार, इस उपक्षेत्र में कुल ज्ञात पीड़ितों में महिलाओं का 59 प्रतिशत है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मानव तस्करी की निगरानी का कार्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास एजेंडा का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे सदस्य देशों को इस समस्या से निपटने में हुई प्रगति की निगरानी करने और लैंगिक व उम्र के आधार पर शोषण के शिकार लोगों की संख्या ज्ञात करने में मदद मिलती है।
- हालाँकि, उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया के कई देशों और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में अभी भी ज्ञान के अभाव के कारण तस्करी पर डेटा रिकॉर्ड करने एवं उसे साझा करने की पर्याप्त क्षमता नही है।
- अपने मूल क्षेत्र से बाहर तस्करी कर लाये गये ज्यादातर पीड़ित पूर्वी एशियाई देशों से हैं, इसके बाद उप-सहारा अफ्रीका का स्थान है। जबकि इन क्षेत्रों में तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, क्योंकि अभी भी कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान बहुत कम है।
- महिलाओं और लड़कियों को दुनिया भर में सबसे अधिक तस्करी का शिकार बनाया जाता है। उनमें से लगभग तीन-चौथाई की तस्करी यौन शोषण हेतु तथा लगभग 35 प्रतिशत (महिलाएँ लड़कियाँ) की जबरन श्रम के लिये की जाती है।

मानव तस्करी का कारण

- आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने, समाज में भय फैलाने और तस्करी को आतंकवादी संगठनों में भर्ती के लिये प्रोत्साहित करना।
- बाल सैनिकों के रूप में श्रम और यौन गुलामी को बढ़ावा देना।
- महिलाओं का मानसिक सामाजिक एवं शारीरिक शोषण।
- यौन शोषण के लिये तस्करी करना यूरोपीय देशों में इसका सबसे प्रचलित रूप है, जबकि उप-सहारा अफ्रीका और मध्य-पूर्व के देशों में जबरन अवैध व्यापार।

उद्देश्य

- बच्चों एवं महिलाओं के शोषण को रोकना।
- मानव तस्करी की भयावह स्थिति का संज्ञान लेते हुए बच्चों को गुमराह होने से बचाना, आतंकवाद को रोकना, श्रम और यौन शोषण को रोकना।
- तकनीकी सहायता और सहयोग बढ़ाकर सभी देशों को पीड़ितों की रक्षा करने और अपराधियों को सजा दिलाने के साथ ही सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना।

देवदासी प्रथा अब भी प्रचलित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), मुंबई और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (TISS), बेंगलुरु द्वारा 'देवदासी प्रथा' पर दो नए अध्ययन किये गए। ये अध्ययन देवदासी प्रथा पर नकेल कसने हेतु विधायिका और प्रवर्तन एजेंसियों के उदासीन दृष्टिकोण की एक निष्ठुर तस्वीर पेश करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक देवदासी (समर्पण का प्रतिषेध) अधिनियम, 1982 (Karnataka Devadasis (Prohibition of Dedication) Act of 1982) के 36 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस कानून के संचालन हेतु नियमों को जारी करना बाकी है जो कहीं-न-कहीं इस कुप्रथा को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रहा है।
- देवी/देवताओं को प्रसन्न करने के लिये सेवक के रूप में युवा लड़कियों को मंदिरों में समर्पित करने की यह कुप्रथा न केवल कर्नाटक में बनी हुई है, बल्कि पड़ोसी राज्य गोवा में भी फैलती जा रही है।

नोट :

- अध्ययन के अनुसार, मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर लड़कियाँ इस कुप्रथा के लिये सबसे आसान शिकार हैं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के अध्ययन की हिस्सा रहीं पाँच देवदासियों में से एक ऐसी ही किसी कमज़ोरी से पीड़ित पाई गई।
- NLSIU के शोधकर्त्ताओं ने पाया कि सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिये पर स्थित समुदायों की लड़कियाँ इस कुप्रथा की शिकार बनती रहीं हैं जिसके बाद उन्हें देह व्यापार के दल-दल में झोंक दिया जाता है।
- TISS के शोधकर्त्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि देवदासी प्रथा को परिवार और उनके समुदाय से प्रथागत मंज़ूरी मिलती है।

प्रथा खत्म क्यों नहीं होती ?

- व्यापक पैमाने पर इस कुप्रथा के अपनाए जाने और यौन हिंसा से इसके जुड़े होने संबंधी तमाम साक्ष्यों के बावजूद हालिया कानूनों जैसे कि- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (JJ) अधिनियम, 2015 में बच्चों के यौन शोषण के एक रूप में इस कुप्रथा का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।
- भारत के अनैतिक तस्करी रोकथाम कानून या व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 में भी देवदासियों को यौन उद्देश्यों हेतु तस्करी के शिकार के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है।
- अध्ययन ने यह रेखांकित किया है कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये आजीविका स्रोतों को बढ़ाने में राज्य की विफलता भी इस प्रथा की निरंतरता को बढ़ावा दे रही है।

देवदासी प्रथा है क्या ?

- प्राचीन समय से ही हमारे समाज में तमाम कुरीतियों और अंधविश्वासों का बोलबाला रहा है जो समय के साथ व्यापक वैज्ञानिक चेतना के विकसित होने से धीरे-धीरे लुप्त होते गए। किंतु हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसी कुरीतियों और अंधविश्वासों का अभ्यास व्यापक पैमाने पर किया जाता है जो 21वीं सदी के मानव समाज के लिये शर्मसार करने वाली हैं। इन्हीं कुरीतियों में से एक है- देवदासी प्रथा।
- इस प्रथा के अंतर्गत देवी/देवताओं को प्रसन्न करने के लिये सेवक के रूप में युवा लड़कियों को मंदिरों में समर्पित करना होता है।
- इस प्रथा के अनुसार, एक बार देवदासी बनने के बाद ये बच्चियाँ न तो किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर सकती है और न ही सामान्य जीवन व्यतीत कर सकती है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अपने लक्ष्य से पीछे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Grameen Awas Yojana-PMGAY) के तहत शुरू किये गए एक करोड़ घरों को पूरा करने के लक्ष्य का केवल 66% हिस्सा ही हासिल किया जा सका है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- ग्रामीण गरीबों को आवास प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2019 तक एक करोड़ घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से अभी तक सिर्फ 66% ही हासिल किया गया है।
- इस पर केंद्र सरकार ने तर्क देते हुए ने बताया है कि राज्य सरकारें भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में देरी कर रही हैं क्योंकि बहुत से लाभार्थियों के पास PMAY घरों का निर्माण कराने के लिये खुद की ज़मीन नहीं है।
- हालाँकि ग्रामीण विकास मंत्रालय अभी भी मार्च के अंत (तय की समय सीमा) तक तय लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहा है, जबकि अभी लगभग 15 लाख घरों का निर्माण किया जाना बाकी है, बहुत से घरों का आधा निर्माण कार्य हो चुका है जिनके अतिशीघ्र पूरा होने की संभावना जताई जा रही है।
- पिछले कुछ दिनों में राज्यों को लिखे गए पत्र में मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि लगभग 4.72 लाख चिह्नित भूमिहीन लाभार्थियों में से केवल 12% को ही मकान निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध कराई गई थी।

नोट :

भूमि आवंटन से संबंधित उपलब्ध आँकड़े

एक आँकड़े के अनुसार, जुलाई 2018 तक कुछ सबसे पिछड़े हुए राज्यों महाराष्ट्र में लगभग 1.39 लाख भूमिहीन लाभार्थियों में से केवल 890 को ही भूमि प्रदान की गई। असम में 48,283 भूमिहीन लाभार्थियों में से 574 को भूमि प्रदान की गई। बिहार में 5,348 लाभार्थियों में से केवल 55 लोगों को भूमि आवंटित की गई, जबकि पश्चिम बंगाल ने अपने 34,884 भूमिहीन लाभार्थियों में से एक को भी भूमि आवंटित नहीं की।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना - (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

उद्देश्य - पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करके आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा गैर-लाभकारी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे के ग्रामीण लोगों की मदद करना।

लाभार्थी - लाभार्थी एससी / एसटी, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी / एसटी श्रेणियाँ, विधवाओं या कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों से संबंधित लोग हैं।

लाभार्थियों का चयन - 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आँकड़ों के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

समय सीमा- इस परियोजना को तीन साल की अवधि के लिये लागू किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना - (शहरी मामलों का मंत्रालय)

- यह मिशन 2015- 2022 के लिये लागू किया जा रहा है। यह शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक शहर और बाद में अधिसूचित शहर मिशन के अंतर्गत शामिल किये जाएंगे।

  इसके निम्नलिखित प्रावधान हैं -
  - निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले मौजूदा झुग्गी निवासियों का इन-सीटू (उसी स्थान पर) पुनर्वास किया जाएगा।
  - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी।
  - साझेदारी में किफायती आवास।
  - लाभार्थी के नेतृत्व वाले निजी घर निर्माण / मरम्मत के लिये सब्सिडी।
- सहकारी संघवाद की भावना के तहत यह मिशन राज्यों को उनके राज्य में आवास की मांग को पूरा करने के लिये उपरोक्त चार माध्यमों से सबसे अच्छा विकल्प चुनने हेतु सुविधा प्रदान करता है।
- मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजना तैयार करने और अनुमोदन की प्रक्रिया राज्यों पर छोड़ दी गई है ताकि परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके।

नहीं खुलेंगे नए इंजीनियरिंग कॉलेज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education -AICTE) ने बी.वी.आर मोहन रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि इस समिति का गठन इंजीनियरिंग शिक्षा हेतु लघु और मध्यम अवधि की योजना पर सिफारिशें प्रदान करने के लिये किया गया था।

समिति की मुख्य सिफारिशें

- 2020 के बाद किसी भी नए इंजीनियरिंग कॉलेज को मंज़ूरी नहीं।
- पहले से ही आवेदन करने वालों को रियायतें दी जानी चाहिये।
- मौजूदा इंजीनियरिंग संस्थानों में से केवल उन संस्थानों का अनुरोध स्वीकार किया जाना चाहिये जो नई तकनीकों में शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने या पारंपरिक इंजीनियरिंग विषयों में मौजूदा क्षमता को बदलते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता या रोबोटिक्स जैसी उभरती तकनीकों को शामिल करते हों।

नोट :

- कॉलेज में नई क्षमता के निर्माण की समीक्षा हर दो साल में की जानी चाहिये।
- समिति ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education -AICTE) को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचैन, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा साइंसेज, साइबर स्पेस, 3डी प्रिंटिंग और डिज़ाइन जैसी उभरती तकनीकों में अंडर-ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने का सुझाव दिया है।
- समिति ने पाया कि शैक्षिक संस्थानों में नवाचार, इन्क्यूबेशन और स्टार्ट-अप के लिये उचित माहौल का अभाव है। इसलिये प्रत्येक शिक्षण संस्थान हेतु निम्नलिखित अनिवार्य होने चाहिये-
  - अंडर-ग्रेजुएट्स के लिये उद्यमिता ऐच्छिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिये।
  - अटल इनोवेशन प्रयोगशालाओं के समान ही टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ प्रत्येक संस्थान में होनी चाहिये।
  - शैक्षिक संस्थानों को इन्क्यूबेटर सेंटर, मेंटर क्लब और एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करने की आवश्यकता है।
- मौजूदा संस्थानों में अतिरिक्त सीटों को मंज़ूरी देने के संदर्भ में समिति ने कहा है कि AICTE को संबंधित संस्थान की क्षमता के आधार पर ही अनुमोदन देना चाहिये।

पृष्ठभूमि

- देश में हर साल सैकड़ों की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होते जा रहे हैं क्योंकि उनमें छात्र प्रवेश नहीं ले रहे हैं। पिछले वर्ष करीब 800 इंजीनियरिंग संस्थानों ने बंद करने के प्रस्ताव पेश किये थे।
- ये आँकड़े हैरत में डालने वाले हैं जिनसे पता चलता है कि देश में उच्च शिक्षा को लेकर रुख बदल रहा है।
- निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने में छात्रों की रुचि में काफी गिरावट आई है। इन संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर पिछले दिनों काफी सवाल खड़े किये गए।
- एक जाँच में इन संस्थानों को खराब बुनियादी ढाँचे, संबंधित उद्योगों से जुड़ाव और प्रयोगशाला की कमी जैसी समस्याओं से जूझता पाया गया।
- इन संस्थानों में फीस तो भारी भरकम वसूली जाती है, लेकिन इंटर्नशिप और रोज़गार का कोई इंतजाम नहीं होता है।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के मुताबिक, 60 फीसदी से अधिक इंजीनियरिंग छात्र बेरोज़गार ही रह जाते हैं। शेष छात्रों को कम वेतन वाली नौकरी मिलती है क्योंकि उनकी शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होता है।

बुजुर्ग गरीबों, विकलांगों और विधवाओं की मासिक पेंशन में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय (Rural Development Ministry) ने बुजुर्ग गरीबों, विकलांगों और विधवाओं की मासिक पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

क्या है प्रस्ताव ?

- गरीब बुजुर्गों, विकलांगो और विधवाओं की मौजूदा मासिक पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए किया जाए।
- 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिये मौज़ूदा मासिक पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए किया जाए।

प्रमुख बिंदु

- यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके कारण सरकार पर 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक खर्च आएगा।
- योजना द्वारा कवर किये गए लोगों की संख्या को दोगुना करने पर विचार करने के लिये एक अध्ययन भी शुरू किया गया है।
- कवरेज बढ़ाने के लिये, केंद्र और राज्य पेंशन योजनाओं के विलय संबंधी प्रस्ताव पर भी राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।
- वर्तमान में NSAP के तहत आने वाले लोगों की संख्या निर्धारित करने के लिये मानदंड के रूप में गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line-BPL) मानदंड का उपयोग किया जाता है।

नोट :

- लेकिन राजस्थान, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने पहले ही अपनी स्वयं की पेंशन योजनाओं के लिये सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 (Socio Economic and Caste Census-SECC-2011) के डेटा का उपयोग करते हैं।

पृष्ठभूमि

- अक्तूबर 2018 में विकलांगता और बुजुर्ग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) की एक समिति ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिये कुछ उपायों की सिफारिश की थी जो इस प्रकार हैं:
  - केंद्र को वृद्ध व्यक्तियों के लिये पेंशन योजना में अपना योगदान 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर देना चाहिये।
  - उन वरिष्ठ नागरिकों, जो अपने परिवार कि सहायता के बिना अकेले रह रहे हैं, की देखभाल के लिये भारत को 'टाइम बैंक' योजना का अनुसरण करना चाहिये।
  - अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों के निपटान लिये ज़िला स्तर पर एक नोडल पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिये।
  - वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility-CSR) निधियों का उपयोग किया जाना चाहिये।

टाइम बैंक योजना (Time Bank Scheme)

- 'टाइम बैंक' योजना के तहत, लोग अपने समय की बचत करते हैं तथा उन बुजुर्गों की मदद के लिये स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता होती है।
- बुज़ुर्ग नागरिकों के साथ या उनकी सेवा में ये लोग जितने घंटे का समय व्यतीत करते हैं उस समय को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के व्यक्तिगत खाते में जमा कर दिया जाता है।
- जब स्वयंसेवक खुद बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में वे 'टाइम बैंक' का उपयोग कर सकते हैं और एक स्वयंसेवक को उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती है।
- स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) और यूनाइटेड किंगडम (UK) 'टाइम बैंक' योजना का अनुसरण कर रहे हैं जबकि सिंगापुर इसे लागू करने पर विचार कर रहा है।
- दिसंबर, 2018 में सर्वोच्च न्यायलय ने अपने एक आदेश में भारत सरकार से इन पेंशन योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिये कहा था ताकि इन योजनाओं को अभिसारित किया जा सके और बहुलता (एक ही प्रकार की कई योजनाएँ) से बचा जा सके।
- इसने भारत सरकार और राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे वित्त की उपलब्धता और सरकार की आर्थिक क्षमता के आधार पर बुजुर्गों के पेंशन संबंधी अनुदान को अधिक यथार्थवादी बनाएँ।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme)

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम को ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है।

संवैधानिक प्रावधान

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) संविधान के अनुच्छेद 42 और विशेष रूप से अनुच्छेद 41 में दिये गए नीति-निदेशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
  - अनुच्छेद 41 के अनुसार, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
  - अनुच्छेद 42 के अनुसार, राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिये और प्रसूति सहायता के लिये उपबंध करेगा।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत पहली बार 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। वर्ष 2016 में इसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की प्रमुखतम (Core of Core) योजनाओं में शामिल किया गया था।

नोट :

- वर्तमान में वर्ष 2019 में, इसके पाँच घटक हैं:
  1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme-IGNOAPS) – इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी।
  2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme-NFBS)- इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी।
  3. अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)- यह योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई।
  4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme-IGNWPS) - 2009 में शुरू की गई।
  5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme) - 2009 में शुरू की गई।
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (National Maternity Benefit Scheme-NMBS), NSAP का हिस्सा थी और बाद में इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

केंद्रीय योजनाएँ

- केंद्रीय योजनाओं को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (Central Sector Schemes) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes-CSS) में विभाजित किया गया है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ

- इन योजनाओं का शत प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- ये योजनाएँ केंद्र सरकार द्वारा ही लागू की जाती हैं।
- इन्हें मुख्य रूप से संघ सूची में शामिल विषयों के आधार पर तैयार किया जाता है।
- उदाहरण- भारतनेट, नमामि गंगे-राष्ट्रीय गंगा योजना इत्यादि।

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

- केंद्र प्रायोजित योजनाएँ केंद्र द्वारा तैयार की गई योजनाएँ हैं जिनमें केंद्र और राज्यों दोनों की वित्तीय भागीदारी होती है।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) को प्रमुखतम योजनाओं (Core of the Core Schemes), प्रमुख योजनाओं (Core Schemes) और वैकल्पिक योजनाओं (Optional schemes) में विभाजित किया गया है।
- वर्तमान में प्रमुखतम योजनाओं की संख्या 6 जबकि प्रमुख योजनाओं की संख्या 22 है।
- इनमें से अधिकांश योजनाएँ राज्यों की विशिष्ट वित्तीय भागीदारी को निर्धारित करती हैं। उदाहरण के लिये, मनरेगा (MGNREGA) के मामले में, राज्य सरकारों को 25% का महत्त्वपूर्ण व्यय करना पड़ता है।

6 प्रमुखतम योजनाएँ हैं-

1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme)
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program)
3. अनुसूचित जाति के विकास के लिये समग्र योजना (Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes)
4. अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये समग्र कार्यक्रम (Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes)
5. अल्पसंख्यकों के विकास के लिये समग्र कार्यक्रम (Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes)
6. अन्य अल्पसंख्यक समूहों के विकास के लिये समग्र कार्यक्रम (Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups)

नोट :

कला एवं संस्कृति

राष्ट्रीय महत्व के स्मारक

संदर्भ

हाल ही में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की घोषणा की है।

घोषित स्मारक

- राजस्थान के अलवर ज़िले में प्राचीन नीमराना की बावड़ी।
- ओडिशा के बोलनगीर ज़िले के रानीपुर झारियाल में मंदिरों का समूह।
- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में विष्णु मंदिर।
- नागपुर, महाराष्ट्र में उच्च न्यायालय भवन।
- आगरा में दो मुगलकालीन स्मारक - आगा खान और हाथी खान की हवेली।

उच्च न्यायालय भवन

- नागपुर उच्च न्यायालय भवन को इसकी सुंदर संरचना के कारण पत्थर में कविता (Poem in Stone) कहा जाता है।
- हाईकोर्ट के बाहरी भाग की सबसे विशिष्ट विशेषता गुंबद, भव्य प्रवेश द्वार, दोनों टावर और राजसी सीढ़ी है।
- इसे वास्तुकार एच.ए.एन. मेड (H.A.N. Medd) द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसके स्तंभों में यूनानी प्रभाव की प्रमुखता को देखा जा सकता है।

नीमराना की बावड़ी

- नीमराना स्टेपवेल का निर्माण 18वीं शताब्दी में ठाकुर जनक सिंह द्वारा किया गया था।
- इसे स्थानीय भाषा में रानी की बावली के नाम से भी जाना जाता है।
- इस स्टेपवेल के निर्माण का प्राथमिक कारण उस दौरान क्षेत्र में आये अकाल के दौरान रोजगार का सृजन करना था।
- यह राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है।

रानीपुर-झारियाल- ओडिशा में मंदिरों का समूह

- ओडिशा के बोलनगीर ज़िले में रानीपुर झारियाल के पास मंदिरों के एक समूह को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है।
- रानीपुर झारियाल को शास्त्रों में "सोम तीर्थ" के रूप में जाना जाता है।
- यह शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णववाद और तंत्रवाद के धार्मिक विश्वासों का एक संयोजन है।
- यह स्थल चौसठ (64) योगिनी मंदिरों या बिना छतों वाले मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है- जिन्हें हाईपेथ्रल मंदिरों के रूप में जाना जाता है।

टूटे सपनों की गवाही : फूटी मस्ज़िद

संदर्भ

मुर्शिदाबाद (Murshidabad) जो अब पश्चिम बंगाल का एक छोटा सुस्त शहर है 18वीं – 19वीं शताब्दी में एक सक्रिय एवं धनाढ्य शहर था। यह शहर अतीत की बहुत-सी महत्त्वपूर्ण घटनाओं, सियासी साजिशों और बहुत-से प्रसिद्ध सम्राटों के किस्सों का गवाह है।

नोट :

ऐतिहासिक विवरण

- बादशाह सरफराज खान, जिनके नाना मुर्शीद कुली खान थे, के द्वारा ही नासिरी वंश (Nasiri dynasty) एवं इस शहर (मुर्शिदाबाद Murshidabad) की स्थापना की
- नवाब मुर्शिद कुली खान ने 1727 में अपनी मृत्यु से पहले सरफराज खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया क्योंकि सिंहासन का कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था।
- हालाँकि शुजा खान (सरफराज के पिता) मुर्शिदाबाद का मसनद (Musnad) या सिंहासन प्राप्त करना चाहता था, लेकिन नवाब इससे असंतुष्ट रहते थे इसीलिये उन्होंने सरफराज को अपना उत्तराधिकारी बनाया।
- सरफराज 1739 में अलाउद्दीन हैदर जंग के नाम से सिंहासन पर बैठा। परंतु उसका शासन अल्पकालिक (लगभग एक साल) रहा क्योंकि उसके वज़ीर हाज़ी अहमद ने एक अमीर महाजन जगत सेठ फतेह चंद और राय रेयान चंद के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ साजिश शुरू कर दी।
- हाज़ी अहमद ने सरफराज खान की जगह लेने के लिये बिहार के नवाब 'नाजिम अली वर्दी खान' को आमंत्रित किया, फलस्वरूप गिरिया की लड़ाई में अली वर्दी खान ने सरफराज खान को हरा दिया।

महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक विशेषताएँ

- मुर्शिदाबाद में नवाबों द्वारा निर्मित अनेक भव्य मस्ज़िद, महल और इमामबाड़ा हैं जो अतीत की संवृद्धि और विकास के परिचायक हैं।
- यहाँ एक आकर्षक मस्ज़िद (फूटी मस्ज़िद) है जिसका निर्माण कार्य अधूरा है, लेकिन अपनी अधूरी संरचना में भी यह रहस्यमयी एवं सारगर्भित इतिहास को दर्शाती है।

फूटी मस्ज़िद

- फूटी मस्ज़िद लगभग 135 फीट लंबी और 38 फीट चौड़ी, चारो कोनों पर चार गुम्बद हैं। पाँच नियोजित गुंबदों में से केवल दो का ही कार्य पूरा हुआ है।
- जैसा कि बताया जाता है कि इसका निर्माण शुरू होने के तुरंत बाद बादशाह की मृत्यु हो गई, जिससे मस्ज़िद को कभी भी पूरा नहीं किया जा सका। इसीलिये इस मस्ज़िद का नाम फूटी मस्ज़िद (Fouti Masjid) पड़ा ।
- फाउट (Fout) का अर्थ है मृत्यु। जैसाकि नाम से प्रतीत होता है कि मस्ज़िद को इसके निर्माता की मृत्यु के बाद ही फूटी मस्ज़िद (Fouti Masjid) नाम दिया गया होगा।
- मस्ज़िद आज भी अधूरी है, इसके प्रवेश मार्ग ऊँचाई पर है, इसमें विशाल हॉल और मेहराब है।
- मस्ज़िद में निर्जनता, रहस्य और आध्यात्मिकता का एक ऐसा समावेश है जो एक डरावनी (हॉरर) फिल्म जैसा प्रतीत होता है।
- एक किंवदंती यह है कि इस मस्ज़िद का निर्माण सरफराज खान ने एक रात में किया था।

भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय

चर्चा में क्यों ?

भारतीय सिनेमा के एक सदी से अधिक पुराने इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय (National Museum of Indian Cinema-NMIC) का निर्माण किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस संग्रहालय का निर्माण 140.61 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
- यह संग्रहालय श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में संग्रहालय सलाहकार समिति (Museum Advisory Committee) के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है तथा प्रसून जोशी की अध्यक्षता मां गठित समिति ने इस संग्रहालय को उन्नत बनाने में सहयोग किया है।
- यह संग्रहालय दो इमारतों- 'नवीन संग्रहालय भवन' (New Museum Building) और 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक महल 'गुलशन महल' (Gulshan Mahal) में स्थित है। ये दोनों इमारतें मुंबई में फिल्म प्रभाग (Films Division) परिसर में हैं।

नोट :

नवीन संग्रहालय भवन में चार प्रदर्शनी हॉल मौजूद हैं-

1. गांधी और सिनेमा (Gandhi & Cinema) : यहाँ महात्मा गांधी के जीवन पर बनी फिल्में मौजूद हैं। इसके साथ सिनेमा पर उनके जीवन के गहरे प्रभाव को भी दिखाया गया है।
2. बाल फिल्म स्टूडियो (Children's Film Studio): यहाँ आगुंतकों, विशेष रूप से बच्चों को फिल्म निर्माण के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला को जानने का मौका मिलेगा।
3. प्रौद्योगिकी, रचनात्मकता और भारतीय सिनेमा (Technology, creativity & Indian cinema): यहाँ भारतीय फिल्मकारों द्वारा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की जानकारी मिलेगी। रजत पटल पर फिल्मकारों के सिनेमाई प्रभाव को भी पेश किया गया है।
4. भारतीय सिनेमा (Cinema across India) : यहाँ देशभर की सिनेमा संस्कृति को दर्शाया गया है।

गुलशन महल (Gulshan Mahal)

- गुलशन महल को मूल रूप से गुलशन आबाद (समृद्धि का बगीचा) के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण 1800 शताब्दी के मध्य में किया गया था। इस पर 'खोजा मुस्लिम समुदाय' (Khoja Muslim community) के एक गुजराती व्यापारी' 'पीरभॉय खलकदिना' (Peerbhoy Khalakdina) का स्वामित्त्व था।
- गुलशन महल ASI ग्रेड – II धरोहर संरचना (ASI Grade-II Heritage Structure) है। NMIC परियोजना के हिस्से के रूप में इसकी मरम्मत की गई है।
- यहाँ पर भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष से अधिक समय की यात्रा दर्शाई गई है।
- इसे 9 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें शामिल हैं-
  1. सिनेमा की उत्पत्ति (The Origin of Cinema)
  2. भारत में सिनेमा का आगमन (Cinema comes to India)
  3. भारतीय मूक फिल्म (Indian Silent Film)
  4. ध्वनि की शुरूआत (Advent of Sound)
  5. स्टूडियो युग (Studio Era)
  6. द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव (The impact of World War II)
  7. रचनात्मक जीवंतता (Creative Resonance)
  8. नई विचारधारा और उससे आगे/न्यू वेव एंड बियॉन्ड (New Wave and Beyond)
  9. क्षेत्रीय सिनेमा (Regional Cinema)

लोथल...भारत का सबसे पुराना बंदरगाह शहर

हमारे देश में स्कूल में पढ़ चुके बच्चों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी न हो। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। इसे यह नाम इसलिये दिया गया क्योंकि 1920 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्वविद् सर मॉर्टिमर व्हीलर ने सबसे पहले हड़प्पा में ही खोदाई का काम शुरू किया था।

हड़प्पा सभ्यता बेहद विशाल थी तथा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसका विस्तार था। हालाँकि, भारत विभाजन के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के कब्ज़े में चले गए, फिर भी हड़प्पा सभ्यता के कई स्थान भारत में भी मौजूद रहे।

कैसा है लोथल ?

- भारतीय पुरातत्वविदों ने गुजरात के सौराष्ट्र में 1947 के बाद हड़प्पा सभ्यता शहरों की खोज शुरू की और इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली।
- पुरातत्वविद एस.आर. राव की अगुवाई में कई टीमों ने मिलकर 1954 से 1963 के बीच कई हड़प्पा स्थलों की खोज की, जिनमें में बंदरगाह शहर लोथल भी शामिल है।
- हड़प्पा संस्कृति को दो उप-कालखंडों में रखा जा सकता है: 1. 2400-1900 ईसा पूर्व और 2. 1900-1600 ईसा पूर्व।

नोट :

- मोहनजोदड़ो की तरह लोथल का भी अर्थ है, मुर्दों का टीला। खंभात की खाड़ी के पास भोगावो और साबरमती नदियों के बीच स्थित है लोथल।
- अहमदाबाद से एक लंबी और धूल-मिट्टी से भरी यात्रा के बाद सारगवाला गाँव आता है जहाँ लोथल का पुरातात्विक स्थल स्थित है।
- यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है कि ये ईंटें हाल-फिलहाल में ही बनाई गई है, किसी भी हालत में 2400 ईसा पूर्व की तो नहीं ही लगतीं।
- सबसे पहले दिखाई देता है एक आयताकार बेसिन, जिसे डॉकयार्ड कहा जाता था। 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा यह बेसिन चारों तरफ से पक्की ईंटों से घिरा हुआ है। इसमें स्लूस गेट और इनलेट (Sluice Gate & Inlet) के लिये जगह छोड़ी गई है।

पहला बंदरगाह शहर

चूँकि अभी तक हम सिंधु लिपि को व्याख्याबद्ध (Decode) नहीं कर पाए हैं, इसलिये यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या लोथल वास्तव में देश का पहला बंदरगाह शहर था। इसे लेकर इतिहासकारों में भी मतभेद है। लेकिन यह सच है कि अन्य प्राचीन शहरों में मिली लोथल की मुद्राओं से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार में इसका बेहद महत्त्व था। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह डॉकयार्ड हड़प्पा वासियों की समुद्री गतिविधियों की ओर संकेत करता है।

- 4500 वर्षीय पुराना यह शहर गणितीय तरीके से योजनाबद्ध रूप से बना था। इसमें उचित कोणों पर सड़कों को पार करने की व्यवस्था, जल निकासी प्रणालियाँ और बड़े स्नानागार की व्यवस्था थी।
- शौचालय और लोटे जैसे जार मिलने से यह पता चलता है कि स्वच्छता पर पर्याप्त ज़ोर दिया जाता था।

The Early Indians

टोनी जोसेफ ने अपनी पुस्तक, The Early Indians: The Story of Our Ancestors and Where We Came From में लिखा भी है कि इस मामले में दक्षिण एशियाई लोगों के तौर-तरीकों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इस पुस्तक से यह भी पता चलता है कि लोथल में हुई खोदाई में एक कलश भी मिला था। इसमें एक घड़े के आगे एक कौए का चित्र बना है, जिसके पीछे एक हिरण दिख रहा है। अपनी इस पुस्तक में टोनी जोसफ ने लिखा भी है... "कुछ किस्से-कहानियाँ जो आज हम अपने बच्चों को बताते हैं, वे शायद वही हैं जो हड़प्पा वासी अपने बच्चों को बताया करते थे।"

- इसके बाद एक प्राचीन कुआँ और एक भंडारगृह के अवशेष देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह शहर का ऊपरी हिस्सा या नगरकोट (Citadel) है।
- लोथल शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ था: 1. ऊपरी हिस्सा (Upper Town) और 2. निचला हिस्सा (Lower Town)।
- यहाँ मिलने वाले ईंट की दीवारों के अवशेष, चौड़ी सड़कों, नालियों और स्नागारों की ओर इंगित करते हैं।
- इसके बाद ऐसा स्थान दिखाई देता है, जो मनके बनाने वाली फैक्ट्री की तरह लगता है। लेकिन इसके स्पष्ट चिह्न देखने को नहीं मिलते।
- हड़प्पा समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था लोथल। यहाँ पर अर्द्ध-कीमती रत्नों, टेराकोटा, सोने आदि से बने मनके-मोती सुमेर (आधुनिक इराक), बहरीन और ईरान जैसे क्षेत्रों में भी लोकप्रिय थे।

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संग्रहालय

लोथल में मनके-मोती बनाने वाले बेहद कुशल थे। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संग्रहालय में लोथल में मिले मोती-मनके रखे गए हैं। यहाँ लगे एक साइनबोर्ड पर लिखा है...निचले शहर में हुई खोदाई में एक मनके-मोती बनाने वाले का घर भी मिला था। इसमें कई कमरे और एक भट्ठी थी। उत्पादन के विभिन्न चरणों में पड़े 800 कॉर्नेलियन मोती वहाँ मिले थे। इनके साथ कई प्रकार के उपकरण और कच्चा माल भी वहाँ से बरामद किया गया था। इसी संग्रहालय में एक यूनीकॉर्न सील (मुद्रा) भी रखी हुई है, जिसके बारे में माना जाता है कि अपनी तरह की यह एकमात्र सील है।

बीटिंग द रिट्रीट

चर्चा में क्यों ?

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले समारोहों का समापन 29 जनवरी को विजय चौक पर हुए भव्य बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के साथ हुआ।

नोट :

बीटिंग द रिट्रीट-2019

इस वर्ष के समारोह में भारतीय धुनों की प्रधानता रही। विजय चौक पर 27 से अधिक प्रदर्शनों में सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CRPF) के बैंड ने मनोरम संगीत प्रस्तुति दी।

27 प्रदर्शनों में से 19 धुनें भारतीय संगीतकारों ने तैयार की थीं, जिनमें इंडियन स्टार, पहाड़ों की रानी, कुमाऊंनी गीत, जय जन्मभूमि, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, मारूनी, विजय, सोल्जर-माई वेलंटाइन, भूपाल, विजय भारत, आकाशगंगा, गंगोत्री, नमस्ते इंडिया, समुद्रिका, जय भारत, यंग इंडिया, वीरता की मिसाल, अमर सेनानी और भूमिपुत्र शामिल थे। 8 विदेशी धुनों में फैनफेयर बाइ बीयूगलर्स, साउंड बैरियर, एमब्लेजेंड, ट्वाइलाइट, एलर्ट, स्पेस फ्लाइट, ड्रमर्स कॉल और एबाइड विद मी शामिल होंगी। आयोजन का समापन लोकप्रिय धुन 'सारे जहां से अच्छा' के साथ हुआ।

हर साल आकर्षण का केंद्र होता है

- हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर होने वाला बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम चार दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है।
- इस साल 15 सैन्य बैंड, 15 पाइप्स और ड्रम बैंड रेजीमेंटल सेंटर और बटालियन से बीटिंग द रिट्रीट समारोह में शामिल हुए।
- इसके अलावा भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का एक-एक बैंड भी इस आयोजन का हिस्सा बना।
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के बैंड भी इसमें शामिल हुए।
- बीटिंग द रिट्रीट समारोह के प्रमुख संचालक कमाडोर विजय डी' क्रूज थे।

सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है बीटिंग द रिट्रीट

दरअसल, 'बीटिंग द रिट्रीट' सदियों पुरानी सैन्य परंपरा का प्रतीक है, जब सैनिक लड़ाई समाप्त कर अपने शस्त्र रख देते थे और सूर्यास्त के समय युद्ध के मैदान से शिविरों में वापस लौट आते थे। यह ब्रिटेन की बहुत पुरानी परंपरा है और इसे सूर्य डूबने के समय मनाया जाता है। भारत में दो बार ऐसा हुआ है जब इसका आयोजन नहीं किया गया। पहली बार 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप की वज़ह से ऐसा करना पड़ा और दूसरी बार 27 जनवरी 2009 को देश के आठवें राष्ट्रपति वेंकटरमन का निधन हो जाने पर इसे टाला गया।

इस समारोह के महत्त्व का पता इस बात से चल जाता है कि इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वैंकया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना प्रमुख सहित कैबिनेट मंत्री एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

1950 में हुई थी शुरुआत

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान होने वाला 'बीटिंग द रिट्रीट' कार्यक्रम आज राष्ट्रीय गौरव बन चुका है। 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। तब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने इस अनोखे समारोह का ढाँचा विकसित किया था, जो आज तक वैसा ही चला आ रहा है। समारोह में राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि शामिल होते हैं। कार्यक्रम का समापन करने से पहले प्रमुख बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और बैंड वापस ले जाने की अनुमति मांगते हैं। वापस जाते समय बैंड 'सारे जहां से अच्छा...' की धुन बजाते हैं। शाम 6 बजे बिगुल पर रिट्रीट की धुन बजाई जाती है और राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतार कर राष्ट्रगान गाया जाता है। इस तरह गणतंत्र दिवस के आयोजन का औपचारिक समापन हो जाता है।

राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक

चर्चा में क्यों ?

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (30 जनवरी) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक (National Salt Satyagraha Memorial) राष्ट्र को समर्पित किया।

- दांडी गुजरात के नवसारी ज़िले में स्थित है।
- इस स्मारक में महात्मा गांधी और ऐतिहासिक दांडी नमक यात्रा के दौरान उनके साथ 80 सत्याग्राहियों की प्रतिमाएँ हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ समुद्र के पानी से नमक बनाया था।
- यहाँ बने 24 कथात्मक भित्ति चित्र (Narrative Murals) 1930 के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह से जुड़ी विभिन्न घटनाओं और कथाओं को दर्शाते हैं।

नोट :

नमक सत्याग्रह (Salt Satyagraha)

पृष्ठभूमि- दिसंबर 1929 के अंत में आयोजित कॉन्ग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दो महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जहाँ जवाहरलाल नेहरू को कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष चुना गया जो कि युवा पीढ़ी को नेतृत्त्व सौंपने का प्रतीक था, वहीं 'पूर्ण स्वराज' अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा भी की गई।

- 26 जनवरी, 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर 'स्वतंत्रता दिवस' मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दिया है, को तोड़ने के लिये एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे।
- 31 जनवरी, 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें 11 मांगों का उल्लेख किया गया था। इस मांगों में सबसे महत्त्वपूर्ण मांग नमक पर लगने वाले कर को समाप्त करने की थी।

नमक कानून का विरोध क्यों ?

- प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू उपयोग के लिये भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊँचे दाम पर नमक खरीदने के लिये बाध्य किया गया था।
- उस समय बिना कर (जो कभी-कभी नमक के मूल्य का चौदह गुना होता था) अदा किये नमक के प्रयोग को रोकने के लिये सरकार उस नमक को नष्ट कर देती थी जिसे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी।

नमक सत्याग्रह की शुरुआत

12 मार्च, 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की। यह यात्रा साबरमती आश्रम से 240 किमी. दूर गुजरात के दांडी नामक तटीय कस्बे में पहुँचकर समाप्त होनी थी।

- यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी, जिसमें औरतों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
- 6 अप्रैल,1930 को वे दांडी पहुँचे और वहाँ मुट्ठीभर नमक बनाकर 'नमक कानून' का उल्लंघन किया और कानून की नज़र में स्वयं को अपराधी बना दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई।
- नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी सहित 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
- 5 मार्च, 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे 'गांधी-इरविन समझौता' या 'दिल्ली पैक्ट' के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत समुद्र के किनारे बसे लोगों को नमक बनाने व उसे एकत्रित करने की छूट दिये जाने की मांग को स्वीकार किया गया।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

नगालैंड में छह महीने बढ़ा AFSPA

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 (Armed Forces Special Powers Act-AFSPA) की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए समूचे नगालैंड को पुन: 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार, 30 दिसंबर, 2018 से छह महीने की अवधि के लिये नगालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- म्यामाँर की सीमा से सटा हुआ भारतीय राज्य नगालैंड को आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते पहले भी कई बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।
- गौरतलब है कि AFSPA सुरक्षा बलों को किसी भी जगह अभियान संचालित करने और बिना पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
- गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, केंद्र सरकार का विचार है कि पूरा नगालैंड राज्य क्षेत्र अशांत और खतरनाक स्थिति में है और इसकी सहायता के लिये सशस्त्र बलों का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है।
- केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार घोषणा करती है कि पूरा नगालैंड राज्य को इस कानून के तहत 30 दिसंबर, 2018 से छह महीने की अवधि के लिये अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है।

AFSPA का इतिहास

- सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था तथा तीन माह के भीतर ही इसे कानूनी जामा पहना दिया गया था।
- 1958 और इसके बाद पूर्वोत्तर भारत: भारत में संविधान लागू होने के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिये मणिपुर और असम में 1958 में AFSPA लागू किया गया था।
- इसे 1972 में कुछ संशोधनों के बाद असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड सहित समस्त पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था।
- त्रिपुरा में उग्रवादी हिंसा के चलते 16 फरवरी, 1997 को AFSPA लागू किया गया था, जिसे स्थिति सुधरने पर 18 साल बाद मई 2015 में हटा लिया गया था।

कब माना जाता है कोई क्षेत्र अशांत

- AFSPA के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है।
- विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषायी, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है।
- AFSPA अधिनियम की धारा 3 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपालों को भारत के राजपत्र (गज़ट) पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसके पश्चात् केंद्र को असैन्य क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार मिल जाता है।
- अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के अनुसार, एक बार अशांत घोषित होने पर क्षेत्र में न्यूनतम तीन माह के लिये यथास्थिति बनाए रखनी होगी।

नोट :

- राज्य सरकारें यह सुझाव दे सकती हैं कि इस अधिनियम को लागू किया जाना चाहिये अथवा नहीं, परंतु इस अधिनियम की धारा-3 के तहत उनके सुझाव को संज्ञान में लेने अथवा न लेने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र के पास है।
- गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, नगालैंड को 'अशांत क्षेत्र' घोषित रखने का निर्णय इसलिये लिया गया है क्योंकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हत्या, लूट और उगाही जारी है।

नगालैंड में AFSPA

- नगालैंड में AFSPA कई दशकों से लागू है। इस कानून को नगा उग्रवादी समूह NSCN-IM के महासचिव टी मुइवा और सरकार के वार्ताकार आरएन रवि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 3 अगस्त, 2015 को एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी नहीं हटाया गया।
- रूपरेखा समझौता 18 वर्षों तक 80 दौर की वार्ताओं के बाद हुआ था, इसमें पहली सफलता 1997 में तब मिली थी जब नगालैंड में दशकों के उग्रवाद के बाद संघर्ष विराम समझौता हुआ था।

रक्षा उपकरण निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद् (Defence Acquisition Council -DAC) ने एक अहम् निर्णय लेते हुए घरेलू रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंज़ूरी प्रदान की।

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

- यह दिशा-निर्देश SP मॉडल (Strategic Partnership Model) से संबंधित है। जिसमें मुख्यत: चार खंड हैं - पनडुब्बियाँ, एकल इंजन लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और बख्तर बंद वाहक/मुख्य युद्धक टैंक।
- इस नीति के तहत प्रत्येक खंड में एक भारतीय निजी कंपनी का चयन किया जाएगा जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत भारत में प्लेटफार्मों का निर्माण करने के लिये शॉर्टलिस्ट किये गए वैश्विक उपकरण निर्माताओं के साथ गठजोड़ करेगी।
- इस महत्त्वाकांक्षी नीति को पिछले साल मई में लागू किया गया, लेकिन विशिष्ट दिशा-निर्देशों की कमी के कारण इसकी प्रगति में देरी हुई।
- DAC ने नौसेना उपयोगिता हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिये मंच विशिष्ट दिशा-निर्देशों को भी मंज़ूरी दी। अन्य श्रेणियों के लिये भी इसी तरह के दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किये जाएंगे।
- मंत्रालय ने कहा कि SP मॉडल के तहत विशेष रूप से गठित कर्मचारी समितियों द्वारा सभी खरीद पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए इनका समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।
- एक अन्य निर्णय में DAC ने कोस्ट गार्ड (Coast Guard) के लिये 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आठ फास्ट पैट्रोल वेसल्स (Fast Petrol Vessels) के अधिग्रहण की स्वीकृति दी, जो कि स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित होंगे।

SP मॉडल

- रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त एक मॉडल है।

उद्देश्य - रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना और सशस्त्र बलों की भविष्य की ज़रूरतों के लिये जटिल हथियार प्रणाली के डिज़ाइन, विकास और निर्माण के लिये निजी क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करना।

रक्षा अधिग्रहण परिषद् (Defence Acquisition Council -DAC) - रक्षा खरीद प्रक्रिया के समग्र मार्गदर्शन के लिये रक्षा मंत्री के अधीन गठित परिषद् (DAC)

Fast Petrol Vessel- एक गश्ती नौका (जिसे गश्ती शिल्प,,गश्ती जहाज़ के रूप में भी जाना जाता है) एक अपेक्षाकृत छोटा नौसेना पोत है जिसे आमतौर पर तटीय रक्षा कार्यों के लिये डिज़ाइन किया जाता है।

नोट :

अब अंतरिक्ष से होगी देश की सीमाओं की निगरानी

संदर्भ

- सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्यबल की रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने मंजूर की।
- गृह मंत्रालय ने सीमा प्रबंधन के सुधार में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिये क्षेत्रों की निशानदेही करने के लिये एक कार्यबल गठित किया था।
- कार्यबल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन) ने किया और इसके सदस्यों में सीमा प्रहरी बलों, अंतरिक्ष विभाग तथा सीमा प्रबंधन प्रभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।
- गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बलों, इसरो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और रक्षा मंत्रालय सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

कहाँ इस्तेमाल होगी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ?

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिये निम्नलिखित क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है:

- द्वीप विकास
- सीमा सुरक्षा
- संचार और नौवहन
- GIS और संचालन आयोजना प्रणाली
- सीमा संरचना विकास
- सैटेलाइट से होगा बॉर्डर मैनेजमेंट

बॉर्डर मैनेजमेंट में सैटेलाइट अहम भूमिका निभा सकते हैं और एशिया में भारत के पास कुछ सर्वोत्तम सैटेलाइट्स हैं। रक्षा सेनाएँ काफी समय से अंतरिक्ष तकनीक इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन सीमा सूरक्षा बलों को IB, RAW और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन जैसी केंद्रीय एजेंसियों से मिलने वाली गुप्त सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी जैसे इलाकों में कमज़ोर संचार प्रणाली की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। ऐसे में रियल टाइम इनफॉर्मेशन वाली सैटलाइट तकनीक से ऐसी समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ

- सीमा प्रहरी बलों की क्षमता बढ़ाने के लिये रिपोर्ट में कई सुझाव दिये गए हैं।
- परियोजना को समय पर पूरा करने के लिये लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजना का प्रस्ताव किया गया है।
- इसे पाँच वर्षों में पूरा करने के लिये इसरो और रक्षा मंत्रालय की मदद ली जाएगी।
- लघुकालीन आवश्यकताओं के तहत सीमा प्रहरी बलों के लिये हाई रिजॉल्यूशन इमेजरी और संचार के लिये बैंडविड्थ की व्यवस्था की जाएगी।
- मध्यम अवधि की आवश्यकता के मद्देनज़र इसरो एक उपग्रह लॉन्च कर रहा है, जिसका इस्तेमाल केवल गृह मंत्रालय करेगा।
- दीर्घकालीन अवधि के तहत गृह मंत्रालय नेटवर्क अवसंरचना विकसित करेगा ताकि अन्य एजेंसियाँ उपग्रह संसाधनों को साझा कर सकें।
- दूरदराज़ के इलाकों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को उपग्रह संचार की सुविधा दी जाएगी।

सैटेलाइट से मिलेगी हर पल की जानकारी

सैटेलाइट यानी अंतरिक्ष से निगरानी का उद्देश्य सीमा की पहरेदारी करने वाले सैन्य बलों को पाकिस्तानी और चीनी सैनिकों की पल-पल की गतिविधियों के बारे जानकारी देना है। इससे पूरे इलाके को समझने और दूर-दराज़ के इलाकों में प्रभावी संचार स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। अलग सैटेलाइट बैंडविड्थ से संकट के समय पड़ोसी देशों की ओर से सीमा पर तैनात किये जाने वाले सैनिकों एवं युद्ध सामग्री से जुड़ी क्षमताओं का आकलन भी किया जा सकेगा।

चीन द्वारा समय-समय पर किया जाने वाला सीमा अतिक्रमण और पाकिस्तान की सेना द्वारा युद्धविराम का लगातार किया जाने वाला उल्लंघन और सीमापार से होने आतंकी घुसपैठ के मद्देनज़र गृह मंत्रालय का यह कदम निश्चित ही देश की सीमाओं को और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। सीमा सुरक्षा बल, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल जैसे सीमा पर तैनात सैन्य बलों की निगरानी क्षमता में वृद्धि होने के साथ उनकी मारक क्षमता में भी बढोतरी होगी। निगरानी व्यवस्था के इस विकल्प से सीमा पर अग्रिम मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बलों की संचार, निगरानी, खुफिया और जासूसी क्षमताओं को अभेद्य बनाने में भी मदद मिलेगी।

नोट :

चर्चा में

वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड

हाल ही में भारत की स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में रेचेल हेयोइ फ्लिंट पुरस्कार हासिल किया है।

- स्मृति मंधाना को 'वर्ष की महिला क्रिकेटर' और 'वर्ष की महिला वनडे प्लेयर' बनने पर राचेल हेयो फ्लिंट पुरस्कार दिया गया है।
- मंधाना तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के बाद आईसीसी पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। झूलन को 2007 में चुना गया था।

सिनेरियस गिद्ध

हाल ही में झारखंड के हजारीबाग में दो सिनेरियस गिद्ध (Aegypius monachus-एजिपियस मोनाशस) देखे गए।

- एजिपियस मोनाशस लैटिन भाषा से लिया गया नाम है जिसका तात्पर्य 'हूड वाला' होता है।
- आमतौर पर सर्दियों के दौरान काले रंग व गुलाबी चोंच वाला यह सिनेरियस गिद्ध (Cinereous vulture) यूरोप और एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों से भारत जैसे गर्म स्थानों में पलायन करता है।
- इस प्रवासी पक्षी के बारे में ज्ञात रिकॉर्ड से पता चला है कि यह भारत के उत्तरी हिस्सों में राजस्थान तक आता है लेकिन झारखंड के हजारीबाग में इसे देखा जाना बर्ड वॉचर्स और शोधकर्त्ताओं को चौंकाने वाला है।
- सिनेरियस गिद्ध को IUCN की लाल सूची में निकट-संकट (Near Threatened या NT) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारत में गिद्धों की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इन पक्षियों की आबादी घटती जा रही है। भारत ने देश के कई हिस्सों में प्रजनन केंद्रों के माध्यम से इनके संरक्षण की योजना शुरू की है।

एकल खिड़की हब 'परिवेश'

- 'परिवेश' (PARIVESH: Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub) को राज्य सरकारें 15 जनवरी तक शुरू कर देंगी।
- प्रशिक्षण जारी है-
- परिवेश स्कीम केंद्र स्तर पर शुरू की जा चुकी है और राज्यों ने भी इसे 15 जनवरी तक शुरू करने की योजना बना ली है। इस स्कीम को सबसे पहले गुजरात में शुरू करने की योजना है।

क्या है परिवेश ?

- 'परिवेश' को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था जो एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली हेतु एकल खिड़की सुविधा है।
- प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा को विकसित किया गया है।
- इसमें न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के विचार को भी शामिल किया गया है।
- परिवेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के ई-शासन के सपने को पूरा करने का प्रयास किया गया है।
- परिवेश के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय, नियामक न होकर एक सुविधा प्रदान करने वाला मंत्रालय हो गया है।
- केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर पर विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के लिये (पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय क्षेत्र स्वीकृतियाँ) आवेदन जमा करने, आवेदनों की निगरानी और मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों का प्रबंधन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।
- राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC), नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्रणाली को डिज़ाइन और विकसित किया है।
- 'परिवेश' की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता, सभी प्रकार की स्वीकृतियों के लिये एकल पंजीयन है।

नोट :

पांडा बॉण्ड (Panda Bond)

पाकिस्तान की कैबिनेट ने चीन के पूँजी बाज़ारों से ऋण लेने के लिए पहली बार रेनमिम्बी मुद्रा बॉण्ड जारी करने को मंज़ूरी दे दी है।

- इस फैसले के ज़रिये पाकिस्तान ने चीन की मुद्रा रेनमिम्बी (RENMINBI) को अमेरिकी डॉलर के बराबर का दर्जा देने के लिए कदम आगे बढ़ाया है।
- पाकिस्तान का उद्देश्य इस बॉण्ड के ज़रिये चीन के पूँजी बाज़ार से 500 मिलियन से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि एकत्र करना है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation) और एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) दोनों ने पहली बार अक्तूबर 2005 में एक ही दिन दो पांडा बॉण्ड (Panda Bond) जारी किये थे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना [Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana (PM-JAY)] के बेहतर क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (National Health Agency) का पुनर्गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority) के रूप में करने की स्वीकृति दे दी है।

- इस मंज़ूरी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी भंग कर दी गई है तथा इसके स्थान पर परिवार और कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) से संबद्ध कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है।
- निर्णय लेने के वर्तमान बहुस्तरीय ढाँचे के स्थान पर गवर्निंग बोर्ड (Governing Board) बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष होगा।
- गवर्निंग बोर्ड योजना को सुगम्य तरीके से लागू करने के लिये आवश्यक तेज़ गति से निर्णय लेने में सहायक होगा।
- गवर्निंग बोर्ड का गठन व्यापक स्तर पर किया गया है तथा इसमें सरकार और क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त गवर्निंग बॉडी में बारी-बारी से राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा।
- इसके अंतर्गत किसी नए कोष की स्थापना को स्वीकृति नहीं दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी (IT), मानव संसाधन, आधारभूत संरचना, संचालन लागत सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के लिये पहले से स्वीकृत वर्तमान बजट का उपयोग प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सक्षम, कारगर तथा पारदर्शी रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से PM-JAY को लागू करने हेतु उत्तरदायी और अधिकृत होगा।

कड़कनाथ मुर्गा

हाल ही में मध्य प्रदेश के झाबुआ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को टीम इंडिया की डाइट में कड़कनाथ मुर्गा शामिल करने की सलाह दी है।

- कड़कनाथ मुर्गा कम कोलेस्ट्राल, कम फैट और अधिक प्रोटीन होने की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। स्थानीय तौर पर इसे 'कालामासी' भी कहा जाता है।
- कड़कनाथ मुर्गे का गोश्त उत्कृष्ट औषधीय गुणों के लिये भी प्रसिद्ध है।
- पिछले कुछ समय से कड़कनाथ की मार्केटिंग के प्रयास किये जा रहे हैं।
- 2017 में झाबुआ के कड़कनाथ को जीआई टैग (Geographical Indication) मिला था। 2017 में ही राज्य सरकार ने कड़कनाथ एप भी जारी किया था।
- ध्यातव्य है कि छत्तीसगढ़ ने भी दंतेवाड़ा जिले में कड़कनाथ मुर्गे के लिये जीआई टैग का दावा किया था।

नोट :

भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication-GI)

- एक भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएँ एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।
- उदाहरण के तौर पर दार्जिलिंग की चाय, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू कुछ प्रसिद्ध GI टैग हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) पर समझौते के तहत किया जाता है। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (Geographical Indications of goods 'Registration and Protection' act, 1999) के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था।
- वर्ष 2004 में 'दार्जिलिंग टी' जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है।
- भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिये मान्य होता है।
- जीआई टैग प्राप्त कुछ उत्पाद इस प्रकार हैं- कांचीपुरम सिल्क साड़ी, अल्फांसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, इत्यादि।

6ठा 'भारतीय महिला जैविक उत्सव'

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, चंडीगढ़ के लेजर वैली में 12 से 14 जनवरी, 2019 तक छठे 'भारतीय महिला जैविक उत्सव' की मेज़बानी करेगा।
- इसका उद्देश्य भारत के दूरदराज़ के इलाकों में जैविक क्षेत्र से संबंधित महिला किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।
- लेजर वैली में 100 से अधिक महिलाएँ शरीक होंगी और यह जैविक महोत्सव का केंद्र बनेगा।
- इस उत्सव में एक हज़ार से अधिक विभिन्न जैविक उत्पाद पेश किये जाएंगे, जिनमें वस्त्र, आरोग्यकारी, अनाज, बीज, आभूषण, बेकरी उत्पाद इत्यादि शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय महिला जैविक उत्सव 2015 से हर वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता रहा है। इस वर्ष इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है।

'मदर ऑफ ऑल बॉम्स'

- हाल ही में चीन ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु हथियार का परीक्षण किया है, जिसे आधिकारिक मीडिया द्वारा "मदर ऑफ ऑल बॉम्स" कहा जा रहा है।
- अब तक दुनिया के सामने अमेरिका के 'मदर ऑफ ऑल बॉम्स' और रूस के 'फादर ऑफ ऑल बॉम्स' ही थे, लेकिन चीन ने अपने इस बम को दोनों से ज़्यादा खतरनाक बताया है।
- चीन का दावा है कि किसी भी परमाणु हथियार के बाद यह बम दूसरा सबसे ज़्यादा घातक हथियार है।
- मदर ऑफ ऑल बॉम्स का चीनी संस्करण अमेरिकी बम से छोटा (छह मीटर) और हल्का है, लेकिन इससे मचने वाली तबाही खतरनाक है।

आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भित्तिचित्र स्थल

हाल ही में आंध्र प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े भित्तिचित्र स्थल का अनावरण किया गया है।

- इस भित्तिचित्र को योगी वेमाना विश्वविद्यालय के इतिहास और पुरातत्त्व विभाग के साथ शैक्षणिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे एक पुरातत्त्वविद् यादव रघु द्वारा खोजा गया है।
- इस स्थल पर लगभग 80 भित्तिचित्र हैं जो कुरनूल ज़िले के असपारी शहर के निकट मेकाला बेन्ची में स्थित है।
- 200 भित्तिचित्रों वाला कंदनाथी (Kandanathi) स्थल भी कुरनूल ज़िले में ही है जो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा भित्तिचित्र स्थल है।

नोट :

चक्रवात 'पाबुक'

हाल ही में चक्रवात 'पाबुक' ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर दस्तक दी।

- इस चक्रवात की उत्पत्ति थाईलैंड की खाड़ी में हुई है।
- यह तूफान अंडमान सागर और उसके आसपास मंडराता रहा है।
- केंद्र सरकार ने चक्रवाती तूफान की चपेट में आए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिये 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है।
- 'ऑरेंज' अलर्ट मौसम संबंधी एक चेतावनी होती है, जो चक्रवात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाले खतरों के स्तर को इंगित करता है।
- 'ऑरेंज' अलर्ट खराब या अत्यंत खराब मौसम के बारे में लोगों को सावधान रहने की चेतावनी है।
- इस अलर्ट के तहत सड़क और हवाई यात्रा बाधित हो सकती है साथ ही जीवन और संपत्ति को भी खतरा हो सकता है।

चीन का लूनर रोवर युतु-2

हाल ही में चीन ने चंद्रमा के अनदेखे हिस्से के बारे में जानकारी जुटाने के लिये चांग ई-4 यान का प्रक्षेपण किया।

- चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित शीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च-3 रॉकेट के ज़रिये यह प्रक्षेपण किया गया था।
- चांग ई-4 का उद्देश्य चंद्रमा के उस हिस्से के रहस्यों का खुलासा करना है, जहाँ अभी तक कोई यान नहीं गया है।
- ध्यातव्य है कि चंद्र अभियान 'चांग ई-4' का नाम चीनी पौराणिक कथाओं की चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है।
- चीनी मीडिया के मुताबिक, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले खोजी रोवर का नाम युतु-2 होगा।
- युतु-2 रोवर, चंद्र अभियान 'चांग ई-4' का ही एक हिस्सा है।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary-WWS)

नीलगिरि के जैवमंडल (Nilgiri Biosphere) में पारे के ऊपर चढ़ने के साथ ही कर्नाटक और तमिलनाडु के वन्यजीव अभयारण्यों से वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary-WWS) में जंगली जानवरों का मौसमी प्रवास शुरू हो गया है।

- यह अभयारण्य केरल के वायनाड ज़िले में स्थित है जहाँ कर्नाटक के बांदीपुर (Bandipur) और नागरहोल (Nagarhole) राष्ट्रीय उद्यानों तथा तमिलनाडु के मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान (Mudumalai National Park) से हाथी और गौर (Gaur) जैसे स्तनधारी भोजन और पानी की तलाश में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की ओर पलायन करते हैं।
- इस अभयारण्य में जानवरों के आने का प्रमुख कारण गर्मियों के दौरान भोजन और पानी की आसान उपलब्धता है।
- 1973 में स्थापित वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर-पूर्व में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर के संरक्षित क्षेत्र और दक्षिण-पूर्व में तमिलनाडु का मुदुमलाई संरक्षित क्षेत्र इसके समीपवर्ती क्षेत्र (contiguous area) हैं।
- जैव विविधता से समृद्ध, अभयारण्य नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व (Nilgiri Biosphere Reserve) का एक अभिन्न अंग है, जिसे क्षेत्र की जैविक विरासत के संरक्षण के विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

फ्रिंज बेनिफिट (Fringe Benefit)

जब किसी कंपनी या नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन या भत्ते के अलावा कुछ अन्य सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं तो इन अतिरिक्त सेवाओं को फ्रिंज बेनिफिट (Fringe Benefit) कहते हैं।

- फ्रिंज बेनिफिट के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा, समूह बीमा, शैक्षिक सहायता, बच्चे की देखभाल और उससे संबंधित सहायता राशि, कैफेटेरिया की सुविधा और व्यक्तिगत उपयोग हेतु कंपनी द्वारा वाहन उपलब्ध कराने जैसी सेवाएँ शामिल हैं।
- इसके माध्यम से कंपनियाँ अपने कुछ कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के लिये पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी के शेयर खरीदने का विकल्प देती हैं लेकिन ये शेयर ESO, स्टॉक एक्सचेंज में खरीद-बिक्री किये जाने वाले शेयरों से अलग होते हैं क्योंकि इन्हें शेयर बाज़ार में ख़रीदा अथवा बेचा नहीं जा सकता है।

नोट :

- कर्मचारियों को कंपनी के शेयर खरीदने का विकल्प देने के पीछे तर्क यह है कि जब वे कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो स्वयं भी कंपनी के शेयरों की मज़बूती के लिये परिश्रम करेंगे।
- आमतौर पर फ्रिंज बेनिफिट कर-मुक्त होते हैं लेकिन कभी-कभी सरकार इनको कर के दायरे में ले आती है जैसे- सरकार द्वारा फाइनेंस एक्ट 2005 के ज़रिये फ्रिंज बेनिफिट्स पर आयकर लागू किया जाना जो अप्रैल 2006 से प्रभाव में आया था लेकिन भारी विरोध के बाद फाइनेंस एक्ट, 2009 के ज़रिये इसे वापिस ले लिया गया।

लाभ- फ्रिंज बेनिफिट से न केवल कर्मचारियों को मदद मिलती है बल्कि कंपनियों को भी भर्ती के समय प्रतिभावान कर्मचारियों को आकर्षित करने में मदद मिलती है। इसलिये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ भर्ती के समय फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफर करती हैं।

नासा ने की नए ग्रह की खोज

हाल ही में नासा ने सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह की खोज की है। गौरतलब है कि यह सफलता नासा के ग्रह खोजी अभियान को मिली है।

- नासा द्वारा खोजे गए इस ग्रह का नाम HD 21749b है।
- पृथ्वी से 53 प्रकाश वर्ष दूर यह ग्रह रेटीकुलम तारामंडल के सूर्य के समान चमकीले ड्वार्फ (बौने) तारे का चक्कर लगा रहा है।
- तारे से नज़दीक होने के बाद भी इस HD 21749b नामक ग्रह की सतह का तापमान 300 डिग्री फारेनहाइट ही है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी के कारण इसका वायुमंडल घना है और इस पर जीवन की संभावना भी हो सकता है।
- यह ग्रह पृथ्वी से तीन गुना बड़ा और 23 गुना भारी है। इस ग्रह को सब-नेपच्यून (Sub-Neptune) वर्ग में रखा गया है।
- इस ग्रह का ज़्यादातर हिस्सा गैसीय है और इसका वायुमंडल नेपच्यून (Neptune) और यूरेनस (Uranus) से भी घना है।
- नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सेटेलाइट (Transiting Exoplanet Survey Satellite-TESS) मिशन द्वारा खोजा गया यह तीसरा ग्रह है।

TESS मिशन

- नासा ने इस मिशन को पिछले साल 16 अप्रैल, 2018 को लॉन्च किया था। अगस्त में इसने पहली तस्वीर भेजी थी। नासा के इस मिशन के तहत सौरमंडल के बाहरी ग्रहों यानी एक्सोप्लेनेट की खोज की जानी है।

#WebWonderWomen

- हाल ही में मानवाधिकार संगठन ब्रेकथ्रू के साथ साझेदारी में ट्विटर इंडिया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने #WebWonderWomen अभियान की शुरुआत की है।
- #WebWonderWomen ऐसी महिलाओं की पहचान करने, उनका सम्मान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का अभियान है जो अपनी क्षमता से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
- इस अभियान के तहत लोग दुनिया में कहीं भी, अपनी पसंदीदा भारतीय महिला एचीवर को अपने ट्विटर हैंडल से नामांकित कर सकते हैं।
- महिलाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में नामित किया जा सकता है- स्वास्थ्य, मीडिया, साहित्य, कला, खेल, तकनीक, यात्रा, व्यवसाय, कानूनी / नीति, सरकारी, मनोरंजन, फैशन / सौंदर्य, वित्त, खाद्य और पर्यावरण।

भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस का 106वाँ अधिवेशन

(106th Session of Indian Science Congress)

- 3 से 7 जनवरी, 2019 तक जालंधर (पंजाब) के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (Lovely Professional University-LPU) में भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस के 106वें अधिवेशन का आयोजन किया गया।
- इस अधिवेशन की थीम 'भविष्य का भारत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी' (Future India: Science and Technology) थी।

नोट :

- भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस के हिस्से के रूप में महिला विज्ञान कॉन्ग्रेस (Women's Science Congress) तथा चिल्ड्रेंस साइंस कॉन्ग्रेस (Children's Science Congress) का भी आयोजन किया गया।
- इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान' का नारा भी दिया।
- इस वैज्ञानिक सम्मेलन में पंद्रह हज़ार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- इस कार्यक्रम के दौरान एक प्रदर्शनी 'प्राइड ऑफ इंडिया' (Pride of India) भी आयोजित की गई, जिसमें DRDO, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, CSIR, ICAR, ICMR, NPCIL और विभिन्न वैज्ञानिक विभागों और विश्वविद्यालयों सहित 150 संगठनों ने भाग लिया।
- प्रवेश द्वार पर स्थापित 55 फीट ऊँचा और 25 टन वज़न का 'मेटल मैग्ना' (Metal Magna) नामक रोबोट मुख्य आकर्षण था।
- 105वें भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन 16 से 20 मार्च, 2018 के मध्य मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल (मणिपुर) में किया गया था।

विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Day)

- हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Day) मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक दशक पहले 10 जनवरी, 2006 को की थी।
- विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार-प्रसार करना है। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में स्थित भारत के दूतावासों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
- 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है।

नो इंडिया प्रोग्राम (Know India Programm)

हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा KIP (Know India Programm) का 25 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- KIP भारतीय राज्यों के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम है।
- भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता को बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में देश द्वारा की गई प्रगति की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित यह प्रवासी युवाओं के लिये कार्यक्रम है।
- इसमें 40 प्रतिभागी हैं, जिनमें 26 महिलाएँ हैं। ये प्रतिभागी मुख्यत: 8 देशों से आए हैं।
- यह योजना 2004 में शुरू की गई थी और तब से अब तक विदेश मंत्रालय ने KIP के 49 संस्करणों का आयोजन किया है, जिनमें 1600 से अधिक प्रवासी भारतीय युवाओं द्वारा सहभागिता की गई।

उद्देश्य

- भारत से जुड़ने के लिये 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय डायस्पोरा के छात्रों और युवा पेशेवरों को शामिल करना।
- युवाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें भारतीय कला, विरासत और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं एवं भारत द्वारा की गई प्रगति के बारे में जागरूक करना।

सहायक एयर ड्रोपेबल कंटेनर

हाल ही में नौसेना ने ऐसे कंटेनरों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो समुद्र में परिचालन के दौरान रसद क्षमता को बढ़ाने हेतु सीधे हवाई जहाज से गिराए जा सकते हैं।

- 50 किलोग्राम के पेलोड के साथ परीक्षण हेतु हवाई जहाज से अरब सागर में गिराया गया। पुर्जों से लैस इस कंटेनर को तट से 2,000 किमी. दूर समुद्र में स्थित जहाजों के लिये डिज़ाईन किया गया है।

नोट :

- गोवा के तट से एक IL-38 विमान द्वारा इस 'सहायक एयर ड्रोपेबल कंटेनर' का सफल परीक्षण किया गया है।
- यह बेलनाकार कंटेनर स्वदेशी है जिसे नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (Naval Science & Technological Laboratory-NSTL)) तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (Electronic National Agriculture Market e-NAM)

हाल ही में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पहली बार अंतर-राज्यीय लेन-देन के स्तर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म ई-नाम (e-NAM) का आयोजन किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल (Electronic Trading Portal) है, जो मौजूदा कृषि उपज बाज़ार समिति (Agricultural Produce Market Committee - APMC) मंडियों को कृषि जिंसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने के लिये नेटवर्क प्रदान करता है। इसे 2016 में शुरु किया गया था।
- e-NAM मोबाइल और वेब अनुप्रयोगों के माध्यम से मंडियों में वस्तुओं के व्यापार करने की अनुमति देता है।
- लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (Small Farmers Agribusiness Consortium-SFAC) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है जो e-NAM को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
- राज्यों को e-NAM व्यवस्था अपनाने के लिये निम्नलिखित परिवर्तन की आवश्यकता है-
  - इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रदान करना।
  - एकल व्यापार लाइसेंस प्रदान करना जो राज्य की सभी मंडियों में मान्य हों।
  - लेन-देन शुल्क की एकल-खिड़की व्यवस्था लागू करना।
- e-NAM पोर्टल सभी कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC) से संबंधित जानकारी और सेवाओं के लिये एक एकल खिड़की सेवा प्रदान करता है। इसमें अन्य सेवाओं के साथ वस्तुओं के आयात और मूल्य, व्यापार ऑफर खरीदना और बेचना, व्यापार ऑफर पर प्रतिक्रिया देने का प्रावधान शामिल है।

गगनयान मिशन

अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को भेजने के लिये इसरो ने लक्ष्य निर्धारित कर दिये हैं।

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) ने 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस मिशन के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार किया है।
- गगनयान कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिये इसरो ने बंगलूरू के अपने मुख्यालय में 'मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र' (Human Space Flight Centre) भी स्थापित किया है। उन्नीकृष्णन नायर (Unnikrishnan Nair) को इस केंद्र के निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

इसरो की योजना-

- दिसंबर 2020 में गगनयान मिशन के तहत पहला मानव रहित (बिना अंतरिक्ष यात्री वाला) यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
- इसके बाद जुलाई 2021 में दूसरा मानव रहित यान भेजा जाएगा।
- दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहला गगनयान मिशन भेजा जाएगा।

नोट :

पोलावरम परियोजना

हाल ही में आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना (Polavaram Project) ने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज़ कराया। इसके तहत 24 घंटों में 32,100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डालने का कार्य किया गया।

- इस परियोजना ने 21,580 क्यूबिक मीटर के मौजूदा रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया जो अब्दुल वाहेद बिन शबीब (Wahed Bin Shabib), आर.ए.एल.एस कॉन्ट्रैक्टिंग एल.एल.सी (RALS Contracting LLC) और अल्फा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट (Alfa Eng. Consultant) द्वारा वर्ष 2017 में हासिल किया गया था।
- पोलावरम परियोजना के प्रमुख कार्यों को निष्पादित करने के लिये अनुबंधित एजेंसी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (Navayuga Engineering Company Ltd-NECL) ने इस काम को पूरा किया।

परियोजना के बारे में

- वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित पोलावरम परियोजना (जिसे इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना के नाम से भी जाना जाता है) एक बहुद्देशीय परियोजना है।
- यह परियोजना आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी ज़िले के पोलावरम मंडल के रम्मय्यापेट (Ramayampet) के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है।
- इस परियोजना को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा ज़िलों में सिंचाई, जल विद्युत सुविधा विकसित करने और पेयजल सुविधाएँ प्रदान करने के लिये तैयार किया गया है।
- सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है और इस पर होने वाला सारा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day)

समाज सुधारक, दर्शनिक और सुप्रसिद्ध विचारक स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिन के अवसर पर अर्थात् 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nation Organisation) के निर्णयानुसार वर्ष 1985 को 'अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष' घोषित किये जाने के बाद भारत सरकार ने स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
- स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 को कोलकाता में हुआ था तथा इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था।
- ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे।
- विवेकानंद ने बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।

भारत में विवेकानंद की सबसे ऊँची प्रतिमा

- स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर रांची के 'बड़ा तालाब' में विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
- यह प्रतिमा विवेकानंद की देश में सबसे ऊँची प्रतिमा (33 फीट) है। इस प्रतिमा की स्थापना के बाद डेढ़ सौ साल पुराने 'बड़ा तालाब' को भी विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाएगा।
- विवेकानंद की इस प्रतिमा में छह टन काँसे और दो टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है।

सावित्रीबाई फुले

3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 187वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

- यूँ तो उनको कई क्षेत्रों में उपलब्धियाँ प्राप्त थीं, लेकिन उन्हें विशेष रूप से मनुवादी संस्कृति को चुनौती देने के लिये जाना जाता है।
- सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को महाराष्ट्र में सतारा ज़िले के नायगांव में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिबा राव फुले से हुआ था।

नोट :

- ज्योतिबा ने सावित्रीबाई फुले को घर पर ही पढ़ाया और बाद में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर पुणे के महारवाड़ा में सगुनाबाई (एक क्रांतिकारी नारीवादी) के साथ लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया।
- 1850 के दशक में, फुले दंपति ने दो शैक्षिक ट्रस्टों- नेटिव फीमेल स्कूल (Native Female School), पुणे और The Society for Promoting the Education of Mahars, Mangs and Etceteras की शुरुआत की।
- सावित्रीबाई एक उग्र लेखिका और कवयित्री भी थीं। उन्होंने 1854 में काव्य फुले (Kavya Phule) और 1892 में बावन काशी सुबोध रत्नाकर (Bavan Kashi Subodh Ratnakar) को प्रकाशित किया। अपनी कविता गो, गेट एजुकेशन (Go, Get Education) के ज़रिये उन्होंने उत्पीड़ित समुदायों से शिक्षा प्राप्त करने और उत्पीड़न की ज़ंजीरों से मुक्त होने का आग्रह किया।

संपन्न (SAMPANN)

हाल ही में दूरसंचार विभाग के पेंशनरों को सुविधा प्रदान करने के लिये एक व्यापक पेंशन प्रबंधन सॉफ्टवेयर 'संपन्न' लॉन्च किया गया।

- संपन्न का पूरा नाम सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ़ पेंशन ((System for Accounting and Management of Pension- SAMPANN) है।
- इस डिजिटल सेवा के ज़रिये पेंशनर घर बैठे मोबाइल पर ही अपनी पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- इस सेवा के माध्यम से दूरसंचार विभाग के पाँच लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि फिलहाल दूरसंचार विभाग के साढ़े तीन लाख पेंशनर लाभ प्राप्त करेंगे तथा बाद में डेढ़ लाख और पेंशनर इससे जुड़ेंगे।

70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स (70 points grading index)

हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) ने राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स (70-point grading index) लॉन्च किया।

- इसके तहत स्कूलों की शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन के लिये 70 संकेतकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
- 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स की सहायता से राज्यों की स्कूली शिक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियों अथवा कमज़ोर पक्षों का आकलन किया जाएगा ताकि प्रत्येक स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
- इस पहल द्वारा राज्यों को यह जानकारी प्राप्त होगी कि वे किन मानकों पर पिछड़ रहे हैं तथा किन क्षेत्रों में उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है।
- इस ग्रेडिंग इंडेक्स के कुछ महत्त्वपूर्ण संकेतकों में अध्यापकों की रिक्तियाँ, नेतृत्व के स्तर (Leadership Position) पर सीधी नियुक्ति, स्कूल की आधारिक संरचना आदि शामिल हैं।
- इस सूचकांक के अंतर्गत 1000 अंक (Point) होंगे, प्रत्येक मानक के लिये 10-20 अंक रखे जाएंगे।
- राज्यों द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिये किये जा रहे कार्यों हेतु निधि की व्यवस्था भी की जाएगी।
- इस प्रणाली से प्रत्येक राज्य के स्कूली शिक्षा स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी साथ ही राज्यों को अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का अवसर प्राप्त होगा।

देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज (Country's Longest Single Lane Steel Cable Bridge)

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में देश के सबसे लंबे (300 मीटर) सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया।

- ऊपरी सियांग (Upper Siang) ज़िले के यिंगकिओंग (Yingkiong) में सियांग नदी पर बने इस पुल का नाम ब्योरुंग ब्रिज (Byorung Bridge) रखा गया है।

नोट :

- इस पुल का निर्माण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (Department for Development of North Eastern Region-DONER) मंत्रालय द्वारा प्रदत्त 48.43 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
- इस पुल के कारण यिंगकिओंग से तूतिंग (Tuting) के बीच की दूरी लगभग 40 किमी. कम हो जाएगी। पुल के निर्माण से पहले इनके बीच सड़क मार्ग से कुल दूरी 192 किमी. थी।
- इस पुल के निर्माण से रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देने के अलावा, नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले 20,000 लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।

देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

हाल ही में केरल में देश के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) का उद्घाटन किया गया जिसमें देश की तकनीकी, चिकित्सा, संचार प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में 1.8 लाख वर्ग फुट की सुविधा वाले आवास ऊष्मायन (Housing Incubation) की स्थापना की गई।
- केरल स्टार्टअप मिशन (KSUM) के तहत इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स (Integrated Startup Complex) में 'मेकर विलेज' (Maker Village) की अत्याधुनिक सुविधाएँ शामिल हैं जो हार्डवेयर स्टार्टअप को बढ़ावा देती हैं जैसे कि बायोनेस्ट (BioNest) जो चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है, ब्रिंक (BRINC) हार्डवेयर स्टार्टअप के लिये देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय पहल है, BRIC जो कैंसर के निदान और देखभाल के लिये समाधान विकसित कर रहा है एवं उद्योग की बड़ी कंपनियों जैसे-UNITY द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र आदि।
- केरल सरकार राज्य में स्टार्टअप के लिये इस वर्ष 2.3 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्रफल (पिछले साल के 1.3 करोड़ वर्ग फुट से अधिक) पर काम कर रही है। प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र (Technology Innovation Zone -TIZ) में नए परिसर का उद्घाटन इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- अधिकारियों ने बताया कि TIZ देश का सबसे बड़ा 'वर्क-लाइव-प्ले स्पेस' बनने के लिये तैयार है, जो विशेष रूप से स्टार्टअप के लिये समर्पित है। मेकर विलेज, जिसे आईआईआईटीएम (IIITM) के द्वारा KSUM के सहयोग से स्थापित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित है।

राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal)

हाल ही में जस्टिस एके सीकरी ने सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसके तहत उन्हें लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (CSAT) में नामित किया जाना था।

- राष्ट्रमंडल सचिवालय राष्ट्रमंडल की मुख्य अंतर सरकारी एजेंसी और केंद्रीय संस्थान है।
- यह सचिवालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।
- इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और यह अपने 53 सदस्य देशों के बीच विवाद की स्थिति में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है।
- राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (CSAT) में अध्यक्ष सहित कुल आठ सदस्य होते हैं।
- राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (CSAT) के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष का होता है।

वुमनिया ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Womaniya on Government e Marketplace)

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने 'वुमनिया ऑन GeM' पहल की शुरुआत की है।

- GeM की इस पहल का उद्देश्य विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों के ज़रिये महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को हस्तशिल्प एवं हथकरघा, सहायक सामग्री, जूट उत्पाद, घरों के साज-सजावट के सामानों की सीधे बिक्री करने में सहायता प्रदान करना है।

नोट :

- GeM की इस पहल से महिला उद्यमियों को समेकित आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी।
- वुमनिया वेबसाइट के होम पेज पर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (Central Public Sector Enterprises-CPSEs) हेतु महिला उद्यमियों की सेवाओं और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिये अभियान के बारे में जानकारी उपलब्ध रहेगी।
- वुमनिया ऑन GeM महिला उद्यमियों के लिये आर्थिक अवसरों को बढ़ाएगा जिससे संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 5 – 'लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त करें' के लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

GeM

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e Marketplace) एक सरकारी कंपनी है जिसकी स्थापना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के तहत की गई है।
- गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का संक्षिप्त रूप जेम (GeM) है जहाँ सामान्य प्रयोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद के लिये जेम गतिशील, स्वपोषित, प्रयोक्ता अनुकूल पोर्टल है।

सेना प्रौद्योगिकी सेमिनार (आरटेक-2019) (Army Tech Seminar -ARTECH 2019)

11 जनवरी, 2019 को भारतीय सेना ने दिल्ली कैंट के मानेकशॉ केंद्र (Manekshaw Centre) में सेना प्रौद्योगिकी सेमिनार-2019 (आरटेक 2019) का आयोजन किया।

- इस सेमिनार की थीम 'युद्ध क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी का विध्वंसक प्रभाव' (Disruptive Impact of Emerging Technologies on Land Warfare) थी।
- सेमिनार का उद्देश्य सैन्य, शिक्षा क्षेत्र और उद्योग से जुड़े साझेदारों के लिये युद्ध पर प्रभाव डालने वाली उभरती प्रौद्योगिकी का स्वरूप उपलब्ध कराना था।
- सेमिनार के दौरान सेना, DRDO, शिक्षा क्षेत्र और उद्योगों द्वारा विकसित सैन्य साजो सामान की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत चार नई परियोजनाएँ

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन ढाँचागत विकास योजनाओं 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रसाद' के तहत मेघालय, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 190.46 करोड़ रुपए की लगात वाली चार नई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

स्वदेश दर्शन के तहत स्वीकृत परियोजनाएँ-

1. स्वदेश दर्शन योजना के उत्तर-पूर्व सर्किट के तहत मेघालय की पश्चिम खासी पहाड़ियों (West Khasi Hills) के विकास [नॉन्गख्लाव (Nongkhlaw)-क्रेम टिरोट (Krem Tirot)-खुदोई (Khudoi) और कोहमांग फॉल्स (Kohmang Falls)-खरी (Khri) नदी-मावथडराइशन (Mawthadraishan), शिलांग (Shillong)], जयंतिया पहाड़ी (क्रांग सूरी फॉल्स (Krang Suri Falls)-शिरमांग (Shyrmang)-लुक्सी (Iooksi)], गारो पहाड़ी (नॉकरेक रिज़र्व (Nokrek Reserve), कट्टा बील (Katta Beel), सिजू गुफा (Siju Caves)] में 84.95 करोड़ रुपए की परियोजना को मंज़ूरी दी है।
   - ये परियोजनाएँ मेघालय की कम चर्चित जगहों के विकास पर केंद्रित है।
2. स्वदेश दर्शन योजना के आध्यात्मिक सर्किट के तहत गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर), देवीपाटन मंदिर, बलरामपुर और वात्वासनी मंदिर (डुमरियागंज) के विकास के लिये 21.16 करोड़ रुपए को मंज़ूरी दी है।

प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत योजनाएँ

1. प्रसाद योजना के तहत मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में 'गोवर्धन के विकास' के लिये 39.74 करोड़ रुपए की परियोजना को मंज़ूरी दी है। इसके तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, कुसुम सरोवर, चंद्रा सरोवर और मानसी गंगा का विकास किया जाएगा।
2. प्रसाद योजना के तहत 44.59 करोड़ रुपए की 'सोमनाथ-फेज-2 में तीर्थाटन सुविधाओं का विकास' नामक परियोजना को मंज़ूरी दी गई है।

नोट :

पृष्ठभूमि

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन स्थलों के थीम आधारित एकीकृत विकास के लिये 'स्वदेश दर्शन योजना' की शुरूआत की और तीर्थस्थल संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिये 'प्रसाद' (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive-PRASHAD) परियोजना की शुरूआत की है।

ओवरड्राफ्ट (Overdraft)

हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का फैसला किया है।

क्या होता है ओवरड्राफ्ट ?

- जब कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में जमाराशि से अधिक धनराशि निकालता है और खाते में उसका बैलेंस शून्य से नीचे चला जाता है तो उसे 'ओवरड्राफ्ट' कहते हैं।
- ओवरड्राफ्ट एक प्रकार की कर्ज़ सुविधा है जो बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा होने पर उपलब्ध होती है।
- इसके ज़रिये खाताधारक अचानक आवश्यकता पड़ने पर बैंक से कुछ समय के लिये उधार ले सकता है। लेकिन वह एक निर्धारित सीमा जिसे 'ओवरड्राफ्ट लिमिट' कहते है, तक ही उधार ले सकता है।
- बैंक खाताधारक की साख और उसके खाते द्वारा किये गए हस्तांतरण के आधार पर ओवरड्राफ्ट लिमिट का निर्धारण करता है।
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत यह सुविधा परिवार में केवल एक सदस्य (विशेष रूप से महिला) के लिये उपलब्ध होती है अर्थात् यदि किसी परिवार में एक से अधिक जन-धन खाताधारक हैं तो यह सुविधा केवल एक ही खाते पर ही मिलेगी।
- 2,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट हेतु कोई शर्त नहीं रखी गई है और यह सुविधा 18-65 आयु वर्ग के लोगों के लिये उपलब्ध है।

ओवरड्राफ्ट पर भी देना पड़ता है ब्याज

- जिस प्रकार से बैंक अन्य ऋणों पर ब्याज वसूलता है उसी प्रकार ओवरड्राफ्ट पर भी ग्राहक को ब्याज की अदायगी करनी पड़ती है। हालाँकि, ब्याज की यह दर क्रेडिट कार्ड के ज़रिये मिलने वाले उधार की तुलना में कम भी हो सकती है।

लाभ

- खाते में धनराशि कम होने पर भी कोई आवश्यक काम नहीं रुकता है, जैसे- एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को चेक दिया और जब दूसरा व्यक्ति उस चेक को भुनाने के लिये बैंक गया, तब तक पहले व्यक्ति के खाते में मौज़ूद धनराशि चेक की राशि से कम हो गई तो ऐसी स्थिति में चेक बाउंस हो सकता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट की सुविधा होने पर बैंक उस चेक को क्लियर कर देगा और इस प्रकार भुगतान करने में कोई रुकावट नहीं आएगी।

फिलिप कोटलर प्रेसीडेंशिअल अवार्ड

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला फिलिप कोटलर प्रेज़िडेंशियल पुरस्कार (Philip Kotler Presidential award) प्रदान किया गया।

- यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिये प्रदान किया गया है।
- यह पुरस्कार तीन आधार रेखाओं- पीपुल (People), प्रॉफिट (Profit) और प्लैनेट (Planet) पर केंद्रित है, जो प्रत्येक वर्ष किसी देश के नेता को प्रदान किया जाएगा।
- यह अवार्ड प्रोफेसर फिलिप कोटलर के नाम से दिया गया जो 'नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट' (Northwestern University, Kellogg School of Management) के विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर है।

नोट :

केरल में आध्यात्मिक सर्किट (Spiritual Circuit in Kerala)

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय (Union Ministry of Tourism) ने केरल में 14 ज़िलों के 133 धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले आध्यात्मिक सर्किट के विकास को स्वदेश दर्शन (Swadesh Darshan) योजना के तहत मंज़ूरी दी है।

- योजना में शामिल किये गए धार्मिक स्थलों का चयन उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व के आधार पर किया गया है।
- योजना के अंतर्गत किये जाने वाले विकास कार्यों में सामुदायिक हॉल, अन्नधान मंडपम (Annadhana Mandapam), बहुउद्देशीय हॉल, शौचालय, कैफेटेरिया, पार्किंग सुविधाएँ, रास्ते, रोशनी,पहचान सूचकों (signages), डस्टबिन आदि की व्यवस्था करना शामिल है।

'वन फैमिली, वन जॉब' योजना ('One Family, One Job' Scheme)

हाल ही में सिक्किम में 'एक परिवार, एक नौकरी/वन फैमिली, वन जॉब' योजना शुरू की गई है।

- इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक उस परिवार के एक सदस्य को रोज़गार दिया जाएगा, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है।
- इसके अंतर्गत खेती और कृषि संबंधी सभी ऋण भी निरस्त कर दिये जाएंगे।
- वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के 12 विभागों में ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' पदों के लिये भर्तियाँ की जा रही हैं।

विज्ञान संचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की पहल (National level initiatives in the field of science communication)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology-DST) ने दूरदर्शन (DD), प्रसार भारती के साथ मिलकर विज्ञान संचार के क्षेत्र में दो पहलों- 'डीडी साइंस' (DD Science) और 'इंडिया साइंस' (India Science) की शुरुआत की है।

- भारत में विज्ञान संचार के इतिहास में मील का पत्थर माने जाने वाले ये दोनों विज्ञान चैनल देश में एक राष्ट्रीय विज्ञान चैनल की शुरुआत करने की दिशा में आरंभिक कदम है।
- इनका कार्यान्वयन एवं प्रबंधन विज्ञान प्रसार (Vigyan Prasar) द्वारा किया जा रहा है।
- डीडी साइंस, दूरदर्शन न्यूज़ चैनल पर एक घंटे का स्लॉट है, जबकि इंडिया साइंस, इंटरनेट आधारित चैनल है, जो किसी भी इंटरनेट आधारित उपकरण पर उपलब्ध है।
- इन दोनों चैनलों के ज़रिये विज्ञान आधारित वृत्तचित्र (Documentaries), स्टूडियो आधारित परिचर्चाओं एवं वैज्ञानिक संस्थानों के आभासी पूर्वाभ्यास, साक्षात्कार और लघु फिल्मों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- ये चैनल दर्शकों के लिये पूरी तरह से नि:शुल्क होंगे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की स्थापना मई 1971 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना और देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और प्रचार के लिये एक केंद्रीय विभाग के रूप में काम करना है।

प्रसार भारती (Prasar Bharti)

- प्रसार भारती एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो प्रसार भारती अधिनियम के तहत 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया।
- यह देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक (Public Service Broadcaster) है।
- प्रसार भारती अधिनियम में संदर्भित सार्वजनिक सेवा प्रसारण उद्देश्यों को आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ये दोनों पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन मीडिया यूनिट के रूप कार्य करते थे और प्रसार भारती की स्थापना के बाद इसके घटक बन गए थे।

नोट :

विज्ञान प्रसार (Vigyan Prasar)

- वर्ष 1989 में स्थापित विज्ञान प्रसार (वि.प्र.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है।
- इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु कार्यों/गतिविधियों की शुरुआत करना, वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और उनका प्रचार-प्रसार करना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार हेतु संसाधन-सह-सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करना है।

राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 (National Youth Parliament Festival 2019)

हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 की शुरुआत की।

- इस महोत्सव की शुरुआत राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) के अवसर पर की गई तथा इसकी प्रक्रिया 24 फरवरी, 2019 तक जारी रहेगी।
- इस महोत्सव का आयोजन तीन स्तरों पर किया जाएगा-
  1. ज़िला स्तर पर- ज़िला युवा संसद (District Youth Parliament-DYP)
  2. राज्य स्तर पर- राज्य युवा संसद (State Youth Parliament-SYP)
  3. राष्ट्रीय स्तर पर- राष्ट्रीय युवा संसद (National Youth Parliament-NYP)
- राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 को "नए भारत की आवाज़ बनो" तथा "उपाय ढूंढो और नीति में योगदान करो" (Be The Voice of New India and Find solutions and contribute to policy) की थीम पर आयोजित किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme) और नेहरू युवा केंद्र संगठन (Nehru Yuva Kendra Sangthan) इसके संचालन और प्रबंधन में विभिन्न स्तरों पर शामिल होंगे।
- राष्ट्रीय युवा संसद के तीन सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को प्रधानमंत्री द्वारा क्रमशः 2 लाख, 1.50 लाख और 1 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।

अगस्त्याकूर्दम चोटी

हाल ही में सबरीमाला स्थित अयप्पा मंदिर (Ayyappa Temple) में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति के बाद केरल के ही एक अन्य स्थान पर लैंगिग भेदभाव को मिटाने वाला कदम उठाया गया है।

- राज्य की दूसरी सबसे ऊँची चोटी, अगस्त्याकूर्दम (Agasthyarkoodam) की ओर जाने वाले दुर्गम मार्ग को पहली बार महिलाओं के लिये खोला गया है।
  - पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी अनई मुड़ी (Anai Mudi) है जिसकी ऊँचाई 2,695 मीटर है।
- रक्षा प्रवक्ता, के. धन्या सानल (K Dhanya Sanal) अगस्त्याकूर्दम चोटी की यात्रा करने वाली पहली महिला बन गई है।
- केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, वन विभाग ने महिलाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाया है।
- पहाड़ी की तलहटी पर रहने वाली स्थानीय कानी जनजाति इस फैसले का विरोध करती रही है। उनके अनुसार, यह पर्वत श्रृंखला 'अगस्त्य मुनि' का पवित्र निवास स्थान है।
- अगस्त्याकूर्दम चोटी केरल के अगस्त्याकूर्दम जीवमंडल रिज़र्व (Agasthymala Biosphere Reserve) में नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य (Neyyar Wildlife Sanctuary) में स्थित है।
- अगस्त्याकूर्दम जीवमंडल रिज़र्व 2016 में यूनेस्को द्वारा 'वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ़ बायोस्फीयर रिज़र्व' (World Network of Biosphere Reserves) में जोड़े गए 20 नए स्थलों में से एक है।

'सक्षम 2019' (Saksham 2019)

16 जनवरी, 2019 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) के तत्त्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (Petroleum Conservation Research Association-PCRA) के वार्षिक जनकेंद्रित अभियान 'सक्षम 2019' की शुरुआत की गई।

नोट :

- इसके लिये PCRA तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्रसिद्ध तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा एक माह तक चलने वाले कार्यक्रम 'सक्षम 2019' के दौरान विभिन्न संवादमूलक कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना बनाई गई है।
- सक्षम का पूरा नाम संरक्षण क्षमता महोत्सव (Sanrakshan Kshamata Mahotsav) है।
- इस अभियान की टैगलाइन – इंधन संरक्षण की ज़िम्मेदारी, जन गण की भागीदारी (Indhan Sanrakshan Ki Jimmedari, Jan Gan Ki Bhagidari) है।

PCRA

- पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वावधान में स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है।
- गैर-लाभकारी संगठन के रूप में PCRA एक राष्ट्रीय सरकारी संस्था है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने में कार्यरत है।
- यह तेल की आवश्यकता के संदर्भ में देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने हेतु पेट्रोलियम संरक्षण की नीतियाँ एवं रणनीतियाँ प्रस्तावित करने में सरकार की सहायता करता है।

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 (World University Ranking 2019)

हाल ही में लंदन स्थित वैश्विक संगठन टाइम्स हायर एजुकेशन ने इमर्जिंग इकोनॉमीज़ यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 (Emerging Economies University Rankings 2019) जारी की।

- टाइम्स हायर एजुकेशन (Times Higher Education) द्वारा जारी इस रैंकिंग में 43 देशों के 450 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।
- इस रैंकिंग में भारत के 49 संस्थानों को स्थान मिला है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष इस रैंकिंग में भारत के 42 संस्थानों को स्थान मिला था।

शीर्ष 100 में शामिल भारतीय संस्थान	
संस्थान का नाम	**रैंकिंग**
IISC बंगलूरू	14
IIT बॉम्बे	27
IIT रुड़की	35
IIT कानपुर	46
IIT खड़गपुर	55
IIT इंदौर	61
JSS एकेडमी ऑफ़ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च	64
IIT दिल्ली	66
IIT मद्रास	75
सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, पुणे	93

- इस सूची में चीन के 75 संस्थान शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि शीर्ष 5 में से 4 स्थानों पर चीन के संस्थानों को स्थान मिला है।

नोट :

'सांझी-मुझ में कलाकार' (SANJHI -MUJH MEIN KALAKAR)

"सांझी-मुझ में कलाकार" संगीत नाटक अकादमी (Sangeet Natak Akademi-SNA) का एक वेब अभियान है जिसके दूसरे चरण की शुरुआत SNA द्वारा की जाएगी।

- यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage-ICH) तथा सीधे जन भागीदारी द्वारा विविध सांस्कृतिक विरासतों को विकसित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक पहल है।
- यह एक विशिष्ट प्रतिभा खोज कार्यक्रम है जिसमें भागीदार संगीत, नृत्य, नाटक, कठपुतली, लोक और जनजातीय कलाओं, पाक कौशल, चित्रकला और मूर्ति कला जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
- इस अभियान के पहले चरण की शुरुआत नवंबर 2018 में की गई थी।

संगीत नाटक अकादमी (Sangeet Natak Akademi)

- संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय एकेडमी है।
- यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है।
- इसका गठन भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के 31 मई, 1952 के प्रस्ताव के ज़रिये किया गया था और भारत के गज़ट में इसे जून 1952 में अधिसूचित किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष डॉ. पी. वी. राजमन्नार थे।
- यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न यूनेस्को (UNESCO) सम्मेलनों से संबंधित मामलों को समन्वित करने के लिये भारत की सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं और अभिव्यक्तियों का प्रचार एवं प्रसार करती है।

गांधी शांति पुरस्कार (Gandhi Peace Prize)

सरकार ने चार वर्षों 2015, 2016, 2017 और 2018 के गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी है।

- वर्ष 2015,2016,2017 और 2018 के लिये गांधी शांति पुरस्कार से निम्नलिखित को सम्मानित किया गया है-

वर्ष	सम्मानित संस्था/व्यक्ति	कार्य
2015	विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी	ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों का विकास
2016	अक्षयपात्र फाउंडेशन तथा सुलभ इंटरनेशनल	अक्षयपात्र को भारत के लाखों बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने तथा सुलभ इंटरनेशनल को सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिये
2017	एकल अभियान ट्रस्ट	आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण सशक्तीकरण, लैंगिक और सामाजिक समानता
2018	योहेई ससाकावा (YoheiSasakawa), विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत	भारत और दुनिया भर में कुष्ठ रोग उन्मूलन में उनके योगदान के लिये

- वर्ष 2014 में यह पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) को दिया गया था।

पृष्ठभूमि

- महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 1995 में भारत सरकार द्वारा इस वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी।
- इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि, प्रशस्ति-पत्र, एक पट्टिका के साथ-साथ एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला/हथकरघा की वस्तु दी जाती है।
- यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन में योगदान करने वाले लोगों और संस्थानों को दिया जाता है।

नोट :

जल्लीकट्टू (Jallikattu)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जल्लीकट्टू पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद हर साल जनवरी में पोंगल के समय इस प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है। इस पारंपरिक आयोजन में हर साल लोगों के गंभीर रूप से घायल होने, यहाँ तक कि मरने की खबरें भी आती रही हैं।

- जल्लीकट्टू, तमिलनाडु का एक प्राचीन पारंपरिक खेल है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है।
- जल्लीकट्टू तमिल के दो शब्दों 'जल्ली' और 'कट्टू' से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सांड़ के सींग पर सोने या चांदी के बांधे गए सिक्के।
- इस खेल में बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फँसाकर रखे जाते हैं और फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है, ताकि लोग बैलों के सींगों को पकड़कर उन्हें काबू में करें।
- कथित तौर पर पराक्रम से जुड़े इस खेल में विजेताओं को नकद इनाम वगैरह भी देने की परंपरा है।
- उल्लेखनीय है कि इस खेल के आरंभिक दिनों में एक बैल को नियंत्रण में लेने का प्रयास एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता था, लेकिन आधुनिक जल्लीकट्टू खेल के दौरान बैलों को भड़काने के लिये उन्हें शराब पिलाने से लेकर उनकी आँखों में मिर्च तक डाली जाती है और उनकी पूंछों को मरोड़ा भी जाता है, ताकि वे तेज़ दौड़ें।
- पिछले कुछ सालों को छोड़ दें तो तमिलनाडु में यह खेल बिना किसी विरोध के आयोजित होता रहा है।

उन्नति (UNNATI) कार्यक्रम

17 जनवरी, 2019 को बंगलूरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) के 'उन्नति' (UNNATI) कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

- उन्नति (UNNATI) का पूरा नाम UNispace Nanosatellite Assembly & Training by ISRO है।
- यह नैनोसैटेलाइट (nanosatellites) विकास पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (capacity building programme) है, जो अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space) की 50वीं वर्षगांठ (UNISPACE 50) मनाने के लिये ISRO की एक पहल है जिसकी घोषणा 18 जून, 2018 को वियना में आयोजित संगोष्ठी के दौरान की गई थी।
- उल्लेखनीय है कि अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1968 में वियना (ऑस्ट्रिया) में किया गया था।
- यह कार्यक्रम विकासशील देशों के प्रतिभागियों को नैनोसैटेलाइट्स के संयोजन, एकीकरण और परीक्षण में उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के अवसर प्रदान करता है।
- UNNATI कार्यक्रम को इसरो के यू.आर.राव सैटेलाइट सेंटर (U.R. Rao Satellite Centre-URSC) द्वारा 3 सालों तक 3 बैचों में संचालित करने की योजना है और इसका लक्ष्य 45 देशों के 90 अधिकारियों को लाभ पहुँचाना है।
- प्रत्येक बैच की अवधि 8-सप्ताह की होगी और इसमें नैनोसैटेलाइट की परिभाषा, उपयोगिता, अंतरिक्ष मलबे पर उनके प्रभाव को नियंत्रित करने वाले कानून, डिजाइन ड्राइवर्स, विश्वसनीयता और गुणवत्ता आश्वासन तथा नैनोसैटेलाइट्स के संयोजन, एकीकरण और परीक्षण संबंधी सैद्धांतिक पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
- इस कार्यक्रम के प्रथम बैच की शुरुआत 17 देशों (अल्ज़ीरिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, भूटान, ब्राज़ील, चिली, मिस्र, इंडोनेशिया, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, म्याँमार, ओमान, पनामा और पुर्तगाल) के 30 प्रतिभागियों के साथ की गई है।

प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana)

रोज़गार सृजन के लिये सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना 'प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना' (PMRPY) ने 14 जनवरी, 2019 तक एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित कर कीर्तिमान स्थापित किया है।

- PMRPY की घोषणा 07 अगस्त, 2016 को की गई थी और उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organization-EPFO) के ज़रिये श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) लागू कर रहा है।

नोट :

- योजना के तहत सरकार नियोक्ता (employer) के योगदान का पूरा 12 प्रतिशत का भुगतान कर रही है।
- इसमें कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund) और कर्मचारी पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme) दोनों शामिल हैं।
- सरकार का यह योगदान उन नए कर्मचारियों के संबंध में तीन वर्षों के लिये है, जिन्हें EPFO में 01 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद पंजीकृत किया गया हो तथा जिनका मासिक वेतन 15 हजार रुपये तक है।

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS)

17 जनवरी, 2019 को मुंबई में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

- इस क्षेत्रीय सम्मलेन में देश के पश्चिमी क्षेत्र की कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (Programme Implementing Agencies-PIAs) ने भाग लिया।
- इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन संशोधित योजना के प्रावधानों का प्रसार करने और कार्यान्वयन एजेंसियों को विभाग के संपर्क में लाने के लिये किया गया था।
- इस सम्मेलन ने केंद्र सरकार से लेकर कार्यान्वयन एजेंसियों तक सभी हितधारकों के साथ बातचीत करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया।
- DDRS भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है जो वर्ष 1999 से विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा और पुनर्वास के लिये काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये लागू की गई है।
- इस योजना को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2018 से लागू है।

वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन (Vibrant Gujarat Summit)

18 जनवरी, 2019 को गांधीनगर (गुजरात) स्थित महात्मा गांधी प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र (Mahatma Mandir Exhibition cum Convention Centre) में वाइब्रेंट गुजरात का 9वाँ संस्करण शुरू हुआ।

थीम- शेपिंग ए न्यू इंडिया (Shaping a New India)

- इस सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में उज़्बेकिस्तान, रवांडा, डेनमार्क, चेक गणराज्य और माल्टा के राष्ट्र प्रमुख उपस्थित थे।
- उद्योगजगत के प्रतिनिधियों समेत 30 हज़ार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं।
- इस शिखर सम्मलेन के भागीदार देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्राँस, जापान, मोरक्को, नॉर्वे, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, उज़्बेकिस्तान शामिल हैं.
- यह शिखर सम्मेलन वैश्विक सामाजिक-आर्थिक विकास, ज्ञान साझा करने और प्रभावकारी साझेदारियाँ करने से जुड़े एजेंडे पर विचार मंथन करने के लिये एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म सुलभ कराएगा।

पृष्ठभूमि

- 'वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन' की परिकल्पना वर्ष 2003 में नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
- इस शिखर सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गुजरात को फिर से एक पसंदीदा निवेश गंतव्य या राज्य के रूप में स्थापित करना था।

आसियान-भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक (ASEAN-India Tourism Ministers meeting)

हाल ही में वियतनाम के हा लोंग (Ha Long City) शहर में आसियान (ASEAN) तथा भारत के पर्यटन मंत्रियों के बीच सातवीं बैठक का आयोजन किया गया।

- भारत के पर्यटन मंत्री के.जे. अल्फोंस (K. J. Alphons) ने वियतनाम के संस्कृति, खेल तथा पर्यटन मंत्री के साथ पर्यटन मंत्रियों की इस बैठक की सह-अध्यक्षता की।

नोट :

- इस बैठक में ब्रुनेई दारेसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्याँमार, फिलिपिंस, सिंगापुर तथा थाईलैंड के पर्यटन मंत्री भी शामिल हुए।
- इस बैठक के दौरान पर्यटन मंत्रियों ने 2018 में आसियान तथा भारत के पर्यटन प्रदर्शन पर विचार किया गया। उल्लेखनीय है कि 2018 में आसियान तथा भारत में 139.5 मिलियन पर्यटकों का आगमन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक है।

ASEAN

- दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन- आसियान (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)) की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में की गई थी।
- थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस और सिंगापुर इसके संस्थापक सदस्य थे।
- वर्तमान में ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके दस सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।

उद्देश्य

- आसियान के सदस्य देश आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम करने के लिये साझा प्रयास करते हैं।
- यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।
- चूँकि आसियान इस क्षेत्र को सांस्कृतिक और व्यावसायिक चौराहा प्रस्तुत करता है, इसलिये इसके पास इससे आगे बढ़कर दुनिया के व्यापक हितों को आगे बढ़ाने और संतुलित करने की अनोखी क्षमता है।

'शूटिंग स्टार्स ऑन डिमांड' (Shooting Stars On Demand)

हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार कृत्रिम उल्का पिंडो की आतिशबाजी कराने के लिये तैयार किये गए एक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता हासिल की है।

- इसमें छोटे आकार के एप्सिलॉन-4 (Epsilon-4) रॉकेट की सहायता से जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (Japan Aerospace Exploration Agency-JAXA) के यूशीनौरा (Uchinoura) अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया ।
- इसके प्रारंभिक प्रयोग को 'शूटिंग स्टार्स ऑन डिमांड' नाम दिया गया है।
- यह उपग्रह ऐसे छोटे-छोटे गेंद के आकार वाले पदार्थ को अंतरिक्ष में मुक्त करेगा, जो धरती के वातावरण में प्रवेश करने पर ठीक उसी तरह जल उठेंगे जैसे प्राकृतिक उल्का पिंड।
- उल्लेखनीय है कि ब्रह्मांड में मौजूद छोटे-छोटे उल्कापिंड या चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में घुसते ही जल जाते हैं, जिससे रोशनी प्रकट होती है और यह आतिशबाजी जैसा प्रतीत होता है।

भारत की पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री (India's First Lithium Ion Giga Factory)

भारत में पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री के निर्माण के लिये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bharat Heavy Electricals Limited-BHEL) और लिबकॉइन (Libcoin) के बीच वार्ता चल रही है।

- इस संयंत्र की क्षमता 30 GWh (GigaWatt hours) तक बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है।
- यह परियोजना मेड बाई इंडिया, फॉर इंडिया (Made by India, for India) के तहत शुरू की जाएगी। इसके अतंर्गत प्रमुख मशीनों का निर्माण देश में किया जाएगा।

नोट :

लाभ

- इस परियोजना से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी तथा तेल आयात में कमी होगी।
- बिजली आधारित परिवहन व्यवस्था से उत्सर्जन में कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष के दौरान पूरे विश्व में बिजली से चलने वाली कारों की संख्या दस लाख तक पहुँच गई है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency-IEA) ने 2030 तक पूरे विश्व में बिजली चालित कारों की संख्या 140 मिलियन होने का अनुमान लगाया है।

ली-आयन या लिथियम आयन बैटरी

- लिथियम आयन बैटरी (lithium-ion battery या LIB) एक पुन: चार्ज करने योग्य बैटरी होती है।
- ये बैटरियाँ आजकल के इलेक्ट्रॉनिक सामानों में प्राय: उपयोग की जाती हैं और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के लिये सबसे लोकप्रिय रिचार्जेबल बैटरियों में से एक हैं।
- लिथियम-ऑयन बैटरी के धनाग्र और ऋणाग्र पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस बैटरी का विद्युत अपघट्य, इन विद्युताग्रों के बीच लिथियम ऑयनों के आवागमन के लिये माध्यम प्रदान करता है।

सरकारी ऋण पर वार्षिक स्थिति-पत्र Status Paper on Government Debt

केंद्र सरकार ने सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र अथवा स्टैटस पेपर (Status Paper) का आठवाँ संस्करण जारी किया है।

- इस स्थिति-पत्र में भारत सरकार की समग्र ऋण संबंधी स्थिति का विस्तृत विवरण दिया गया है।
- केंद्र सरकार वर्ष 2010-11 से ही सरकारी ऋण पर वार्षिक स्थिति-पत्र (Annual Status Paper on Government Debt) जारी करती रही है।
- यह स्थिति-पत्र वर्ष के दौरान ऋण संबंधी परिचालनों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य ऋण प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित सार्वजनिक ऋण के पोर्टफोलियो की स्थिति का आकलन प्रस्तुत करके पारदर्शिता को बढ़ाता है।
- इस स्टैटस पेपर में वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण संबंधी परिचालनों का विस्तृत विवरण भी दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि सरकार अपने राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिये मुख्यत: बाज़ार से जुड़ी उधारियाँ लेती है। ऋण संबंधी स्थायित्व के पारंपरिक संकेतकों यथा ऋण/GDP अनुपात, कुल ऋण में अल्पकालिक ऋण/विदेशी कर्ज/FRB की हिस्सेदारी इत्यादि से यह पता चलता है कि सरकार का ऋण पोर्टफोलियो विशेषकर ऋण स्थायित्व पैमानों की दृष्टि से संतोषजनक है और इसमें निरंतर बेहतरी हो रही है।
- स्टैटस पेपर में वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2021 तक के लिये केंद्र सरकार की ऋण प्रबंधन रणनीति (Debt Management Strategy) का भी उल्लेख किया गया है, जो सरकार की उधारी योजना का मार्गदर्शन करेगी।

भारत सरकार और JICA के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर (The Government of India and JICA sign Loan Agreements)

जापान के सरकारी विकास सहायता ऋण कार्यक्रम (Japanese Official Development Assistance Loan Program) के अंतर्गत भारत सरकार और JICA (Japan International Cooperation Agency) के बीच ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

दोनों देशों के बीच यह समझौता निम्नलिखित कार्यों के लिये किया गया है-

- चेन्नई पेरीफेरल रिंग रोड (Chennai Peripheral Ring Road)-चरण 1 निर्माण परियोजना हेतु 40.074 बिलियन जापानी येन की सहायता।
  - इस परियोजना का उद्देश्य चेन्नई महानगर क्षेत्र में बढ़ती यातायात मांग को पूरा करना है, जिसे चेन्नई बाहरी रिंग रोड (सेक्टर-1) बनाकर तथा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट प्रणाली स्थापित करके पूरा किया जा सकता है।
  - इससे यातायात भीड़-भाड़ में कमी होगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

नोट :

- भारत में सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में जापान-भारत सहकारी कार्य के लिये 15000 बिलियन जापानी येन की सहायता
  - इसका उद्देश्य भारत में SDGs के प्रोत्साहन में योगदान करना, विशेषकर भारत सरकार के प्रयासों को समर्थन देकर सामाजिक विकास करना और नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन व्यवस्था को मज़बूत बनाना है।

पृष्ठभूमि

भारत और जापान के बीच 1958 से ही द्विपक्षीय विकास सहयोग (Bilateral Development Cooperation) का लंबा इतिहास रहा है। भारत-जापान आर्थिक सहयोग में तेजी से प्रगति हुई है। यह भारत और जापान के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मज़बूत बनाता है।

सुपर ब्लड वुल्फ मून

20-21 जनवरी, 2019 को दुनिया के कई हिस्सों में सुपर ब्लड वुल्फ मून (एक पूर्ण चंद्र ग्रहण) दिखाई दिया।

- यह उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में देखा गया। लेकिन यह पूर्ण चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया।
- सुपर ब्लड वुल्फ मून एक चंद्र ग्रहण है जिसकी अवधि लगभग 62 मिनट तक थी। ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि सूरज की किरणें पृथ्वी से होकर चंद्रमा पर पड़ती हैं। पृथ्वी की छाया में चंद्रमा का रंग बदलकर लाल हो जाता है।
- इस सुपर ब्लड मून को सुपर ब्लड वुल्फ मून कहा जाता है क्योंकि कई संस्कृतियों में साल की पहली पूर्णिमा को वुल्फ मून के रूप में नामित किया गया है।

चंद्रग्रहण से संबंधित शब्दावलियाँ

चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse): जब कभी चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुज़रता है, तो उसे चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है।

सुपर मून (Super Moon): सुपर मून के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिसके परिमाणस्वरुप चंद्रमा आकार में 7% बड़ा और 15% अधिक चमकीला दिखाई देता है।

ब्लड मून (Blood Moon): जब चंद्रमा का रंग गहरा लाल हो जाता है तो उसे ब्लड मून कहते हैं। नासा (NASA) के अनुसार, यह रंग वातावरण में धूल और बादलों की मात्रा पर निर्भर करता है।

ब्लू मून (Blue Moon): जब एक ही कैलेंडर महीने में दो पूर्ण चंद्रमा दिखाई देते हैं, तो दूसरे को "ब्लू मून" कहा जाता है

फ्लेमिंगो महोत्सव (Flamingo Festival)

तीन दिवसीय वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव पुलिकट झील (Pulicat lake) और सुल्लुरपेटा (Sullurpeta) मंडल के नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य (Nelapattu Bird Sanctuary) में आयोजित किया जाता है।

- इस महोत्सव का उद्देश्य पुलीकट और नेलापट्टू में पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- विभिन्न प्रवासी पक्षी प्रजनन के लिये सर्दियों के मौसम के दौरान इस स्थान पर आते हैं।
- आमतौर पर पक्षियों की लगभग 80 अलग-अलग प्रजातियाँ प्रजनन के लिये पुलीकट में प्रवास करती हैं।
- इस वर्ष 90,000 से भी अधिक प्रवासी पक्षी दूर-दूर से पुलीकट झील में आए हैं।

नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य

- नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य भारत में सबसे लोकप्रिय पक्षी अभयारण्यों में से एक है।
- दक्षिण पूर्व एशिया में पेलिकन के लिये सबसे बड़े निवास स्थान के रूप में लोकप्रिय नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य कई अन्य मूल तथा प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान है।
- पुलीकट वन्यजीव विभाग ने वर्ष 1976 में इस पक्षी अभयारण्य की स्थापना की थी।
- इसका क्षेत्रफल 458.92 हेक्टेयर है।
- यह आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु सीमा पर पुलिकट झील के उत्तर में लगभग 20 किमी की दूरी पर स्थित है।

नोट :

भारत में प्रवासन करने वाले पक्षी

भारत में प्रवासन करने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण पक्षियों के नाम निम्नलिखित हैं:-

ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले पक्षी	शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले पक्षी
एशियाई कोयल (Asian Koel) काले ताज वाला रात्रि बगुला (Black crowned night heron) यूरेशियन गोल्डन ओरियलकॉम्ब बत्तख ब्लू-चिक्ड बी-ईटर (Blue-cheeked Bee-Eater) ब्लू-टेल्ड् बी-ईटर सारंग (Cuckoo)	आमुर फाल्कन साइबेरियन क्रेन ग्रेटर फ्लेमिंगो रफ (Ruff) काले पंखों वाला स्टिल्ट (Black winged stilt) कॉमन टील (Common Teal) कॉमन ग्रीनशेंक (Common Green shank) उत्तरी पिनटेल (Northern Pintail) पीला वेग्टेल (Yellow wagtail) सफेद वेग्टेल (White wagtail) उत्तरी शोवेलर (Northern Shoveler) स्पॉटेड सेंडपाइपर यूरेशियन वाइगन चित्तीदार रेडशेंक (Spotted Redshank)

पुलीकट झील

यह भारत में आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश से उत्तरी तमिलनाडु के बीच लगभग 80 किमी. के क्षेत्रफल में फैली हुई है।

- पुलिकट झील, जिसे तमिल में पजहवेर्कादु एरी कहते हैं खारे पानी की झील है।
- ओडिशा में चिल्का झील के बाद यह झील देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
- यह झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है।
- बंगाल की खाड़ी से यह झील श्रीहरिकोटा द्वारा अलग होती है जो एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है।

रियो डी जेनेरियो (Rio de Janeiro)

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन- यूनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो को वर्ष 2020 के लिये वर्ल्ड कैपिटल ऑफ़ आर्किटेक्चर (World Capital of Architecture) घोषित किया है।

- पेरिस और मेलबर्न को पीछे छोड़ते हुए रियो डी जेनेरियो पिछले साल नवंबर में यूनेस्को और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स (Union of Architects-UIA) द्वारा एक साथ शुरू किये गए कार्यक्रम के तहत यह खिताब हासिल करने वाला पहला शहर है।
- यह शहर जुलाई 2020 में UIA के वैश्विक सम्मेलन (World Congress) की मेज़बानी करेगा। उल्लेखनीय है कि UIA का यह सम्मेलन तीन सालों में एक बार आयोजित होता है।
- यूनेस्को के अनुसार, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर का उद्देश्य संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, शहरी नियोजन और वास्तुकला के दृष्टिकोण से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने से संबंधित वार्ता के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना है।
- ब्राज़ील के सबसे पुराने शहरों में से एक रियो डी जेनेरियो आधुनिक और औपनिवेशिक वास्तुकला का मिश्रण है जिसमें विश्व प्रसिद्ध स्थलों जैसे-ईशा मसीह की मूर्ति और म्यूज़ियम ऑफ़ टुमारो (Museum of Tomorrow) आदि समकालीन निर्माण शामिल हैं।

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)

नोट :

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) 'संयुक्त राष्ट्र संघ' (United Nation Organisation-UNO) का एक घटक है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में है।
- संगठन में 195 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं।
- Union of Architects (UIA)
- इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स (UIA) की स्थापना 28 जून, 1948 को लुसाने (Lausanne), स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) में हुई थी।
- UIA एक गैर-सरकारी संगठन है जिसे UNESCO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एकमात्र वास्तुशिल्प संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है।

कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, सरकार द्वारा संसद के समक्ष प्रत्येक वर्ष एक 'वार्षिक वित्तीय विवरण' प्रस्तुत किया जाता है जिसे 'बजट' (Budget) कहते हैं।

- संसद में बजट पेश किये जाने के बाद उस पर सामान्य चर्चा होती है तत्पश्चात् लोकसभा विभागानुसार 'अनुदान की मांगों' पर चर्चा करती है और उन्हें स्वीकृति देती है। लेकिन 'अनुदान की मांगों' (Demands For Grants) पर चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के लिये आवंटित राशि में कटौती की जाए तो वह सदस्य एक नोटिस देकर इस संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकता है, इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव या Cut Motion कहते हैं।

कटौती प्रस्ताव लाने के कारण

1. सरकार की नीति को अस्वीकार करने के इरादे से : इसमें संसद सदस्यों द्वारा संबंधित विभाग की अनुदान मांगों में कटौती कर उसे केवल 1 रुपए करने का प्रस्ताव किया जाता हैं। ऐसा करने का स्पष्ट कारण यह है कि सदस्यों द्वारा सरकार की उक्त नीति को अस्वीकार किया जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव मंज़ूर हो जाता है तो सरकार के समक्ष असहजता की स्थति पैदा हो सकती है।
2. इकॉनमी कट: इसके अंतर्गत सदस्य किसी क्षेत्र की अनुदान मांगों में से एक निश्चित राशि की कटौती का प्रस्ताव करते हैं लेकिन यह प्रस्ताव पेश करते समय सदस्यों को यह बताना होता है कि अनुदान की मांगों में आवंटित की गई राशि से उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
3. टोकन कट : इसके अंतर्गत सदस्य किसी मंत्रालय की अनुदान मांगों में से 100 रुपए की टोकन कटौती का प्रस्ताव करते हैं। सरकार से कोई विशेष शिकायत होने पर भी सदस्य ऐसा करते हैं।

   लेकिन कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये स्वीकृति दी जाएगी अथवा नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है।

   कटौती प्रस्ताव का जवाब:

   इस प्रस्ताव का जवाब उसी मंत्रालय के मंत्री द्वारा दिया जाता है जिसकी अनुदान की मांगों पर संसद में चर्चा की गई हो।

महत्त्व

- संसद सदस्य कटौती प्रस्ताव के ज़रिये बजट के संबंध में सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का काम करते हैं।
- इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कटौती प्रस्ताव संसद सदस्यों के लिये एक प्रकार के वीटो पॉवर के समान है।

स्वाइन फ्लू (Swine Flu)

- एक बार फिर देश भर से स्वाइन फ्लू के संक्रमण की खबरें सामने आ रही हैं और यह संक्रमण तेज़ी से फ़ैल रहा है।
- यह H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होता है। H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है, यह सूअर, पक्षी और मानव जीन का एक संयोजन है, जो सूअरों में एक साथ मिश्रित होते हैं और मनुष्यों तक फैल जाते हैं।

नोट :

- H1N1 एक प्रकार से श्वसन संबंधी बीमारी का कारण बनता है जो कि बहुत संक्रामक होता है।
- H1N1 संक्रमण को स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अतीत में यह उन्हीं लोगों को होता था जो सूअरों के सीधे संपर्क में आते थे।
- H1N1 की तीन श्रेणियाँ हैं - A, B और C
- A और B श्रेणियों को घरेलू देखभाल की आवश्यकता होती है, जबकि श्रेणी C में तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने और चिकित्सा की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके लक्षण और परिणाम बेहद गंभीर होते हैं और इससे मृत्यु भी हो सकती है।
- स्वाइन फ्लू इन्फ्लूएंजा टाइप ए वायरस का ही दूसरा नाम है जो सूअरों (स्वाइन) को प्रभावित करता है। हालाँकि स्वाइन फ्लू आमतौर पर मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन 2009-2010 में इसने एक वैश्विक प्रकोप (महामारी) का रूप धारण कर लिया था, तब 40 वर्षों से अधिक समय के बाद फ्लू के रूप में कोई महामारी पूरी दुनिया में फैली थी।

भारत सबसे भरोसेमंद देशों में से एक (India Among The Most Trusted Nations)

सरकार, व्यापार, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और मीडिया की बात करें तो भारत विश्व स्तर पर सबसे भरोसेमंद देशों में से एक है।

- एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर (Edelman Trust Barometer) रिपोर्ट 2019, जो दावोस में आयोजित हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum) की बैठक से ठीक पहले जारी की गई है, के अनुसार वैश्विक विश्वसनीयता सूचकांक (Global Trust Index) तीन अंकों की मामूली वृद्धि के साथ 52 अंकों तक पहुँच गया है।
- जागरूक जनता सूचकांक में 79 और सामान्य आबादी के भरोसा सूचकांक में 88 अंकों के साथ चीन इस सूचकांक में सबसे ऊपर है।
- भारत जागरूक जनता की श्रेणी में दूसरे स्थान पर और सामान्य आबादी श्रेणी में तीसरे स्थान पर है।
- ये निष्कर्ष 16 अक्तूबर से 16 नवंबर, 2018 तक 27 बाज़ारों में कराए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इसमें 33,000 से अधिक लोगों के जवाब को शामिल किया गया है।
- ब्रांड संबंधी विश्वसनीयता के मामले में उन कंपनियों का नाम आता है जिनके मुख्यालय स्विटज़रलैंड, जर्मनी और कनाडा में हैं। इसके बाद जापान का स्थान आता है। वहीं भारत, मेक्सिको और ब्राज़ील में स्थित कंपनियाँ भरोसे के मामले में निचले स्थानों पर हैं। इसके बाद चीन और दक्षिण कोरिया का स्थान आता है।
- एडेलमैन (Edelman) एक वैश्विक संचार विपणन फर्म है जो दुनिया के प्रमुख व्यवसायों और संगठनों के ब्रांड और उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिये उनके साथ भागीदार के रूप में कार्य करती है।

15वाँ प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas-PBD)

15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है।

- इस बार प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas-PBD) सम्मेलन की थीम 'नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका' (Role of Indian Diaspora in building New India) है।
- 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 7 से 9 जनवरी, 2017 को बंगलूरू, कर्नाटक में किया गया था जिसकी थीम 'प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को पुनर्भाषित करना' (Redefining Engagement with the Indian Diaspora) थी।
- सम्मेलन के दौरान भारत के साथ-साथ विदेशों के भी विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रवासी भारतीयों का चयन किया जाता है तथा उनके योगदान को मान्यता देने के लिये प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (Pravasi Bharatiya Samman Award) से सम्मानित किया जाता है।
- PBDA प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

पृष्ठभूमि

- प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था।

नोट :

- पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिये 9 जनवरी का दिन इसलिये चुना गया था क्योंकि वर्ष 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आये थे।
- अब प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हर दो साल में एक बार किया जाता है।
- यह आयोजन विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय को सरकार के साथ काम करने और अपनी जड़ो से दोबारा जुड़ने का मंच उपलब्ध कराता है।

सी विजिल 2019 (Sea Vigil 2019)

समुद्र के रास्ते होने वाले हमले के खिलाफ देश की रक्षा तैयारियों की समीक्षा करने के लिये के भारतीय नौसेना का दो दिवसीय रक्षा अभ्यास 22 जनवरी, 2019 को शुरू हुआ।

- इस अभ्यास को 'सी विजिल 2019' नाम दिया गया है और इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला यह पहला अभ्यास है।
- यह सुरक्षा अभ्यास तटीय रक्षा के कमांडर इन चीफ व दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि के निरीक्षण में आयोजित किया जा रहा है और इसकी निगरानी संयुक्त अभियान केंद्र, कोच्चि कर रहा है।
- इस दो दिवसीय अभ्यास के दौरान पूरे देश के तटीय और विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) को कवर किया जाएगा।
- इस अभ्यास का उद्देश्य मुंबई आतंकवादी हमले के बाद से किये गए उपायों की प्रभावकारिता को व्यापक और समग्र रूप से सुदृढ करना करना है।
- इस वृहद् अभ्यास का मुख्य लक्ष्य तटीय क्षेत्रों की समग्र सुरक्षा और समुद्री मार्ग के माध्यम से घुसपैठ द्वारा एक हमले को विफल करने में उनकी तैयारी का परीक्षण करना है।
- उल्लेखनीय है की पिछले दस वर्षों में तटरक्षक बल ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर 347 ऑपरेशन और 180 तटीय सुरक्षा अभ्यास किये हैं, जिनमें तटीय सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का परीक्षण करने के लिये आयोजित किया जाने वाला एक अर्द्धवार्षिक अभ्यास सागर कवच (Sagar Kavach) भी शामिल है।

केरियन गंडियाल पुल (Kerrian Gandyal bridge)

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने जम्मू के कठुआ ज़िले में निर्मित केरियन गंडियाल पुल को राष्ट्र को समर्पित किया।

- इस पुल का निर्माण कठुआ ज़िले में रावी नदी पर किया गया है और इसके निर्माण में तीन साल का समय लगा है।
- रावी नदी पर 1.2 किमी लंबे इस पुल का निर्माण 158.84 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इससे अंतर-राज्यीय सड़क संपर्क में सुधार होगा।
- इस परियोजना से जम्मू के कठुआ और पंजाब के पठानकोट में रहने वाले लगभग 2,20,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
- इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 45 किलोमीटर से घटकर 8.6 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।

पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल (Pakke Paga Hornbill Festival)

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल (PPHF), राज्य के एकमात्र संरक्षण महोत्सव को 'राज्य उत्सव' घोषित किया।

- हॉर्नबिल निशि/न्यिशी (Nyishi) भाषा में 'पागा') के नाम पर पाक्के पागा महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था।
- इस उत्सव का पहला संस्करण जनवरी 2015 में अरुणाचल प्रदेश के सिजोसा (Seijosa) में आयोजित किया गया था।
- यह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग (East Kameng) ज़िले के सिजोसा के दारलोंग (Darlong) गाँव में आयोजित किया जाता है।

नोट :

उद्देश्य

- पाक्के तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थानीय न्यिशी समुदायों एवं अन्य समुदायों द्वारा राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण में निभाई गई भूमिका को लोकप्रिय बनाना।
- अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल और वन्यजीवों के संरक्षण के महत्त्व पर ध्यान देना और इन शानदार पक्षियों के शिकार को कम करने की आवश्यकता पर जोर देना।
- अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और वन्यजीव विरासत, विशेष रूप से पक्के/पाक्के टाइगर रिजर्व (Pakke Tiger Reserve) के बारे में शहरी भारतीयों और बाहरी आगंतुकों के बीच रुचि और जागरूकता पैदा करना।

भारत-अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास-2019

भारतीय अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (IAFTX)-2019 की तैयारियों से संबंधित कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिये पुणे में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

- इस अभ्यास से संबंधित प्रारंभिक योजना दिसंबर 2018 में आयोजित सम्मेलन में ही तैयार कर ली गई थी।
- इस सम्मेलन में मिस्र (Egypt), घाना (Ghana), नाइजीरिया (Nigeria), सेनेगल (Senegal), सूडान (Sudan), दक्षिण अफ्रीका (South Africa), तंज़ानिया (Tanzania), नामीबिया (Namibia), मोज़ाम्बिक (Mozambique), युगांडा (Uganda), नाइजर (Niger) और जाम्बिया (Zambia) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- IAFTX-2019 का आयोजन 18 से 27 मार्च, 2019 तक पुणे के औंध मिलिट्री स्टेशन (Aundh Military Station) और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग (College of Military Engineering) में किया जाएगा।
- यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और एक दर्जन से अधिक अफ्रीकी देशों के बीच किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों को बढ़ाने और संयुक्त शांति अभियानों को गति देना है।
- IAFTX-2019 अफ्रीकी महाद्वीप के सदस्य राष्ट्रों के साथ बढ़ते राजनीतिक और सैन्य संबंधों की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और इससे इन देशों के साथ पहले से ही मज़बूत रणनीतिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day)

24 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्तूबर को मनाया जाता है।

- राष्ट्रीय बालिका दिवस 2019 की थीम 'उज्ज्वल कल के लिये लड़कियों का सशक्तीकरण' (Empowering Girls for a Brighter Tomorrow) है।
- इस दिवस को मनाने की शुरुआत पहली बार 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य लड़कियों के सामने आने वाली विषमताओं को उजागर करना, बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा के महत्त्व, स्वास्थ्य और पोषण, गिरते हुए बाल लिंग अनुपात (Child Sex Ratio-CSR) सहित कई विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा देना और बालिकाओं के आस-पास सार्थक वातावरण बनाना है।

काजीरंगा के दो गैंडों को मिला नया घर (Two Rhinos of Kaziranga Find a New Home)

हाल ही में दो गैंडों (Rhinos), जो वर्ष 2016 में काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ के कारण विस्थापित हो गए थे, को मानस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है।

- उल्लेखनीय है कि जब ये गैंडे विस्थापित हुए थे तब बहुत ही छोटे थे। इन दोनों को काजीरंगा के वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र (Center for Wildlife Rehabilitation and Conservation-CWRC) में एक साथ रखा गया था।

नोट :

- वर्ष 2002 में CWRC की शुरुआत के बाद से विभिन्न कारणों से काजीरंगा नेशनल पार्क के जंगलों में फँसे 50 से अधिक गैंडों के बच्चों को बचाया जा चुका है, इनमें से अधिकांशत: ऐसे थे जो बाढ़ के कारण विस्थापित हो गए थे।
- वर्तमान में मानस नेशनल पार्क में गैंडों की संख्या 38 है।
- मानस नेशनल पार्क में गैंडों का संवर्द्धन 'ब्रिंग बैक मानस, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट' (Bring Back Manas, A UNESCO World Heritage Site) नामक पहल का हिस्सा था।

मानस नेशनल पार्क

- अद्वितीय जैव विविधता और परिदृश्य से भरा मानस नेशनल पार्क, असम राज्य में भूटान-हिमालय की तलहटी में स्थित है।
- यह वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के तहत बाघ अभयारण्यों के नेटवर्क में शामिल होने वाले प्राथमिक अभयारण्यों में से एक है।
- वर्ष 1985 में यूनेस्को (UNESCO) ने मानस वन्यजीव अभयारण्य को विश्व विरासत स्थल (World Heritage Site) का दर्जा प्रदान किया था।
- विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के सात साल बाद ही इस अभयारण्य को 'खतरनाक' घोषित कर दिया गया था लेकिन वर्ष 2011 में IUCN तथा यूनेस्को की वैश्विक धरोहर समिति की सलाह के बाद इसे 'खतरनाक' अभयारण्यों की सूची से बाहर निकाल दिया गया था।
- वर्ष 1989 में इसे बायोस्फीयर रिज़र्व (Biosphere Reserve) तथा वर्ष 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया।

रोशनी एप (Roshni App)

दृष्टिबाधित लोगों को आसानी से करेंसी नोटों के मूल्य निर्धारण में सहायता के लिये 'रोशनी' (Roshni) नामक एंड्रॉइड एप विकसित किया गया है।

- इस एप को पंजाब के रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology) ने विकसित किया है।
- इसको विकसित करने के लिये इमेज प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स का उपयोग किया गया है।
- रोशनी पहला एंड्रॉइड एप है जो विमुद्रीकरण के बाद चलन में आए नए नोटों की सफलतापूर्वक पहचान कर सकता है।
- यह एप एक रूपांतरणीय तथा गहन अध्ययन करने में सक्षम संरचना का उपयोग करता है, जो आगे चलकर नोटों पर बने अलग-अलग पैटर्न और विशेषताओं का उपयोग कर अलग-अलग मूल्य के नोटों में अंतर स्थापित करता है।
- संस्थान की IPSA (इमेज प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी एंड एनालिटिक्स) लैब ने विभिन्न मुद्रा नोटों की 13, 000 से अधिक छवियों का एक समृद्ध डेटासेट तैयार किया।
- इसमें उपयोगकर्त्ता को करेंसी नोट को फोन के कैमरे के सामने लाना होगा और एप ऑडियो अधिसूचना के ज़रिये उपयोगकर्त्ता को करेंसी नोट के मूल्य के बारे में बताएगा।
- इसके अलावा Microsoft द्वारा विकसित Seeing AI एकमात्र एप है जो पुराने और नए दोनों प्रकार के भारतीय नोटों की पहचान करता है।

सुभाष चंद्र बोस

23 जनवरी, 2019 को सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती मनाई गई।

- इस अवसर पर लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय (Subhas Chandra Bose Museum) का उद्घाटन किया गया तथा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा भी की गई।

सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय

- इस विशेष संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। इनमें नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी, तलवार, पदक, बैच और आज़ाद हिंद फौज की वर्दी आदि शामिल हैं।
- इस संग्रहालय में आजाद हिंद फौज के बारे में भी लोगों को जानकारी मिलेगी।

नोट :

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

- सभी भारतीय नागरिक और संगठन जिन्होंने आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों यथा रोकथाम, तैयारी, बचाव, राहत, पुनर्वास, शोध या पूर्व चेतावनी में विशिष्ट योगदान दिया है, वे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के योग्य हैं।
- इस पुरस्कार के तहत 51 लाख रुपए की नकद धनराशि तथा एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- वर्ष 2019 के लिये गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Response Force-NDRF) की आठवीं बटालियन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिये सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।

वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक - 2019 (Global Talent Competitive Index 2019)

- हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक 2019 में भारत को 80वाँ स्थान मिला है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में जारी इस सूचकांक में भारत को 81वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।
- इस सूचकांक के अंतर्गत वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा में देशों की क्षमता की माप की जाती है।
- इसे इनसीड (INSEAD) बिजनेस स्कूल द्वारा टाटा कम्युनिकेशंस (Tata Communications) और एडिको समूह (Adecco Group) के सहयोग से जारी किया गया है।
- इस बार सूचकांक की थीम 'उद्यमी प्रतिभा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा' (Entrepreneurial Talent and Global Competitiveness) है।
- इस बार सूचकांक में 125 देशों को शामिल किया गया है।
- सूचकांक में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश क्रमश: स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, नॉर्वे तथा डेनमार्क हैं।
- यह सूचकांक कुछ मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है जैसे कि नियुक्ति में सहजता, लैंगिक आधार पर आय में असमानता एवं व्यवसाय का प्रसार।
- इस बार भारत की सबसे प्रमुख चुनौती प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने की अपनी क्षमता में सुधार करना है।
- भारत को बढ़ती लैंगिक असमानता तथा अल्पसंख्यकों और अप्रवासी के प्रति असहिष्णुता के संबंध में आंतरिक स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है।

बायो-जेट ईंधन के लिये नया मानक

- सभी सैन्य और नागरिक विमानों में बायो-जेट ईंधन का उपयोग करने के लिये BIS ने IAF, अनुसंधान संगठन और उद्योग के साथ मिलकर विमानन टर्बाइन ईंधनों हेतु एक नया मानक पेश किया है।
- BIS द्वारा उल्लिखित ये विशेष मानक भारतीय मानकों को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएंगे।
- इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ गठित एक समिति को आवश्यक मानक तैयार करने का काम सौंपा गया था।
- विचार-विमर्श के बाद भारतीय मानक IS 17081:2019 विमानन टर्बाइन ईंधन (केरोसिन टाइप, जेट A-1) तैयार किया गया है जिसमें सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन शामिल हैं।
- यह मानक तेल कंपनियों को भारतीय विमानन उद्योग के लिये बायो-जेट ईंधन बनाने में सक्षम करेगा।
- इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (International Civil Aviation Organisation-ICAO) द्वारा 2027 तक कार्बन ऑफ़सेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation-CORSIA) के आगमन को देखते हुए, यह एक महत्त्वपूर्ण विकास है जो कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है और भारत को एक हरित ईंधन उत्पादन केंद्र बनने में मदद कर सकता है।

नोट :

9वाँ मतदाता दिवस

- 9वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters' Day-NVD) 25 जनवरी 2019 को देशभर के 10 लाख मतदान केंद्रों पर मनाया जाएगा।
- आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस संस्करण की थीम 'नो वोटर टू लेफ्ट बिहाइंड' चुनी गई है।
- निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किये जा रहे राष्ट्रीय समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे।
- एक त्रैमासिक पत्रिका, 'माई वोट मैटर्स' इस अवसर पर लॉन्च की जाएगी और इसकी पहली प्रति चुनाव आयोग द्वारा माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी।
- इस सम्मेलन में बांग्लादेश, भूटान, कजाकिस्तान, मालदीव, रूस और श्रीलंका जैसे चुनाव प्रबंधन निकायों (EMV) के प्रमुख/मुख्य चुनाव आयुक्त/आयुक्त व वरिष्ठ अधिकारी तथा मलेशियन कॉमनवेल्थ स्टडीज़ सेंटर, यूके; इंटरनेशनल सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री स्टडीज़, यूके और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलैक्टोरल एसिस्टेंस (IDEA) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख/वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

शुरुआत

- भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को हुआ था। 'भारत सरकार' ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस '25 जनवरी' को ही वर्ष 2011 से 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी।

उद्देश्य

- 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य अधिक मतदाता, विशेष रूप से नए मतदाता बनाना है। इसके लिये इस अवसर को सार्वभौम वयस्क मतदान को पूर्ण वास्तविकता बनाना और इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
- यह दिवस मतदाताओं के बीच मतदान प्रक्रिया में कारगर भागीदारी के बारे में जानकारी फैलाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

नई प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलन

- हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NIC ने दो दिवसीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेज़बानी की। इस सम्मेलन की थीम 'टेक्नोलॉजीज़ फॉर नेक्स्टजेन गवर्नेंस' (Technologies for NextGen Governance) थी।
- इस सम्मेलन में बिग डेटा और एडवांस्ड एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेवऑप्स (DevOps)/एज़ाइल मेथडोलॉजी, क्लाउड नेटिव स्केलेबल एप्लिकेशन, माइक्रो-सर्विसेज़, सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center-NIC)

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में हुई थी और तब से यह ई-सरकार/ई-शासन अनुप्रयोगों के जमीनी स्तर तक 'प्रमुख निर्माणकर्ता' के रूप में उभरने के साथ-साथ सतत् विकास के लिये डिजिटल अवसरों के प्रोत्साहक के रूप में उभरा है।
- NIC ने अपने आईसीटी नेटवर्क 'निकनेट' के जरिये केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, 36 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और भारत के 708 ज़िला प्रशासन के साथ संस्थागत रूप संबंध स्थापित किया है।
- NIC केंद्र सरकार, राज्यों, ज़िलों और विभागों में सरकारी मंत्रालयों/विभागों में ई-सरकार/ई-गवर्नेंस आवेदनों को चलाने में सहायक रहा है, जो सरकारी सेवाओं में सुधार, व्यापक पारदर्शिता, विकेंद्रीकृत योजना और प्रबंधन को बढ़ावा देनें में मददगार रहा है।
- संचालित की जा रही प्रमुख गतिविधियाँ:
  - आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना
  - राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं/उत्पादों का कार्यान्वयन
  - सरकारी विभागों के लिये परामर्श कार्य
  - अनुसंधान एवं विकास और
  - क्षमता निर्माण

नोट :

'ट्रेन 18' अब 'वंदे भारत एक्सप्रेस'

हाल ही में ट्रेन 18 का नाम बदलकर 'वंदे भारत एक्सप्रेस' करने की घोषणा की गई है।

- सुरक्षा मानकों के साथ-साथ अन्य परीक्षणों को पास कर लेने के बाद देश में निर्मित सेमी-हाईस्पीड ट्रेन 18 यात्रियों की सेवा के लिये अब तैयार है।
- 'वंदे भारत एक्सप्रेस' या ट्रेन 18 नई दिल्ली और वाराणसी के बीच 755 किलोमीटर की दूरी महज़ आठ घंटे में तय करेगी। नई दिल्ली से चलकर यह ट्रेन कानपुर और प्रयागराज में रुकने के बाद वाराणसी पहुँचेगी।
- यह दिल्ली-वाराणसी मार्ग पर चलने वाली सबसे तेज़ ट्रेन होगी। अभी तक सबसे तेज़ ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच की दूरी 11 घंटे 30 मिनट में तय करती है।

भारत पर्व

- पर्यटन मंत्रालय कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से 26 से 31 जनवरी, 2019 तक लाल किले में एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाने वाले पाँच दिवसीय 'भारत पर्व' का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह का ही हिस्सा है।
- कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, देश के विविधता पूर्ण सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करना और जन-भागीदारी बढ़ाना है।
- एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संबंध में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के मद्देनज़र भारत पर्व का आयोजन 2016 से गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
- इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय करता है। इस बार आयोजन के दौरान गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झाँकियों की प्रदर्शनी, सशस्त्र बलों के बैंड का प्रदर्शन, पाक कला, फूड कोर्ट और डीएवीपी द्वारा फोटो प्रदर्शनी पेश की जाएगी।
- भारत पर्व कार्यक्रम के आयोजन के लिये पर्यटन मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है।

हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, 2018- नारी शक्ति

हाल ही में ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरीज़ ने वर्ष 2018 का 'हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर' के रूप में 'नारी शक्ति' को चुना है।

- ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरीज़ का इस वर्ष का हिंदी शब्द, एक ऐसा शब्द या अभिव्यक्ति है, जो बीते हुए वर्ष की प्रकृति, मिजाज़, माहौल और मानसिकता को व्यक्त कर सकता है।
- विभिन्न क्षेत्रों में नारी की बढ़ती सक्रियता ही नारी शक्ति है। यह शब्द संस्कृत से जन्मा है। नारी का अर्थ है 'महिला' और 'शक्ति' उसकी असीम ऊर्जा को व्यक्त करता है।
- ऑक्सफोर्ड ने 2017 में 'आधार' शब्द चुना था। आक्सफोर्ड ने यह पहल 2017 से शुरू की थी।
- वर्ष 2018 के दौरान महिलाओं को लेकर कई कानूनों में बदलाव और सुधार किये गए इसके साथ ही #मीटू जैसे आंदोलन भी चर्चा में रहे।
- देश भर में इस दौरान महिला सशक्तीकरण और महिला अधिकार पर काफी बहस हुई। यही वजह है कि इस शब्द पर ज़ोर दिया गया। नारी शक्ति शब्द पर मार्च 2018 में सबसे ज्यादा ज़ोर दिया गया था।

विश्व कुष्ठ दिवस

- 27 जनवरी, 2019 को पूरे विश्व में 'विश्व कुष्ठ दिवस' (World Leprosy Day) मनाया गया। यह दिवस हर साल जनवरी महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है।
- इस वर्ष हेतु इसकी थीम 'भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना' (Ending Discrimination, Stigma and Prejudice) है।
- अक्सर देखा जाता है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित अधिकांश लोगों को किसी-न-किसी रूप में कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनमें से आधे अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं।

नोट :

- कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium Leprae) के कारण होने वाला एक क्रोनिक संक्रामक रोग (Chronic Infectious Disease) है।
- इस रोग की वजह से त्वचा पर गंभीर घाव हो जाते हैं और हाथों तथा पैरों की तंत्रिकाओं को भारी नुकसान पहुँचता है।
- माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया की खोज करने वाले चिकित्सक का नाम डॉ. आर्मोर हैन्सेन है। इसलिये इस रोग को हैन्सेन का रोग के रूप में भी जाना जाता है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, मल्टीड्रग थेरेपी (Multidrug Therapy- MDT) के द्वारा कुष्ठ रोग का प्रभावी उपचार किया जा सकता है।

मोबाइल एप 'आरडीपी इंडिया 2019'

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 'डिजिटल इंडिया' अभियान के अनुपालन में एक नई पहल की शुरुआत की है।

- गणतंत्र दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय ने एक मोबाइल एप 'आरडीपी इंडिया 2019' जारी किया। इसका उद्देश्य गणतंत्र दिवस समारोह की रूपरेखा को राजपथ पर मौजूद दर्शकों के अलावा दुनिया भर के आम लोगों को उपलब्ध कराना था।
- इस एप में नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड की सूचनाएँ मौजूद थीं, जिसमें परेड के क्रम, विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत झांकियों का विवरण, बच्चों के सांस्कृतिक प्रदर्शनों, फ्लाई-पास्ट तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 के विजेताओं के नामों की जानकारी शामिल थी।
- परेड में उपस्थित सभी दर्शकों के लिये यह एप काफी सूचनात्मक रहा और इसकी हर तरफ प्रशंसा की गई। इस एप में परेड की लाइव-स्ट्रीमिंग का भी प्रावधान था।
- एप को डाउनलोड करके परेड देखने के साथ-साथ आयोजन के बारे में सूचनाएँ अब भी प्राप्त की जा सकती हैं।

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश

विश्व इस्पात संघ (World Steel Association-worldsteel) के अनुसार, भारत जापान को प्रतिस्थापित कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है, जबकि चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन में 51 प्रतिशत से अधिक भागीदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है।

- शीर्ष दस में शामिल देश इस प्रकार हैं-

रैंकिंग	देश
1	चीन
2	भारत
3	जापान
4	संयुक्त राज्य अमेरिका
5	दक्षिण कोरिया
6	रूस
7	जर्मनी
8	तुर्की
9	ब्राज़ील
10	ईरान

नोट :

विश्व इस्पात संघ (World Steel Association-worldsteel)

- विश्व इस्पात संघ (worldsteel) दुनिया के प्रमुख उद्योग संघों में से एक है।
- इसकी स्थापना 10 जुलाई, 1967 को अंतर्राष्ट्रीय लौह एवं इस्पात संस्थान (International Iron and Steel Institute) के रूप में की गई थी। 6 अक्तूबर, 2008 को इसका नाम बदलकर विश्व इस्पात संघ/वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (World Steel Association) कर दिया गया।
- इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है।
- worldsteel 160 से अधिक इस्पात उत्पादकों (दुनिया की 10 सबसे बड़ी इस्पात कंपनियों में से 9 सहित), राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इस्पात उद्योग संघों और इस्पात अनुसंधान संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसके सदस्य देश दुनिया के कुल इस्पात उत्पादन के लगभग 85 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संगराई नृत्य (Sangrai Dance)

संगराई नृत्य मोग (Mog) आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो बंगाली कैलेंडर के चैत्र (अप्रैल में) माह के दौरान मनाए जाने वाले संगराई उत्सव के अवसर पर किया जाता है।

- मोग त्रिपुरा की 19 जनजातियों में से एक है।
- मोग अराकनी वंश (भारत-वर्मा के अराकान क्षेत्र) से संबंधित है जिन्होंने चित्तगोंग पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए त्रिपुरा में प्रवास किया था।
- मोग समुदाय की भाषा को तिब्बत-चीनी परिवार की भाषा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जो असम-बर्मा भाषा खंड से भी जुड़ा हुआ है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)

- रंगराजन आयोग ने 2001 में भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National statistics commission-NSC) की स्थापना की सिफारिश की थी। जिसके तहत 2005 में एक प्रस्ताव के माध्यम से सरकार ने NSC की स्थापना कर दी थी।
- NSC सांख्यिकीय मामलों पर सर्वोच्च सलाहकारी निकाय है क्योंकि इसका गठन सांख्यिकीय मामलों में नीतियों, प्राथमिकताओं और मानकों को विकसित करने के लिये ही किया गया था।
- NSC में एक अध्यक्ष के अलावा चार सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक सदस्य निर्दिष्ट सांख्यिकीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ और अनुभवी होता है।

रत्न और आभूषण के लिये घरेलू परिषद

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रत्न और आभूषण के लिये एक घरेलू परिषद (Domestic Council for Gems & Jewellery) के गठन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य रत्न और आभूषण उद्योग के घरेलू व्यापारिक हितधारकों को एक छत के नीचे लाना है ताकि वे इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण विकसित कर सकें।
- यह परिषद पहले से मौजूद बड़े घरेलू बाज़ार में नए अवसरों को भुनाने में मदद करेगी।
- सरकार का मूल उद्देश्य इस असंगठित क्षेत्र को संगठित तथा संरचित बनाना है ताकि अतिरिक्त रोज़गार के अवसर सृजित किये जा सकें।
- 2018 तक रत्न और आभूषण का खुदरा घरेलू कारोबार लगभग 4 लाख करोड़ रूपए का रहा है। वर्तमान में यह क्षेत्र चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुज़र रहा है।
- रत्न और आभूषण के निर्यात में आभूषण की हिस्सेदारी कम है और उक्त परिषद इस हिस्सेदारी को बढ़ाने पर ध्यान देगी।

नोट :

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) कोष:

- क्वांटम सलाहकारों के साथ साझेदारी में टाटा समूह के तीन पूर्व अधिकारी 1 बिलियन डॉलर का पर्यावरण, सामाजिक और शासन (Environment, Social and Governance-ESG) कोष जारी करेंगे।
- यह कोष उन भारतीय कंपनियों में निवेश करेगा जो पर्यावरण, समाज और कॉर्पोरेट प्रशासन को महत्त्व देते हों।
- प्रस्तावित संयुक्त उद्यम लंबी अवधि के उन विदेशी निवेशकों, जैसे- पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड और हाई नेटवर्थ इंडिविज़ुअल (High Networth Individuals-HNIs) से धन जुटाएगा जो पर्यावरण, समाज और कॉर्पोरेट प्रशासन को महत्त्व देते हैं।

अटल सेतु (Atal Setu)

- हाल ही में गोवा में मांडोवी (Mandovi) नदी पर अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है।
- यह राज्य की राजधानी पणजी को उत्तरी गोवा से जोड़ने वाला 5.1 किलोमीटर लंबा केबल स्टे (स्टील की केबल के सहारे लटका हुआ) ब्रिज है।
- मांडोवी, जिसे महादयी नदी के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के उत्तरी भाग के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है। यह नदी कर्नाटक के बेलगाँव ज़िले में उत्पन्न होती है और महाराष्ट्र तथा गोवा से गुजरती हुई अरब सागर में जा मिलती है।

गगनयान के लिये मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित

हाल ही में इसरो (Indian Space Research Organisation-ISRO) द्वारा अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिये मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (Human Space Flight Centre-HSFC) का अनावरण किया गया।

- मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (HSFC) गगनयान परियोजना के क्रियान्वयन से संबद्ध है, इसकी गतिविधियों में अंतरिक्ष में चालक दल के लिये इंजीनियरिंग सिस्टम का विकास, चालक दल का चयन और प्रशिक्षण और कार्यक्रम की निगरानी शामिल है।
- 2019 में इसरो के लिये गगनयान 'सर्वोच्च प्राथमिकता' है, इस योजना के अंतर्गत पहला मानव रहित मिशन दिसंबर 2020 में तथा दूसरा जुलाई 2021 तक भेजने की संभावना है।
- इसरो के इस अभियान में एक महिला अंतरिक्ष यात्री के शामिल होने की संभावना है।

अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) का आह्वान

हाल ही में मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (Central Marine Fisheries Research Institute-CMFRI) में 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- इस कार्यशाला में AARDO के 12 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान संयुक्त एशियाई प्रबंधन योजनाओं को विकसित करने के लिये अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग का आह्वान किया गया।
- ओमान, लेबनान, ताइवान, मोरक्को, सीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ज़ाम्बिया, मलावी, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने बेहतर मत्स्य प्रबंधन पहल शुरू करने के लिये आपसी सहयोग की मांग की।

अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO)

- इसका गठन 1962 में किया गया जिसमें अफ्रीका और एशिया के देशों की सरकारें शामिल हैं।
- AARDO एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका देशों के बीच कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग कर उस पर कार्य करना है।

केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI)

- इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी, 1947 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।
- 1967 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) में शामिल कर दिया गया। अब यह संस्थान दुनिया के उष्णकटिबंधीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के रूप में उभर कर सामने आया है।

नोट :

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018

5 दिसंबर, 2018 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी जिसका वितरण 29 जनवरी, 2019 को किया गया।

- इसके अंतर्गत हिन्दी में चित्रा मुद्गल, अंग्रेज़ी में अनीस सलीम, उर्दू में रहमान अब्बास, संस्कृत में रमाकांत शुक्ल और पंजाबी में मोहनजीत सहित कुल 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- इन पुरस्कारों की अनुशंसा अकादमी के अध्यक्ष डॉ चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी मंडल की बैठक में 24 भाषाओं की निर्णायक समिति द्वारा की गई थी।
- इस बार सात कविता-संग्रहों, छह उपन्यासों, छह कहानी संग्रहों, तीन आलोचनाओं और दो निबंध संग्रहों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018

क्रमांक	भाषा	कृति का नाम	लेखक
1.	असमिया	काइलोएर दिनतो आमार होबो (कविता)	सनंत तांती
2.	बांग्ला	श्री कृष्णेर शेष कटा दिन (कहानी)	संजीब चट्टोपध्याय
3.	बोडो	दोंग्से लामा (लघु कथा)	रितुराज बसुमतारी
4.	डोंगरी	भागीरथ (उपन्यास)	इंदरजीत केसर
5.	अंग्रेज़ी	द ब्लाइंड लेडीज़ डीसेंडेंट्स (उपन्यास)	अनीस सलीम
6.	गुजराती	विभाजननी व्यथा (निबंध)	शरीफा विजलीवाला
7.	हिंदी	पोस्ट बॉक्स नं. 203-नाला सोपारा	चित्रा मुद्गल
8.	कन्नड़	अनुश्रेणी-यजामणिके(आलोचनात्मक साहित्य)	के.जी.नागराजप्पा
9.	कश्मीरी	आख (लघु कथा)	मुश्ताक अहमद मुश्ताक
10.	कोंकड़ी	चित्रलिपि (कविता)	परेश नरेंद्र कामत
11.	मैथिली	परिणिता (लघु कथा)	बीना ठाकुर
12.	मलयालम	गुरुपउर्णमी (कविता)	एस.रमेशन नायर
13.	मणिपुरी	नगमखैगी वाड्गमदा (लघु कथा)	बुधिचंद्र हैस्नाम्बा
14.	मराठी	सर्जनप्रेरणा आणि कवित्वशोध (आलोचनात्मक साहित्य)	मा. सु. पाटिल
15.	नेपाली	किन रोयू उपमा (लघु कथा)	लोकनाथ उपाध्याय चापागेन
16.	उडिया	प्रसंग पुरुणा भाबना नूआ (आलोचनात्मक साहित्य)	दशरथि दास
17.	पंजाबी	कोने दा सूरज (कविता)	मोहनजीत
18.	राजस्थानी	कविता दैवे दीठ (कविता)	राजेश कुमार व्यास
19.	संस्कृत	मम जननी (कविता)	रमाकांत शुक्ल
20.	संथाली	मारोम (उपन्यास)	श्याम बेसरा 'जीवी रारेक'
21.	सिंधी	जिया में टांडा (कविता)	खीमण यू. मुलाणी
22.	तमिल	संचारम (उपन्यास)	एस. रामकृष्णन
23.	तेलगु	विमर्शिनी (निबंध)	कोलाकलुरी इनोक
24.	उर्दू	रोहज़िन (उपन्यास)	रहमान अब्बास

नोट :

विविध

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने लॉन्च किया विद्यार्थियों पर केंद्रित प्रोग्राम; 'विद्यार्थियों से संवाद' है इस प्रोग्राम का नाम; 'विद्यार्थियों से संवाद' के पहले कार्यक्रम में पहले से चुने गए स्कूलों के 40 छात्र और 10 टीचर शामिल हुए; इस प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को ISRO की तिरुवनंतपुरम और बंगलुरु इकाई में ले जाने के साथ ही श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर भी ले जाया जाएगा; प्रोग्राम के तहत चयनित विद्यार्थियों को ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से संवाद करने का भी मौक़ा मिलेगा

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में की अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र परिसर की शुरुआत; यह केंद्र दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ावा देगा और चावल उगाने वाले देशों की अनुसंधान क्षमता को मज़बूत करेगा; इस केंद्र में परंपरागत चावल की किस्मों पर किया जाएगा फोकस; चावल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश ; पहले स्थान पर चीन, लेकिन चावल निर्यात में भारत है अव्वल

- टी.बी. राधाकृष्णन बने तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश; आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद 1 जनवरी, 2019 को अस्तित्व में आया देश का 25 हाई कोर्ट है तेलंगाना; 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद से लेकर अब तक आंध्र प्रदेश (हैदराबाद) हाई कोर्ट से ही चल रहा था दोनों राज्यों का काम; विजयवाड़ा में है आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट

- भारतीय रेलवे की इलेक्ट्रिकल सर्विस के 1980 बैच के अधिकारी वी.के. यादव होंगे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन; इससे पहले दक्षिण-मध्य रेलवे के महाप्रबंधक पद पर कार्यरत थे वी.के. यादव; अश्विनी लोहानी हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद से रिटायर; ए.के. मित्तल के इस्तीफे के बाद अश्वनी लोहानी बने थे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष; इससे पहले एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे अश्वनी लोहानी; 1905 में हुई थी रेलवे बोर्ड की स्थापना

- पश्चिम बंगाल में किसानों के लिये शुरू हुई नई योजना; राज्य-प्रायोजित 'कृषक बंधु' योजना के तहत 18 से 60 वर्ष आयु के राज्य के हर किसान को मिलेगा दो लाख रुपए का जीवन बीमा; इसके अलावा किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी; इसमें किसान और खेतिहर मजदूर दोनों शामिल

- उत्तर प्रदेश सरकार ने 'गौ कल्याण सेस' लगाने का किया फैसला; सड़क पर इधर-उधर घूमते आवारा गौवंश के लिये प्रदेश के हर ज़िले में गौशाला बनाने के लिये लगाया गया है सेस; प्रत्येक गौशाला में कम-से-कम 1000 आवारा पशुओं के देखभाल की होगी व्यवस्था; इनके लिये एक्साइज़ आइटमों पर आधा फीसदी, टोल टैक्स यूपी एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी की तरफ से आधा फीसदी और मंडी परिषद की तरफ से 2 फीसदी इस फंड में डाला जाएगा; प्रदेश के सभी ग्रामीण निकायों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ज़िला पंचायत) एवं शहरी निकायों (नगरपालिका, नगर निगम) में स्थायी गौवंश आश्रय स्थल बनेंगे

- प्रख्यात क्रिकेट कोच रमाकांत अचरेकर का मुंबई में निधन; 2010 में पद्मश्री और 1990 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित रमाकांत अचरेकर सचिन तेंदुलकर, विनोद काम्बली और अजीत अगरकर जैसे दिग्गज क्रिकेटरों के कोच रहे; दादर के शिवाजी पार्क में देते थे कोचिंग

- 4 जनवरी को दुनियाभर में हुआ विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन; ब्रेल लिपि के जनक फ्रांस के लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है यह दिवस; दृष्टिहीनों के लिखने-पढ़ने के लिये लुई ब्रेल ने विकसित की थी उभरे हुए बिंदुओं वाली अलग लिपि; इसे उनके ही नाम पर ब्रेल लिपि कहा गया; 1824 में बनी इस लिपि को दुनिया के लगभग सभी देशों में मिली है मान्यता

- स्वच्छता मंत्रालय ने 'स्वच्छ सुंदर शौचालय' नामक अभियान शुरू किया; एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत सभी लोगों को अपने शौचालय पेंट करने और सजाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा; इस अभियान में पूरे देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के ग्रामीण समुदाय होंगे शामिल; ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज़ 98 फ़ीसदी से अधिक

नोट :

- अमेरिका के 'मदर ऑफ आल बॉम्स' के जवाब में चीन ने बनाया बेहद विनाशकारी बम; गैर-परमाणु हथियारों में अब तक का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया; चीन के रक्षा उद्योग से जुड़े NORINCO ने इस बम का किया पहली बार प्रदर्शन; H-6K बॉम्बर एयरक्राफ्ट से इसे गिराने के बाद हुआ भयंकर विस्फोट; अमेरिका के GVU-43/B Massive Ordnance Blast को कहा जाता है 'मदर ऑफ ऑल बॉम्स'

- इल्हान उमर ने अमेरिकी कांग्रेस में हिजाब पहनकर ली शपथ; ऐसा करने वाली वह पहली अमेरिकी-मुस्लिम महिला बनीं; डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनी गईं 37 वर्षीय इल्हान 14 साल की उम्र में सोमालिया से एक शरणार्थी के तौर पर अमेरिका आई थीं; अमेरिका में पिछले वर्ष नवंबर में हुए मध्यावधि चुनावों में दो मुस्लिम महिलाओं ने हासिल की थी जीत

- दक्षिण अमेरिका की एंडीज़ पर्वत श्रृंखला में जीव वैज्ञानिकों ने पेड़ पर रहने वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी है; यूनिवर्सिटी ऑफ इक्वाडोर के शोधकर्त्ताओं ने इस नई प्रजाति की आनुवंशिक संरचना का अध्ययन करके बताया कि यह पहले मौजूद मेढक परिवार का सदस्य नहीं हैं; अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 'हाइलोसिटर्स हिलिस' रखा है भूरे रंग वाले मेढक की इस प्रजाति का नाम

- मेघालय में स्वदेश दर्शन के तहत पहली योजना की शुरुआत; मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने किया भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की 'स्वदेश दर्शन' योजना का उद्घाटन; Umiam (Lake View)- U Lum Sohpetbneng- Mawdiangdiang - Orchid Lake Resort है परियोजना का नाम; पर्यटन मंत्रालय की महत्त्वपूर्ण योजनाओं में से एक है स्वदेश दर्शन योजना

- चीन ने बनाया अत्याधुनिक तकनीक से लैस नया रडार; भारत जितने बड़े भू-भाग की निगरानी करने में सक्षम है यह रडार; चीन के Over the Horizon कार्यक्रम का एक हिस्सा है यह रडार; मौजूदा रडार तकनीक की तुलना में दुश्मन के जलपोतों, विमानों और मिसाइलों को कहीं जल्दी पहचान लेता है यह रडार; चीन के विमानवाहक बेड़े के लिये किया गया है कॉम्पैक्ट आकार के इस रडार का विकास

- नासा ने फिर खोज निकाली एक और सुपर अर्थ: इस सुपर अर्थ को दिया गया है K2-288B नाम; पृथ्वी से दोगुना हो सकता है इसका आकार; अपने तारे के निवासी क्षेत्र में स्थित है यह सुपर अर्थ; समशीतोष्ण है इस सुपर अर्थ की कक्षा; पृथ्वी से 226 प्रकाश वर्ष दूर होने का अनुमान; इस सुपर अर्थ को वैज्ञानिकों ने फॉल्टन गैप कैटेगरी में रखा; फॉल्टन गैप को रेडियस वैली भी कहा जाता है

- हरियाणा के राखीगढ़ी में तीन साल पहले 40 कब्रों की खुदाई के दौरान एक कब्र में मिले थे दो कंकाल; तीन साल तक चले शोध के बाद कंकालों के 5000 साल पुराने होने का अनुमान; हड़प्पाकालीन टीलों को खोदने पर इनमें चित्रकारी किये हुए मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की चूड़ियाँ, पत्थर के मनके तथा मिट्टी के खिलौने एवं नर कंकाल, आभूषण बनाने की भट्ठी आदि मिले थे

- निजी क्षेत्र के IDFC बैंक का नाम बदलकर IDFC First Bank Limited कर दिया गया है। गौरतलब है कि IFDC बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 'कैपिटल फर्स्ट' का विलय 18 दिसंबर को पूरा हो गया था। इस विलय के बाद IFDC बैंक के बोर्ड ने कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के चेयरमैन के तौर पर वी. वैद्यनाथन को इन दोनों कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया था। विलय के बाद अब यह संयुक्त इकाई 203 बैंक शाखाओं, 129 एटीएम और 454 ग्रामीण बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट सेंटर्स के ज़रिये 72 लाख ग्राहकों को सेवाएँ देगी।

- भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाली सेना के प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को 'भारतीय सेना के जनरल' की मानद उपाधि प्रदान की। वर्षों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए नेपाल के सेना प्रमुख को 'भारतीय सेना के जनरल' की मानद पदवी प्रदान की गई। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच एक-दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद जनरल की पदवी प्रदान करने की पुरानी परंपरा है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत को 2017 में उनकी नेपाल यात्रा के दौरान वहाँ की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने उनको 'नेपाली सेना के जनरल' की मानद पदवी प्रदान की थी। कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा 1950 में नेपाल की सेना द्वारा इस पदवी से सम्मानित किये जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख थे।

- युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 की शुरुआत की। इसे तीन स्तरों पर संचालित किया जा रहा है- 1. ज़िला युवा संसद, 2. राज्य युवा संसद और 3. राष्ट्रीय युवा संसद। इस राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की थीम 'नए भारत की आवाज़ बनो' और 'उपाय ढूंढो और नीति में योगदान करो' (Be the Voice of New India and Find Solutions and Contribute to Policy) रखी गई है। 12 जनवरी से शुरू हुआ यह महोत्सव 24 फरवरी तक जारी रहेगा।

नोट :

- कर्नाटक में कुदालसंगामा की पंचमाली पीठ द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय बसवा कृषि पुरस्कार पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को कृषि में उनके योगदान के लिये दिया जाएगा। 2012 में स्थापित यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को दिया जाता है। अब तक राजेंद्र सिंह, अन्ना हजारे, मेधा पाटकर, बाबा अडावे, माणिक सरकार और एम.एस. स्वामीनाथन को इस पुरस्कार से नवाज़ा जा चुका है।

- नोबल पुरस्कार विजेता और पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्त्ता मलाला युसुफज़ई की नई पुस्तक We Are Displaced भारत में भी लॉन्च हुई। इस पुस्तक में उन्होंने दुनियाभर की यात्रा और शरणार्थी शिविरों का दौरा करते समय हुए अपने अनुभवों को साझा किया है। Weidenfeld & Nicolson and Hachette India ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है।

- The Economist मैगज़ीन की Intelligence Unit ने वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक का 2018 संस्करण जारी किया है। इसमें भारत को 41वाँ स्थान मिला है। नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूज़ीलैंड और डेनमार्क टॉप-5 में शामिल हैं। चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कांगो, सीरिया और उत्तर कोरिया अंतिम 5 में शामिल हैं। यह सूचकांक पाँच श्रेणियों पर आधारित है, जिनमें चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद, नागरिक स्वतंत्रताएँ, सरकार का कामकाज, राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक संस्कृति शामिल है।

- जाति और नस्ल सूचक टिप्पणियाँ किये जाने के बाद अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन से उनकी प्रयोगशाला द्वारा दिये गए मानद सम्मान वापस ले लिये गए हैं। जेम्स वाटसन न्यूयॉर्क स्थित कोल्ड स्प्रिंग हार्बर यूनिवर्सिटी से लगभग चार दशकों तक जुड़े रहे हैं और उन्हें DNA Helix का सह-खोजकर्त्ता होने के कारण ह्यूमन जीनोम का पितामह माना जाता है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम फिलिप कोटलर अवार्ड से नवाज़ा गया है। इस पुरस्कार के लिये उनका चयन ''देश को उत्कृष्ट नेतृत्व' प्रदान करने के लिये किया गया है। यह पुरस्कार 3P के आधार पर दिया गया है, जिसमें People, Profit, Planet शामिल हैं। यह पुरस्कार हर साल किसी देश के नेता को दिया जाएगा। फेसर फिलिप कोटलर नॉर्थ-वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में इंटरनेशनल मार्केटिंग के विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं।

- प्रख्यात अंग्रेजी लेखिका नीलम सरन गौड़ को उनकी पुस्तक Requiem in Raga Janaki के लिये 2018 का द हिंदू प्राइज़ फॉर फिक्शन दिया गया है। नॉन-फिक्शन श्रेणी में यह पुरस्कार बंगाली लेखक तथा राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्त्ता मनोरंजन ब्यापारी को उनकी पुस्तक Interrogating My Chandal Life: An Autobiography of the Dalit के लिये दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति-पत्र और पाँच लाख रुपए नकद प्रदान किये जाते हैं।

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दूरदर्शन और प्रसार भारती के साथ मिलकर विज्ञान संचार के क्षेत्र में दो पहलों- 'डीडी साइंस' और 'इंडिया साइंस' की शुरुआत की। 'डीडी साइंस' दूरदर्शन न्यूज़ चैनल पर एक घंटे के स्लॉट वाला कार्यक्रम है, जो सप्ताह में 6 दिन प्रसारित किया जाएगा। 'इंडिया साइंस' इंटरनेट आधारित चैनल है, जो किसी भी इंटरनेट आधारित उपकरण पर उपलब्ध है और मांग पर निर्धारित वीडियो लाइव उपलब्ध कराएगा।

- केंद्र सरकार ने देश में काम कर रहे हज़ारों गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को विदेशी चंदे के लिये अनिवार्य पंजीकरण की शर्त में ढील देने का फैसला किया है। अब इन्हें विदेशों से चंदा लेने से पहले दर्पण पोर्टल पर यूनीक ID जेनरेट नहीं करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अक्तूबर 2017 में कामकाज में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेहिता तय करने हेतु सभी NGOs के लिये 'दर्पण' पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया था।

- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय ने उनके जीवन पर एक डिजिटल स्टडी किट तैयार की है। 16 GB की पेन ड्राइव में उपलब्ध इस किट में गांधी जी के जीवन के तमाम पहलुओं से जुड़ी जानकारियाँ, किताबें, ऑडियो, वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं। इस डिजिटल स्टडी किट को My Life My Message नाम दिया गया है। इसमें गांधी जी की लिखी 20 पुस्तकें, उन पर लिखी गई 10 किताबें और 9 डाक्यूमेंट्री फिल्में शामिल हैं। कई ऑडियो के साथ लगभग 100 तस्वीरें भी इस स्टडी किट में शामिल हैं।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में नौवें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात में निवेश को आकर्षित करना है। वाइब्रेंट गुजरात को राष्ट्र प्रमुखों की उपस्थिति का एक वैश्विक मंच माना जाता है। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिरजियोयेव, डेनमार्क के प्रधानमंत्री लार्स लोक रासम्युसिन, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज बबिज और माल्टा के प्रधानमंत्री डॉ. जोसेफ मस्कट भी मौजूद थे। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये इसमें शामिल हुए। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन 2003 में किया गया था, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

नोट :

- दुनिया में अपनी प्रजाति के अकेले बचे मेढक 'रोमियो' को उसकी साथी मिल गई है। इससे बोलीविया के वर्षा वनों में पाए जाने वाले सेहुएनकास (Sehuencas) प्रजाति के इस मेढक को विलुप्त होने से बचाने की संभावना बढ़ गई है। पिछले एक दशक से यह माना जा रहा था कि रोमियो इस प्रजाति का आखिरी मेढक है। अब शोधकर्त्ताओं को इस प्रजाति की मादा मेढक मिली है, जिससे प्रजनन कराकर इसे विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा।

- भारत-अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (IAFTX)-2019 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिये पुणे में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मिस्र, घाना, नाइजीरिया, सेनेगल, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, युगांडा, नाइज़र और जाम्बिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गौरतलब है की IAFTX-2019 18 से 27 मार्च 2019 तक पुणे के औंध मिलिट्री स्टेशन और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में होना प्रस्तावित है।

- मिस्र का कहना है कि पुरातत्त्वविदों को नील नदी के डेल्टा में 1782-1570 ईसा पूर्व की द्वितीय मध्यकालिक इंटरमीडिएट अवधि की प्राचीन कब्रों का पता चला है। इनमें प्राचीन जानवरों के अवशेष, पत्थर की कलाकृतियाँ और चित्र के साथ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं, लेकिन इन्हें संभाल कर नहीं रखा गया। मिस्र के पुरातात्त्विक मंत्रालय ने कहा कि पुरातत्त्वविदों को काहिरा के उत्तर में लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर कोम अल-खोलगन (Kom al-Kholgan) पुरातात्त्विक स्थल में 20 कब्रिस्तान भी मिले, जो प्री-डायनेस्टिक काल (3100 वर्ष ईसा पूर्व) के प्रतीत होते हैं।

- हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार कृष्णा सोबती का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1950 में कहानी 'लामा' से उन्होंने अपना साहित्यिक सफर शुरू किया था। 1966 में प्रकाशित हुए उनके उपन्यास 'मित्रो मरजानी' और 'ज़िंदगीनामा' को हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं में गिना जाता है। 'ज़िंदगीनामा' के लिये उन्हें 1980 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाज़ा गया था। इनके अलावा 'सूरजमुखी अंधेरे के', 'दिलोदानिश', 'ऐ लड़की', 'समय सरगम', 'जैनी मेहरबान सिंह', 'हम हशमत', 'बादलों के घेरे', 'बुद्ध का कमंडल लद्दाख' और 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' जैसी रचनाओं को उन्होंने कलमबद्ध किया। उन्हें 1996 में अकादमी के सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप भी दिया गया था। इसके अलावा कृष्णा सोबती को पद्मभूषण, व्यास सम्मान और शलाका सम्मान से भी नवाज़ा गया था। 2017 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

- ऑक्सफोर्ड Oxford Dictionary ने 'नारी शक्ति' को 2018 के लिये हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर का दर्जा ऐसे शब्द को दिया जाता है, जो पूरे साल काफी ध्यान आकर्षित करता है और लोकाचार, भाव और चिंता को प्रतिबिंबित करता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश की ओर से कहा गया कि आज यह शब्द अपनी जिंदगी का भार उठाने वाली महिलाओं का सूचक है। भाषा विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति की सहायता से इस शब्द को चुना गया।

- प्रसिद्ध हिंदी लेखिका चित्रा मुद्गल सहित 24 लेखकों को साहित्य अकादमी सम्मान 2018 से नवाज़ा गया। यह सम्मान 24 विभिन्न भाषाओं में दिया गया। चित्रा मुद्गल को यह सम्मान उनके उपन्यास 'पोस्ट बॉक्स नंबर 203-नाला सोपारा' के लिये दिया गया है। उनके अब तक लगभग 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह, 5 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुचर्चित उपन्यास 'आवां' के लिये उन्हें व्यास सम्मान से भी नवाज़ा जा चुका है।

- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को कारनोट पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिलवेनिया स्कूल ऑफ डिज़ाइन के क्लीनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी ने ऊर्जा मंत्री के नाते इस क्षेत्र में योगदान के लिये उन्हें चौथा वार्षिक कॉरनोट पुरस्कार प्रदान किया। पीयूष गोयल ने कॉरनोट पुरस्कार से मिली 25 हज़ार डॉलर (करीब 18 लाख रुपए) की राशि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दान कर दी है। इस राशि से विशिष्ट ज़रूरतों वाले बच्चों के लिये काम करने वाले संगठनों तथा सौर ऊर्जा का अधिकतम इस्तेमाल संभव बनाने वाले संगठनों को पुरस्कार देने की शुरुआत की जाएगी।

- सुमन कुमारी पाकिस्तान के इतिहास में अब तक की पहली हिंदू महिला सिविल जज नियुक्त हुई हैं। वह पाकिस्तान के कम्बर शहादकोट क्षेत्र की रहने वाली हैं और उन्हें अपने ही पैतृक ज़िले में सेवा का मौका दिया गया है। सुमन कुमारी ने L.LB. की परीक्षा हैदराबाद से पास की है और लॉ में मास्टर्स डिग्री कराची के सैयद जुल्फिकार अली भुट्टो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से ली है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में लगभग 2 प्रतिशत हिंदू हैं और इस्लाम के बाद यह वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है।

नोट :